खण्ड-370, अंक-7
मंगलवार, 1 श्रावण, शक संवत् 1907
(23 जुलाई, 1985 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 370 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय			पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	..	1
प्रश्नोत्तर	..	..	3–76
बीघाओं में अजनबियों के प्रवेश के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	..	76–77
ग्राम बेरमा मगड़ो, आजमगढ़ में तूफान से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	77—78
प्रदेश में पाठ्य पुस्तकों एवं सस्ती कापियों के अभाव के सम्बन्ध म नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	78
थाना जैतीपुर, शाहजहांपुर के क्षेत्र में बस से दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तियों को आर्थिक सहायता की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	78–79
ग्राम सभा अहरनसुवंश, फैजाबाद की भू सम्पत्ति को हड़पने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	79
समाज कल्याण विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	79–80
जैतपुर बाराबंकी में गंदगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	80
पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को विदेश से लौटते समय पुलिस द्वारा परेशान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	80–81
परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा 500 परिचालकों की सेवा समाप्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	81
वाराणसी कचहरी के प्रांगण में वकीलों के बैठने के स्थान के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 से अन्तर्गत सूचना	..	..	81–82
भूतपूर्व सांसद स्वर्गीय श्री नवाब सिंह चौहान के परिवार को पुलिस द्वारा सताये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	82
विधायक निवास 5 में जलापूर्ति न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	..	..	82
थाना अतरौलिया, आजमगढ़ में हुई डकैती व लूट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.	..	82–83
कानपुर में जिस्मफरोशी एवं ब्लू फिल्म बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	83
विधायक निवास 5 में जलापूर्ति न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	..	83

विषय	पृष्ठ संख्या
शाहजहांपुर में बी0 काम कक्षायें न खोले जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	85
मंत्रि परिषद् द्वारा दिये गये अदेशों की पुलिस महानिदेशक द्वारा अवहेलना के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	85–86
नौतनवां तथा बिल्लूपार से निर्वाचित सदस्यों के रासुका में निरुद्ध होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	87–88
दिनांक 22–7–1985 को सदन में पुलिस के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री द्वारा दिये गये बयान के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	88–89
खाद्य मंत्री द्वारा भारत को हिन्दू देश कहे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	89–90
नौतनवा तथा बिल्लूपार से निर्वाचित सदस्यों के रासुका में निरुद्ध होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	90–91
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	91–102
1985–86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगो पर मतदान अनुदान संख्या 19–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा), अनुदान संख्या 20–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) तथा अनुदान संख्या 24 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (जारी)	102–103
चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित बजट साहित्य समय न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	103
1985–86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 19–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) अनुदान संख्या 20–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) अनुदान संख्या 21 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)(जारी) ..	104–128
सहारनपुर में हुए झगड़े एवं कर्फ्यू लगाये जाने की सूचना ..	128
1985–86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगो पर मतदान अनुदान संख्या 19–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा), अनुदान संख्या 20–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) तथा अनुदान संख्या 21–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)	128–148
राज्य के विश्वविद्यालयों की सीनेट अथवा प्रबन्ध बोर्ड राज्य निराश्रित सहायता समिति तथा उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् की सदस्यता के लिए पूर्व घोषित निर्वाचन कार्यक्रम को निरस्त करने तथा श्री अध्यक्ष को नामांकित करने हेतु प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	149
सहारनपुर में हुए साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	149–150
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	150

विषय		पृष्ठ संख्या
माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ रूप से नियुक्त अध्यापकों की सेवाएं समाप्त करने के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	150–160
दिनांक 9 मार्च, 1984 को उत्तर प्रदेश के अर्धशासकीय महाविद्यालयों में आन्दोलनकारियों के बीच समझौता होने विषयक दिनांक 15 जुलाई, 1985 के तारांकित प्रश्न संख्या 9, नत्थी 'ख' के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	..	161–163
दीर्घाओं में अजनबियों के प्रवेश के सम्बन्ध में उठाए गए औचित्य के प्रश्न पर श्री अधिष्ठाता का निर्णय	..	163
नत्थियां	.. ..	165–173

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे

अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अमर चन्द्र, श्री (आगरा)
अशरफ इमाम, श्रीमती (मिर्जापुर)
आर० एन० पाठक, श्री (कानपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (बहराइच)
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री (गाजियाबाद)
कृष्णा रावत, कुमारी (लखनऊ)
खरपत राम, श्री (वाररणसी)
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री (सीतापुर)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
लक सिंह, श्री (अलीगढ़)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री (आजमगढ़)
देव कुमार यादव, श्री (बांदा)
नियाज हसन, श्री (प्रतापगढ़)
नेक चन्द्र पांडेय, श्री (कानपुर)
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती (बदायूं)
फजले मसूद, श्री (देवरिया)
फागू चौहान, श्री (आजमगढ़)
वंशीधर राज, श्री (खीरी)
भोला सिंह, श्री (इलाहाबाद)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन) (बरेली)
राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री (सीतापुर)
राम नरेश, शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
रीना कुमारी, श्रीमती (मुरादाबाद)
विजय लक्ष्मी, श्रीमती (बलिया)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
शारदा प्रसाद विन्द, श्री (वाराणसी)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, राजकुमार (सुल्तानपुर)
सखावत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
समरपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (रायबरेली)
हर नारायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)

नोट--इसके अतिरिक्त आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री श्री अजीत प्रताप सिंह भी अनुपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

"प्रश्नोत्तर"

मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई, 1985

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर के षष्ठम् वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा ह्यूम पाइप की खरीद

**1—त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् 1984-85 में सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर के षष्ठम् वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा कितनी धनराशि के ह्यूम पाइप क्रय किये गये हैं ? क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को ज्ञात है कि इस क्रय कार्य में गम्भीर अनियमितताये और भ्रष्टाचार के माध्यम से लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की धनराशि का गोलमाल किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिनांक 8-7-85 तक क्या कार्यवाही की गयी ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)—

वर्ष 1984-85 में षष्ठम् वृत्त सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर के अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा 46.22 लाख रुपये के ह्यूम पाइप क्रय किये गये ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि प्रमुख अभियन्ता के आदेश संख्या 12/530 पी0 जे0-85, दिनांक 30-11-85 द्वारा एन0 पी0 3 ह्यूम पाइप न क्रय किए जाने के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी एन0 पी0 3 ह्यूम पाइप क्रय किये गये हैं, जिसमें भारी धनराशि का घपला किया गया है ?

श्री अधिष्ठाता—

आप प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, पढ़ा हुआ माना गया है आप सवाल करें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, यह लिख लाये हैं वह पढ़ रहे हैं ।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता ने कितने-कितने रुपये के ह्यूम पाइप क्रय किए हैं और सहायक अभियन्ताओं ने नियम के विरुद्ध पांच-पांच लाख रुपये के ह्यूम पाइप क्रय किए हैं ? क्या जिन कम्पनियों से सामग्री ली गई है वह एप्रूव्ड हैं ? क्या उनकी क्वालिटी ठीक है ? यदि नहीं, तो क्या माननीय मंत्री जी उसकी जांच कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, पहले मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जो प्रश्न में लिखा हुआ है कि करोड़ों रुपया का घोटाला है.....

(व्यवधान)

यह करोड़ों रुपये का घोटाला बता रहे हैं । इसलिए मैंने दुबारा प्रश्न को पढ़ा । दूसरी बात मान्यवर, इस बारे में कोई शिकायत नहीं आई थी । फिर भी मैं यह बताना अपना कर्तव्य समझता हूं । डायरेक्टर इन्डस्ट्रीज द्वारा जो रेट

कान्ट्रेक्ट की दरें होती हैं उन्हीं के द्वारा यह रजिस्टर्ड फर्मों से क्रय किया गया था। दूसरी बात आपने जाननी चाही है कि कितने का ह्यूम पाइप खरीदा गया है ? इसकी भी सूचना मान्यवर, मैं दे रहा हूं। सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर द्वारा 26.82 लाख का, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा 19.40 लाख का कुल 46.22 लाख का ह्यूम पाइप खरीदा गया है।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

मान्यवर, तथ्य को छुपाया जा रहा है। प्रमुख अभियन्ता के स्पष्ट आदेश थे कि ह्यूम पाइप न खरीदा जाये।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपया प्रश्न करें।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

मान्यवर, प्रश्न ही कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कृपया इस तथ्य को भी वह स्पष्ट करेंगे कि एस0 ई0 ने जान करके रिकार्ड में परिवर्तन किया है ? यदि हां, तो अब तक पूरे रिकार्ड क्यों नहीं सील किये गये ? इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता ने कितने-कितने रुपये के ह्यूम पाइप क्रय किए हैं और सहायक अभियन्ताओं ने नियम के विरुद्ध पांच-पांच लाख रुपये के ह्यूम पाइप क्रय किये हैं ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, मैं फिर कहना चाहूंगा, जो सूचना मांगी गई थी वह है सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर द्वारा 26.82 लाख, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा 19.40 लाख तथा 46.22 लाख का कुल ह्यूम पाइप खरीदा गया है इसमें कोई शिकायत नहीं आई थी। शिकायत भेजेंगे तो जांच की जायेगी।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

हमारी सूचना को सही मानकर...

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मिश्रा जी, आप बैठे मैंने ओझा जी को बुला लिया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में। क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि मुख्य अभियन्ता ने स्पष्ट निर्देश दिये थे कि इस तरह के ह्यूम पाइप न खरीदे जायं। मुख्य अभियन्ता के आदेशों और निर्देशों की अवहेलना करके निहायत घटिया किस्म के पाइप खरीदे गये। कोई ह्यूम पाइप लगा नहीं और टूट गये। प्रश्न वित्तीय अनियमितता का है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके आदेशों और निर्देशों की अवहेलना करके पाइप खरीदी गयी। तो क्या मंत्री इस पूरे प्रकरण की पुनः जांच कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

जैसा हमारे आरणीय सदस्य ओझा ने बात रखी है। मैं उनको बतलाना अपना कर्तव्य समझता हूं कि वहां पर 2074 पाइप खरीदी गई जो एन0 पी0 3 नाम की थी और 382 पुलियां बनी हैं, जिनमें यह पाइप लगे हैं। 1205 पाइप का प्रयोग हो गया है, 869 पाइप शेष मौजूद हैं। अगर कोई चीज माननीय सदस्य लायेंगे, तो उसकी जांच होगी।

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)—

सम्मानित सदस्य, गोरखपुर ने जो बात कही है, वह गुणात्मक आधार पर है। क्वालिटी की बात महत्व की होती है। हम अवश्य दिखलावेंगे कि जो क्वालिटी निर्धारित थी उसके अनुसार खरीद की गई या नहीं। इसको अवश्य दिखलावेंगे।

श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस फर्म से खरीदी गई वह एप्रूव्ड थी या नहीं ?

श्री नारायन दत्त—

इसको भी दिखलवा लेंगे।

प्रदेश में सरकार के सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से पेंशन का कार्य कराने पर विचार

**2—श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार प्रदेश में पेंशन का कार्य इलाहाबाद जनपद में स्थित केन्द्रीय सरकार के महालेखाकार कार्यालय से न कराकर प्रदेश सरकार के सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से ही सम्पन्न कराये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

पुलिस, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा राजस्व परिषद् में दिनांक 31-7-85 तथा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के पेंशन प्राधिकार पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के बजाय उक्त विभागों के मुख्य लेखाधिकारी द्वारा जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है और तत्सम्बन्धी आदेश दिनांक 16-7-85 को जारी किये गये हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, क्या सरकार जनहित को देखते हुये इन चार विभागों के अतिरिक्त शासन के जितने भी विभाग हैं, क्या उन सभी विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के सम्बन्ध में अधिकार पत्र जारी करने हेतु, विभागाध्यक्षों द्वारा मुख्यालय के लेखाकार से कराने का निर्णय कर रही है या विचार कर रहे हैं, अगर विचार कर रहे हैं तो कब तक यह आदेश हो जायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जैसा मूल उत्तर में कहा गया है 4 विभागों के विभागाध्यक्षों को पेंशन सम्बन्धी अभिलेख के निस्तारण का अधिकार दिया गया। 31 जुलाई को रिटायर्ड होने वाले, यानी, 1 अगस्त, 1985 से लागू होगा। जो चार विभागों को दिया गया है यह एक प्रयोगात्मक रूप में दिया गया है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी की महालेखाकार के यहां 35 हजार पेंशन के मामले पेंडिंग हैं और 16 हजार कर्मचारी प्रति वर्ष सेवा निवृत्त होते हैं लोड को कम करने के लिये ऐसा किया गया है अगर यह प्रयोग सफल रहा और पूर्ण विश्वास है कि सफल होगा तो बाकी विभागों में भी करने का विचार किया जायेगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा —

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अन्य विभागों में इस योजना को लागू करने में क्या कठिनाई उत्पन्न हो रही है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, इसमें कठिनाई नहीं है। मैंने कहा प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। जब प्रयोग सफल हो जायेगा तो बाकी सभी में निश्चित रूप से लागू किया जायेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्र सरकार ने और अन्य सूबों में भी क्या इसकी व्यवस्था की है और यह विभागाध्यक्ष के जरिये से व्यवस्था की गई है. उसको देखते हुए और इस प्रयोग को देखते हुए क्या निकट भविष्य में सरकार इस सम्बन्ध में कोई निर्णय करने का विचार कर रही है ?

श्री नारायन दत्त—

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य वाराणसी कन्ट ने जो प्रश्न उठाया है, उसके संदर्भ में मुझे उन्हें सूचित करना है कि इस सम्बन्ध में जो शिकायतें थीं कि पेंशन समय से प्राप्त नहीं हो रही है, एक उन्ट ठीक से नहीं रखा जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैंने 14 जून को सारे एकाउन्ट

जनरल की मीटिंग बुलाई थी और पेंशन के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया जैसा कि अनुग के इस प्रश्न से उत्तर में कहा गया है। पेंशन के बारे में एक सुविधा और दी गई है जो माननीय सदस्यों को मालूम होगी, सेवानिवृत्त होने के तुरन्त बाद 6 महीने की प्रोविजनल पेंशन दी जाती थी अब उसको बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है। जहां तक विभागाध्यक्षों को प्राधिकृत करने का प्रश्न है। इस समय ज्यादातर कर्मचारी रिटायरमेन्ट के बाद कम्युनिटिव पेंशन ले लेते हैं उससे उनको एक मुश्त पैसा मिल जाता है और उसको जमा कर देते हैं जिससे उनको ब्याज मिल जाता है। 16 हजार कर्मचारी हर साल रिटायर होते हैं कम्युनिटिव कागज को तैयार करने में समय लगता है और यह सारा कार्य महालेखाकार के कार्यालय में होता है। इस काम में कैसे जल्दी हो इसके लिए इस सम्बन्ध में फिर बैठक बुलायी गयी है। 16 जुलाई को जो महालेखाकार के साथ बैठक हुई थी उसके निर्णय के अनुसार 4 विभागाध्यक्षों का यह अधिकार दिया गया है। इससे महालेखाकार कार्यालय के पूर्णकालिक कर्मचारी लगे हुए हैं और वह इसको कर रहे हैं। इसमें महालेखाकार के परामर्श से निर्णय लिया जाता है।

तारांकित प्रश्न

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड द्वारीखाल में पोखट पेयजल योजना

*1--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड द्वारीखाल के अन्तर्गत पोखठा पेयजल योजना शासन द्वारा कब स्वीकृत की गयी थी और योजना का निर्माण कब पूर्ण किया गया तथा ग्राम मैठाणा को पेयजल की सुविधा कब प्राप्त कराई गयी है?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)--

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड द्वारीखाल में पुखठा नाम की कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई है। एक योजना जिसका नाम पोखटा है, नवम्बर, 1981 में स्वीकृत की गई थी।

पोखटा जिला योजना का निर्माण कार्य मार्च, 1984 में पूर्ण किया गया था।

ग्राम मैठाणा एक उप ग्राम है जिसे मार्च, 1984 में ही पेय जल उपलब्ध करा दिया गया था परन्तु कुछ ग्रामवासियों द्वारा पोखटा में निर्मित जलाशय के निकट मैठाणा उप ग्राम की पाइप लाइन में तोड़-फोड़ की गई जिसके कारण मैठाणा ग्राम में पानी बन्द हो गया था जिसे माह दिसम्बर में पुनः उपलब्ध करा दिया गया है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनकी जानकारी में यह आया है कि अब भी इन गांवों में पानी मिल नहीं रहा है? यदि नहीं मिल रहा है तो पानी उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था करेंगे?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, हमारी जानकारी में तो पानी मिल रहा है, लेकिन अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो माननीय सदस्य बता दें, व्यवस्था करा देंगे।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का तथा माननीय मुख्य मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में इस समय इतना ज्यादा सूखा पड़ रहा है कि जहां पहले पानी मिलता भी था, वहां भी नहीं मिल रहा है। जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, उनमें से 98 प्रतिशत

योजनाएं बिना पानी के चल रही हैं, इसलिये मेरा आग्रह है कि इसको फिर से दिखवा लिया जाय। मेरी निश्चित सूचना है कि इन योजनाओं में पानी नहीं मिल रहा है, क्या माननीय मंत्री जी इसको दोबारा दिखाने का कष्ट करेंगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, हम दोबारा दिखला लेंगे।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, जैसा कि पर्वतीय क्षेत्र के लिये माननीय सदस्य ने बताया कि वहां पर जितनी भी योजनाएं पुराने स्रोतों से चल रही थीं, उनमें से अनेक सूखे के कारण या अवर्षण से बेकार हो गयी हैं, तो पूछना चाहता हूं कि जैसा कि जल निगम की लिस्ट के अनुसार वहां पर जो दो प्रकार के गांव हैं, पर्वतीय क्षेत्र में अभावग्रस्त श्रेणी-1 और श्रेणी-2, तो यह लिस्ट सन् 1974 के सर्वे के आधार पर बनायी गयी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो यह प्रायरिटी लिस्ट बन गयी हैं, इसमें सारे गांव कवर नहीं होते, तो क्या फिर से सर्वे कराकर अभावग्रस्त गांवों की नयी प्रायरिटी लिस्ट बनवायेंगे ?

श्री नारायन दत्त--

श्रीमन्, जो प्रश्न सम्मानित सदस्य डीडीहाट ने उठाया है वह इस मान में महत्व का है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो पानी के स्रोत सूखे के कारण या अवर्षण के कारण कम हो गये हैं, उनके कारण पेयजल की ये योजनाएं सफलता से चल नहीं पा रही हैं। इसलिये यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अतः इसमें सम्मानित सदस्य एवं उस क्षेत्र के सभी सम्मानित सदस्यों से सहयोग की प्रार्थना है, क्योंकि जलागम का विकास आवश्यक है और वनीकरण के स्रोतों की रक्षा भी आवश्यक है। साथ ही वहां जो इनके रख-रखाव की समस्या है, जिसका काम वहां जल निगम और जल संस्थान कर रहे हैं, मैं वहां की स्थानीय जनता का आवाहन करूंगा कि वे इन विभागों को सहयोग दें। इस सम्बन्ध में निरंतर परामर्श चल रहा है ताकि भविष्य में और योजनाएं बनाई जा सकें। जहां तक श्रेणी एक और दो, दो तरह के गांवों की बात है, श्रीमन्, अगर इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य कोई सुझाव देंगे कि फलां-फलां गांव को इतनी अधिक उच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, तो हम अवश्य विचार कर लेंगे।

जनपद आगरा की नगरपालिका, फिरोजाबाद में कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने की जांच

*2--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा की नगरपालिका फिरोजाबाद में शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना वर्ष 1984 में 74 स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति हुयी ? यदि हां, तो क्यों तथा शासन ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जांच की जा रही है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मेरा प्रश्न देखें, जो 2 मई, 1985 का है। इसमें मैंने स्पष्ट आरोप लगाया है कि नगरपालिका फिरोजाबाद में 74 कर्मचारियों की नियुक्ति शासन की बिना अनुमति के हुई और इसमें नगरपालिका पर जो डढ़ लाख रुपये का व्यय भार बढ़ा, इस सम्बन्ध में जिन अधिकारियों ने यह नियुक्ति की है, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी, और इसके लिये कौन जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और उसमें जांच के लिये संदर्भित बिन्दु क्या है ?

श्रीमती पद्मा सेठ---

मान्यवर, डायरेक्टर, लोकल बाडीज को जांच के लिये दिया गया है। उनकी जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है और उसमें जो भी सम्बन्धित अधिकारी दोषी पाए जायेंगे, उनको कड़ी से कड़ी सजा अवश्य मिलेगी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

संदर्भित बिन्दु क्या है? दूसरे, जब इसकी सूचना 20-3-85 को मिल गयी थी, तो अब तक जांच न होने के क्या कारण हैं? तीसरे, क्या जिलाधिकारी, आगरा ने प्रश्न के उत्तर में यह संस्तुति भेजा है कि स्वास्थ्य अधिकारी, फिरोजाबाद नगरपालिका और प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप सही पाये गये हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, नियम 301 के अन्तर्गत भी इस पर सूचना प्राप्त हुई थी। 7 जनवरी, 1985 को भी यह सूचित किया गया था कि उल्लिखित शिकायतों के बारे में, निदेशक स्थानीय निकाय को मामला जांच के लिये भेजा गया है, जैसे ही वह रिपोर्ट आ जायेगी, दोषी पाये जाने पर, सम्बन्धित अधिकारियों को दंडित किया जायेगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, यह तो भ्रष्टाचार को बचाने का काम हो रहा है। बिना अनुमति के नियुक्तियां की गयी हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, यह निश्चयात्मक प्रश्न है। यह स्पष्ट आरोप लगाया गया है कि 74 लोगों की अनियमित नियुक्तियां की गयी। लगता है जानबूझ कर तथ्यों को छिपाया जा रहा है।

श्री नारायन दत्त--

सम्मानित सदस्य गोरखपुर, इस बात को देखेंगे कि प्रश्न में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वह स्थायी कर्मचारियों के लिए है। अब इसमें यह बिन्दु देखने के हैं कि क्या स्थायी पदों पर अस्थायी नियुक्तियां हुई हैं या अस्थायी पद पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी पद पर नियुक्त किया गया है। यह सब जांच की बातें हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, जिलाधिकारी, आगरा ने संस्तुति भेजी है कि अनियमित ढंग से नियुक्तियां हुई हैं, आरोप सिद्ध हो चुके हैं, फिर भी उन्हें सस्पेंड न किये जाने के क्या कारण हैं? मान्यवर, यह प्रशासन भ्रष्टाचार को बचाने का काम कर रहा है। आप उत्तर तो दिला दें।

श्री अधिष्ठाता--

उन्होंने कह दिया कि जांच की जा रही है।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, जिलाधिकारी ने अपनी संस्तुति शासन को भेजी है उसमें उन्होंने इंगित किया है कि यह दोनों अधिकारी दोषी हैं। क्या यह संस्तुति शासन को प्राप्त हो चुकी है?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, अगर वह रिपोर्ट आयी है, तो उसको देख लेंगे।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

जिन पदों पर नियुक्तियां की गयी हैं, उनका नियुक्ति अधिकारी कौन है? मान्यवर, नगरपालिका के कर्मचारियों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का नियुक्ति अधिकारी प्रभारी अधिकारी होता है। यह नियमों में व्यवस्था है कि जांच एक स्लेज ऊपर से की जायेगी। प्रशासक जिलाधिकारी है, जिलाधिकारी ने जांच करके रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी है। मैं जानना चाहता हूं कि अब जांच किससे करायी जा रही है?

जनस्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बता दिया है कि जांच हो रही है। जांच निदेशक, लोकल बाडीज कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट आ गई। जांच रिपोर्ट में यह साबित हो गया कि नियुक्तियां गलत हुई हैं तो फिर दुबारा निदेशक से जांच क्यों कराई जा रही है ?

श्री नारायन दत्त--

श्रीमन्, मैं सम्मानित सदस्य से आग्रह करूंगा कि जांच की जा रही है और इसका सदन को आश्वासन दिया गया है। जांच की प्रक्रिया के दौरान जिलाधिकारी की रिपोर्ट भी सामने आयेगी। जैसा कि प्रश्न में लिखा है "शासन की स्वीकृति के बिना", इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि शासन के कौन से अधिकारों का हनन हुआ है। यदि जांच नहीं की जाती, तो माननीय सदस्य की शिकायत बिलकुल ठीक थी। जांच में इसके सवाल आकार-प्रकार और प्रकारान्तरों की जांच हो रही है।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिलाधिकारी की क्या रिपोर्ट आई है और उसमें उन्होंने क्या लिखा है ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उत्तर दे दिया है कि मामले में जांच की जा रही है। फिर उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

*3--सरदार सिंह--

[लोक लेखा समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*4--श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री कल्यान सिंह--

[दिनांक 15 जुलाई, 1985 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित]

जनपद अल्मोड़ा की पेयजल योजनाओं के रख-रखाव व वितरण का कार्य

*5--श्री पूरन सिंह--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत पेयजल की रख-रखाव व वितरण की जिम्मेदारी जल संस्थान के एक ही खंड, जिसके अन्तर्गत लगभग तीन हजार गांव आते हैं, की है तथा उस खंड के अन्तर्गत आने वाली पेयजल योजनाओं में से लगभग सत्तर (70) प्रतिशत योजनायें कार्य नहीं कर रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ? पानी के वितरण की सुचारु व्यवस्था करवाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी नहीं।

जनपद अल्मोड़ा की पेयजल योजनाओं के रख-रखाव व वितरण का कार्य जल संस्थान की दो शाखाओं से कराया जा रहा है। पूरे जनपद में 417 पेयजल योजनायें निर्मित हैं, जिनसे 864 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त 417 पेयजल योजनाओं में से केवल 34 पेयजल योजनायें ग्रामवासियों द्वारा तोड़-फोड़, अतिवृष्टि तथा भू-स्खलन से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रही हैं। सभी क्षतिग्रस्त योजनाओं की मरम्मत का कार्य जल संस्थान द्वारा कराया जा रहा है।

श्री पूरन सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अल्मोड़ा जनपद में जल संस्थान की दो शाखायें कब से कार्यरत हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

एक शाखा तो पहले से थी, दूसरी शाखा 19 जन, 1985 से शुरू हुई ।

श्री पूरन सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनको इस बात की जानकारी है कि जब इतना भयंकर सूखा पड़ रहा था और सरकार इतना खर्च कर रही थी, तो आपका जो सबसे बड़ा अधिकारी महाप्रबन्धक, नैनीताल में बैठता है, रानीखेत में जिसने एक बगीचा खरीद लिया है, उसके बगीचे को सींचा जा रहा था और गांव पालिका को पानी नहीं दिया जा रहा था ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि पर्वतीय क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा है और इस कारण कितनी पानी की योजनायें प्रभावित हुई हैं और कहां-कहां इस समय उन्होंने पानी दिया है ? जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि ट्रकों में पानी पहुंचाया गया है, तो क्या इस तरह की सूचना उपलब्ध है ?

श्री अधिष्ठाता--

यह सवाल जिस प्रकरण में किया गया था, स्पेसिफिक स्कीम के बारे में किया गया था । कितनी योजनायें पूरे पहाड़ी क्षेत्र में चल रही हैं इसकी पूरी सूचना....

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

में केवल अल्मोड़े की योजना के बारे में पूछ रहा हूं, बता दीजिये ।

श्रीमती पद्मा सेठ--

417 हैं ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

महा प्रबन्धक ने जो निजी बाग खरीदा था जनता के हितों के विरुद्ध उसमें पानी का प्रयोग किया गया था ? यदि हां, तो क्या शासन उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

इसका उत्तर दे दिया है । इसको दिखवा लेंगे ।

जनसंख्या को आधार मानकर ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ने का निर्णय

*6--श्री जयदीप सिंह बरार (अनुपस्थित)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कृपा करेंगे कि शासन ने हाल ही में प्रदेश में 1971 की जनसंख्या को आधार मानकर समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार, 1,500 और 1,000 की जन-संख्या के सभी ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ने का निर्णय किया है ? यदि हां, तो इस योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है और कब से इसे कार्यान्वित किया जायगा ?

श्री नारायण दत्त--

ऐसा कोई निर्णय राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिटी मान्टेसरी स्कूल की चौक शाखा में अध्यापक-कम-लिपिक की मृत्यु तथा जांच

*7--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय सिटी मान्टेसरी स्कूल की चौक शाखा में वर्ष 1981 से 1983

के मध्य में एक अध्यापक-कम-लिपिक की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो जाने के कारण इस सिलसिले में कोई सी० आई० डी० जांच के आदेश हुये थे ? यदि हां, तो वह किस स्तर पर है और सी० आई० डी० इस सम्बन्ध में किस निर्ष्कर्ष पर पहुंची है ?

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)--

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

सिटी मान्टेसरी स्कूल की चौक शाखा मे राजेश नाम के एक अध्यापक-कम-लिपिक कार्य करते थे । 1981 के अन्तिम सप्ताह में उसे चिन्ताजनक अवस्था में पाया गया । बलरामपुर अस्पताल ले जाने पर वहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया । ऐसी स्थिति में पोस्ट मार्टम भी हुआ । फिर उसके केस की पूरी लीपा-पोती की गयी । संस्था के सारे कर्मचारियों ने हड़ताल की और उस पर स्वयं श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी, तत्कालीन गृह मंत्री ने, अब भी जो मंत्रि मन्डल की सदस्य हैं, कहा था सी० आई० डी० जांच की घोषणा की थी ।

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रश्न कीजिये ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मेरा यह प्रश्न है कि क्या श्रीमती बख्शी ने इस तरह का कोई आश्वासन दिया था और दूसरे क्या उस केस की प्रथम सूचना अंकित हुई थी, तो पुलिस किस नतीजे पर पहुंची है ?

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री बाहर क्या एश्योरेंस दे रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है । आप आखिरी प्रश्न को देखें ।

श्री जफर अली नकवी--

यह मामला आत्महत्या का है, इसमें किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं की गई थी....

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां--

मंत्री जी यह बतायें कि पोस्ट मार्टम में क्या पाया गया ? क्या जहर खा कर मरा या मार-पीट हुई....

श्री अधिष्ठाता--

कारण बतायें ।

श्री जफर अली नकवी--

इसमें पोस्ट मार्टम का सवाल नहीं है । सवाल तो सी० आई० डी० इन्क्वायरी का है....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न का पूरा उत्तर आने के बाद अप प्रश्न करें ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

प्रश्न का पूरा उत्तर आना चाहिए । प्रश्न का जवाब आना चाहिए कि आखिर वह मरा कैसे ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, सम्मानित सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि यह मामला आत्महत्या का था और लड़के की मां और बहन ने पोस्टमार्टम करवाने से इंकार कर दिया ।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन--

आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जो नहीं कराया गया है वह क्यों नहीं कराया गया ? क्या इसके बारे में आपको किसी का प्रार्थना-पत्र मिला है ? यदि किसी व्यक्ति की हत्या संदिग्ध अवस्था में होती

है, तो क्या उसका पोस्टमार्टम नहीं होता है ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह हत्या संदिग्ध अवस्था में नहीं हुई है। लड़के की मां और बहन की तरफ से कहीं कोई रिपोर्ट अंकित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैं इस सवाल को प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द करता हूं।

सतर्कता अधिष्ठान, अभिसूचना एवं अपराध अनुसंधान विभाग के कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता बढोत्तरी किये जाने पर विचार

*8—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सतर्कता अधिष्ठान अभिसूचना विभाग, अपराध अनुसन्धान के कर्मचारियों को दिनांक 20 मई, 1976 से नागरिक पुलिस के कर्मचारियों से दुगुना मकान किराया-भत्ता मिल रहा था ? यदि हां, तो क्या अब शासनादेश संख्या बी-1-6-46/दस-83-208-81, दिनांक 14 मार्च, 1983 के द्वारा सतर्कता अधिष्ठान अभिसूचना विभाग, अपराध अनुसन्धान के कर्मचारियों से नागरिक पुलिस के कर्मचारियों को दुगुने से अधिक मकान किराया-भत्ता मिल रहा है। यदि हां, तो क्या सतर्कता अधिष्ठान अभिसूचना विभाग, अपराध अनुसन्धान के कर्मचारियों के मकान किराया-भत्ता बढ़ोत्तरी किये जाने सम्बन्धी मामला अप्रैल, 1984 से शासन के विचाराधीन है। यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जफर अली नकवी—

गृह विभाग के शासनादेश संख्या 1870/आठ-1—150(103)/75, दिनांक 20-5-76 के फलस्वरूप 12 मुख्य नगरों में तैनात सतर्कता अधिष्ठान, अभिसूचना एवं अपराध अनुसंधान विभागों के उन कर्मचारियों को जिन्हें निःशुल्क आवास अनुमन्य था कुछ प्रतबन्धों के अधीन सरकारी आवास न मिलने की दशा में दिनांक 1-4-76 से नियत मकान किराया-भत्ता स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप इन स्थानों पर कार्यरत नागरिक पुलिस के कर्मचारियों से अधिक मकान किराया-भत्ता मिलने लगा था। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या जी-1-646/दस-83—208-81, दिनांक 14-3-83 से केवल पांच कमाल नगरों में कार्यरत प्रदेश के समस्त अन्य राजकीय कर्मचारियों के मकान किराये-भत्ते में वृद्धि की गई थी जिसके फलस्वरूप कुछ वेतनमान के नागरिक पुलिस कर्मचारियों की उपरोक्त तीनों शाखाओं के कुछ वेतनमानों में कार्यरत पुलिस कर्मियों से अधिक किराया-भत्ता मिलने लगा है। इन तीन शाखाओं में भी तद्स्वरूप वृद्धि का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि 1-4-76 के जी० ओ० को जो 14-3-83 के जी० ओ० में से बदला गया, वह क्यों बदला गया और वह विशेष सुविधायें किन कर्मचारियों को दी गई हैं ? जिनको पहले 75 रु० ज्यादा मिलता था उसे कम क्यों कर दिया गया ? इसका क्या कारण है ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि 20 मई, 1976 का शासनादेश गृह विभाग का है। इसमें फिक्स्ड किराये-भत्ते का प्राविधान है।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या सिविल पुलिस का भत्ता बढ़ गया है ? क्या शासन इस पर विचार कर रहा है ? इस पर कब तक निर्णय

लिया जायेगा और शासन इस पर कब से विचार कर रहा है ?

श्री जफर अली नकवी--

शासन के विचाराधीन है और शीघ्रातिशीघ्र इसका निर्णय होगा ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

प्रश्न और उत्तर से स्पष्ट है कि सतर्कता अधिष्ठान, अपराध अनुसंधान शाखा के कर्मचारी जो पहले भत्ता पा रहे थे उसके मुकाबले में आधा हो गया और जो कम पा रहे थे उनका दूना हो गया । इससे विसंगति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण असंतोष हुआ । प्रश्न में निहित है कि अप्रैल, 1984 से मामला शासन के विचाराधीन है । जब शासन स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि इन शाखाओं के कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ और इसीलिए विचार कर रहा है, एक वर्ष से अधिक विचार करते हो गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन-कौन सी बाधायें हैं या बिन्दु हैं, जिनके ऊपर एक साल से अधिक समय विचार करते-करते हो गया ?

श्री जफर अली नकवी--

जैसा बताया इन्टेलीजेन्स, सी0 आई0 डी0 और विजिलेन्स के खिलाफ भत्ते में वृद्धि नहीं हुई है, 38 जगह ज्यादा मिल रहा है और 5 जगहों पर कम मिल रहा है । इसके ऊपर विचार हो रहा है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह नहीं था । प्रश्न के उत्तर से ही स्पष्ट है कि अप्रैल, 1984 से विचाराधीन है । एक वर्ष से अधिक समय विचार करते-करते हो गया । शासन स्वयं स्वीकार करता है कि अन्याय हुआ है । मैं यह जानना चाहता हूं कि एक वर्ष तक विचार पूरा न हो पाने में कौन-कौन से बिन्दु शेष रह गये हैं ? अभी तक विचार न कर पाने का क्या कारण है ?

श्री जफर अली नकवी—

यह मामला वित्त विभाग के अन्तर्गत पड़ा हुआ है, शीघ्रातिशीघ्र निर्णय करके सम्मानित सदस्य को बता दिया जायेगा ।

इन्द्रा नगर कालोनी, फैजाबाद रोड, लखनऊ की कदीमी मस्जिद में सरकारी नियन्त्रण न हटाने का कारण

*9—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शेखपुर कसेला निकट इन्द्रा नगर कालोनी फजाबाद रोड, लखनऊ की एक कदीमी मस्जिद जिसमें प्रशासन ने पिछले वर्ष केवल 40 व्यक्तियों को ईदुज्जुहा की नमाज दिनांक 29-9-82 को पढ़ने की इजाजत दी थी, से सरकारी नियन्त्रण न हटाने का क्या कारण है ?

श्री जफर अली नकवी--

प्रश्न में संदर्भित कदीमी मस्जिद जिसमें दिनांक 29-9-82 को 40 व्यक्तियों को नमाज पढ़ने की इजाजत प्रशासन ने दी थी, एक विवादित स्थल है। इस सम्बन्ध में परगनाधिकारी, सदर, लखनऊ के न्यायालय में धारा 145 जा0 फौ0 की कार्यवाही विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णय के बाद ही पुलिस नियंत्रण हटाना संभव होगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

माननीय मन्त्री जी से यह गुजारिश करूंगा कि मेरे सवालात का जब जवाब दें तो यह समझकर दें कि सारे सवालात के सरकारी जवाब "एटेस्टेड कापीज" की शक्ल में मेरे पास हैं ।

श्री अधिष्ठाता---

आप प्रश्न करें ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

जवाब में यह कहा गया है कि "प्रश्न में संदर्भित कदीमी मस्जिद

जिसमें दिनांक 29-9-82 को 40 व्यक्तियों को नमाज पढ़ने की इजाजत प्रशासन ने दी थी," हमारा देश और यह सरकार जो अपने आपको धर्म निरपेक्ष कहती है और प्रश्न के उत्तर में यह माना है कि अब कांग्रेस सरकार नमाज के लिए मस्जिद में गिनती से लोगों को जाने देगी, 40 लोगों की गिनती ईद के दिन नमाज में की गई। जिस मस्जिद को "डिस्प्यूटेड मैटर" कहते हैं, 145 जाब्ता फौजदारी में जिसकी कार्यवाही चल रही है। इसमें कार्यवाही तब चलती है जब दो पार्टियों के बीच में विवाद चल रहा हो, एक पार्टी कहती हो कि यह मस्जिद है, दूसरी कहती है, नहीं है। मेरे पास हिन्दू साहिबान के भी बयान हल्फी हैं इसके मस्जिद होने के। सैटिलमेन्ट रिकार्ड 1332 फसली, जो अंग्रेजों के जमाने में आखिरी रिकार्ड होता था, जिसमें खसरे में प्लाट नं0 4 दर्ज किया गया है, इसका कोई जवाब है या नहीं ?

श्री जफर अली नकवी--

माननीय सदस्य कृपया अपने प्रश्न को दोहरा दें।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया फिर से सवाल कर दें।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, सेटिलमेंट रेकार्ड 1332 फसली, प्लाट नं0 4 जो कि खसरा में अंकित किया गया है, क्या यह सही है या नहीं ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पहले अपने प्रश्न में यह सवाल नहीं पूछा था, अब यह पूछ रहे हैं इसलिये इसको देखने के बाद ही इसका उत्तर दिया जा सकता है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

स्पेशल लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर इसे आवास-विकास मक्या हटा रहे हैं ? मैं इस मस्जिद के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं।

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, इसकी जानकारी यहां नहीं है। सरकार चाहती है कि जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उसे छोड़ दें। इसलिये मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है। जब तक मामला तय नहीं हो जाता, कैसे यहां कुछ कह सकता हूं।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह विवाद दो पार्टियों के बीच में है इसमें न्यायालय न धारा 145 जा0 फौ0 कहां से पैदा कर दी। विवादग्रस्त मामले में पुलिस इनक्वायरी करती है। इस मस्जिद के सम्बन्ध में क्या कोई रिपोर्ट आपके पास है ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, यह मामला न्यायालय में है, इसके तय होने के पूर्व में कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री मुहम्मद आजम खां--

जब मामला डिस्प्यूटेड है नहीं तो वहां धारा 145 कैसे चलेगी ? जहां मामला डिस्प्यूट का होता है वहां धारा 145 लगायी जाती है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, धारा 145 में जो न्यायालय में मुकदमा चला गया है उसका फैसला अदालत करेगी या माननीय सदस्य करेंगे ? इसका जवाब माननीय सदस्य दे दें।

(हंसी)

श्री मैनेजर सिंह--

धारा 145 के पहले जो वहां 40 व्यक्तियों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गयी तो इससे ज्यादा लोगों

को इजाजत क्यों नहीं दी गयी ? यह प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया ?

श्री जफर अली नकवी—

वहां पर कानून की व्यवस्था खराब थी, महसूस किया गया कि वहां 40 व्यक्ति ही ठीक से नमाज अदा कर सकते हैं, इसलिये यह व्यवस्था की गयी थी ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

जैसे कि इस मस्जिद में पाबन्दी लगायी गयी और केवल 40 लोगों को ही नमाज पढ़ने की इजाजत दी गयी तो क्या इस तरीके से अन्य मस्जिदों पर भी आप अनुमानित आधार पर कोई प्रतिबन्ध लगाने जा रहे हैं ? क्या आप इस बात का एश्योरेन्स देंगे कि अनुमति देने का यह प्रतिबन्ध हटा दिया जायेगा ?

श्री अधिष्ठाता—

भविष्य के बारे में कैसे यह उत्तर दे सकते हैं ?

(व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 10 पुकारे जाने पर)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मान्यवर, अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है ।

श्री अधिष्ठाता—

यह आपका कोई सवाल नहीं है ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

प्रतिबन्ध हटाये जाने के बारे में कृपा करके आप हमें जवाब दिला दीजिये ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, अगर आपके माध्यम से हमारा जवाब नहीं आया है बल्कि मैंने 4 सवाल किये लेकिन एक का भी उधर से जवाब नहीं आया । अगर इस तरीके से मन्त्री महोदय जवाब देंगे तो कैसे काम चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री फजलुलबारी—

लखनऊ में ऐसी कौन-कौन सी मस्जिदें हैं जिन पर प्रतिबन्ध लगा रखा है ? जो दो पार्टियां बनायी गयीं उसमें कौन-कौन लोग शरीक हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

वे जानना चाहते हैं कि कौन-कौन लोग उसमें शरीक हैं ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, इसकी सूचना दे दी जायेगी ।

(घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(श्री मुहम्मद आजम खां सदन के फ्लोर पर आकर बोलने लगे ।)

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैंने 4 सवाल किये थे और एक सवाल का जवाब नहीं आया है ।

(व्यवधान)

इसे स्थगित किया जाय ।

(श्री शफीकुर्रहमान बर्क तथा श्री बुनियाद हुसैन अंसारी भी सदन के फ्लोर पर आकर बोलने लगे ।)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया आप लोग अपनी-अपनी जगह पर जायं ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

आप इस प्रतिबन्ध को हटायेंगे या नहीं ?

(श्री मुहम्मद आजम खां, श्री शफीकुर्रहमान बर्क तथा बुनियाद हुसैन अंसारी एक साथ रिपोर्ट्स टेबुल के पास खड़े होकर बोलने लगे । तदुपरान्त श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ के प्रयास से तीनों सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया बैठ जायं । आप इस सवाल को दूसरे नियमों के अन्तर्गत कर सकते हैं ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

चार सवालों में से मेरे एक सवाल का भी जवाब नहीं आया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, यह मामला सन् 1982 से चल रहा है । तीन वर्ष हो गये । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मस्जिद से सरकारी नियंत्रण आप कब तक समाप्त कर देंगे और कब तक वहां शांति व्यवस्था स्थापित हो जायेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री राम नरेश—

मान्यवर, सरकार इस बात को तस्लीम कर रही है कि 145 क मुकदमा अदालत के सामने विचाराधीन है और सरकार के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन-कौन लोग उसमें शरीक हैं ?

(इसी के मध्य श्री मुहम्मद आजम खां पुनः सदन के फ्लोर पर आ गये और इस प्रश्न को स्थगित किये जाने की मांग करने लगे ।)

इससे ज्यादा शर्मनाक बात सरकार के लिये और क्या हो सकती है कि उसके पास ऐसे लोगों के नामों की जानकारी नहीं है । इसलिये मान्यवर, आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें ।

श्री अधिष्ठाता—

यह प्रश्न स्थगित किया गया । एक सवाल किया गया था कि दो फरीक उसके हैं । फरीकों की जानकारी अवश्य दी जानी चाहिए थी । चूंकि वह जानकारी नहीं दी गई, इसलिये यह प्रश्न स्थगित किया गया । अब मैं आप सब से कहूंगा कि प्रश्नों के समय को ध्यान में रखें । इस समय कोई व्यवस्था का सवाल नहीं हो सकता । कृपया आप लोग बैठें ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ हंसने पर ।)

मैं यह नहीं कहता कि आप लोग हंसें नहीं । लेकिन कार्य में उलझन न हो ।

गढ़वाल मंडल में ठेकों पर दिये जा रहे कार्यों को गोढ़ी प्रथा द्वारा कराये जाने का जांच

*10—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मंडल में ठेकों पर दिये जा रहे कार्यों को गोढ़ी प्रथा द्वारा कार्य कराया जा रहा है जिसको मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पर्वतीय क्षेत्र द्वारा भी स्वीकार किया गया है ? क्या यह सही है कि इस पद्धति से निर्माण कार्यों पर बड़ा कुप्रभाव पड़ा है ? यदि हां, तो सरकार उस प्रथा को बन्द करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जो जवाब दिया गया है उस सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि मैं सदन को गोढ़ी प्रथा के बारे में बता दूं माननीय सदस्यों को बता नहीं होगा कि यह गोढ़ी प्रथा क्या है । यह प्रथा पौड़ी गढ़वाल में चल रही है । मैं सवाल आखिर में करूंगा लेकिन पहले यह जानकारी देना चाहता हूं कि यह जो गुट्टी प्रथा है इसमें ठेकेदार तय कर लेते हैं कि ठेका किसके पास जाना है और उसमें इंजीनियर्स का परसेन्टेज फिक्स करके पैसा दे दिया जाता है । इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग का करोड़ों रुपया बरबाद हो रहा है जो 20 हजार में काम होना चाहिए उसको लाख दो लाख में दिया जाता है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप प्रश्न कीजिये । यह तो जानकारी दे रहे हैं ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

इसकी जानकारी माननीय मुख्य मन्त्री जी को और माननीय आर्य जी को भी है । तो मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रथा का जिसका मैंने उल्लेख किया है इसकी जांच करायेंगे जिसमें जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है इसके लिए कोई समिति बनायेंगे जिसमें माननीय सदस्यों को भी शामिल किया जाय ।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था कि कोई गोढ़ी प्रथा है जिसका उत्तर दे दिया है कि हमारे संज्ञान में ऐसी कोई प्रथा नहीं है । अगर कहीं कोई दूसरी प्रथा आपने कहा उसके बारे में आप बतायेंगे तो हम देखेंगे । जहां तक वहां काम कराने का सवाल है उसमें एक तौर तरीका है टेंडर होते हैं उसमें पहले प्रेस्क्राइब्ड फार्म में नोटिस निकलता है और उसे नोटिस बोर्ड में चस्पा किया जाता है, उसे डिस्ट्रिक्ट आथॅरिटीज के पास भी भेजा जाता है और जो खास खास पार्टीज होती हैं उनको भी सूचना जाती है, अखबारों में साया होता है तथा एक माह का समय दिया जाता है । जब टेंडर आते हैं तो उसके खुलने की तारीख होती है और उस तारीख को सबके सामने खोला जाता है । जिस पार्टी का उपयुक्त होता है उसे स्वीकार कर लिया जाता है । माननीय सदस्य ने जो कमेटी की बात उठायी है इस प्रकार का कोई विचार नहीं है । जो आप सुझाव दे रहे हैं अगर और कोई प्रथा आपके संज्ञान में है तो फिर आप प्रश्न कर लें । आपके काफी प्रश्न आते हैं "सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है ।"

श्री काशी सिंह ऐरी—

वह गोढ़ी प्रथा नहीं गुट्टी प्रथा है जो काफी समय से प्रचलित है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं प्रथा बता रहे हैं इसके लिए आप उनको अलग से बता दें ।

श्री पूरन सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो गुट्टी प्रथा जिसकी उल्लेख माननीय सदस्य ने किया उसकी जांच कराने के लिए कोई कमेटी गठित करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं आया ।)

डा0 शिवानन्द नौटियाल—

माननीय मन्त्री जी ने जो सूचना दी उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है लेकिन इस प्रकार की जो वहां प्रथा है जिसका जिक्र यहां पर आया है जो टेंडर आते हैं उसमें ऐसा होता है कि जितने ठेकेदार होते हैं वह एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक आदमी को तय कर लिया जाता है कि इसको ठेका लेने दिया जाय और वह ठेका ले लेता है जिसमें अधिशासी अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता तक उसमें शामिल होते हैं और उसी आदमी को ठेका दे दिया जाता है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप प्रश्न करें ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल—

मैं प्रश्न करता हूं कि ऐसी प्रथा में जितने ठेके गढ़वाल मन्डल में हुए हैं, क्या मन्त्री जी उसकी अपनी टेक्निकल सेल द्वारा इंक्वायरी करायेंगे और 5 वर्षों से जो ठेके पड़े हैं उनकी प्रगति से अवगत करायेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, जिस प्रथा का उल्लेख कर रहे हैं यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । लेकिन फिर भी यदि आप कोई चीज सरकार के संज्ञान में लायेंगे, कोई शिकायत देंगे, मैं वायदा करता हूं कि उसकी जांच करायेंगे, एक नहीं हजार शिकायतों की जांच करायेंगे ।

श्री राम स्वरूप सिंह को पुलिस द्वारा इन्काउन्टर दिखा कर हत्या की सूचना किये जाने की मैजिस्टीरियल जांच

*11—श्री शिरोमणि भाई—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10–8–84 को लगभग 6 बजे शाम श्री राम मनोहर सिंह, निवासी ग्राम रानीपुर, थाना कमारिन जिला बांदा ने पुलिस अधीक्षक बांदा को तार द्वारा अपने छोटे भाई मृतक राम स्वरूप सिंह को पुलिस द्वारा इनकाउन्टर दिखा कर हत्या की सूचना दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या इस इनकाउन्टर की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई गयी ? जांच परिणाम क्या है ?

श्री जफर अली नकवी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 10–8–84 को श्री राम मनोहर सिंह, निवासी ग्राम रानीपुर का कोई तार पुलिस अधीक्षक, बांदा को प्राप्त होना नहीं पाया गया बल्कि श्री राम पाल सिंह, निवासी ग्राम रानीपुर, थाना कमासिन, बांदा का तार पुलिस अधीक्षक, बांदा को प्राप्त हुआ जिसमें उनके भतीजे राम स्वरूप पुत्र रामाधार को दिनांक 7–8–84 को करीब 10 बजे रात्रि में तिन्दवारी की पुलिस द्वारा ग्राम अमली कार से बेगुनाह पकड़ कर थाने ले जाने तथा जान के सख्त खतरा का उल्लेख है । दिनांक 10/11–8–84 की रात्रि में ग्राम मदनपुर, थाना तिन्दवारी ने पुलिस मुठभेड़ में एक अज्ञात डकैत की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी । इस घटना की मजिस्टीरियल जांच करायी गयी । जांच से राम स्वरूप सिंह, निवासी ग्राम रानीपुर, थाना कमासिन की मृत्यु उक्त दिनांक की रात्रि में पुलिस मुठभेड़ में होना पाया गया । मृतक के आपराधिक इतिहास से यह विदित हुआ कि वह एक कुख्यात अपराधी था ।

श्री शिरोमणि भाई—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि राम मनोहर सिंह ने 10 अगस्त, 1984 को जो तार दिया है उसका समय क्या है और हत्या का समय क्या है ?

श्री जफर अली नकवी:—

मान्यवर, घटना 10/11-8-84 के लगभग रात 12 बजे की है । तार का इसमें उल्लेख नहीं है ।

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मन्त्री जी ने कहा कि इसकी क्रिमिनल हिस्टरी थी तो कई एफ0 आई0 आर0 है, किस दफा की है ।

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, मजिस्ट्रीयिल जांच में बताया गया है कि श्री राम स्वरूप कुख्यात अपराधी था । उसके खिलाफ 7-8 क्रिमिनल हिस्टरी पायी जाती है, जो इस प्रकार है—

(1) मुकदमा अपराध सं0 4/81, धारा 395/397 आई0पी0सी0, थाना कमसिन ।

(2) मुकदमा अपराध सं0 74/81, धारा 396, थाना कमसिन ।

(3) मुकदमा अपराध सं0 196/79, धारा 26 आर्म्स ऐक्ट, थाना कमसिन ।

(4) मुकदमा अपराध स0 20/82, धारा 25 आर्म्स ऐक्ट, थाना अतर्रा ।

(5) मुकदमा अपराध सं0 93/84, धारा 307/436, आई0 पी0 सी0, थाना कमसिन ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, तारीख नहीं बता रहे हैं ।
(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री अवधेश प्रसाद—

क्या शासन की नीति है कि कोई व्यक्ति की क्रिमिनल हिस्टरी है तो उसका इंकाउन्टर कर दिया जाय ।

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, शासन की ऐसी कोई नीति नहीं है ।

श्री शिरोमणि भाई—

मान्यवर, मेरे पास तार की कापी है जो 10 तारीख का 6 बजे शाम को दिया गया है । उसके बाद उसी रात में 6 घंटे बाद उसकी हत्या की गयी है ।

तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं यह जो कहा गया कि उसका अपराधिक इतिहास है, यह तार देने के बाद हत्या हुई तो मैजोस्ट्रियल जांच में क्या परिणाम आये हैं ?

श्री जफर अली नकवी—

मैजिस्ट्रेट ने जो 5 जुलाई, 85 को जांच की उसमें कहा गया है—

"पाया गया कि राम स्वरूप की मृत्यु पुलिस मुठभेड़ में हुई, मृतक कुख्यात अपराधी था, जिसे मार कर पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है ।"

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अपराधिक चरित्र तो पुलिस का एक बहाना बन गया है, वह चाहे जिसकी ओर जितनों को लिख दें कि अपराधिक इतिहास था, लेकिन क्या कभी उसकी किसी मुकदमें में सजा मिली ? और मिली तो किस मुकदमें में कितने दिन की ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, इसकी जानकारी नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

आज मान्यवर, सभी प्रश्नों के अधूरे और अनर्गल उत्तर आ रहे हैं, आप इसको देखें ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जिस रात में उसका इन्काउन्टर हुआ 11-12 बजे रात में, उसके पहले 6 बजे दिन में उसके घर वालों ने तार

कर दिया है तो क्या वह इस मामले की जांच के लिए सी0 आई0 डी0 के सुपुर्द करने की कृपा करेंगे और इस सम्बन्ध में जो एफ0 आई0 आर0 पुलिस में दर्ज कराया गया है, क्या उसको वह पढ़ने का कष्ट करेंगे ?

श्री जफर अली नकवी--

सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मेरे प्रश्न का पूर्ण उत्तर नहीं आया है अभी पुलिस की एफ0 आई0 आर0 क्या है, मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया, परन्तु आपने अगला नाम पुकार लिया, यह मेरे साथ अन्याय है...

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

श्रीमन्, मैं एक नीतिगत प्रश्न करना चाहता हूं...

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

इस तरह आप मेरे प्रश्न का पूर्ण उत्तर न दिलाकर आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें, मैंने ओझा जी को बुलाया है । उनका प्रश्न हो जाए, तो फिर आपको मौका मिलेगा । आप बैठें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिलाया है और कहते हैं बैठ जाएं, यह आपका अन्याय है । एफ0 आई0 आर0 आपने पढ़वाया नहीं और आगे बढ़ गये, यह मेरे साथ अन्याय है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मेरा नाम लिया है, मुझे अपना प्रश्न करने दिया जाए । क्या आप मुझे बोलने का अवसर नहीं देंगे ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपके सवाल का जवाब नहीं आया है तो आप दुबारा पूछ लीजिएगा । मैंने ओझा जी को बुलाया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं इस सम्बन्ध में एक नीतिगत प्रश्न मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या जिसका आपराधिक चरित्र हो, 7/8 अपराध किये हों, अब बदकिस्मती से मैं भी उसमें हूं, मेरे ऊपर भी उत्तर प्रदेश शासन की कृपा से 5/6 मुकदमें चल रहे हैं, उसके बारे में शासन की नीति यह है कि जिसके ऊपर मुकदमें चल रहे हों, उसका एनकाउन्टर कर दिया जाए ? 6 बजे उसको उसके घर से ले जाया गया है, तो इसमें मुठभेड़ का प्रश्न पैदा ही कहां होता है । तो क्या मानव मूल्यों का इसी प्रकार से हनन होगा, क्या कानून का शासन प्रदेश से खत्म हो गया है ? इस सन्दर्भ में मैं माननीय मुख्य मंत्री से नीतिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं कि एन्काउन्टर की क्या प्रक्रिया है ? किसको आप मुठभेड़ मानते हैं, मुठभेड़ करने के सम्बन्ध में आपने अपने अधिकारियों को क्या निर्देश दे रहे हैं ? इसमें आपकी क्या नीति है ? मान्यवर, क्या पुलिस को इस बात की इजाजत है कि जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा हो उसे घर से खींच कर, ले जाकर, सड़क पर गोली मार दे ।

श्री नारायन दत्त--

श्रीमन्, मैं सम्मानित सदस्य गोरखपुर को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह शासन की नीति होने का प्रश्न ही नहीं उठता । तो रूल आफ ला के आधार पर, किसी को इस बारे में निर्देश नहीं दिया गया कि ऐसा करो यह असम्भव है ।

इतना बड़ा प्रदेश है, कहां-कहां किसको ऐसा निर्देश दिया जायगा। यह निर्देश न दिये गये हैं न ऐसे निर्देश दिये जाने की संभावना है।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, यह सवाल बड़ा गम्भीर है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि रूल आफ ला प्रदेश में चल रहा है। रूल आफ ला नहीं है बल्कि दरोगा राज कायम हो गया है। एक व्यक्ति इन्काउन्टर में मार दिया गया और कह दिया गया कि अपराधिक चरित्र था। पूछा गया कि रिपोर्ट दर्ज हुयी थी, मुकदमा चला था, क्या किसी कोर्ट में सजा हुयी थी, लेकिन सरकार की ओर से उत्तर आ रहा है कि इसकी जानकारी नहीं है। न जाने कितने लोग इन्काउन्टर के जरिये मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं आ रहा है इसलिये इसको स्थगित करें और इस पर हम लोगों के अधिकारों की रक्षा करें यह हमारा अनुरोध है।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर।)

(शोर)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। यह अन्याय है।

श्री अधिष्ठाता--

आपको जो सूचना मिली है, उसमें कमी हो तो आपको नियमों में अधिकार है जिनके तहत आप अपने प्रश्न को दूसरी तरह से आगे प्रस्तुत कर सकते हैं। सत्र चल रहा है। यदि जानकारी न हुई हो, कोई कमी रह गयी हो तो दूसरा प्रश्न दे दें उसका उत्तर दे दिया जायगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, सरकार के इशारे पर आपने इस प्रश्न को आगे बढ़ा दिया।

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपकी बात को तसलीम नहीं करता। जब मैं पीठासीन अधिकारी की हैसियत से बैठता हूं तो मैं न्याय देने की कोशिश करता हूं। आप जैसे माननीय सदस्य जो मंत्री रह चुके हैं, को यह शो भा नहीं देता।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

आप हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। प्रश्न बड़ी मुश्किल से स्वीकार होता है। लेकिन जब प्रश्न आता है तो उनका समुचित उत्तर नहीं आता।

श्री अधिष्ठाता--

यदि नहीं आयेगा तो आपको अवसर दिया जायगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

यह सरकार निरपराध लोगों को हत्या करवा रही है। 6 बजे तार दिया जाता है रात को 12 बजे हत्या हो जाती है। पुलिस ने एफ0 आई0 आर0 दर्ज करवायी है तो वह क्या है, उसका उत्तर नहीं दिलवाया यह हमारे अधिकारों का हनन है इसलिये आप पर शंका हो रही है। सरकारी पक्ष के इशारे पर, मैंने देखा कि उधर से इशारा हुआ और आप आगे बढ़े।

श्री अधिष्ठाता--

कोई इशारा नहीं है, न आपका, न उधर से। मैं इस अहद से बैठता हूं कि जो बात है वह न्यायपूर्वक की जायगी। आपको समय मिलेगा, ला-ऐंड-आर्डर पर बजट होगा, आप उस पर भी चर्चा में इसको ला सकते हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मेरा निवेदन है कि ऐसे प्रश्न को इतना हल्का नहीं लेना चाहिये। निरपराध आदमी को जान गयी है। आप प्रश्न का उत्तर नहीं दिलवा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। मैं आपका ध्यान नियम 38 की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जिसके

अंदर आपको अधिकार है कि आप प्रश्न को स्थगित कर सकते हैं या प्रश्न समिति को भेज दें। यह बात सही है, पूरा प्रतिपक्ष और माननीय प्रश्नकर्ता, सबकी शंका का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने आपराधिक चरित्र बता दिया लेकिन यह पता नहीं चला कि जिस मामले में कन्विक्शन हुआ था। प्रश्नों के उत्तर नहीं आये। मुद्दा यह है कि पुलिस की किसी से मुठभेड़ हो सकती है, लेकिन मुठभेड़ केवल इसलिये कि पुलिस पकड़कर ले जायगी और हत्या कर दे, यह कहां का न्याय है। पुलिस इल्जाम लगाने, फैसला देने और फैसले को इक्जीक्यूट करने, यह तीनों काम क्या एक ही पुलिस को दिये जायेंगे। इसलिए हम इनकाउन्टर के सिद्धान्ततः विरोधी हैं। कोई बदमाश है, उसको सजा दी जाय, लेकिन किसी व्यक्ति को आपराधिक प्रवृत्ति का बता कर, उसका इनकाउन्टर नहीं किया जा सकता।

(व्यवधान)

इल्जाम लगाने, फैसला देने और फैसले को इक्जीक्यूट करने की ये तीनों ताकत उस दरोगा में निहित थीं।

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दें अथवा इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय गुप्त जी ने जो प्रश्न किया और जिस आधार पर प्रश्न का स्थगन चाहा...

(व्यवधान)

उसका चालान कई मुकदमों में हुआ था।

(व्यवधान)

उसका प्रश्न हुआ था या नहीं हुआ था। मेरा निवेदन है कि आपराधिक इतिहास का आधार यह है मैजिस्टेरियल इन्क्वायरी। मैजिस्टेरियल इन्क्वायरी में यह आया है कि उसका इतिहास आपराधिक है। उसका आधार मानकर मंत्री जी ने उत्तर दिया है।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैं अनुरोध करूंगा कि उनको पूरी बात कहने का मौका दिया जाय।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं यही आग्रह कर रहा था कि उसका चालान हुआ था, और कई मुकदमों में उसका चालान हुआ था उसके बाद यह जरूरी नहीं है कि उसका कन्विक्शन हुआ हो या न हुआ हो। इसलिए इस आधार पर बता दिया गया है कि मैजिस्टेरियल इन्क्वायरी के आधार पर उस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास था।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैंने दोनों पक्षों को सुन लिया, जब आपकी तरफ से जवाब आ गया है, तो इसी पर निर्णय दे दूं।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, यह सवाल सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने उठाया और जो भी अभी तक उत्तर दिया गया है, उससे स्पष्ट है कि यह फर्जी इंकाउन्टर हुआ है, न तो एफ0 आई0 आर0 जो पुलिस ने की है, उससे मंत्री जी सदन को अवगत करा सके और आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ के माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो जाय। तो मान्यवर, माननीय सदन के दोनों पक्षों की भावनाओं को जानते हुए सी0 आई0 डी0 की जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जो सूचना उपलब्ध है श्रीमन्, उसके अनुसार 11 अगस्त, 1984 को थानाध्यक्ष, तिवारी और उनके पुलिसकर्मियों

ने सामान्य डायरी में यह लेख अंकित किया कि 10 अगस्त, 1984 को उन्हें सूचना मिली कि लगभग मध्य रात्रि के लगभग 12 बजे सूर्यभान अपने 10–11 साथियों के साथ आस–पास के गांवों में डकैती डालने गये हैं, तो यह घटना हुई ग्राम मदनपुर, तिंदवारी के पास उसी रात में योजना बनाई गई, जिसमें एक डकैत मारा गया, उसकी पहचान सही नहीं की जा सकी। उक्त व्यक्ति के पास से एक एल0बी0डी0एल0 बन्दूक बरामद हुई। यह जनरल डायरी की की रिपोर्ट है।

इसके बाद जो शिनाख्त हुई मृतक की, वह बांदा के परगनाधिकारी द्वारा अंकित है। शरीर के घाव अंकित किए गए हैं। गाजीपुर गांव के निवासियों से, वहां के रहने वाले व्यक्तियों से जब पूछताछ की गई, उनके द्वारा जो बयान दिए गए हैं वह मृतक के शरीर के हुलिया से मिलते हैं, तो यह सूरजभान गैंग के डकैतों से मुठभेड़ हुई थी, यह 1984 का मामला है। इसमें अगर आप और इंक्वायरी चाहते हैं तो इसको देख लेंगे। अगर इसमें सी0 आई0 डी0 की इंक्वायरी की आवश्यकता होगी तो उस पर भी हम विचार कर लेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

*12—श्री शतरुद्ध प्रकाश तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जिला फैजाबाद, ग्राम बन्दोपुर में टोंस नदी व मंझुई नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

*13—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में स्थानीय विधायकों द्वारा वर्ष 1983–84 में ग्राम बन्दोपुर में टोंस नदी पर व नेमपुर घाट की मंझुई नदी पर पुल बनवाने के लिए अनेक बार लिखित निवेदन किया गया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या आदेश हुए हैं तथा सम्बन्धित पुलों के निर्माण के लिए कब और कितना धन स्वीकृत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां।

इन दोनों पुलों के प्राथमिकता में न आने तथा धनाभाव के कारण इन पुलों के निर्माण की स्वीकृति पर विचार करना सम्भव नहीं हो पाया है।

प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यक वस्तु अधिनियम से सम्बन्धित दर्ज रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

*14—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या शून्य धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम से सम्बन्धित कोई रिपोर्ट दिनांक 27–2–85 को थाना कैन्ट, फैजाबाद में लिखाई गई है ? यदि हां, तो उक्त में जांच रिपोर्ट क्या है तथा अब तक की कार्यवाही की प्रगति क्या है ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां।

मामला अभी विवेचनाधीन है।

तत्कालीन थानाध्यक्ष, थाना जेवर, जनपद बुलन्दशहर, श्री हरवंश सिंह के विरुद्ध सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच

*15—श्री किरनपाल सिंह—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन थानाध्यक्ष, थाना

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ।

खेवर, जनपद बुलन्दशहर, श्री हरवंश सिंह के विरुद्ध खाद्यान्न की स्मगलिंग से सम्बन्धित गम्भीर अपराध के बारे में प्रदेश की सी० आई० डी० द्वारा जो जांच की जा रही थी, उस जांच को सरकार ने इस वर्ष वापस ले लिया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री नारायन दत्त—

प्राप्त सूचना के अनुसार इस प्रकार का न कोई मामला पंजीकृत हुआ और न ही ऐसे किसी मामले में सी० आई० डी० द्वारा जांच की जा रही है । अतः जांच वापस लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सम्पत्ति विभाग, लखनऊ द्वारा माननीय मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों को आवंटित बंगले के अतिरिक्त कक्ष/फ्लैट की सूची

*16—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग, लखनऊ से माननीय एवं राज्य मंत्रियों, मंत्रियों को एक-एक बंगले आवंटित हैं ? यदि हां, तो कितने ऐसे मन्त्री एवं राज्य मन्त्री हैं जिन्होंने पार्क रोड पर एवं अन्य स्थानों पर भी सरकारी निवास लिए हैं, इनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

माननीय मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों को बंगले अथवा विधायक निवासों में कक्ष/फ्लैट आवंटित हैं । चार माननीय मंत्री तथा तीन राज्य मंत्री ऐसे हैं जिनके अध्यासन में आवंटित बंगले के अतिरिक्त पार्क रोड अथवा अन्य विधायक निवासों के फ्लैट/कक्ष हैं, जिनकी सूची संलग्न† है ।

†देखिये नत्थी के आगे पृष्ठ 165 पर ।

*17—श्री रमेश चन्द्र—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद सीतापुर के विकास खंड हरगांव में स्थित सूर्य कुंड का निर्माण कार्य

*18—श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खंड हरगांव के अन्तर्गत पौराणिक महत्व स्थली सूर्यकुंड तीर्थ का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जा रहा है एवं इस कार्य हेतु आवंटित धनराशि जनपद को स्थानीय निर्माण इकाई को भेज दी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक धनराशि भेजी जा रही है और कब तक कार्य प्रारम्भ होगा ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

जनपद सीतापुर के विकास खंड हरगांव में स्थित सूर्य कुंड का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तथा इस कार्य हेतु 3.00 लाख रुपये की धनराशि निर्माण इकाई को उपलब्ध कराई जा चुकी है ।

ग्राम शफीपुर, थाना रामनगर, जिला बाराबंकी में स्थानीय पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार

*19—श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री अवधेश प्रसाद तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 मई, 1985 को ग्राम सफीपुर, थाना रामनगर, जिला बाराबंकी में स्थानीय पुलिस ने महिलाओं के साथ अभद्र छेड़खानी की तथा दो महिलाओं के साथ बलात्कार किया ? यदि हां

तो सरकार ने तत्काल क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

महामन्त्री, उ0 प्र0 कोषागार कर्मचारी संघ द्वारा दिया गया मांग पत्र

*20—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि महामन्त्री, उत्तर प्रदेश कोषागार कर्मचारी संघ द्वारा मुख्य मंत्री के माध्यम से कोई 12 सूत्री मांग-पत्र उन्हें (वित्त मंत्री) को दिसम्बर, 1983 में मिला यदि हां, तो मुख्य मांगें क्या-क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक कर दी जायगी ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

अपने उक्त मांग-पत्र दिनांक 10-12-83 में उत्तर प्रदेश कोषागार कर्मचारी संघ द्वारा निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयी हैं :—

(1) कोषागारों में कार्यरत तृतीय श्रेणी के पदों के वर्तमान पद-नाम परिवर्तित कर उन्हें मुख्य लेखाकार, लेखाकार एवं सहायक लेखाकार पदनाम दिये जायं ।

(2) मुख्य लिपिक के पदों में बढ़ोत्तरी की जाय ।

(3) श्री प्रदीप कुमार मिश्र कमेटी की कार्यवाहक विषयक संस्तुतियों को यथावत् लागू किया जाय ।

(4) वेतन आयोग 1971-73 द्वारा पेंशन एवं बिल पारण लिपिकों को देय विशेष वेतन उसी तिथि से सभी कर्मचारियों को देकर वेतन निर्धारण में सम्मिलित किया जाय ।

(5) कम अवकाश के बदले एक माह का वेतन या विशेष अर्जित अवकाश दिया जाय ।

(6) सभी कोषागारों में पदोन्नति के समान अवसर दिये जांय तथा स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाय ।

(7) सभी कोषागारों में स्वतंत्र रूप से उपकोषाधिकारी नियुक्त किये जांय ।

(8) निदेशक, कोषागार के पद पर आई0 ए0 एस0 अधिकारी नियुक्त किया जाय ।

(9) श्री प्रदीप कुमार मिश्र समिति की कोषागारों की कार्य प्रणाली में सुधार की आख्या को लागू किया जाय ।

(10) वित्त एवं लेखा सेवा के पदों पर वर्तमान 12.5 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाया जाय तथा सभी वेतनमानों के पदों पर आरक्षण दिया जाय ।

(11) सहायक कोषाधिकारियों को विशेष वेतन अर्थात् उच्च वेतन-मान दिया जाय ।

(12) मानदेय की धनराशि इस प्रकार बढ़ाया जाय कि प्रत्येक कर्मचारी को न्यूनतम 200 रु0 व अधिकतम 350 रु0 अवश्य प्राप्त हो जांय ।

उक्त में से अधिकांश मांगें संघ द्वारा पूर्व में भी समय-समय पर की जाती रही हैं तथा समय-समय पर लिए गये निर्णयों के अनुसार मांग संख्या-2, 3, 6, 7, 9 एवं 12 के सम्बन्ध में यथोचित स्वीकृतियां प्रदान कर दी गयी हैं । मांग संख्या 4 पर पुनर्विचार किया जा रहा है । मांग संख्या 1, 5, 8, 10

एवं 11 को स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं पाया गया ।

अतारांकित प्रश्न

कुमायं व गढ़वाल मंडल में सीमेन्ट फैक्ट्री बनाए जाने का प्रस्ताव

1—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं व गढ़वाल मंडल में विगत चार वित्तीय वर्षों में किन-किन स्थानों में सीमेन्ट फैक्ट्री बनाये जाने के प्रस्ताव तय किए गये ? इनमें से क्रमशः किस-किस जगह की फैक्ट्री सार्वजनिक या व्यक्तिगत (प्राइवेट) रूप में लगाई जानी है ? दिनांक 20-9-84 तक इस सम्बन्ध में क्या उन्नति हुई तथा कब तक इन फैक्ट्रियों में उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त—

कुमायूं मंडल विकास निगम :—

इस निगम द्वारा निम्नलिखित चार सीमेन्ट फैक्ट्रियां पिकअप, लखनऊ द्वारा चयनित किए गये जिन्हें उद्यमियों के साथ लगाये जाने का प्रस्ताव था :—

1—मिनी सीमेन्ट प्लान्ट, गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़ । (संयुक्त क्षेत्र में)

2—मिनी सीमेन्ट प्लान्ट, लोहाघाट, जिला पिथौरागढ़ । (सहायता क्षेत्र में)

3—मिनी सीमेन्ट प्लान्ट, खैरना, जिला अल्मोड़ा । (संयुक्त क्षेत्र में)

4—मिनी सीमेन्ट, प्लान्ट मटेला, जिला अल्मोड़ा । (संयुक्त क्षेत्र में)

उपरोक्त इकाइयों में से प्रथम दो इकाईयों में क्रमशः वर्ष 1986 के मध्य तक तथा वर्ष 1985 के अन्त तक उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है । क्रम सं0 3 में दर्शित मिनी सीमेन्ट प्लान्ट हेतु यह निर्णय लिया गया है कि यह इकाई सहायता क्षेत्र में स्थापित की जाय और भारतीय सीमेन्ट अनुसंधान संस्थान, दिल्ली से रा-मिक्स डिजाइन तैयार करवा लिया जाय तथा कच्चे माल की क्वालिटी का विश्लेषण करने के उपरान्त ही इस इकाई का स्थापना के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जाय ।

क्र0 सं0-4 पर दर्शित इकाई के सम्बन्ध में पिकअप द्वारा चयनित सहभागी द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है जिसकी सूचना पिकअप को दे दी गई है ।

गढ़वाल मन्डल विकास निगम—

इस निगम द्वारा विनस सीमेन्ट लि0 की इकाई रानीपोखरी, जिला देहरादून में "एसोसियेटेड सेक्टर" में लगाई जा रही है । यह फैक्ट्री इस वित्तीय वर्ष में उत्पादन प्रारम्भ कर देगी ।

कालसी देहरादून में एक मिनी सीमेन्ट प्लान्ट स्थापित करने के लिए भारत सरकार के उद्योग विभाग से लेटर आफ इन्टेन्ट सं0 227 (80), दिनांक 11-6-80 प्राप्त हुआ था । इस लेटर आफ इन्टेन्ट के अधीन संयुक्त क्षेत्र में उक्त उद्योग की स्थापना के लिए एक व्यक्तिगत उद्यमी (प्राइवेट इन्टर प्रोन्योर) मे0 प्रोग्रसिव मनीज एन्ड एजेन्सीज के साथ संयुक्त क्षेत्र में सीमेन्ट फैक्ट्री लगाने का अनुबन्ध किया गया था । किन्तु इस अवधि में भारत सरकार द्वारा उक्त लेटर आफ इन्टेन्ट रद्द कर दिया गया और उक्त उद्यमी के साथ हुए अनुबन्ध को निदेशक मन्डल की 33वीं बैठक दिनांक 10-6-85 में रद्द करने का निर्णय लिया गया है ।

श्री अम्बादत्त खुल्वे, निवासी ग्राम सौराल, जनपद अल्मोड़ा के परिवार के सदस्यों की हत्या तथा सुरक्षा हेतु किए गए प्रबन्ध

2—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद नैनीताल में पुलिस थाना भतरोज

खान के अन्तर्गत 24 जुलाई, 1984 को श्री अम्बादत्त खुल्वे, ग्राम सोराल तल्ला सल्ट के परिवार के 6 सदस्यों की हत्या कर दी गयी है जिसमें जनता द्वारा पकड़े गए अभियुक्तों से अन्तर्राजीय अपराधरत दस्ते का पता चला है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? उपरोक्त परिवार की सुरक्षा हेतु क्या प्रबन्ध किए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

बताई गई घटना जनपद नैनीताल की न होकर अल्मोड़ा की है ।

प्राप्त सूचनानुसार, दिनांक 24-7-84 को थाना रानीखेत के अन्तर्गत ग्राम सोराल, जनपद अल्मोड़ा निवासी श्री अम्बा दत्त खुल्वे के परिवार के पांच सदस्यों तथा एक अन्य ग्रामीण की हत्या उसी ग्राम के गंगा सिंह ने अपने साथियों सहित की थी । घटना के अगले ही दिन गंगा सिंह नैनीताल पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया तथा 5 डाकू पकड़े गए । पकड़े गए अपराधियों में से कुछ के विरुद्ध राज्य के बाहर भी अभियोग पंजीकृत हैं । पांचों अभियुक्तों को नियमानुसार जेल भेजा गया और विवेचना पूरी करके आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया । श्री खुल्वे के परिवार की सुरक्षा के लिए सशस्त्र गार्ड लगा दिया गया था ।

विकास खण्ड सल्ट, जनपद अल्मोड़ा तथा विकास खण्ड नैनीडांडा, जनपद पौड़ी गढ़वाल में बाघ द्वारा व्यक्तियों की हत्या

2—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1982 से दिनांक 30-10-84 तक विकास खण्ड सल्ट, जनपद अल्मोड़ा तथा विकास खण्ड, नैनीडांडा, जनपद पौड़ी में आदमखोर बाघ द्वारा कुल कितने व्यक्तियों की हत्या की गयी है ? इन मारे गए या घायल हुए लोगों के आश्रितों को क्रमशः कब-कब और कितनी-कितनी धनराशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार ने इस बाघ के आतंक से छुटकारा पाने के लिए क्या-क्या उपाय किए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

विकास खण्ड सल्ट, जनपद अल्मोड़ा तथा विकास खण्ड नैनीडांडा, जिला पौड़ी गढ़वाल में माह सितम्बर, 1982 से दिनांक 30-10-84 तक 3 महिलाओं व 11 बच्चों को बाघ द्वारा जान से मारा गया है तथा 4 व्यक्तियों को घायल किया गया है । मृतक व्यक्तियों के 14 मामलों में से 10 मामलों में (दो व्यस्क तथा 8 अव्यस्क) के मृतक आश्रितों को क्रमशः रुपया 5000 तथा रुपया 2500 की दर से जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, नवम्बर, 1984 तथा मार्च, 1985 में कुल 30,000 रु0 (रुपये तीस हजार) की अनुग्रह आर्थिक सहायता स्वीकृत कर भुगतान किया जा चुका है । शेष 4 मृतक तथा 4 घायलों के मामलों में आवश्यक प्रमाण-पत्र राजस्व विभाग से उपलब्ध न हो पाने के कारण उनके आश्रितों को अनुग्रह आर्थिक सहायता का भुगतान नहीं किया जा सका है । प्रमाण-पत्र प्राप्त होते ही अनुग्रह आर्थिक सहायता का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा ।

विकास खण्ड सल्ट तथा विकास खण्ड नैनीडांडा में सितम्बर, 1982 से दिनांक 30-10-84 तक तीन बाघों का आतंक व्याप्त रहा । प्रथम बाघ ग्राम शीर्षवाड़ी में दिनांक 6-12-83 को मार दिया गया । पुनः दूसरे बाघ का आतंक होने पर उसे दिनांक 12/13-6-84 की रात्रि में जीवित पकड़ा गया फिर आतंक होने पर तीसरा बाघ दिनांक 7/8-11-84 की रात्रि में ग्राम तराड़ में मारा गया । उपर्युक्त तीनों बाघों को

विभाग द्वारा मानवभक्षी घोषित किया गया था ।

गोलीखाल क्षेत्र में भूमि संरक्षण प्रभाग रामनगर द्वारा वनी-करण तथा कार्यरत श्रमिकों को भुगतान

4—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोलीखाल क्षेत्र (विकास खंड नैनी-डांडा, जनपद पौड़ी गढ़वाल) में भूमि संरक्षण प्रभाग, रामनगर द्वारा सन् 1983 में वनीकरण कराया गया है, जिसमें कार्यरत श्रमिकों को वर्ष 1983 से अब तक की मजदूरी का भुगतान नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार इस की जांच कर, भुगतान कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं, गोलीखाल क्षेत्र (विकास खण्ड नैनीडांडा, जनपद पौड़ी गढ़वाल) में भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर द्वारा सन् 1983 में जो भी वनीकरण करवाया गया था उसमें कार्यरत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है ।

उत्तराखण्ड के वनों में अग्नि से हुई क्षति का अनुमान लगाने का निर्धारित मानक

5—श्री काशी सिंह ऐरी—

द्वितीय सत्र 84 के दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 116 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड में वनों में अग्नि से हुई क्षति का अनुमान किस मानक के आधार पर लगाया गया है ? इस क्षति में प्रभागवार लकड़ी, घास व लीसा की कितनी मात्रा में कितने रुपये की क्षति हुई ?

श्री नारायन दत्त—

वनों में अग्नि से हुई क्षति का अनुमान लगाने हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं है । आग लगने पर स्थल का निरीक्षण कर क्षति का अनुमान लगाया जाता है । यह पूर्णतया अग्नि की तीव्रता पर निर्भर है तथा एक ही क्षेत्र में अलग-अलग तीव्रता पर अलग-अलग क्षति होती है । उत्तराखण्ड सहित पर्वतीय क्षेत्र के विभिन्न वन प्रभागों में इस अग्नि से लकड़ी, घास व लीसा की हुई क्षति का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 166 पर ।)

कुमायूं मंडल में ताप भूमि से लीसा उत्पादन तथा मजदूरी के भुगतान हेतु निर्धारित नियम

6—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं मंडल में ताप भूमि से लीसा उत्पादन का वर्ष 1981-82 तथा 1982-83, 1983-84 का कुल कितना रुपया मजदूरों का देय है ? वन विभाग का किस दर से कितना रुपया आदत होता है ? इस देय धनराशि को इतने लम्बे समय से भुगतान न करने के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? सरकार ने इन मजदूरों को मजदूरी के शीघ्र भुगतान हेतु भविष्य के लिए क्या-क्या नियम निर्धारित किये हैं । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

कुमायूं मंडल में ताप भूमि से उत्पादित लीसा का भुगतान वन विभाग द्वारा सीधे मजदूरों को नहीं किया जाता है । लीसा टिपान कार्य के लिये मजदूर निजी छेवकों द्वारा स्वयं लगाये

जाते हैं और उसकी मजदूरी का भुगतान भी लीसा छेवकों द्वारा स्वयं किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1676 की धारा 10 के अनुसार निजी वनों के जो छेवक पंजीकृत किये जाते हैं, उस छेवकों को उनके द्वारा उत्पादित लीसा का भुगतान वन विभाग द्वारा किया जाता है । कुमायूं मंडल में वर्ष 1981, 1982 एवं 1983 लीसा फसल में निजी वनों के लीसा का मूल्य निम्न प्रकार प्राप्त हुआ था :—

	रु0
1981	67,16,138.30
1982	75,67,242.90
1983	1,07,53,445.20

उक्त धनराशि में से लीसा छेवकों को निम्नलिखित धनराशि देय थी :—

1981	57,08,717.55
1982	64,32,156.46
1983	91,40,428.42

इस देय धनराशि में से लीसा छेवकों को वन विभाग द्वारा निम्न प्रकार भुगतान किया गया है :—

1981	56,55,026.65
1982	62,89,781.95
1983	30,20,699.73

लीसा छेवकों को वन विभाग द्वारा शेष धनराशि निम्न प्रकार भुगतान और किया जाना है :—

1981	53,690.90
1982	1,42,374.51
1983	61,19,728.69

उपरोक्त कुल प्राप्त मूल्य में से 15 प्रतिशत की दर से वन विभाग का ऊपरी व्यय निम्न प्रकार देय होता है :—

1981	10,07,420.75
1982	11,35,096.44
1983	16,13,016.78

निजी वनों से उत्पादित लीसा के निस्तारण से प्राप्त आय वन विभाग द्वारा पहले "वन जमा" मद के अन्तर्गत जमा की जाती है और लीसा के पूर्ण निस्तारण के पश्चात् वन विभाग 15 प्रतिशत ऊपरी व्यय काट कर शेष धन-राशि लीसा छेवकों को भुगतान करता है ।

नियमों में निहित व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण "वन जमा" मद से धनराशि का आहरण कर भुगतान करने में स्वाभाविक रूप से विलम्ब हुआ । अब इस कठिनाई के निवारण हेतु नियमों में उपयुक्त व्यवस्था कर दी गयी है । उक्त अपरिहार्य परिस्थिति वन लीसा छेवकों को भुगतान में विलम्ब के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

7—श्री काशी सिंह ऐरी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

प्रदेश की विलुप्त होती प्रजातियों के जन्तु व वनस्पतियां संरक्षण हेतु कृत कार्यवाही

8—श्री काशी सिंह ऐरी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के दिनांक 21-2-84 को उत्तरित अता0 प्र0 सं0 84 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की विलुप्त होती प्रजातियों के जन्तु व वनस्पतियां कौन-कौन हैं ? इनमें से पर्वतीय संभाग में कौन-कौन पाई जाती हैं ? इनके संरक्षण हेतु विशेष उद्यान बनाने के लिए सरकार ने क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

उत्तर प्रदेश में 37 प्रजातियों के जन्तुओं को विलुप्त होने के खतरे की सीमा के भीतर रखा गया है वे निम्न प्रकार हैं :—

(क) पशु—

(1) हाथी (2) शेर (3)

गुलदार (4) कैराकल (5) फिशिंग कट (6) रैटिल (7) भेड़िया (8) पैंगोलिन सालूसांप (9) बारहसिंगा (10) चौसिंघा (11) ब्लैक बक (12) चिकारा (13) अजगर (14) घड़ियाल (15) मगर (16) चाम कछुआ (17) स्नोलेपर्ड (18) लपर्ड कैट (19) मारवल्ड कैट (20) नयान (21) कस्तुरा मृग (22) भरल (23) हिमालयन थार (24) सेराओ (25) फ्लाइंग स्कैवेरल (26) हिस्पिड हेयर।

(ख) पक्षी--

(1) चर्ज (2) मोर (3) लालसर (4) ब्हाइट स्पून बिल (5) ग्रेट इंडियन हार्नबिल (6) घनेश (7) औसप्रे (8) हाक्स (9) मोनाल (10) ट्रैगोपेन फैजेंट (11) माउन्टेन क्वेल।

2--इन लुप्तप्राय वन्य जीवों में से पर्वतीय सम्भाग में पाये जाने वाले जन्तु निम्न प्रकार हैं :--

(क) पशु--

(1) स्नोलैपर्ड (2) लैपर्ड कैट (3) मारवल्ड कैट (4) नयान (5) कस्तूरा मग (6) भरल (7) हिमालयन थार (8) सेराओं (9) फ्लाइंग स्कवैरल (10) हिस्पिड हेयर।

(ख) पक्षी--

(1) ग्रेट इन्डियन हार्नबिल (2) घनेश (3) औसप्रे (4) हाक्स (5) मोनाल (6) ट्रैगोपैन फैजेंट (7) माउन्टेन क्वेल।

3--इन प्रजातियों के संरक्षण के लिये राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में 3 राष्ट्रीय पार्क क्रमशः कार्वेट नन्दा देवी व फूलों की घाटी तथा चार वन्य जीव विहार क्रमशः मोतीचूर, चीला, केदारनाथ व गोविन्द पशु बिहार स्थापित हैं। इसी प्रकार मैदानी क्षेत्र में इनके संरक्षण हेतु दुधवा पर्क राष्ट्रीय पार्क है तथा 9 वन्य जीव बिहार क्रमशः राजा जी, कतनियाघाट, किशनपुर, चन्द्र प्रभा कैमूर, रानीपुर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चम्बल पशु विहार एवं नवाबगंज पक्षी विहार हैं। इसके अतिरिक्त लखनऊ स्थित कुकरेल वन में लुप्त प्राय वन्य जीव प्रजातियों के प्रजनन केन्द्र की स्थापना की योजना पर कार्य आरम्भ किया गया है।

4--वनस्पति प्रजातियां--

उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित 9 जड़ी-बूटियों की प्रजातियों का अस्तित्व संकटमय पाया गया है :--

क्र0सं0	वैज्ञानिक नाम	स्थानीय नाम
1	एकोनाइटम डिटेरोफाइलम	असीस।
2	नार्डोस्ट्रेकियस जटामान्सी	जटामांसी।
3	ओरस्ट्रिस लेटिफोलिया	सालम मिश्री।
4	ऐफेड्रा प्रजाति	सोम।
5	रिउम इमीडी	डोलू अर्चा।
6	पोलोगेला क्रोटा	भिरगु।
7	पोलीगोनेटम प्रजाति	..
8	युलोफिया प्रजाति	..
9	डिप्टेनोकार्पस लैंटिफैलिया	पत्थरलौंग।

5--ये सभी वनस्पति प्रजातियां प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती हैं और इन प्रजातियों के संरक्षण हेतु इनके निकाले जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा
कुमायूं उत्थान एवं सेवा
संस्थान को कम्पार्टमेन्ट
नं0 14 में किये गये
कार्य का भुगतान

9--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश वन निगम ने कुमायूं उत्थान तथा सेवा संस्थान के मन्त्रों का अवलेख कम्पार्टमेंट नं0 14 वर्ष 1980-81 के कार्य का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कथित धनराशि का अतिशीघ्र भुगतान करते हुये भुगतान में विलम्ब करने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में श्री जसवन्त सिंह बिष्ट, भूतपूर्व विधायक का पत्र दिनांक 9-9-1983 आपको मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

अपलेख कम्पार्टमेन्ट नं0 14 में वर्ष 1981 में किय गये कार्य का टेन्डर की दरों तथा निष्पादित इकरारनामा के अनुसार पूर्ण भुगतान उत्तर प्रदेश भवन निगम द्वारा कुमायूं उत्थान एवं सेवा संस्थान को कर दिया गया है । श्री जसवन्त सिंह बिष्ट, भूतपूर्व विधायक का दिनांक 9-9-1983 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

अगरवुड (एक्यूलेरिया-अगलोंचा)
नामक पौधे को विस्तार
रोपण कराने पर
विचार

10--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि असम प्रान्त के जोरहाट नगर 50 कि0 मी0 दूर नागरानी स्थान में अगरवुड (एक्यूलेरिया अगलोंचा) नामक पौधे को आर्थिक महत्व को देखते हुए वहां के स्थानीय जलवायु के अनुकूल उत्तराखण्ड (पर्वतीय क्षेत्र) में इन पौधों को विस्तार से रोपण कराने का प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में उन्हें भूतपूर्व विधायक, श्री जसवन्त सिंह बिष्ट का दिनांक 10-10-1984 को पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

अगरवुड (एक्यूलेरिया-अगलोंचा) पूर्वी हिमालय, विशेष कर आसाम या उसके मिले क्षेत्र, जहां वर्षा साल भर होती है एवं सदा बहार प्रकार के पेड़ उगते हैं, में पाया जाता है । इस प्रजाति के रोपण की सफलता की सम्भावना उत्तराखण्ड (पर्वतीय क्षेत्र) में नहीं है क्योंकि इसे लगातार वर्षा तथा सघन जलवायु चाहिये, जो वहां नहीं होती है ।

इस सम्बन्ध में भूतपूर्व विधायक, श्री जसवन्त सिंह बिष्ट का दिनांक 10-10-1984 का पत्र प्राप्त हुआ था तथा वस्तु स्थिति ऊपर व्यक्त कर दी गयी है ।

11--श्री काशी सिंह ऐरी--

[दिनांक 14-3-1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 11 द्वारा उत्तरित ।]

उत्तराखण्ड (पर्वतीय जनपदों)
में तीर्थ या पूज्य स्थल,
पर्यटन विभाग द्वार तीर्थ-
स्थलों को आवासीय
सुविधा

12--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड (पर्वतीय जनपदों) में ऐसे कौन-कौन से तीर्थ या पूज्य स्थल हैं जिनके दर्शन करने प्रति

वर्ष 50 हजार से अधिक तीर्थ-यात्री जाते ह ? इस तीर्थ-स्थल को क्या-क्या सहायता पर्यटन विभाग सुलभ कराता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

उत्तराखण्ड (पर्वतीय जनपदों) के अन्तर्गत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, जोशीमठ तथा पूर्णागिरि ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहां प्रति वर्ष अनुमानतः 50 हजार से अधिक तीर्थ यात्री दर्शन करने आते हैं । पर्यटन विभाग द्वारा तीर्थ स्थलों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जाती है तथा विभिन्न स्रोतों जैसे कौल्डर्स, पोस्टर्स, उत्तराखण्ड में स्थित पर्यटक कार्यालयों आदि के माध्यम से पर्यटन सम्बन्धी प्रचार एवं सहायता उपलब्ध करायी जाती है ।

13--श्री काशी सिंह ऐरी--

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

14--श्री काशी सिंह ऐरी--

[पुनर्विचार पर निरस्त)

जनपद अल्मोड़ा में शराब बन्दी आन्दोलन

15--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सरकार को ज्ञात है कि विगत तीन वर्षों से अल्मोड़ा जनपद में शराब बन्दी आन्दोलन चल रहा ह ? इस आन्दोलन के किन-किन आन्दोलनकारियों के विरुद्ध रानीखेत न्यायालय में किन-किन अपराधों में वाद चलाया जा रहा है ? इन्हें तुरन्त वाद मुक्त करने हेतु सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

वर्ष 1983-84 में मद्यनिषेध लागू करने के लिए अल्मोड़ा में एक अन्दोलन चला था, जो नशाबन्दी घोषित हो जाने के कारण स्वतः समाप्त हो गया । आन्दोलन में उग्र एवं आपराधिक गतिविधियों के कारण रानीखेत में 8 व्यक्ति दिनांक 14-4-1984 को बन्दी बनाये गये थे । इनके विरुद्ध अभियोजन वापस ले लिया गया है ।

अब आन्दोलन से सम्बन्धित कोई भी अभियोजन किसी के विरुद्ध रानीखेत न्यायालय में विचाराधीन नहीं है ।

16--श्री काशी सिंह ऐरी--

[4 थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 144 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद पिथौरागढ़ में मोटर मार्ग का निर्माण

17--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में कौन-कौन से ऐसे मोटर मार्ग हैं जिन्हें बने तीन से अधिक वर्ष हो जाने पर भी उनमें कंकरीट व डामर नहीं हुई है ? इसमें सबसे पुरानी मोटर मार्ग कौन है इनमें यातायात कब से चालू है ? कथित सड़कों पर कब तक डामर कोलतार कर दिया जायगा ? इसमें कुल कितना अनुमानित खर्चा किस दर से आयेगा ?

श्री नारायन दत्त--

ऐसे मार्गों की सूची माननीय सदस्य मेरे कक्ष में देख सकते हैं ।

लोहाघाट-मायावती मोटर मार्ग सबसे पुराना है ।

कार्य की प्रगति धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

जो मार्ग स्वीकृत नहीं है उनके लेपन स्तर तक निर्माण का अनुमानित खर्च वर्तमान दर से रु0 854.00 लाख होगा । जिन मार्गों पर डामर कार्य स्वीकृत है उनकी कुल स्वीकृति लागत 986.241 लाख रु0 है ।

18--श्री काशी सिंह ऐरी--

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 136 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जिला एवं सत्र न्यायालय, पिथौरागढ़ में लम्बित वाद

19--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिथौरागढ़ जनपद में जिला सत्र न्यायालय में उस जिले की कुल कितने वाद विगत पांच वर्षों से लम्बित हैं ? सरकार ने इसे शीघ्र निस्तारित करने हेतु क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जिला जज, पिथौरागढ़ ने अपने पत्र दिनांक 29 जून, 1985 द्वारा यह सूचित किया है कि जिला एवं सत्र न्यायालय, पिथौरागढ़ में कोई दीवानी या फौजदारी वाद विगत पांच वर्षों से लम्बित नहीं है। केवल एक दीवानी इजराय वर्ष 1978 से लम्बित है जिसमें आगे कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रथम अपील संख्या 380 सन् 1978 में पारित आदेश द्वारा स्थगित है।

लखनऊ में उत्तराखण्ड भवन बनाने की मांग

20--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 1-4-85 का पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें लखनऊ में उत्तराखण्ड भवन बनाने की वर्षों पुरानी मांग व 1971 में इस सम्बन्ध में एक समिति भी बनाये जाने का विवरण देते हुये इस कार्य को पूर्ण प्राथमिकता से पूरा करने का निवेदन किया गया है ? यदि हां, तो लखनऊ में पर्वतीय विकास मंत्रालय के अधीन उत्तराखण्ड भवन का निर्माण कब तक प्रारम्भ हो जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां। माननीय सदस्य का दिनांक 1-4-85 का पत्र प्राप्त हुआ था। लखनऊ में उत्तराखण्ड भवन बनाये जाने की कथित मांग के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पर्वतीय विकास विभाग के विचाराधीन नहीं है।

21--श्री राजेन्द्र गुप्त--

[करण 26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित]

श्री गिरिजा शंकर, उ० प्र० रा० विद्युत् परिषद् उप विद्युत गृह, लार की मृत्यु की सी० आई० डी० द्वारा जांच

22--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद्, उ० प्र० का पत्र दिनांक 22-11-83 जिसमें श्रीमती चन्द्रवली सिंह बेवा, ग्राम हाटा, थाना लार, जिला देवरिया के पति श्री गिरिजा शंकर पुत्र श्री रामेश्वर सिंह, उ० प्र० रा० विद्युत परिषद् उप विद्युत् गृह, लार की हत्या की सी० आई० डी० जांच कराने के लिए प्रार्थना की है, मिला था ? यदि हां, तो शासन ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां। जांच से प्रार्थिनी के पति श्री गिरिजा शंकर की मृत्यु आकस्मिक ट्रेन से गिर कर चोट खाकर होना पाया गया। अतः इस घटना में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच की आवश्यकता नहीं पायी गयी ?

जनपद झांसी के अस्थायी खण्ड के अवर अभियन्ता, श्री वी० एम० यादव को जान से मारने की साजिश की जांच

22--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या सा० झांसी जनप कृपा करेंगे कि के अस्थायी

खण्ड के अवर अभियन्ता, श्री बी0 एम0 यादव विभाग को यह लिखित सूचना देकर पिछले तीन महीनों से इस कारण से गायब है कि विभाग के अस्थायी खण्ड के एक सहायक अभियन्ता ने उसे जान से मारने की साजिश की थी ? यदि हां, तो उक्त अभियन्ता क्या अभी तक जीवित हैं ? शासन ने अब तक इस प्रकरण की जांच के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायन दत्त--

सूचना विभाग के किस अधिकारी को दी गई, यह स्पष्ट किये जाने पर उत्तर देना सम्भव होगा ।

वित्त सचिव शाखा के स्थापना सम्बन्धी कार्य करने वाले अनुभागों में कार्यरत सहायकों का कार्य-काल एवं स्थानान्तरण

24--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त सचिव शाखा के स्थापना सम्बन्धी कार्य करने वाले अनुभागों में पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कितने सहायक काम कर रहे हैं और उनको स्थानान्तरण क्यों नहीं किये जाते ? क्या ऐसे भी कुछ सहायक हैं जिनका तबादला सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा किया जा चुका है किन्तु वे रिलीव नहीं किये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

वित्त सचिव शाखा में स्थापना सम्बन्धी कार्य करने वाले अनुभागों में 23 सहायक ऐसे हैं जो पांच वर्ष से अधिक समय से वहां पर कार्य कर रहे हैं । वित्त विभाग उक्त सहायकों का स्थानान्तरण स्वयं नहीं करता है वरन् इनके स्थानान्तरण का अधिकार सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) विभाग में निहित हैं जो समय-समय पर निर्धारित नीति के अनुसार अन्य विभागों के कर्मचारियों के साथ-साथ वित्त विभाग के कर्मचारियों का भी स्थानान्तरण करते रहते हैं । कुल ऐसे दो सहायक हैं जिनका तबादला सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा कुछ समय पूर्व किया गया किन्तु उनमें से एक को उसके द्वारा वित्त विभाग में किये जा रहे कार्य के महत्व के आधार पर तथा दूसरे को प्रतिस्थानी के अभाव में कार्यमुक्त किया जाना सम्भव नहीं हो सका ।

बस्ती जिले के बांसी तहसील में परासी नाले में लकड़ी के पुल का निर्माण

25--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बांसी तहसील में बांसी से इटवा जाने वाली सड़क के स्थान जिगिनिहवा से बेतिया को जाने वाली सड़क के निर्माण में परासी नाले में लकड़ी का पुल निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो 30 जून, 1984 तक इस पुल के निर्माण में कुल कितना धन व्यय किया गया ? पुल का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया ? पुल में कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

श्री नरायन दत्त--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुल का निर्माण कराये जाने में 6.23 लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है ।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश के समस्त प्रशासकीय कार्यों का सम्पादन निदेशक प्रशासन, राज्य नियोजन संस्थान द्वारा कराने पर विचार

26--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृप करेंगे कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर

प्रदेश का समस्त प्रशासकीय कार्य निदेशक प्रशासन, राज्य नियोजन संस्थान द्वारा संपादित कराने अथवा अन्य प्रभागों की भांति अर्थ एवं संख्या प्रभाग में भी अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) का पद सृजित कर समस्त प्रशासन सम्बन्धी कार्य उसे सौंपने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायगा ?

नियोजन मंत्री (श्री जयराम वर्मा)--
जी नहीं ।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश के समस्त प्रशासकीय कार्यों का सम्पादन निदेशक प्रशासन, राज्य नियोजन संस्थान द्वारा कराने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है । यह भी सही नहीं है कि निदेशक, प्रशासन राज्य नियोजन संस्थान के समस्त प्रभागों के प्रशासकीय कार्य का सम्पादन करते हैं ।

यह उल्लेखनीय है कि नियमों में किसी निदेशक, प्रशासन के पद का सृजन नहीं है । नियमों में केवल यह व्यवस्था है कि विभिन्न प्रभागों में से एक निदेशक जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का उचित ज्येष्ठता का होगा, वह सभी नये प्रभागों का प्रभारी अधिकारी होगा एवं इसे ही निदेशक प्रशासन अब तक कहा जाता रहा है । निदेशक प्रशासन केवल राज्य नियोजन संस्थान के नवीन प्रभागों जिनमें जनशक्ति नियोजन प्रभाग, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, दीर्घ कालीन योजना प्रभाग, क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग, योजना अनुश्रवण एवं मानीटरिंग प्रभाग एवं पर्वतीय प्रभाग आते हैं, के प्रशासकीय कार्यों का सम्पादन करते हैं ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), अर्थ एवं संख्या प्रभाग के पद का सृजन वर्ष 1978 से ही है । अतएव उसे पुनः सृजित करने का प्रश्न नहीं उठता है । यह सही नहीं है कि राज्य नियोजन संस्थान के समस्त प्रभागों में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) का पद सृजित है ।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में स्थायी सहायक संख्याधिकारियों की ज्येष्ठता सूची, श्री राधेश्याम गुप्ता की वित्त विभाग में ज्येष्ठान्वेषक के पद पर प्रोन्नति का औचित्य

27.--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग में स्थायी, सहायक संख्याधिकारियों की ज्येष्ठता सूची के प्रकाशन के बाद भी बिना अनुमोदित कनिष्ठ एवं अस्थायी सहायक संख्याधिकारी श्री राधेश्याम गुप्ता को उ0 प्र0 शासन के वित्त विभाग में ज्येष्ठान्वेषक के पद पर तदर्थ प्रोन्नत क्यों किया गया ? क्या इन्हें प्रत्यावर्तित कर ज्येष्ठतम सहायक संख्याधिकारी को प्रोन्नत किये जाने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा--

स्थायी सहायक संख्याधिकारियों की ज्येष्ठता सूची का प्रकाशन अर्थ एवं संख्या प्रभाग के यू0 ओ0 पत्र संख्या 4707/जी-222-78, दिनांक 10-9-84 द्वारा किया गया था जब कि श्री राधेश्याम गुप्ता, जो कि बिना अनुमोदित कनिष्ठ एवं अस्थायी सहायक संख्याधिकारी हैं, को वित्त विभाग ने विभाग की सहमति से वित्त विभाग में रिक्त ज्येष्ठान्वेषक के अस्थायी पद पर दिनांक 5-5-84 से ही स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत कर दिया था ।

इस समय श्री राधेश्याम गुप्ता को प्रत्यावर्तित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

इसका कारण यह है कि जब शासन ने रिट याचिका नम्बर 119/1980-नन्द लाल सिंह और अन्य बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय में एक शपथ-पत्र देकर माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी कि श्री नन्द लाल इत्यादि याचियों एवं अन्य इसी तरह के लोगों, जिनको दूसरी श्रेणी में श्री गुप्ता का मामला सम्मिलित है,

को प्रत्यावर्तित कर दिया जाय तो माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13-2-85 में इस बिन्दु पर स्पष्ट आदेश नहीं किये । अतएव यह विचाराधीन है कि माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया जाय कि वह प्रश्नगत बिन्दु पर भी आदेश करने की कृपा करें ।

28--श्री राजेन्द्र गुप्त--

[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 93 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

मन्दिर की जायदाद के लिए बाबा का अपहरण कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र

29--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र जो मन्दिर की जायदाद के लिए बाबा का अपहरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, जिसके पाने की सूचना आपके कार्यालय के पत्र सं0 एम-1/10/2627 सी0 एम0-2-84, दिनांक 26 जून, 1984 द्वारा दी गयी है, मिला है ? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र में अंकित आरोपों की जांच कराई गई । जांच से विदित हुआ कि प्रार्थी मनोकान्त तिवारी एक लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति है एवं मन्दिर की सम्पत्ति को हड़पना चाहता है । प्रार्थी की गलत हरकतों के कारण उसे मन्दिर से निकाल दिया गया था । इसी से रुष्ट होकर उसने प्रार्थना पत्र दिया है । जांच से प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

श्री बिशम्भर पासी, जिला सीतापुर द्वारा खीरी थाने में श्री उमादत्त आदि के विरुद्ध लिखाई गई रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

30--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बिशम्भर पासी पुत्र श्री मुन्नू लाल, निवासी कटकुसमा, थाना खीरी, जिला सीतापुर द्वारा 8-3-85 को खीरी थाने में, जो प्रथम सूचना श्री उमादत्त आदि के विरुद्ध धारा 307/147/148/149 आदि के तहद लिखाई गई थी, उस पर पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सभी नामजद मुल्जिम गिरफ्तार हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नामजद मुल्जिमों के पास से लाइसेन्स असलहे जमा करा लिये गये, कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 8-3-85 को थाना खीरी, जनपद सीतापुर पर 6 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147/148/149/323/307 भारतीय दण्ड विधान का अभियोग पंजीकृत करके पुलिस द्वारा विवेचना की गयी एवं विवेचना पूर्ण करके उक्त अभियोग में दिनांक 6-4-85 को आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है । प्रथम सूचना में अंकित सभी नामजद अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया एवं जेल भेजे गये । सभी नामजद अभियुक्त न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिये गये हैं ।

नामजद अभियुक्तों के आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स के निरस्तीकरण एवं शस्त्र जमा कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन सृजित पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समितियों का कथित गठन

31--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या सार्वजनिक उद्यम विभाग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन सृजित पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समितियां सार्वजनिक उद्यम निगम के नियन्त्रण में कार्य कर रही हैं ? यदि हां, तो क्या प्रबन्ध निदेशकों/अध्यक्षों की नियुक्ति, स्थानान्तरण आदि के सम्बन्ध में नियमानुसार परामर्श सार्वजनिक उद्यम विभाग से लिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं, प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन सृजित पदों पर नियुक्ति हेतु कोई चयन समितियों का गठन सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के अन्तर्गत नहीं किया गया है । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

32--श्री राजेन्द्र गुप्त--

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

लखनऊ स्थित विधायक आवासों में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत चौकीदारों, फर्राशों, लिफ्ट चालकों तथा स्वीपरों को देय दैनिक मजदूरी

33--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित विधायक आवासों में दैनिक मजदूरी (मस्टर रोल) पर कार्यरत चौकीदारों, फर्राशों, लिफ्ट चालकों तथा स्वीपरों को क्या दैनिक मजदूरी दी जाती है ? दिनांक 30 अप्रैल, 1985 को दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की संख्या क्या थी तथा इनमें से ऐसे कितने हैं जोकि 240 दिन से अधिक काम कर चुके हैं ?

श्री नारायन दत्त--

15 अप्रैल, 1985 के बाद नियुक्त किये गये अकुशल दैनिक मजदूरों को रुपया 8.50 प्रतिदिन तथा उक्त तिथि से पूर्व से कार्यरत अकुशल मजदूरों को 9 रुपया प्रतिदिन की दर से मजदूरी दी जा रही है । 30 अप्रैल, 1985 को दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की संख्या 99 थी तथा उनमें से 62 मजदूर 240 दिन की अधिक अवधि से काम कर चुके हैं ।

बाबा राम दास मन्दिर, नरही, लखनऊ में मारपीट की घटना

34--श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री झिलमिट राम --

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 13 अक्टूबर, 1984 को सायंकाल लगभग 4·35 बजे बाबा राम दास मन्दिर, नरही, लखनऊ में मार-पीट की कोई घटना हुई थी ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में श्री हरीश चन्द्र शर्मा का कोई प्रार्थना-पत्र शासन को दिनांक 13 अक्टूबर, 1984 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में कोतवाली हजरत-गंज पर किसी अभियोग का अंकित होना नहीं पाया गया बल्कि इस सम्बन्ध में श्री हरीश चन्द्र शर्मा का एक प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था जिसके सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ के माध्यम से जांच कराई गई । जांच से घटना के सम्बन्ध में निम्न तथ्य प्रकाश में आये :--

प्रार्थी के पिता बाबा राम दास मन्दिर, नरही में पुजारी हैं एवं

धर्मशाला में एक कमरा लेकर परिवार के साथ रहते हैं। प्रार्थी के दो भाई तारा चन्द्र शर्मा एवं सतीश कुमार शर्मा हैं। प्रार्थी इंदिरा नगर कालोनी में रहता है। छत से गिर जाने के कारण प्रार्थी का बायां पैर टूट गया था जिसका इलाज कराने वह बाबा राम दास मन्दिर, नरही अपने परिवार में आया था एवं उसके साथ उसका दोस्त शंकर दयाल पांडे भी आया था। जगह की कमी के कारण प्रार्थी एवं उसके बड़े भाई तारा चन्द्र शर्मा में कुछ वाद-विवाद हुआ जिस पर प्रार्थी के दोस्त ने तारा चन्द्र शर्मा को डांटा। इस पर तारा चन्द्र शर्मा ने प्रार्थी के दोस्त को अपशब्द कहे जिस पर प्रार्थी को अपनी बेइज्जती महसूस हुई तथा प्रतिशोध की भावना से उसने प्रार्थना-पत्र दिया। प्रार्थी का कथन है कि अब उसका भाइयों से कोई झगड़ा नहीं है एवं वह कोई पुलिस कार्यवाही नहीं चाहता। मामले में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रतिनियुक्ति पर आये सहायक एवं अधिशासी अभियन्ता को पैतृक विभाग में वापस किये जाने पर विचार

35--श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री झिलमिट राम--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में, सार्वजनिक निर्माण विभाग के ऐसे कितने सहायक एवं अधिशासी अभियन्ता प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, जिन्हें निगम में कार्य करते हुये पांच वर्षों से अधिक समय हो चुका है तथा जिन्हें वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या जी-1-700/दस-534(46)-76, दिनांक 16 मार्च, 1983 तथा शासनादेश सं0 4375 ई0 जी0/23-सा नि0 अनु0-5--350-ई0-जी0/80, दिनांक 17-10-84 के अनुपालन में अनिवार्य रूप से अपने पैतृक विभाग को वापस लौट जाना चाहिए ? इसमें से कितने अभियन्ताओं को उपरोक्त शासनादेशों की अवहेलना करके अभी तक प्रतिनियुक्ति भत्ता एवं अतिरिक्त लाभ या सुविधा प्रदान की जा रही है ?

श्री नारायन दत्त--

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम में सार्वजनिक निर्माण विभाग के 15 सहायक एवं 17 अधिशासी अभियन्ता प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं जिन्हें निगम में कार्य करते हुये, दिनांक 31 मार्च, 1985 को 5 वर्ष से अधिक समय हो गया है। इन्हें वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0 जी-1-700/दस-534(46), दिनांक 16 मार्च, 1983 तथा इसी क्रम में जारी किये गये शासनादेश सं0 4375 ई0जी0/23-सा0 नि0 अनु0-5-350-ई0जी0-82, दिनांक 16 अक्तूबर, 1984 द्वारा इन्हें जनहित में निर्माण निगम में रोके जाने के कारण इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि प्रतिनियुक्ति भत्ते सहित दिनांक 31 मार्च, 1985 तक विस्तारित की गयी है।

दिनांक 31 मार्च, 1985 तक की अवधि के लिए शासनादेशों की अवहेलना का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके बाद की अवधि के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।

36--श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री झिलमिट राम--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय निर्माण निगम में, सार्वजनिक निर्माण विभाग के ऐसे कितने अभियन्ता कार्यरत हैं, जिन्हें निगम में गत 31 मार्च, 1985 को 5 वर्षों से अधिक समय हो गया है तथा उनमें से कितनों के विरुद्ध सार्वजनिक निर्माण

विभाग में कोई जांच लम्बित है या प्रगति में है ? ऐसे कितने अभियन्ता हैं जिनके प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी शासना-देशों में उन्हें निगम की किसी परियोजना के निर्माण स्थल पर तैनात करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ? इसके बावजूद इनमें किस-किस अभियन्ता को किसी निर्माण स्थल पर तैनात किया गया है तथा क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

92 अभियन्ता ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

केवल एक श्री टी0 एच0 आब्दी, अधिशासी अभियन्ता को लखनऊ जिले में तैनाती पर प्रतिबन्ध लगाया गया था । निगम के कार्यहित में तथा लखनऊ में परियोजना प्रबन्धकों की आवश्यकता को देखते हुये श्री आब्दी की तैनाती लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में की गयी है ।

राजकीय निर्माण निगम में स्थानापन्न लेखाकार के रूप में कार्यरत लेखा सहायकों से संबंधित पत्र, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित शासनादेशों का पालन

37--श्री झिलमिट राम--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय निर्माण निगम में स्थानापन्न लेखाकार के रूप में कार्य करने वाले लेखा सहायकों से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का दिनांक 20 अप्रैल, 1985 का कोई पत्र शासन अथवा निगम को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पत्र में किन-किन बिन्दुओं को उठाया गया है ? इस पर शासन की बिन्दुवार समीक्षा क्या है ? इस सम्बन्ध में अन्य कर्मचारियों की तुलना में केवल लेखा सहायकों के साथ भेदभाव का क्या औचित्य है ? क्या इस पर निष्पक्ष एवं न्यायिक निर्णय हेतु पुनर्विचार किया जायगा ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां । पत्र दिनांक 20-4-1985 में उठाये गये बिन्दुओं का विवरण परिशिष्ट "क" में †संलग्न है । यह प्रकरण शासन के समक्ष विचाराधीन है ।

38--श्री झिलमिट राम--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय निर्माण निगम द्वारा शासन के वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 के दिनांक 16-3-1683 के कार्यालय ज्ञाप तथा वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 के दिनांक 1-12-84 की विज्ञप्ति एवं सार्वजनिक निर्माण अनुभाग-5 के दिनांक 17-10-1984 के शासनादेश का जो प्रतिनियुक्ति से सम्बन्धित है, कितने प्रतिशत पालन हुआ है, तथा इन शासनादेशों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-3-1983 को शिथिल करते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 4375 ई0जी0/23--सा0 नि0 अनु0-5-350 ई2जी0/82, दिनांक अक्तूबर, 16, 1984 द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में 5 वर्ष से अधिक अवधि से वाह्य सेवा पर कार्यरत ऐसे 59 अधिकारी एवं कर्मचारी, जिनको उक्त निगम से जनहित में रोका गया है, को वाह्य सेवा प्रतियुक्ति भत्ते के साथ दिनांक 31 मार्च, 1985 तक बढ़ाये जाने की अनुमति दी गयी थी । चूंकि सविलियन के प्रश्न

†देखिय नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 169 पर।

पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 की विज्ञप्ति दिनांक 1-12-1984 के अनुसार उक्त तिथि तक इन मामलों में अंतिम निर्णय नहीं हो सका था अतः निगम के संचालक मंडल ने 10-5-1985 को बैठक में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत ऐसे तकनीकी कर्मचारियों को जिन्होंने संविलियन हेतु विकल्प दे दिया है तथा 5 वर्ष पूरे कर लिये हैं, 30-9-1985 तक प्रतिनियुक्ति भत्ता दिये जाने तथा इसके संबंध में शासन को संदर्भ किये जाने का निर्णय लिया है।

इस संबंध में शासन के निर्णय के अनुसार कार्यवाही हेतु निगम के प्रबन्धकों को कहा जायेगा अतः इस स्तर पर शासनादेश के उल्लंघन के लिये किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है।

39--श्री राजेन्द्र गुप्त--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

विधायकों को पृथक निजी सचिव तथा उनको डाक को निःशुल्क (प्रा-पेड) करवाने का प्रस्ताव

40--श्री पूरन सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि जब ब्लाक स्तर के कार्यों के लिए भी आम जनता को विधायक स्तर तक पत्र-व्यवहार करना पड़ रहा है जिससे विधायकों के माध्यम से पत्रों का आदान-प्रदान बहुत बढ़ गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधायकों को पृथक निजी सचिव व उनके डाक को निःशुल्क जैसे 'प्री पेड' करवाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)--

सरकार को यह जानकारी है कि विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी मामलों में पत्र-व्यवहार करना पड़ता है परन्तु ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पत्रों का आदान-प्रदान बहुत बढ़ गया है।

विधायकों को पृथक निजी सचिव अथवा उनके डाक को निःशुल्क (प्रि-पेड) करवाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये और इस बात को देखते हुये कि विधायकों को अनुमन्य निर्वाचन क्षेत्र भत्ते में गत वर्ष वृद्धि हुई है, विधायकों को इस प्रकार की सुविधा दिया जाना सम्भव नहीं है।

वन अधिनियम कानून को सरल बनाने का प्रस्ताव

41--श्री पूरन सिंह--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र जहां सत्तर प्रतिशत भूमि में वन विद्यमान है वहां पर वन संरक्षण कानून के अन्तर्गत जनहित के कार्य करवाने में काफी विलम्ब व बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या शासन जनहित में पास शासकीय कार्यों के निर्माण हेतु वन अधिनियम कानून को कब तक सरल बना रही है ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं।

वनों के अत्यधिक कटान से हो रहे पर्यावरण असन्तुलन को रोकने के लिए भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू करके यह प्रतिबन्ध लगा दिया है कि गैर वानकी प्रयोजन हेतु किसी वन भूमि का उपयोग भारत सरकार की पूर्वानुमति बगैर न किया जाय। अतः अधिनियम के तहत निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजकर उनकी अनुमति प्राप्त करने में कुछ समय लगना स्वाभाविक है। इससे प्रदेश के विकास कार्यों में कोई विशेष अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है और उसे सरल बनाने अथवा उसमें किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए भारत सरकार ही सक्षम है।

आजमगढ़ जिले में अहिरौला, थाने के अन्तर्गत माहुल में पुलिस थाना व चौकी खोलने का विचार

42--श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में अहिरौला थाने के अन्तर्गत माहुल में पुलिस थाना अथवा चौकी खोलने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

गढ़वाल जल संस्थान में कार्यरत अवर अभियन्ता को एक ही कार्यक्षेत्र में रहने का औचित्य

43--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृप करेंगे कि गढ़वाल जल संस्थान में ऐसे कितने अवर अभियन्ता हैं जो विगत पांच वर्षों से अधिक समय तक एक ही क्षेत्र (विकास खंड) में कार्यरत हैं ? इनका एक लम्बे समय तक एक ही कार्य क्षेत्र में बने रहने का औचित्य क्या है ?

श्री नारायन दत्त--

गढ़वाल जल संस्थान में 11 अवर अभियन्ता ऐसे हैं जो विगत 5 वर्षों से अधिक समय तक एक ही क्षेत्र (विकास खंड) में कार्यरत हैं। ऐसे अवर अभियन्ताओं को उसी कार्य क्षेत्र में इसलिये बनाये रखा गया क्योंकि उनका कार्य बहुत अच्छा रहा, पेयजल योजनाओं का रख-रखाव बहुत सुचारु रूप से किया गया तथा राजस्व की वसूली प्रभावी ढंग से की गयी।

पर्वतीय क्षेत्र के विकास हेतु स्वीकृत बजट तथा प्रशासनिक व्यय

44--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र के विकास के लिए स्वीकृत बजट में से प्रशासनिक व्यय का प्रतिशत क्या है और इस व्यय को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं ?

श्री नारायन दत्त--

पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 1984-85 के मूल बजट में 13,018·25 लाख रु0 की व्यवस्था कराई गई थी जिसमें प्रशासनिक मदों पर व्यय का अंश 2,053·58 लाख रु0 है जो कुल प्रावधान का 15·78 प्रतिशत है। विकास कार्यों को अधिक महत्व देने के लिए प्रशासनिक व्यय में कमी के बराबर प्रयास किये जा रहे हैं। नये पदों का सृजन, गाड़ियों की खरीद, यात्रा व्यय, स्टेशनरी, टेलीफोन व्यय आदि में मितव्ययता बरतने के सम्बन्ध में समय-समय पर आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

गढ़वाल जल संस्थान की पेयजल योजनाओं के रख-रखाव हेतु उठाये गये कदम

45--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि धनाभाव एवं साधनों के अभाव में गढ़वाल जल-संस्थान को पेयजल योजनाओं के रख-रखाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो गढ़वाल जल संस्थान को धन एवं

साधनों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में शासन क्या कदम उठा रही है और गढ़वाल जल-संस्थान को रख-रखाव के लिए दी जाने वाली धनराशि का माप-दण्ड क्या है ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के आधार पर ही धनराशि उपलब्ध करायी जाती है ।

गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत मोटर मार्गों की तकनीकी जांच

46—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मन्डल के अन्तर्गत वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 में किन-किन मोटर मार्गों की तकनीकी जांच की गयी है और जांच के परिणाम क्या हैं तथा जांच आख्या पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायन दत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

खान्डासैण, जनपद पौड़ी गढ़वाल में नयार नदी पर झूला पुल की मांग

47—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के मरोड़ा व्यासघाट मोटर मार्ग के स्थान पर खान्डासैण में नयार नदी पर झूला पुल की मांग शासन को कब से प्राप्त हो रही है तथा इस योजना का प्राक्कलन सरकार को कब प्राप्त हुआ है और जनता को इस न्यायोचित मांग को कब तक स्वीकार किये जाने की सम्भावना है ?

श्री नारायन दत्त—

जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रश्नगत खान्डासैण में नयार नदी में झूला पुल की मांग का प्रस्ताव 9/82 को प्राप्त हुआ । इस पर शासन को 4/83 को उक्त पुल का आगणन प्राप्त हुआ था जिसे निर्धारित मानकों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणों परान्त आख्या हेतु मुख्य अभियन्ता (पर्वतीय) को अगस्त, 1983 में वापस किया जा चुका है । आगणन तथा प्रस्ताव के अभाव में कार्य स्वीकृत किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के जाखणी-खाल—व्यासघाट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ढांगू विकास समिति द्वारा दिया गया ज्ञापन

48—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के जाखणीखाल-व्यासघाट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ढांगू विकास समिति से उन्हें जनवरी, 1983 में क्या कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो ज्ञापन में समिति द्वारा क्या मांग की गयी थी और ज्ञापन में दिये गये सुझाव के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण के लिए शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और कब तक इस मार्ग को व्यासघाट तक मिलाये जाने की सम्भावना है ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां प्राप्त हुआ है ।

मार्ग के प्रथम 4 कि0 मी0 के निर्माण की स्वीकृति अप्रैल, 1982 में दी गयी है जिसके मार्च, 1986 तक पूर्ण होने की सम्भावना है । व्यासघाट तक मार्ग के शेष 22 कि0 मी0 मार्ग के निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों के अभाव में अभी फिलहाल नहीं दी जा सकी है ।

ग्राम सुधार समिति पावो, विकास खंड कलजीखाल के पत्र में उल्लिखित समस्याओं के निराकरण हेतु कार्य-वाही

49.—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उप सचिव पर्वतीय विकास अनुभाग-7 के पत्रांक 4076/28-7-31 (41)/81, दिनांक 11-1-1982 के द्वारा जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला परिषद् पौड़ी गढ़वाल से ग्राम सुधार समिति पावो के पत्र के उद्धरण पर 15 दिन के अन्दर आख्या भजने को कहा था ? यदि हां, तो जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला परिषद् पौड़ी से आख्या शासन को कब प्राप्त हुई है और ग्राम सुधार समिति पावो विकास खंड कलजीखाल के पत्र में उल्लिखित समस्याओं के निराकरण हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है तथा समस्याओं का समाधान कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला परिषद् पौड़ी ने अपने पत्र दिनांक 28 नवम्बर, 1983 द्वारा आख्या शासन को भेजी है । ग्राम सुधार समिति, पावो विकास खंड कलजीखाल के पत्र में ग्राम उड्डा से किस्मोलिया पुल तक अश्व मार्ग का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत किये जाने का निवेदन किया गया था । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी से प्राप्त आख्या के अनुसार यह मार्ग जिला परिषद् के अधीन नहीं था अस्तु जिला परिषद् को अपनी सड़कों के रखरखाव हेतु प्राप्त अनुदानों से इसका निर्माण नहीं हो सकता था । फलस्वरूप इसका कार्यान्वयन ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन प्रस्तावित किया गया किन्तु कच्चे मार्गों का निर्माण इस योजना के अन्तर्गत न लिये जाने के शासन के निर्देश हो जाने के फलस्वरूप इस मार्ग का उक्त योजना के अन्तर्गत निर्माण नहीं कराया जा सका । ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना में निर्देशित मानकों के आधार पर इस मार्ग का आगणन बनाया गया है । वर्ष 1985-86 तक के लिये ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना के प्रोजेक्ट भारत सरकार से पूर्व स्वीकृत थे । अतः 1986-87 में इस योजना के अधीन प्रस्तावित किये जाने वाले कार्यक्रमों के अन्तर्गत इस मार्ग को सम्मिलित कर लिया गया है ।

राकेश कुमार सिंह के अपहरण की थाना, शाहपुर, जिला गोरखपुर में अंकित रिपोर्ट पर जांच

50—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या राकेश कुमार सिंह नामक 11 वर्षीय बालक के अपहरण की एफ0 आई0 आर0 थाना शाहपुर, जिला गोरखपुर में दिनांक 8-3-1985 को अंकित करायी गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां । मामले में जांच करायी गयी । इस सम्बन्ध में भु0 अ0 सं0-66/85 धारा 364/365/302/281 भा0 दं0 वि0 अंकित किया गया । दो अभियुक्तों को दिनांक 20-5-1985 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है तथा उनके विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 18-6-1985 को प्रेषित किया जा चुका है ।

51—श्री राम आसरे वर्मा--

[दिनांक 22--7--1985 को अता0 प्र0 सं0 64 द्वारा उत्तरित]

अकबरपुर, जिला फैजाबाद की नगरपालिका द्वारा निर्मित पानी टंकी से घरों को दिया गया डाइरेक्ट कनेक्शन

52--श्री शेर बहादुर सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद की नगरपालिका द्वारा निर्मित पानी टंकी से कितने घरों को डाइरेक्ट कनेक्शन दिया गया है और कब से किस योजना व नियम तथा अधिकारी के आदेश से? क्या यह भी सही है कि जहां यह टंकी बनी है वहीं के कुछ मकानों को सीधा कनेक्शन दिया गया है और उसी स्थान पर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी का आवास भी है ?

श्री नारायन दत्त--

अकबरपुर जिला फैजाबाद की नगरपालिका द्वारा निर्मित पानी टंकी से पांच घरों को क्रमशः 24-4-1978, 26-4--1978, 10-5-1978, 30-7-1979 एवं 26-9-1980 से डाइरेक्ट कनेक्शन दिया गया है। उक्त कनक्शन पालिका की जल सम्पूर्ति योजना के अन्तर्गत जल आपूर्ति नियमावली के अनुसार पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के आदेश से दिये गये हैं।

जी हां।

जनपद फैजाबाद में आवास-विकास परिषद् द्वारा आवास एवं भूखण्डों का पंजीकरण तथा आवंटन

53--श्री मित्रसेन--

क्या आवास विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में आवास एवं भूखण्ड हेतु फरवरी व मार्च, 1980 में आवास विकास परिषद् द्वारा अग्रिम धन देकर पंजीकरण किया गया था ? यदि हां, तो क्या उन सभी अभ्यर्थियों को आवास एवं भूखण्ड आवंटित हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां।

जी नहीं। जनपद फैजाबाद में दिनांक 31-3-85 तक दुर्बल आय वर्ग के 122, अल्प आय वर्ग के 84, मध्यम आय वर्ग के 26 भवन एवं 53 भूखण्ड केवल वर्ष 1978 तक पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटित किये गये हैं। भूमि की उपलब्धता न होने के कारण वर्ष 1978 के बाद के पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटन नहीं हो सका है।

थाना इनायतनगर पर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं व समर्थकों द्वारा पुलिस पर पथराव तथा डा0 प्रताप सिंह की गिरफ्तारी

54--श्री मित्रसेन--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 2-4-84 को सायं 5 बजे थाना इंचार्ज इनायतनगर श्री राम बिलास बघेल के साथ 7 अन्य पुलिस कर्मियों ने डा0 प्रताप सिंह, निवासी पूरे छत्ता, ग्राम धमोलिया (थाना उपरोक्त) को पकड़ कर बुरी तरह मारा-पीटा तथा उनकी दुकान से हजारों रुपये का सामान लूटकर उनका चालान कर दिया था ? क्या इस घटना के सम्बन्ध में धारा 395, 397 व 504 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत वाद संख्या 162/84 न्यायालय मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, फैजाबाद के यहां दायर किया गया है और क्या प्राग्दर्शन में पुलिस कर्मी दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो अब तक दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं ।

दिनांक 2–4–84 को थाना–इनायत–नगर पर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं व समर्थकों द्वारा पुलिस पर पथराव व थाने के घेराव व आगजनी की घटनाएं हुई, जहां एकत्रित गैरकानूनी हिंसक भीड़ को तितर–बितर करते समय पुलिस द्वारा गिरफ्तारियां की गयी, जिनमें डा० प्रताप सिंह यादव को भी मौके पर गिरफ्तार किया गया ।

जिला पुलिस को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थाना खंडासा, जनपद फैजाबाद में दर्ज डकती व चोरी की घटनाएं

55—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि 15/16 मार्च, 1985 को ग्राम डीली शरैया निवासी राम सागर व 19/20 मार्च, 1985 बरवा पूरे मठिया, निवासी झुरहू कोरी व 21/22 मार्च ग्राम झबरा पूरे बुलाकीतारा में थाना खंडासा, जनपद फैजाबाद में पड़ी डकैती की घटना को चोरी में अंकित किया गया है ? यदि हां, तो डकैती की घटना को चोरी में अंकित किए जाने और अपराध को छिपाने वाले दोषी पुलिस कर्मी कौन हैं ? क्या सरकार जांच कराकर इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री नारायन दत्त—

दिनांक 15/16 मार्च, 1985 की घटना के सम्बन्ध में वादी की लिखित सूचना पर थाने पर मु० अ० सं० 31/85 धारा 457/380 भा० दं० वि० कायम होकर विवेचना जारी है । जांच से घटना चोरी की पाई गई । दिनांक 19/20 मार्च, 1985 की घटना के सम्बन्ध में अभियोग दर्ज न करने की जांच की जा रही है । दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध जांचोपरान्त कार्यवाही की जायगी । दिनांक 21/22 मार्च, 1985 की घटना के सम्बन्ध में विवेचना के दौरान अपराध 147/148/149/307 भा० दं० वि० के हद तक ही पाया गया । शेष का फिलहाल प्रश्न नहीं उठता है ।

दि गणेश शुगर मिल्स लि०, आनन्दनगर, गोरखपुर द्वारा आपूर्ति किये गये गन्ने के मूल्य का भुगतान

56—श्री हर्षवर्धन—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, गोरखपुर ने वर्ष 1983–84 के पिराई सत्र हेतु गणेश शुगर मिल्स लि०, आनन्दनगर, गोरखपुर को यह निर्देशित किया था कि चीनी बन्धक रखकर बैंक से प्राप्त धन का 80 प्रतिशत धन गन्ना मूल्य भुगतान मिल उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो उक्त निर्देश का अनुपालन मिल ने किया ? यदि नहीं किया, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

जिलाधिकारी, गोरखपुर ने वर्ष 1983–84 के पेराई सत्र हेतु वि गणेश शुगर मिल्स लि०, आनन्दनगर को बैंकर्स से प्राप्त होने वाली अग्रिम धनराशि का 85 प्रतिशत गन्ना मूल्य हेतु निर्देशित किया । उक्त आदेश का अनुपालन सम्बन्धित बैंक ने सुनिश्चित नहीं किया फिर भी वर्ष 1983–84 में आपूर्ति किये गये गन्ने का समस्त मूल्य (गन्ना समिति सिसवाबाजार के 1.91 लाख रुपया को छोड़कर जो चीनी मिल तथा गन्ना समिति सिसवाबाजार के बीच विवादग्रस्त है) का भुगतान कर दिया गया है ।

57—श्री काशी सिंह एरी—

[3रे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पर्वतीय जनपदों को विश्व बैंक से पर्यावरण हेतु प्राप्त धनराशि

58---श्री काशी सिंह ऐरी---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 8 पर्वतीय जनपदों को विश्व बैंक से पर्यावरण हेतु दिनांक 20-10-84 तक क्रमशः कितना धन प्राप्त हुआ है ? उसका उपयोग क्रमशः किन-किन मदों पर कितना-कितना किया गया ?

श्री नारायन दत्त---

जी हां, केवल एक जिला पौड़ी-गढ़वाल के मछलाड एवं श्रीनगर, उप-जलागमों को विश्व बैंक से पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थिति की संतुलन हेतु 31-10-84 तक के लिए 25,16,000 रु0 अभी तक प्राप्त हुआ है । व्ययित कुल राशियों का मदवार विवरण निम्नवत् है---

मद	व्ययित राशि	विश्व बैंक से क्लेम की गई कुल दावा-राशि
1	2	3
	रु0	रु0
1--वाहन/मशीन	11,01,509	10,70,659
2--निर्माण कार्य/भवन आदि	93,00,285	65,10,200
3--वानिकी	22,35,815	17,79,625
4---उद्यान	58,898	47,118
5--कृषि	47,793	39,127
6--भूमि संरक्षण	1,41,689	91,454
7---पशुपालन,	2,54,261	1,85,980
8--लघु सिंचाई	1,00,800	70,560
9--क्रियान्वयन व्यय	5,21,015	1,86,079
योग ..	1,37,62,065	99,80,802

विश्व बैंक से क्लेम की गई कुल दावा-राशि के विपरीत ही उपरोक्त धन प्राप्त है ।

श्री बालादत्त, थाना रामनगर, नैनीताल की हत्या तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट

59—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है कि दि0 16-6-84 को श्री बालादत्त (थाना रामनगर, नैनीताल) की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गला घोंट कर हत्या कर ग्राम बौरसाड़ (तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल) के उनके ईख के खेत में लाश डाल दी गई थी ? यदि हां, तो इस विषय में किन-किन अपराधियों को किन-किन धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है ? क्या सरकार मामले के पृष्ठभूमि की विस्तृत निष्पक्ष जांच कराने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 17-6-84 को श्री शीशपाल सिंह, निवासी ग्राम थारो, थाना रामनगर, जनपद नैनीताल के ईख के खेत में एक शव पाया गया । पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गला घोंट कर दम घुटने से मृत्यु होना पाया गया । विवेचना से यह शव मृतक बालादत्त पुत्र खेमानन्द, निवासी पोपलसाना (मूल निवासी किचार, तल्ला चोकोट, तहसील रानीखेत) अल्मोड़ा का होना पाया गया ।

इस सम्बन्ध में अभियुक्त गुरुबीत पुत्र मेहर सिंह, निवासी ग्राम पीपलसाना, थाना रामनगर को भारतीय दण्ड विधान की धारा 302/201 तथा अभियुक्त मानसिंह पुत्र हट्टी सिंह, निवासी ग्राम रजपुरा छोटा, थाना रामनगर को भारतीय दण्ड विधान की धारा 201 के अन्तर्गत गिरफ्तार करके आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया । मामला न्यायालय के समक्ष है । अन्य किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर द्वारा जल तथा अन्य भूगर्भीय सम्पदाओं की खोज हेतु योजना

60—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि "रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा एरियल फोटो पद्धति" से जल तथा अन्य भूगर्भीय सम्पदाओं का पता लगाना कम खर्च की आश्वस्त प्रक्रिया है ? यदि हां, तो उत्तराखंड (8 पर्वतीय जनपदों) के पानी के अभावग्रस्त क्षेत्रों में जल की खोज हेतु इस पद्धति के उपयोग के लिए कौन-कौन सी योजनायें राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को प्रयोग हेतु भेजी हैं ? कौन-कौन स्वीकृत हुई हैं ? यदि योजनायें नहीं बनाई गई तो क्यों ? ये योजनाएं अब कब तक बना ली जायेंगी ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्नगत पद्धति कम खर्च की आश्वस्त प्रक्रिया है अथवा नहीं, इन पर रिपोर्ट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर ही प्रकाश डाल सकेगा ।

इस पद्धति के उपयोग हेतु कोई योजना केन्द्र सरकार को नहीं भेजी गई है ।

देहरादून में नलकूपों के सम्बन्ध में इस सेन्टर से राय मांगी गई थी लेकिन वे सर्वेक्षण के लिए सहमत नहीं हुए ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व नैनीताल में प्रस्तावित नए पालिटेक्निक संस्थान

61—श्री पूरन सिंह—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व नैनीताल में कितने नए पालिटेक्निक संस्थान प्रस्तावित हैं तथा

किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे और कब से अपना कार्य प्रारम्भ कर देंगे ?

श्री नारायन दत्त--

वर्ष 1985-86 में नैनीताल जिले में शक्ति फार्म में एक पालीटेक्निक तथा रूरल पालिटेक्निक क्रमशः हल्द्वानी, रुद्रपुर तथा खटीमा में खोलने का प्रस्ताव है। अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जनपद के मुख्यालय पर भी एक-एक रूरल पालीटेक्निक खोलने का प्रस्ताव है। इन सभी संस्थाओं के संबंध में विस्तृत विवरण प्राप्त होने पर शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम नरेश, हरिजन ग्राम अकोरी, बाराबंकी द्वारा चोरी की दर्ज रिपोर्ट

62--श्री राम सागर--

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री राम नरेश, हरिजन ग्राम अकोहरी, थाना असन्द्रा, बाराबंकी द्वारा अन्त्योदय योजना में खरीदा गया घोड़ी खड़खड़ा चोरी चला गया, जिसकी रपट उक्त हरिजन थाने लिखाने गया लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई ? जब हरिजन को चोरी गए सामान का पता चला तो पुलिस सामान को थाने तक लाई और पैसा लेकर दो दिन बाद बजाय हरिजन के चोरी करने वाले को ही सौंप दिया है ? यदि हां, तो इसकी शिकायत हरिजन ने दिनांक 6-2-85 को माननीय गृह मन्त्री, डी0 आई0 जी0, विशेष जांच पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी, हरिजन अधिकारी, बाराबंकी को भेजा है ? यदि हां, तो अब तक उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

डी0 जी0 सी0 क्रिमिनल फैजाबाद श्री हरिहर प्रसाद दूबे के विरुद्ध शिकायती-पत्र

63--श्री मित्रसेन--

क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र एल0 आर0 श्री लुम्बा, कानूनी सलाहकार, उ0 प्र0 की दिनांक 14 मई, 1984 तथा मन्त्री, न्याय विभाग दिनांक 12 जून, 1984 को डी0 जी0 सी0, क्रिमिनल फैजाबाद श्री हरिहर प्रसाद दुबे के विरुद्ध प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायतों के बावजूद भी उनकी सेवा अवधि में वृद्धि किए जाने का क्या कारण है ?

न्याय राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

श्री हरिहर प्रसाद दुबे, जिला शासकीय अभिवक्ता (फौजदारी), फैजाबाद के कार्यकाल में वृद्धि जिलाधिकारी व जिला जज की संस्तुति पर की गई थी। श्री दुबे के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र प्राप्त हुए जो एक ही पत्र की दो प्रतियां हैं। शिकायतों पर जांच करवायी गई और जांच आख्या में कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होता।

टाउन एरिया दिलदारनगर, गाजीपुर के कर्मचारियों की भविष्य निधि की बकाया धनराशि

64--श्री मित्रसेन--

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया दिलदारनगर, गाजीपुर के कर्मचारियों का कितना भविष्य निधि का पैसा बकाया है, जो उनके भविष्य निधि खाते में जमा नहीं है ? क्या सरकार उनके भविष्य निधि भुगतान के साथ ब्याज के भुगतान के लिए अनुदान देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जो हां, टाउन एरिया कमेटी, दिलदार नगर के कर्मचारियों का भविष्य निधि का अक्टूबर, 1981 से मार्च, 1983 तक की अवधि का 31,000 रुपया बकाया है, जो उनके भविष्य निधि खाते में जमा नहीं हुआ है । कर्मचारियों के वेतन व भविष्य निधि के अंशदान के भुगतान का उत्तरदायित्व सम्बन्धित स्थानीय निकाय का है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर के विभिन्न क्षेत्रों में भूखंडों/भवनों का पंजीकरण

65--श्री मित्रसेन--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विगत जून, 1983 में लखनऊ विकास प्राधिकरण के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर के विभिन्न क्षेत्रों में भूखंडों/भवनों के जो पंजीकरण कराए गए थे, उनका आवंटन हो गया है तथा क्या कोई एसी भी योजना तैयार की गई है कि लखनऊ के भीतरी भाग एवं गोमती नगर स्कीम के लिए पूर्व पंजीकृत नम्बरों का आवंटन उक्त स्थानों के लिए न करके लखनऊ के बाहरी भागों के लिए किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

विगत जून, 1983 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर के विभिन्न क्षेत्रों में 12001 व्यक्तियों का भूखन्डों हेतु तथा 2809 व्यक्तियों का भवनों के लिये पंजीकरण कराया था जिसमें कुल 1522 व्यक्तियों को भूखन्ड तथा 1415 व्यक्तियों को भवनों का आवंटन किया गया है । लखनऊ के भीतरी भागों एवं गोमती नगर स्कीम में जो अभ्यर्थी पंजीकृत थे, उनमें से जो व्यक्ति सहमत थे, उन्हें कानपुर रोड, सीतापुर रोड योजना में भवन आवंटित किये गये हैं । भीतरी भाग में चूंकि मोर्तशील में ही भूमि उपलब्ध हो सकी इसलिए वहां केवल 111 व्यक्तियों को भवन और 61 व्यक्तियों को भूखन्ड आवंटित किये गये हैं । अवशेष अभ्यर्थियों हेतु भवन एवं भूखन्ड शहर के भीतरी भाग में जमीन की अनुपलब्धता के कारण नहीं बनाये जा सके इसलिए शेष अभ्यर्थियों को आवंटित नहीं किये जा सके ।

राजकीय निर्माण निगम में स्टोरकीपर को परचेजिंग कमेटी का सदस्य बनाए जाने का औचित्य

66--श्री मित्रसेन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम में स्टोरकीपर को परचेजिंग कमेटी का सदस्य बनाए जाने का कारण एवं औचित्य क्या है ? क्या यह भी सत्य है कि उ० प्र० के किसी निगम अथवा परिषद् आदि का किसी निर्माण इकाई में इस प्रकार का कोई प्रविधान नहीं है ? यदि हां, तो समान कार्य करने वाले निर्माण इकाइयों में दोहरी नीति एवं मानक के क्या कारण हैं ?

श्री नारायन दत्त--

परचेज कमेटी के गठन का प्राविधान राजकीय निर्माण निगम के वर्किंग मैनुअल के पैरा 97 में किया गया है जिसमें स्टोरकीपर को परचेज कमेटी का सदस्य बनाये जाने की व्यवस्था नहीं है । अतः स्टोरकीपर को परचेज कमेटी का सदस्य बनाये जाने के कारण एवं औचित्य का प्रश्न नहीं उठता है । प्रदेश के अन्य विभागों के निगमों एवं परिषदों के सम्बन्ध में इस मामले की स्थिति क्या है, यह इस विभाग की जानकारी में नहीं है । अतः यह प्रश्न उठता है ।

श्री राम लखन कोरी, निवासी ग्राम पिचरी, थाना हैदरगढ़ के मकान पर कब्जा किये जाने का जांच

67--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री राम लखन कोरी, निवासी ग्राम पिचरी, थाना हैदरगढ़, जिला बाराबंकी के पुश्तैनी मकान पर उक्त ग्राम के ही निवासी श्री राम बहादुर सिंह द्वारा जबरिया कब्जा कर लिया गया है ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

इस सम्बन्ध में श्री राम लखन कोरी ने एक प्रार्थना-पत्र परगनाधिकारी हैदरगढ़ को दिया था, जिस पर जांच की गई मकान विवादग्रस्त भूमि पर बना होने के कारण 145 जा0 फौ0 की कार्यवाही की गई, जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

68--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त हरिजन द्वारा इस सम्पूर्ण मामले की रिपोर्ट वर्ष 1984 से अब तक दो बार सम्बन्धित थाने में लिखाई गयी है ? क्या सरकार इस सम्पूर्ण मामले की जांच हरिजन सेल के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायन दत्त --

श्री राम लखन कोरी द्वारा स्थानीय थाने पर कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तानपुर जनपद में कार्यरत पुलिस इन्सपेक्टरों का कार्यकाल

69--श्री रमेश चन्द्र तथा श्री राम सागर--

क्या सरकार बतायेगी कि जनपद सुल्तानपुर म ऐसे कितने पुलिस इन्सपेक्टर हैं जो कि विगत 3 वर्ष या उससे अधिक समय से उक्त जनपद में ही कार्यरत हैं । क्या सरकार ऐसे सभी पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण तुरन्त जनपद सुल्तानपुर के बाहर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जनपद सुल्तानपुर में कोई भी पुलिस इन्सपेक्टर तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तानपुर शहर के किनारे निर्माणाधीन पुल में एक श्रमिक की मृत्यु

70--श्री अवधेश प्रसाद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर शहर के किनारे जो ब्रिज बन रहा है उसमें एक कर्मचारी की मौत अप्रैल माह में हुई है ? क्या उस दिन कर्मचारियों ने हड़ताल की ? यदि हां, तो मौत का क्या कारण था ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

जी नहीं ।

श्रमिक पुराने सेतु के पाया नम्बर 3 से घाट की ओर तैरकर जा रहा था और तभी भंवर में फंस जाने के कारण डूब गया ।

गोरखपुर नगर महापालिका के कर्मचारियों व नागरिकों को सुविधाएं

--श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि गोरखपुर नगरपालिका को नगर महापालिका घोषित किए जाने के एक वर्ष बाद भी वहां के कर्मचारियों तथा नागरिकों

को महापालिका के समान सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? कब तक यह सुविधायें मिलेंगी ?

श्री नारायन दत्त--

वास्तव में स्थिति यह है कि महापालिका द्वारा अपने संसाधनों के अनुसार नागरिक सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

गोरखपुर नगर महापालिका में सम्मिलित हुए ग्रामों की विकास योजनाएं

72--श्री त्रियुगी नारायन मिश्र--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका होने की स्थिति में ब्लाक के लगभग 54 ग्राम सभाएं महापालिका में सम्मिलित की जा चुकी हैं ? फलतः एक ओर उन्हें क्षेत्र समितियों से प्राप्त होने वाली विकास योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है और दूसरी ओर नगर महापालिका की ओर से किसी विकास योजना को सम्मिलित न करने के कारण वे सभी गांव अधर में लटक रहे हैं।

श्री नारायन दत्त--

केवल 47 गांव सम्मिलित किए गए हैं।

जो क्षेत्र अहं हैं उनमें मलिन वस्त सुधार योजना लागू की गई है।

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के प्रधानाचार्य एवं अन्य व्यक्तियों की जांच के लिए गठित जांच समिति की रिपोर्ट

73--श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कतिपय गम्भीर शिकायतों की जांच हेतु 1984 में समिति का गठन किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री उक्त जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां। परन्तु जो जांच समिति गठित की गई थी वह केवल कालेज के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए नहीं बल्कि वहां के मेकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए भी गठित की गयी थी।

उक्त समिति ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर की प्रशासकीय परिषद् में तीन गैर सरकारी सदस्यों की सदस्यता तथा अध्यक्ष का नामित किया जाना

74--श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर की प्रशासकीय परिषद् से तीन गैर सरकारी सदस्यों की सदस्यता किन परिस्थितियों में समय से पूर्व ही नवम्बर, 1984 में शासन द्वारा समाप्त कर दी गयी एवं परिषद् में बिना किसी गैर सरकारी सदस्य के नामांकन के क्या परिषद् की जनवरी, 1985 की 52 वीं की बैठक वैध थी ?

श्री नारायन दत्त--

जिन तीन गैर सरकारी सदस्यों की सदस्यता शासन द्वारा समाप्त की गई उनकी नियुक्ति किन्हीं अन्य सदस्यों की रिक्ति में हुई थी अतः नियमानुसार वे उन सदस्यों की शेष अवधि में ही

सदस्य रह सकते थे परन्तु भूल से उनके नियुक्ति आदेशों में 3 वर्ष लिखा गया था ।

उक्त कालेज की प्रशासकीय परिषद् की दिनांक 24-1-85 की बैठक वैध थी क्योंकि उक्त संस्था के सोसायटी रूल सं0 4(2)(11) के अनुसार प्रशासकीय परिषद् की कार्यवाही केवल इस कारण से अवैध नहीं मानी जायेगी कि परिषद् मे कोई रिक्ति रह गई है ।

75--श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज सोसायटी, गोरखपुर की नियमावली के अनुसार माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा उक्त संस्था हेतु कोई व्यक्ति अध्यक्ष पद हेतु नामित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सहा है कि वर्तमान में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन किन परिस्थितियों में उक्त संस्था के अध्यक्ष पद पर आसीन है ?

श्री नारायन दत्त--

जो हां । उक्त कालेज के सोसायटी रूल सं0 4(2)1 के अनुसार प्रशासकीय परिषद् के अध्यक्ष मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश अथवा उनके अनुमोदन से नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति होता है । मुख्य मंत्री जी ने मुख्य सचिव को उक्त संस्था की प्रशासकीय परिषद् के अध्यक्ष पद हेतु नामित किया है । अतः वे अध्यक्ष का पद ग्रहण किये हुए हैं ।

उत्तर प्रदेश उपाय निगम लि0, की बैलेंस शीट

76--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में एक सरकारी उपाय निगम लि0 है और प्रदेश के मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष हैं ? यदि हां, तो कितने रुपये की पूंजी से इस निगम को कब गठित किया गया था और अब तक इसकी क्या उपलब्धियां रही हैं ? इसका सालाना बजट कितने रूपये का है तथा क्या इसकी बैलेंस शीट तैयार की गयी है ? यदि हां, तो कब से कब तक की तैयार हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक तैयार हो जायगी ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां, उपाय लिमिटेड का गठन 28 अप्रैल, 1977 को किया गया था जिसमें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अभी तक केवल 15.00 लाख रु0 अंशपूंजी के रूप में लगाये गये हैं । निगम द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कारोबार चालू नहीं किया गया है और परिणाम-स्वरुप इसका कोई वार्षिक बजट नहीं बनता है । निगम की बैलेंसशीट नियमानुसार वर्ष 1977-78 से 1983-84 तक तैयार की गयी है ।

जल संस्थान, भेलूपुर, वाराणसी में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण

77--श्री मैनेजर सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जल संस्थान भेलूपुर, वाराणसी में कार्यरत दैनिक वेतन क्रम में नियुक्त लिपिक पद के 21 कर्मचारियों को कोई आवेदन-पत्र दिनांक 9 मई, 1985 को अध्यक्ष/महाप्रबन्धक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

जल संस्थान द्वारा ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जिनकी सेवावधि तीन वर्षों से अधिक हो चुकी है, के नियमितीकरण की कार्यवाही की जा रही है ।

वाराणसी के मडुवाडीह थाने में पंजीकृत अभियोग एवं कृत कार्यवाही

78--हरिश्चन्द्र हरीश जी--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी महानगर स्थित मडुवाडीह थाने में वर्ष 1984-85 में कितनी रिपोर्ट दर्ज की गयी ? इनमें से कितनों पर अभियोग पत्र दाखिल किए गये तथा कितने के प्रति अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी ?

श्री नारायन दत्त--

प्राप्त सूचनानुसार मडुवाडीह थाने में वर्ष 1984-85 में कुल 193 अभियोग पंजीकृत किए गए जिनमें से 111 अभियोगों में आरोप-पत्र भेजे गए तथा 64 में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गई ।

बस्ती जनपद के ग्राम बभनी में फाजिहतवा नाला पर निर्मित पुल को जोड़ने वाली सड़क के लिए भूमि की अध्याप्ति

79--श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांसी तहसील के तप्पा हाटा के ग्राम बभनी में फजिहतवा नाला पर जो पुल बन रहा है उसको जोड़ने वाली सड़क में ग्राम की कितनी जमीन अध्याप्त की गयी है ? क्या उस भूमि का मुआवजा भूस्वामियों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान कर दिया जायगा ?

श्री नारायन दत्त--

जनपद बस्ती में बांसी तहसील के तप्पा हाटा के ग्राम बभनी में फजिहतवा नाला पर जो पुल बना है उसको जोड़ने वाली सड़क के लिए अभी कोई भूमि अध्याप्त नहीं की गयी है । उक्त प्रयोजनार्थ 2·84 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने का प्रस्ताव है । जो भी भूमि अध्याप्त की जायगी उसके प्रतिकर का नियमानुसार भुगतान, यथासमय, सुनिश्चित किया जायगा ।

वाराणसी जनपद के थाना फूलपुर के एस0 आई0 शिवचरन तिवारी द्वारा श्री राजकुमार की कथित पिटाई के आरोप पर कार्यवाही

80--मित्रसेन--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 27-3-85 को राजकुमार पुत्र शिवमूरत यादव कठिरांव, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी को अकारण थाना फूलपुर, जिला वाराणसी के एस0 आई0 शिव चरन तिवारी ने बुरी तरह से मारा जिसकी दरख्वास्त उसकी मां सुमित्रा ने 28-3-85 को एम0 पी0 देहात का भू0 पू0 स0 विधान सभा ऊदल के पत्र के साथ दिया ? क्या यह सही है कि 29-3-85 को राजकुमार का मेडिकल जांच सरकारी डाक्टर पी0 एच0 सी0 पिंडरा, वाराणसी ने किया है ? क्या सरकार उक्त प्रार्थना-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र की जांच से राजकुमार को मारने-पीटने का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ । 28-3-85 के प्रार्थना-पत्र की प्रति संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 170 पर ।)

81--श्री मित्रसेन--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ ता0 1-4-85 को सुमित्रा पत्नी शिवमूरत यादव, कठिरांव, थाना फूलपुर, वाराणसी ने डी0 आई0 जी0, वाराणसी रेंज व एस0 पी0, देहात को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

मामले की जांच से प्रार्थना-पत्र में लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

गोरखपुर निवासी श्री संकटा प्रसाद यादव का प्रार्थना-पत्र

82--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री संकठा प्रसाद यादव, निवासी पुराना गोरखपुर का एक शिकायती-पत्र 8-4-85 का प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शिकायत क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वन निगम के फरेंदा डिपो गोरखपुर से लकड़ी की बिक्री तथा जारी अभिवहन परमिट

83--श्री हर्षवर्धन--

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1-7-84 तथा 31-3-85 के मध्य में वन निगम के फरेंदा डिपो गोरखपुर से कितनी लकड़ी का विक्रय हुआ ? क्या इस लकड़ी की मात्रा के बराबर अभिवहन परमिट फरेंदा के वन राजि अधिकारी कार्यालय से जारी हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

1 जुलाई, 1984 से 31 मार्च, 1985 के मध्य में वन निगम के फरेन्दा डिपो गोरखपुर से 4823.144 घनमी0 गोल प्रकोष्ठ तथा 7273.500 घनमी0 जलौनी लकड़ी का विक्रय हुआ । उक्त अवधि में फरेन्दा वन निगम डिपो, गोरखपुर से 5232.735 घनमी0 गोल लकड़ी और 6354.000 घनमी0 जलौनी लकड़ी की निकासी हुयी जिसमें कुछ लकड़ी पहले बिक्री की भी शामिल है । इनमें से 3051.953 घनमी0 गोल लकड़ी तथा 5097.500 घनमी0 जलौनी लकड़ी का अभिवहन परमिट राजि अधिकारी, फरेन्दा द्वारा जारी किया गया था । शेष 2180.782 घनमी0 गोल लकड़ी तथा 1256.500 घनमी0 जलौनी लकड़ी वन निगम के एक डिपो से दूसरे डिपो में ले जाने, फरेन्दा रेंज के बैरियर से न निकलने तथा फरेन्दा डिपो से फरेन्दा कस्बे में ले जाने के कारण राजि अधिकारी, फरेन्दा द्वारा अभिवहन परमिट जारी किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

थानाध्यक्ष, बृजमनगंज, गोरखपुर को उच्च अधिकारियों द्वारा भेजे गए मामलों का निस्तारण

84--श्री हर्षवर्धन--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में 1-10-84 से 31-3-85 के मध्य ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी, फरेन्दा के स्तर से कितने मामले जांच हेतु थानाध्यक्ष, बृजमनगंज, गोरखपुर को भेजे गए और उनमें से कितने मामलों का निस्तारण उक्त अवधि में हुआ ?

श्री नारायन दत्त--

प्रश्नगत अवधि में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 8, पुलिस अधीक्षक

(ग्रामीण) द्वारा 3 तथा क्षेत्राधिकारी फरेन्दा द्वारा 27 मामले जांच हेतु थानाध्यक्ष ब्रजमनगंज, गोरखपुर को भेजे गये । उक्त अवधि मे ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 4, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) द्वारा 3 तथा क्षेत्राधिकारी फरेन्दा द्वारा भेजे गये 16 मामलों का निस्तारण किया गया ।

गन्ना विकास विभाग में गन्ना ग्राम सेवकों तथा गन्ना पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति

85—श्री विष्णुदेव—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास विभाग में राजकीय वेतन भोगी गन्ना ग्राम सेवकों एवं गन्ना पर्यवेक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? किन परिस्थितियों में रिक्तियों की पूर्ति नहीं की जा रही है ? क्या निकट भविष्य में उसकी पूर्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायन दत्त—

गन्ना विकास विभाग में राजकीय वेतन भोगी गन्ना ग्राम सेवकों के 77 एवं गन्ना पर्यवेक्षकों के 273 पद रिक्त हैं । प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता की नीति के कारण उपरोक्त पद भरे नहीं जा सके थे । सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त इन रिक्तियों को आवश्यकतानुसार भरने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

अग्रवाल फर्टिलाइजर एजेंसी मंगारी, जिला वाराणसी द्वारा सेल्स टैक्स की अदायगी

86—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह तथा श्री राम सजीवन—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अग्रवाल फर्टिलाइजर एजेंसी मंगारी, पो० बावतपुर, जिला वाराणसी ने सन् 1983–84 व 1984–85 का सेल्स टैक्स अदा किया है ? क्या सरकार दोनों वर्षों की जांच करायेगी कि कितन टन हर किस्म का फर्टिलाइजर इस एजेंसी के यहां कहां–कहां से आया और इसके यहां कितना बिका ? क्या यह भी सही है कि सेल्स टैक्स पर भी अतिरिक्त पांच फीसदी इस कम्पनी ने टैक्स लिया है ? यदि हां, तो पूरा सेल्स टैक्स का रुपया जमा न करने का कारण क्या है ? क्या सरकार पूरी छानबीन कराने की कृपा करेगी ?

श्री नारायन दत्त—

(क) जी हां ।

(ख) बिना किसी यथेष्ठ कारण के ऐसी जांच नहीं करायी जाती ।

(ग) जी हां ।

(घ) वर्ष 1983–84 व 1984–85 के लिए व्यापारी ने घोषित विक्रय धन पर सम्पूर्ण देय कर व उस पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त बिक्री कर जमा किया है ।

(ङ०) प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी जनपद के चिनहट जैदपुर मार्ग तथा सुढ़ियामऊ सूरत–गंज मार्ग का निर्माण

87—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद की चिनहट जैदपुर रोड पिछले कितने वर्षों से निर्माणाधीन है ? क्या यह सही है कि इस सड़क के अधिकांश हिस्से पर अभी गिट्टी भी नहीं पड़ पाई है और कहीं–कहीं गिट्टी सड़क पर ऐसे ही डाल दी गयी है और कुटाई नहीं हुई है ? यह सड़क कब तक पूरी किए जाने की योजना है ?

श्री नारायन दत्त—

चिनहट जैदपुर मार्ग, बाराबंकी जनपद में निर्माणाधीन नहीं है क्योंकि उस पर स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं ।

21.94 किमी0 की कुल लम्बाई में से 13.72 किमी0 पर गिट्टी नहीं डाली गयी है क्योंकि गिट्टी का कार्य स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

88--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बाराबंकी का सुढ़िया-मऊ सूरतगंज मार्ग पिछले कई वर्षों से निर्माणाधीन है तथा ग्राम तेलवांय व महमूदपुर के निकट नालों पर पुलों के निर्माण के अभाव में सूरतगंज से सुढ़िया-मऊ तक वाहनों का आ पाना असम्भव बना हुआ है ? इस मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्णतया पूरा हो जाने का लक्ष्य है ?

श्री नारायन दत्त--

यह मार्ग अब निर्माणाधीन नहीं है । इस पर निम्नलिखित कार्य किये जाने थे जो पूर्ण हो चुके हैं :

1--किमी0 1 से 3--लेपन स्तर तक ।

2--किमी0 4 से 10.620 तक मिट्टी एवं पुलिया का कार्य और उसमें से 5 किमी0 पर खड़ंजा का कार्य ।

3--तेलवांय व हबीबगंज के निकट नाले इन पर हयूम पाइप की पुलिया बना दी गयी हैं ।

सभी स्वीकृत कार्य पूर्ण हो चुके हैं ।

राजपत्रित अधिकारियों को भवन आवंटन में चिकित्सा के आधार पर प्राथमिकता दिये जाने का प्रश्न पर विचार

89--श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग में राजपत्रित अधिकारियों को चिकित्सा के आधार पर भवन के आवंटन में प्राथमिकता प्रदान करने के कितने मामले माह, अप्रैल, 1985 में विचाराधीन थे ? और उनमें से कितने अधिकारियों को अब तक भवन के आवंटन में प्राथमिकता प्रदान की जा चुकी है ?

श्री नारायन दत्त--

चिकित्सा के आधार प्राथमिकता पर भवन आवंटन हेतु माह अप्रैल, 1985 में 6 मामले विचाराधीन थे । उनमें से किसी को प्राथमिकता प्रदान करने का औचित्य नहीं पाया गया ।

90--श्री शफीकुर्रमान बर्क--

क्या मुख्य मंत्री प्रश्नगत विचाराधीन मामलों पर विचार करते हुए ऐसे समस्त अधिकारियों को राज्य सम्पत्ति विभाग की नीति के अनुसार भवन आवंटन में प्राथमिकता प्रदान करेंगे जिनके लिए चिकित्सकों ने संस्तुति की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायन दत्त--

यद्यपि चिकित्सकीय आधार पर अनिवार्यतः प्राथमिकता दिये जाने का आवंटन नियमों में कोई प्राविधान नहीं है किन्तु अतिविशेष परिस्थितियों में प्रत्येक मामले पर गुणावगुण के आधार पर विचार करके नियमों को शिथिल करके प्राथमिकता प्रदान किये जाने न किये जाने के बारे में निर्णय लिया जाता है । प्रश्नगत मामलों में कोई असाधारण परिस्थिति न होने से वर्णित कारण के अभाव में शिथिलीकरण का औचित्य नहीं पाया गया ।

91--श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

क्या मुख्य मंत्री उपरोक्त विचाराधीन मामलों की पत्रावली सं0 4 (86) 83 पर कार्यालय एवं अन्य अधिकारियों द्वारा की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्नगत मामलों में कृत कार्यवाही का उल्लेख ऊपर प्रश्न सं0 90 के उत्तर में कर दिया गया है ।

सिविल पुलिस तथा अभिसूचना विभाग के कांसटेबिलों के मकान किराय भत्ता तथा वर्दी भत्ता में असमानता

92—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिविल पुलिस के सिपाहियों को मकान किराया भत्ता जो पूर्व में 35 से 40 रुपया प्रति माह था, को बढ़ाकर रु0 90 कर दिया गया है ? यदि हां, तो अभिसूचना विभाग के सिपाहियों के किराया भत्ते को 75 रुपए प्रति माह रखने का क्या कारण है तथा इसी प्रकार वर्दी में असमानता का क्या कारण है ?

श्री नारायन दत—

सिविल पुलिस के कांसटेबिलों को मकान किराया भत्ता जो पूर्व में 35 रु0 से 40 प्रतिमाह दिया जाता था उसे वर्ष 1981 से वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर बढ़ा कर वर्तमान में रु0 75 से 90 रु0 प्रतिमाह तक कर दिया गया है । अभिसूचना विभाग के कान्सटेबिलों को वर्तमान में नियत मकान किराया भत्ता 75 प्रतिमाह अनुमन्य है ।

सिविल पुलिस के कांसटेबिलों को निःशुल्क वर्दी प्रदत्त की जाती है और अभिसूचना विभाग के कांसटेबिलों को कार्य प्रकृति में अन्तर होने के कारण रु0 10 प्रति माह वर्दी भत्ता दिया जाता है । अभिसूचना विभाग के कांसटेबिलों को 40 रु0 प्रतिमाह विशेष सेवा भत्ता एवं 10 रु0 प्रतिमास विशेष वेतन भी मिलता है जो सिविल पुलिस के सिपाहियों को नहीं मिलता ।

असमानता का कारण दोनों अंगों के कांसटेबिलों के कार्य प्रकृति में अन्तर है ।

लखनऊ मन्डल में व्यवहारिक प्रशिक्षण के मध्य कतिपय रिकरूट कांसटेबिलों का कथित स्थानान्तरण

93—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 22 फरवरी, 1978 से प्रारम्भ व्यवहारिक रिकरूट कान्सटेबिल, लखनऊ मन्डल प्रशिक्षण जो कि अगस्त, 78 में समाप्त होना था उस प्रशिक्षण के पूर्ण होने के बीच में ह. कुछ रंगरूटों (श्री शब्बीर अहमद खां, का0 नं0 116-ए0 पी0 आदि) का स्थानान्तरण सशस्त्र पुलिस में कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह स्थानान्तरण शासनादेश संख्या 161/आठ-10-10/2/77, दिनांक 12-7-77 जो पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पत्र संख्या दस-156/76, दिनांक 11-7-78 द्वारा निर्गत किया गया है, के विरुद्ध नहीं है ?

श्री नारायन दत—

दिनांक 22 फरवरी, 1978 से प्रारम्भ व्यवहारिक प्रशिक्षण, जो कि अगस्त, 78 को समाप्त होना था, के बीच में ही लखनऊ मन्डल के कुछ रिकरूट कान्सटेबिलान (शब्बीर अहमद खां, कान्स्टेबिल नम्बर 116 ए0 पी0 आदि) का स्थानान्तरण सशस्त्र पुलिस में नहीं किया गया । प्रश्न नहीं उठता ।

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित वादों की संख्या

94—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (लखनऊ खंड पीठ मिला कर) में दिनांक 31 मार्च, 85 को कितने मुकदमे विचाराधीन थे ?

श्री नारायन दत्त--

दिनांक 21 मार्च, 1985 को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लखनऊ खंड पीठ को सम्मिलित करते हुए लम्बित वादों की कुल संख्या 1.34,201 थी ।

नैनीताल जनपद के किच्छा शुगर फैक्ट्री किच्छा तथा सिन्चूरी पल्प एन्ड पेपर मिल, लाल-कुंआ के उत्प्रवाह से प्रदूषण तथा उसको रोकथाम के निदेश

95--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या पर्यावरण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि किच्छा शुगर फैक्ट्री, किच्छा, जिला नैनीताल का गन्दा पानी बिना साफ किए किच्छा स्थित पड़ा कैनाल में गिराया जाता है जिससे गन्दगी रहती तथा गन्दा पानी पीने तथा सिंचाई के काम में आने से पशुओं तथा फसल को क्षति पहुंचती है ? यदि हां, तो इसकी रोक थाम के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायन दत्त—

किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड किच्छा नैनीताल का उत्प्रवाह बिना किसी शुद्धिकरण के नहर में निस्तारित किया जाता है जिससे नहर का जल प्रदूषित होता है जो पशुओं एवं वनस्पति के लिये हानिकारक है । बोर्ड द्वारा उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु उक्त उद्योग से प्राप्त सहमति आवेदन-पत्र अस्वीकार किया गया है । उद्योग के निदेश दिये गये हैं कि शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना के लिये वे समबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करें ।

96—श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या पर्यावरण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सिन्चुरी पल्प ऐन्ड पेपर मिल लालकुआं, जिला नैनीताल का गन्दा पानी बिना सफाई किये गोला नदी में डाला जाता है, जो यहां कैनाल में जाता है जिससे पशुओं एवं कृषि कार्य की सिंचाई के कारण बड़ी क्षति होती है ? यदि हां, तो उसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायन दत्त--

मेसर्स सेन्चूरी पल्प एन्ड पेपर मिल लालकुआं के पास उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु क्लेरीफायर एनोरोबिक लैगून, वायोलोजिक रिएक्टर तथा सेन्डरी क्लेरीफायर उपलब्ध है जिनका उपयोग किया जा रहा है । उत्प्रवाह का निस्तारण नाले के माध्यम से गोला नदी को किया जाता है । उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा इस उद्योग को उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि वह उपरोक्त वर्णित शुद्धिकरण व्यवस्था के अतिरिक्त कूलिंग बेड्स का निर्माण तीन माह के अन्दर तथा शुद्धीकरण संयत्र का रख रखाव निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करें । वर्तमान समय में पशुओं को एवं कृषि कार्य को क्षति होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है । इस उद्योग का समय समय पर निरीक्षण कर प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि प्रदूषण की समस्या पर पूर्ण नियन्त्रण रहे ।

रामपुर जनपद में बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी के विरुद्ध प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज की जांच

97--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20-3-85 को विलासपुर, जिला रामपुर में बिजली आपूर्ति की गड़बड़ी के विरुद्ध धरना देते हुए शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा निर्मम लाठी चार्ज किया गया तथा

गोली वर्षा हुई ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है तथा दोषी पुलिसजनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नरायन दत्त--

प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में मैजिस्ट्रीरियल जांच की जा रही है । अतएव जांच के परिणाम ज्ञात होने के पूर्व पुलिसजनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

नगरपालिका, सीतापुर क्षेत्र के भीतर नालों का निर्माण

98--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका, सीतापुर क्षेत्र के भीतर कोई नाला बनाने का कार्य जल निगम के तत्कालीन सब डिवीजन शाहजहांपुर (1977) को सौंपा गया था ? यदि हां, तो नाला कब तक बनना था ? अब उसकी प्रगति क्या है तथा नाला कौन बना रहा है ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर जिले में मिश्रिख स्थित महर्षि दधीचि की निर्वाणस्थली के जीर्णोद्धार की योजना

99--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले में नीमसार की तरह मिश्रिख स्थित महर्षि दधीचि की निर्वाणस्थली के जीर्णोद्धार की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री गुलाब सिंह--

जी हां ।

जनपद सीतापुर में महर्षि दधीचि की निर्माणस्थली मिश्रिख के विकास की योजना के अन्तर्गत कुण्ड के चारों ओर सीढ़ियों का जीर्णोद्धार, कुन्ड की सफाई का व्यवस्था एवं सार्वजनिक सुविधाओं का उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ।

थाना शिवरतनगंज, जनपद रायबरेली स्थित ग्राम बतिया में नवाब अली खां की निर्मम हत्या

100--श्री फजलुलबारी--

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि दिनांक 16 अप्रैल, 1977 को थाना शिवरतनगंज, जनपद रायबरेली स्थित ग्राम बतिया में नवाब अली खां की निर्मम हत्या कर दी गयी थी, जिसकी नामजद रिपोर्ट अपराध संख्या 53/77 के तहत थाना शिवरतनगंज में चौकीदार द्वारा तथा थाना कोतवाली, रायबरेली में इश्तियाक अहमद के द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त अपराध में पुलिस ने कितने अभियुक्तों पर चार्ज-शीट लगाकर मुकदमा चलाया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

दिनांक 16-4-77 की घटना जिसमें श्री नवाब अली खां की हत्या का होना बतलाया जाता है, ग्राम चौकीदार अहोरबादीन की सूचना पर दिनांक 18-4-77 को थाना शिवरतनगंज में रहमान खां एवं अन्य 15 अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना अंकित की गई । इसी घटना के विषय में दूसरी सूचना श्री इश्तियाक अहमद भ्राता मृतक द्वारा दिनांक 18-4-77 को ही थाना कोतवाली, रायबरेली में अंकित कराई गई ।

उपरोक्त अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक, श्री सूबेदार सिंह तत्कालीन थानाध्यक्ष शिवरतनगंज द्वारा सम्पन्न किया जाना अंकित है । थाना तथा पेशी क्षेत्राधिकारी महाराजगंज के अपराध रजिस्टरों में आरोप-पत्र ए-32 दिनांक 12-5-77 अंकित है । इनमें किसी अभियोग दैनिकी का प्रेषित किया जाना

अंकित नहीं है। अभियोग दैनिकी आरोप-पत्र सथ सम्बन्धित अभिलेखों के उपलब्ध नहीं है। अतः अब तक कोई अभियोग चलाया जाना नहीं पाया जाता है।

सम्बन्धित तत्कालीन अधिकारी एवं कर्मचारीगण का स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस पूरे मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है।

जनपद बाराबंकी के कस्बा रुदौली में नोटीफाइड एरिया को हटा कर नगरपालिका घोषित करने का प्रस्ताव

101—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के कस्बा रुदौली में नोटीफाइड एरिया को हटाकर नगरपालिका घोषित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो रुदौली नगरपालिका को विधिवत् घोषणा हो जाने की कब तक सम्भावना है ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां।

निर्णय यथाशीघ्र लिया जायेगा।

सहकारी चीनी मिलों के फ्री सेल कोटे के व्ययगत कोटे को विक्रय की गई चीनी की मात्रा, दर तथा सहकारी चीनी मिलों को फ्री सेल कोटा की चीनी विक्रय करने का अधिकार

102—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1984 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उत्तर के संदर्भ में क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल, 1982 से मार्च, 1983 तक प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों को प्रत्येक माह केन्द्र सरकार द्वारा प्रति माह रिलीज किये गये फ्री सेल के कोटे में से प्रत्येक माह कितना-कितना कोटा व्ययगत हुआ और व्ययगत कोटे की चीनी को कब और किस भाव पर बेचा गया ?

श्री नारायन दत्त—

माह अप्रैल, 1982 से मार्च, 1983 तक का माहवार व्ययगत कोटे का विवरण संलग्न है। व्ययगत कोटे को भारत सरकार द्वारा पुनः कब रिलीज किया गया इसका उल्लेख रिलीज आर्डर में नहीं होता है। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि इसकी बिक्री कब तथा किस भाव पर हुई।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 171 पर।)

103—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1984 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये ता0 प्र0 सं0 19 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल, 1982 से मार्च, 1983 तक सहकारी चीनी मिल संघ के दिल्ली स्थित कार्यालय ने प्रत्येक माह सहकारी चीनी मिलों की रिलीज कोटे की कितनी-कितनी चीनी बेची और उपरोक्त चीनी के लिये प्रतिमाह क्या औसत मूल्य प्राप्त किया ?

श्री नारायन दत्त—

सहकारी चीनी मिलों के रिलीज कोटा को दिल्ली कार्यालय द्वारा विक्रीयत चीनी की मात्रा तथा औसत मूल्य की दरें संलग्न† हैं।

104—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1984 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 19

†छापी नहीं गयी।

के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रचलित प्रणाली में तो चीनी मिलों को अपनी फ्री सेल कोटा की चीनी बेचने का अधिकार है परन्तु क्या प्रश्नगत समय में ऐसा अधिकार नहीं था ?

श्री नारायन दत्त--

सहकारी चीनी मिलों को अपनी फ्रीसेल कोटा की चीनी बेचने का अधिकार वर्ष 1984 में भी था और वर्तमान में भी है । वे इस चीनी की बिक्री भी स्वयं कर सकते हैं और दिल्ली स्थित विक्रय कार्यालय से भी करा सकते हैं ।

105--श्री जयदीप सिंह बरार--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1984 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये ता0 प्र0 सं0 19 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल, 1982 से लेकर मार्च, 1983 तक प्रतिमाह केन्द्र सरकार के आदेशानुसार प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों को कितनी फ्रीसेल कोटे की चीनी रिलीज की गयी और बिक्री न करने के कारण उपरोक्त कोटा में से प्रतिमाह कितना कोटा व्यपगत हुआ ? क्या मन्त्री जी को यह भी जानकारी है कि प्रश्नगत महीनों में चीनी के भाव निरन्तर गिरते चले गये और फलस्वरूप व्यपगत कोटा को बाद म बेचने के कारण सहकारी चीनी मिलों को करोड़ों की हानि हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

माह अप्रैल, 1982 से मार्च, 1983 तक केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों को 20,70,885 बोरा फ्रीसेल के लिए रिलीज हुई । उक्त अवधि में रिलीज की गई चीनी का कोटा एवं व्यपगत चीनी का माहवार विवरण संलग्न† है ।

यह कहना सही नहीं है कि प्रश्नगत महीनों में चीनी के भाव निरन्तर गिरते चले गये । चीनी की औसत दरें अप्रैल से अगस्त, 198 तक बढ़ी सितम्बर, 1982 से दिसम्बर, 1982 तक कम हुई तथा जनवरी, 1983 से पुनः दरें बढ़ी । व्यपगत कोटे को भारत सरकार द्वारा पुनः व रिलीज किया गया इसका उल्लेख रिलीज आर्डर में नहीं होता है अतः यह हो सम्भव नहीं है कि व्यपगत कोटे को पुनः बेचने से सहकारी चीनी मिलों का हानि हुई या लाभ हुआ ।

†(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 172 पर ।

प्रदेश में स्थित चीनी मिलों द्वारा पेराई

106--श्री जय दीप सिंह बरार--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित चीनी मिलों द्वारा पेराई सीजन वर्ष 1970-71 से लेकर 30-4-1985 तक प्रत्येक पिराई सीजन में सीजन अनुसार कुल कितना पेरा गया तथा प्रत्येक सीजन में चीनी का परता क्या रहा ?

श्री नारायन दत्त--

प्रदेश में स्थित चीनी मिलों द्वारा पेराई सीजन वर्ष 1970-71 से लेकर 30-4-1985 (वर्ष 1984-85) तक प्रत्येक सीजन में पेरे गये गन्ने की मात्रा

तथा प्रत्येक सीजन में चीनी का परता निम्नवत् रहा :

सीजन	पेरे गये गन्ने की मात्रा (लाख कुन्टल)	चीनी परता (प्रतिशत)
1970–71	1418·25	9·17
1971–72	881·46	9·43
1972–73	1407·51	9·52
1973·74	1442·05	8·99
1974–75	1516·95	9·43
1975–76	1222·19	9·54
1976–77	1515·31	9·71
1977–78	2054·39	9·06
1978–79	1576·44	9·28
1979–80	1020·29	9 77
1980–81	1293·49	9 46
1981–82	2278·50	9·13
1982–83	2104·04	9·67
1983–84	1851·43	9·33
1984–85 (30-4-85 तक)	1537·40	9·57

सत्र 1984-85 के आंकड़े परिवर्तनीय हैं ।

रामपुर जनपद की विलासपुर गन्ना विकास एवं सहकारी समिति बिलासपुर का रजाबुलन्द शुगर मिल रामपुर पर बकाया गन्ना मूल्य

107—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रामपुर की गन्ना विकास एवं सहकारी समिति बिलासपुर, जिला रामपुर का गन्ना मूल्य एवं कमीशन इत्यादि का कुल कितना रुपया रजाबुलन्द चीनी मिल, रामपुर जिसका राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण करके उसे राज्य चीनी निगम को दे दिया गया है पर समिति के अनुसार बकाया है ? यह रुपया कब तक समिति को अदा कर दिया जायेगा ?

श्री नारायन दत्त—

रामपुर जनपद की बिलासपुर गन्ना विकास एवं सहकारी समिति बिलासपुर का रजाबुलन्द शुगर मिल रामपुर जो अब उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 यूनिट रामपुर के नाम से है पर उक्त समिति का गन्ना मूल्य 18·80 लाख रुपया तथा कमीशन का 0·15 लाख रुपया बकाया है । यह मिल राज्य चीनी निगम के कब्जे में 1979 में आयी थी। उक्त बकाये की धनराशि निगम के मिल पर कब्जे से पूर्व की है जिसकी वसूली के सम्बन्ध में समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की है जो न्यायालय के विचाराधीन है।

थाना फतेहपुर के ग्राम अल्लापुर के मजनू की हत्या की जांच

108—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद बाराबंकी, थाना फतेहपुर के ग्राम अल्लापुर के मजनू की दिनांक 14-8-1984 की रात में पुलिस सिपाहियों ने हत्या कर दी थी और घटना की नामजद रिपोर्ट सखावत अली ने थाने में 15-8-1984 को कराई थी और जिस पर अपराध संख्या 205/84 पर धारा 302 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

मामले से सम्बन्धित दो कान्सटेबिल निलम्बित कर दिये गये हैं । सी0 आई0 डी0 द्वारा विवेचना प्रचलित है ।

109—श्री जयदीप सिंह बरार—

[4 थे मंगलवार के लिये स्थगित]

तापीय विद्युत गृहों में सल्फर डाई-आक्साइड को धुंए से निकालने के संयन्त्र स्थापित करने पर विचार

110—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1985 के दिनांक 20 मार्च, 1985 के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पर्यावरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा सुझाव देने के स्थान पर ऐसे स्पष्ट निर्देश जारी करेंगे कि एक निश्चित समय में आवश्यक स्क्रबर लगा दिए जायें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

लागू नहीं होता ।

प्रदेश में स्थित तापीय विद्युत गृहों का प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा निरीक्षण

111—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या पर्यावरण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वर्षों में प्रदेश में स्थित तापीय विद्युत गृहों का प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के समय उनके धुएं में कार्बनिक कणों एवं सल्फर की क्या-क्या मात्रा पाई गई ? पायी गयी मात्राएं निर्धारित मात्राओं से कितनी अधिक थीं और कितने मामलों में कानूनी कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के कार्यकलाप वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) नियमावली, 1983 के अधिसूचित होने के पश्चात ही प्रारम्भ किये जा सके हैं । इस मध्य रेनुसागर, ओबरा व शक्तिनगर के तापीय विद्युत गृहों के स्थलीय निरीक्षण मई/जून 1983 में, ताल कटोरा (लखनऊ) विद्युत तापीय गृह का निरीक्षण नवम्बर, 1983 में, पनकी (कानपुर) तापीय विद्युत गृह का फरवरी 1984 तथा शक्तिनगर (मिर्जापुर) का निरीक्षण मई, 1985 में किया गया । इन तापीय विद्युतगृहों की चिमनियों से निकलने वाले प्रदूषण-कारी तत्वों को नापने की व्यवस्था करना अभी, संयंत्र एवं स्टाफ की कमी के कारण सम्भव नहीं हो सका है । इस पृष्ठभूमि में तापीय विद्युत गृहों पर अभी तक वायु प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी अभियोजनात्मक कार्यवाही नहीं की गई, अपितु व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए यह प्रयत्न किये जा रहे हैं कि तापीय विद्युत गृहों में प्रदूषण नियंत्रण की

व्यवस्था स्थापित की जाय और प्रदूषण-कारी तत्वों के नापने की व्यवस्था भी अतिशीघ्र सुदृढ़ की जाय ।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा की अम्लीयता का अनुश्रवण

112—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के प्रथम सत्र 85 के दिनांक 20 मार्च, 1985 के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पर्यावरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर पर्वतीय क्षेत्र में होने वाली वर्षा की अम्लीयता का कोई अनुश्रवण किया जाता है ? यदि हां, तो क्या तथ्य सामने आए हैं ? यदि नहीं, तो माननीय मन्त्री जो सम्भावना पर आधारित रहने के स्थान पर सही निर्णय पर पहुंचने हेतु कोई ऐसा अनुश्रवण प्रारम्भ करेंगे ?

श्री नारायन दत्त—

प्रदेश के कई नगरों आगरा, गाजियाबाद, देहरादून, कानपुर व अनपारा (जिला मिर्जापुर) में वायु की गुणता का अनुश्रवण किया जा रहा है । प्रदेश में उद्योग अभी इस सीमा तक स्थापित नहीं हुए हैं कि वर्तमान तथा निकट भविष्य में अम्लीय वर्षा की सम्भावना हो । पर्वतीय क्षेत्र में वायु प्रदूषण मैदानी क्षेत्र से भी कम है, जिसके कारण वर्तमान में इस क्षेत्र में होने वाली वर्षा की अम्लीयता का कोई अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है ।

थाना कोतवाली फैजाबाद में श्री विजय कुमार द्वारा अंकित रिपोर्ट की न्यायिक जांच

113—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या शून्य धारा 313/325/504/506 सम्बन्धित थाना इनायतनगर दिनांक 2-4-84 घटित घटना के सम्बन्ध में दिनांक 30-4-84 को थाना कोतवाली, फैजाबाद में श्री विजय कुमार पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद द्वारा कोई रिपोर्ट अंकित कराई गयी है ? यदि हां, तो रिपोर्ट एवं कार्यवाही का विवरण तथा प्रगति क्या है ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

घटना की न्यायिक जांच प्रचलित है । प्रश्नगत अभियोग में न्यायिक जांच समाप्त होने तक विवेचना स्थगित रखी गयी है ।

थाना कोतवाली, फैजाबाद में श्री अजीत सिंह द्वारा अंकित रिपोर्ट की जांच

114—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध सं0 शून्य धारा 395 सम्बन्धित थाना इनायतनगर दिनांक 2-4-84 घटित घटना के सम्बन्ध में दिनांक 30-4-84 को थाना कोतवाली फैजाबाद में श्री अजीत सिंह द्वारा कोई रिपोर्ट अंकित कराई गयी है ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है एवं उस पर अब तक की कार्यवाही क्या है ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

घटना से सम्बन्धित न्यायिक जांच प्रचलित है । प्रश्नगत अभियोग की विवेचना न्यायिक जांच समाप्त होने तक स्थगित रखी गयी है ।

खलीलाबाद, जनपद बस्ती के हथकरघा वस्त्र निगम कार्यालय पर बुनकरों द्वारा बकाया धनराशि की मांग

115—मित्रसेन—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5 मई, 1985 को खलीलाबाद, जनपद बस्ती के हथकरघा वस्त्र निगम कार्यालय पर बुनकरों के बकाया धनराशि का मांग करने वाले फेडरेशन के जिला महामन्त्री श्री अब्दुल मजीद अन्सारी सहित आठ लोगों को मारा-पीटा गया ? यदि हां, तो बकाए धनराशि के भुगतान न किए जाने तथा स्थानीय पुलिस के हस्तक्षेप करने का क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त—

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, बिलथरा रोड, किड़िहरापुर, जनपद बलिया द्वारा मेसर्स कमपति मोती लाल भटनी शुगर मिल के विरुद्ध बकाया धनराशि के सम्बन्ध में दाखिल किया गया मुकदमा

116—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, बिलथरारोड, किड़िहरापुर, जनपद बलिया ने मेसर्स कमपति मोती लाल भटनी शुगर मिल्स लि0 पर एक लाख अरसठ हजार पांच सौ अठ रुपए उन्यासी पैसा (1,68,508·79) का दावा विहित प्राधिकारी, उ0 प्र0 चीनी उपक्रम एवं अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया था ? यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय हुआ है और न्यायालय के निर्णयानुसार कोई कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

मुकदमा विहित प्राधिकारी, उ0 प्र0 चीनी उपक्रम एवं अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण, उ0 प्र0, लखनऊ के न्यायालय में अभी विचाराधीन है ।

सहकारी गन्ना विकास समिति बिलथरारोड, किड़िहरापुर को कमीशन दिलाने की व्यवस्था पर विचार

117—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, बिलथरारोड, किड़िहरापुर, बलिया का समिति कमीशन वर्ष 1975-76 से वर्ष 1984-85 तक का दि किसान सहकारी चीनी मिल रसड़ा, बलिया से बिलथरा रोड किड़िहरापुर समिति के सुरक्षित क्षेत्र से जो गन्ना आपूर्ति उक्त चीनी मिल को हुआ है उस पर अर्जित कमीशन दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त समिति को कमीशन दिलाने की सरकार व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

चीनी मिल समिति, रसड़ा (बलिया) को समिति की उपविधियों के अधीन अपने क्षेत्र के किसानों से गन्ना क्रय करने का अधिकार प्राप्त है । तदनुसार मिल समिति द्वारा प्रारम्भ से ही गन्ना किसानों से खरीदा गया । चीनी मिल समिति द्वारा कृषकों से गन्ना क्रय के कारण कोई कमीशन सहकारी गन्ना विकास समिति बिलथरा रोड, किड़िहरापुर को नहीं दिया गया ।

118--श्री औसान सिंह--

[4थे मंगलवार के लिये स्थगित ।]

119--श्री औसान सिंह--

[नियम 301 के अन्तर्गत उत्तर भेजे जाने के कारण निरस्त]

तिलहर चीनी मिल, जनपद शाहजहांपुर में नियुक्तियों में बरती गयी अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायती-पत्र

120--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माह अप्रैल, 1985 में युवा कांग्रेस कमेटी के रुहेलखंड मंडल अध्यक्ष श्री देवेन्द्र पाल सिंह ने तिलहर चीनी मिल, जनपद शाहजहांपुर में की गयी नियुक्तियों आदि में बरती गयी अनियमितताओं एवं अन्य किये गये लाखों रुपये के घोटाले एवं गबन के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ, लखनऊ एवं सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को दिया है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी, अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

श्री देवेन्द्र पाल सिंह का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के संयुक्त प्रबन्ध निदेशक से करायी जा रही है ।

अभिसूचना विभाग के कनिष्ठ लिपिक व हेड कांस्टेबुलों को भत्ता तथा वर्दी भत्ता बढ़ाने पर विचार

121--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अभिसूचना विभाग के कनिष्ठ लिपिक व हेड कांस्टेबुलों को महंगाई मेहनत को देखते हुये भत्ता तथा वर्दी भत्ता बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायन दत्त--

अभिसूचना विभाग के कनिष्ठ लिपिकों का भत्ता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है । अभिसूचना विभाग के हेड कान्सटेबिलों/कान्सटेबिलों के वर्दी भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । इस पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

प्रदेश के कार्यालयों में प्रारम्भ की गयी कम्प्यूटर प्रणाली के सम्बन्ध में पत्र

122--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1498, दिनांक 8 अगस्त, 1984 प्रदेश के कार्यालयों में प्रारम्भ की गयी कम्प्यूटर प्रणाली के बारे में मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या कम्प्यूटर प्रणाली के बारे में उच्चस्तरीय समिति बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट शासन को दी गयी ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां, प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1498 विधायक सेल में 10 अगस्त, 1984 को प्राप्त हुआ है उसमें 8 अगस्त, 1984 की तिथि अंकित नहीं है । इस पत्र को शिक्षा तथा ऊर्जा सचिव को भेजा गया है । कम्प्यूटर प्रणाली के बारे में प्रश्नकर्ता के पत्र में उल्लिखित उच्चस्तरीय समिति नहीं बनाई गई है । अतः उसकी रिपोर्ट का प्रश्न नहीं उठता किन्तु प्रशासन में अधिक दक्षता लाने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीक एवं कम्प्यूटर आदि के आवश्यकतानुसार प्रयोग के समस्त पहलुओं पर विचार किया जा रहा है ।

मिर्जापुर (चुनार) में भगोड़े सैनिकों को पकड़ने में मारे गये नागरिकों की क्षतिपूर्ति को मांग

123.—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्न कर्ता का पत्र संख्या 1266, दिनांक 28 जून, 1984 को मिर्जापुर (चुनार) में भगोड़ा सैनिकों को पकड़ने में मारे गये दो नागरिकों की क्षतिपूर्ति के बारे में मिला है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मारे गये नागरिकों की क्षतिपूर्ति शासन की ओर से की गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक की जायगी ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

भगोड़े सैनिकों को पकड़ने में मारे गये नागरिकों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है ।

124.—श्री राजेन्द्र गुप्त—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

ग्राम घौरवरिया, थाना रामनगर, जिला वाराणसी के निवासियों को स्थानीय पुलिस कर्मियों द्वारा आतंकित करने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र की जांच

125.—श्री शारदा प्रताप—

विधान सभा के 1984 के प्रथम सत्र के 3रे मंगलवार (दिनांक 28 फरवरी, 1984) के तारांकित प्रश्न संख्या 19 के सन्दर्भ में क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत फर्जी मुकदमा शासन द्वारा वापस ले लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो फर्जी मुकदमें को न्यायालय में चलाने का क्या औचित्य है ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्नगत मुकदमा वापसी का आदेश दिनांक 5 जून, 1985 को दे दिया गया है, जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

बस्ती जनपद, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार घोटाले की जांच

126.—श्री दिवाकर विक्रम सिंह तथा श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ, सदस्य, विधान सभा ने 11-9-84 को नियम 301 के अन्तर्गत बस्ती जनपद ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार, घोटाले की सूचना सदन में दी थी ? क्या यह सत्य है कि उक्त सूचना के आधार पर समस्त तथ्यों की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी तथा जांच आख्या क्या है और कौन-कौन लोग दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? क्या पूरा विवरण जांच आख्या सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां । सम्बन्धित प्रकरण की जांच टेक्निकल आडिट सेल ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा की गई । जांच के फलस्वरूप 289 योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध गौर से टिनीच सम्पर्क मार्ग पर सोलिंग कार्य में रु0 65,720 रुपये की शासकीय क्षति पायी गयी ।

इस सन्दर्भ में श्री आर0 एन0 तिवारी, अधिशासी अभियन्ता श्री चन्दन लाल, सहायक अभियन्ता एवं श्री एस0 ए0 अन्सारी, अवर अभियन्ता दोषी पाये गये । श्री एस0 ए0 अन्सारी, अवर अभियन्ता को विभाग द्वारा निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक

कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। श्री आर० एन० तिवारी, अधिशासी अभियन्ता तथा श्री चन्दन लाल, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्यवाही के आदेश किये जा चुके हैं।

जांच आख्या माननीय सदस्य सुविधानुसार किसी पूर्व निर्धारित तिथि को मेरे कक्ष में देख सकते हैं।

127--श्री राजेन्द्र गुप्त--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

नगरपालिका सिरसा, जिला सीतापुर में बड़े जानवरों का गोश्त काटने हेतु स्लाटर हाउस बनवाने के सम्बन्ध में पत्र

128--श्री राजेन्द्र गुप्त--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1984 के 1ले सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता० प्र० सं० 116 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि स्लाटर हाउस बन गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक बनकर तैयार हो जायगा ?

श्री नारायन दत्त --

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि० भीरा (खीरी) जिला लखीमपुर खीरी, के सचिव श्री गुलाब चन्द्र मिश्र के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

128--श्री राजेन्द्र गुप्त---

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1984 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्र० सं० 108 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अब तक एकत्र की गयी सूचना क्या है ? जांच रिपोर्ट का सारांश क्या है तथा उस पर गन्ना आयुक्त द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायन दत्त--

द्वितीत सत्र 84 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 108 के सम्बन्ध में अब तक उपलब्ध सूचनायें निम्नलिखित हैं--

(क) प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में जांच दल से जांच करायी गयी। इस प्रारम्भिक जांच में श्री गुलाब चन्द्र मिश्र, तत्कालीन गन्ना विकास निरीक्षक (क्रय) एवं सचिव, गन्ना समिति भीरा, जिला खीरी को निम्न बातों के लिए दोषी पाया गया है--

1--छाजूराम जनता इन्टर कालेज, भीरा के नाम एकत्र धनराशि को बैंक में जमा न करके अपने पास रखना तथा बैंक चेक "डिसआनर" होने पर उन्हें चार्ज के समय प्रस्तुत न करना।

2--अनियमित रूप से स्टेशनरी फर्म को भुगतान करना।

3--गन्ना आपूर्ति कार्य पर नियंत्रण न रखना।

4--ऋण वितरण के कार्य पर नियंत्रण न रखना।

5--सचिव के पद के कर्तव्यों का पालन न करना।

6--अधीनस्थ कर्मचारियों पर शिथिल नियंत्रण रखना।

7--नकदी के सम्बन्ध में सचिव के दायित्व का निर्वाह न करना।

(ख) गन्ना आयुक्त के द्वारा उक्त अनियमितताओं के लिए श्री गुलाब चन्द्र मिश्र, तत्कालीन गन्ना विकास निरीक्षक (क्रय) एवं सचिव गन्ना समिति, भीरा, जिला खीरी को प्रागदृष्टया दोषी पाया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

राष्ट्रीय मार्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता श्री पलकधारी मिश्र के विरुद्ध जांच तथा पदोन्नति का औचित्य

130--श्री सुखराल पाण्डे—

क्या यह सही है कि यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध जांच चल रही हो तो उसकी पदोन्नति जांच समाप्त तक नहीं की जाती है ? यदि हां, तो राष्ट्रीय मार्ग सा0 नि0 वि0, बस्ती के सहायक अभियन्ता (तिलकधारी मिश्र) के विरुद्ध प्रश्नकर्ता तथा मसरूर जाफरी एवं मलिक मो0 कमाल यूसुफ विधायकों द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग गाजीपुर के द्वारा की जा रही है फिर भी श्री तिलकधारी मिश्र, सहायक अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग, बस्ती को पदोन्नति अधिशासी अभियन्ता के पद पर की गयी है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? उनके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने की सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त--

मात्र प्रारम्भिक जांच के आधार पर, जब तक कार्मिक के दोषी होने का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन जाता, जिसके आधार पर आरोप-पत्र जारी किया जा सकता है या यथास्थिति उन तथ्यों पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, कार्मिक की प्रोन्नति आस्थगित नहीं रखी जा सकती ।

चूंकि श्री पलकधारी मिश्र (न कि श्री तिलकधारी मिश्र, जैसा कि प्रश्न में अंकित है) के विरुद्ध माननीय विधायकों द्वारा की गयी शिकायत पर प्रारम्भिक जांच की जा रही है और अभी तक श्री मिश्र के दोषी होने का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बना है, चयन समिति के निर्णय के आधार पर श्री मिश्र की प्रोन्नति अधिशासी अभियन्ता के पद पर की गयी ।

ग्राम प्रधानों को सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग से 'पाक्षिक' नामक समाचार-पत्र भेजे न जाने का कारण

13.--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या सरकार को जानकारी है कि पहले ग्राम प्रधानों के यहां सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से उ0 प्र0 पाक्षिक नामक समाचार-पत्र निःशुल्क भेजा जाता था जिससे ग्रामीण जनता को शासन की सारी उपलब्धियां प्राप्त होती थी ? लेकिन अब वह समाचार-पत्र नहीं भेजा जा रहा है ? क्या शासन द्वारा समाचार-पत्र न भेजने का विभाग को निर्देश दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

सूचना एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकम सिंह)--

जी हां । दिनांक 1-1-79 से दिनांक 1-12-79 तक यह पत्रिका निःशुल्क भेजी जाती थी ।

यह समाचार-पत्र दिनांक 16-12-79 से सशुल्क भेजा जा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

132--श्री यदुनाथ सिंह--

[चौथे मंगलवार के लिए स्थगित]

एस0 आई0 थाना कंधौली, जनपद बस्ती द्वारा भ्रष्टाचार व हरिजन उत्पीड़न के सम्बन्ध में जांच कराने हेतु पत्र

132--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात हुआ है कि दिनांक 6 जून, 1984 को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र बाबत (श्री जय शंकर तिवारी) एस0 आई0 थाना कंधौली, जनपद बस्ती द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार एवं हरिजनों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में जांच कराने हेतु एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु 6 बिन्दु स्पष्ट रूप से उल्लिखित करते हुए माननीय गृह राज्य मन्त्री को प्राप्त हुआ ह ? यदि हां, तो क्या उक्त 6 बिन्दुओं की जांच कराई गई ? यदि जांच कराई गई, तो किस अधिकारी ने जांच किया है तथा किनके बयान लिए गए हैं और जांच आख्या क्या है ? यदि जांच नहीं कराई गयी है तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं !

दिनांक 5 जून, 1984 का पत्र प्राप्त हुआ, जिसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही है जो अभी प्रचलित है ।

गोरखपुर जनपद के महाराजगंज तहसील में स्थित चेहरी व बागापार फार्म से गणेश शुगर मिल, आनन्द नगर, गोरखपुर को गन्ने की सीधी आपूर्ति

134--श्री हर्ष वर्धन--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के महराजगंज तहसील में स्थित चेहरी व बागापार फार्म पिछले 5 वर्षों से गन्ना आयुक्त द्वारा बराबर "सुरक्षित क्षेत्र" घोषित किये जाते रहे हैं ? यदि हां, तो किस प्राविधान के अन्तर्गत उक्त सुरक्षित क्षेत्र का गन्ना गणेश शुगर मिल, आनन्द नगर, गोरखपुर सीधे आपूर्ति करती रही है ? क्या इस सीधी आपूर्ति के कारण समिति को मिलने वाला मार्केटिंग कमीशन एवं परिषद् को मिलने वाला विकास-कर की हानि हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां, गोरखपुर जनपद में महाराजगंज तहसील में स्थित चेहरी तथा बागापार फार्म पिछले पांच वर्ष में गन्ना आयुक्त के आदेश से दि गणेश शुगर मिल्स लि0, आनन्दनगर के मिल गेट के लिए सुरक्षित घोषित किए गए पर उक्त सुरक्षित क्षेत्र का गन्ना मिल को सीधे आपूर्ति किया गया। नियमानुसार गन्ना समिति एवं गन्ना विकास परिषद्, फरेन्दा को चीनी मिल ने कमीशन नहीं दिया जिस पर कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राम यज्ञ यादव, भारतगंज टाउन एरिया, तहसील मेजा, जिला इलाहाबाद के मकान के पीछे अवैधानिक अतिक्रम-अवरोध को हटाये जाने के सम्बन्ध में पत्र

135--श्री विदेशी प्रसाद भारती--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सम्बोधित श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित, सभापति, सार्व0 उपक्रम एवं निगम समिति का पत्र दिनांक 18-9-84 एवं भूतपूर्व सदस्या विधान परिषद्, श्रीमती सिया दुलारी क पत्र दिनांक 5-9-84 एवं 30-10-84 प्राप्त हुआ है, जो श्री राम यज्ञ यादव, सा0 भारतगंज टाउन एरिया पो0 भारतगंज तहसील मेजा, जिला इलाहाबाद के मकान केपीछे स्थित सार्वजनिक गली एवं उनके मकान के नाबदान पर सवश्री द्वारका प्रसाद खत्री, रामदास मिट्ठू ल

श्याम चन्द्र स्वर्णकार द्वारा किए गये अवैधानिक अतिक्रम-अवरोध को तत्काल हटवाए जाने के सम्बन्ध म है, प्राप्त हुआ है ? क्या उक्त अतिक्रम-अवरोध हटवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक हटवा दिया जावेगा ?

श्री नारायन दत्त--

श्रीमती सिया दुलारी, भूतपूर्व सदस्या विधान परिषद् के दिनांक 4-9-1984 तथा 30-11-1984 के प्रश्न में उल्लिखित मामले से सम्बन्धित पत्र प्राप्त हुए हैं, परन्तु श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित, सभापति सार्व0 उपक्रम एवं निगम का पत्र दिनांक 18-9-1984 प्राप्त नहीं हुआ है ।

मामले की जांच जिलाधिकारी, इलाहाबाद से कराई गयी और यह पाया गया कि श्री द्वारका प्रसाद खत्री आदि द्वारा प्रश्नगत गली एवं नाबदान पर कोई अतिक्रम-अवरोध नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्रताप सिंह (हे0 कां0 पेंशनर) को विधवा को पारिवारिक पेंशन दिलाने के सम्बन्ध में पत्र

126--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद) ने अपने पत्र संख्या ए-71, दिनांक 30 जनवरी, 1978 के द्वारा स्व0 श्री प्रताप सिंह (हे0 का0 पेंशनर) की विधवा को पारिवारिक पेंशन दिलाए जाने हेतु उ0 प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को श्रीमती धनराज कुमारी विधवा स्व0 प्रताप सिंह (हेड कांस्टेबिल 10 स0पु0) का पत्र अग्रसारित किया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित मामले में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां । इस सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ने दिनांक 1-7-85 को महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को विधवा के पक्ष में अपेक्षित पारिवारिक पेंशन स्वीकृति आदेश शीघ्र निर्गत हेतु लिखा है ।

पुलिस सब-इंस्पेक्टर परीक्षा का कथित आयोजन

137--श्री मित्रसेन--

क्या गृह मन्त्री कृपया वर्ष 1983-84 व 1984-85 में आयोजित पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षाओं को साक्षात्कार सूची में प्राप्तांक, पूर्ण विवरण तथा चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री नारायन दत्त--

वर्ष 1983-84 एवं वर्ष 1984-85 में सब-इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस के पद प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के चयन हेतु किसी परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सेनेटरी इन्स्पेक्टर के पद पर की गयी तदर्थ नियुक्तियां

138--श्री कल्याण सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, 1980 से अप्रैल, 1985 तक की अवधि में प्रदेश में स्वायत्त शासन विभाग में किस-किस जनपद में सेनेटरी इंस्पेक्टर्स के पद पर तदर्थ नियुक्तियां की गयी हैं और तदर्थ नियुक्ति करने के क्या कारण हैं ? क्या ऐसी नियुक्तियों के पदों को विधिवत् विज्ञापित किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ? नियमित नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जनवरी, 1980 से अप्रैल, 1985 की अवधि में विभिन्न जनपदों में की गई तदर्थ नियुक्तियों की सूची परिशिष्ट 'क' पर दृष्टव्य है ।

पदों को भरे जाने के लिए लोक सेवा आयोग को वर्ष 1980 तथा 1982 में अधियाचन भेजा गया । लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने में विलम्ब को देखते हुए जनहित में तदर्थ नियुक्तियां की गई ।

दो पदों को छोड़कर सभी तदर्थ नियुक्तियों हेतु विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गई थी ।

दो पदों पर नियुक्ति उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 के नियम 31 के अन्तर्गत सीधे शासन द्वारा की गई ।

लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा अधिसूचना सं 01916/ 11-4-84-6 सी0 एस0 (जनरल) 79, दिनांक 30-8-1984 के प्राविधानों के अन्तर्गत तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण की कार्यवाही पूर्ण होने पर ।

(देखिये सत्यो 'छ' आगे पृष्ठ 173 पर)

अनुभाग अधिकारी, वित्त (सेवायें)

अनुभाग 1 द्वारा जी0 पी0 एफ0

अग्रिम धनराशि का अनियमित रूप से आहरण

139—श्री सुन्दर लाल तथा श्री अफजल अन्सारी—

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि अनुभाग अधिकारी, वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश, सचिवालय ने वित्तीय वर्ष 1983-84 में वित्त विभाग के किसी अन्य अधिकारी कर्मचारी के जी0 पी0 एफ0 एकाउन्ट नम्बर जी0 ए0 यू0 54346 से रु0 1,800 का जी0 पी0 एफ0 अग्रिम अनधिकृत रूप से आहरण किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरे मामले की जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री नारायन दत्त—

इस मामले में जांच कराने पर ज्ञात हुआ कि वर्ष 1983-84 में अनुभाग अधिकारी वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 ने अपने 1800 रु0 के जी0 पी0 एफ0 अग्रिम सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र असावधानीवश अपना वास्तविक जी0 पी0 एफ0 खाता संख्या न डालकर एक अन्य खाता संख्या जी0 ए0 यू0 54346 डाला । उसके आधार पर अग्रिम स्वीकृति के आदेश जारी हो गये, अग्रिम की धनराशि आहरित हो गई ।

इस मामले में आवश्यक जांच कराकर उपर्युक्त असावधानी के लिए अनुभाग अधिकारी वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 को सचेत कर दिया गया है ।

जनपद हरदोई के संडीला पुलिस क्षेत्र अधिकारी कार्यालय से गायब पत्रावलियां

140—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1984-85 में जनपद हरदोई के संडीला पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय से कुछ महत्वपूर्ण पत्रावलियां गायब कराये जाने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो पत्रावलियां किन-किन मुकदमों से सम्बन्धित थीं, इसके लिए दोषी कौन हैं ?

श्री नारायन दत्त—

प्राप्त सूचना के अनुसार क्षेत्राधिकारी संडीला क्षेत्र के कार्यालय के पेशकार हेड कांस्टेबिल द्वारा दिनांक 6-2-85 को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि पेशी कार्यालय के कतिपय मुकदमों से संबन्धित कागजात व पत्रावलियां गायब हैं । इस सम्बन्ध में थाना संडीला

पर मुकदमा अपराध संख्या 36/85 अन्तर्गत धारा 409/201 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया है । पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार इस अभियोग की विवेचना एक राजपत्रित अधिकारी को प्रदान की गई । विवेचना प्रगति पर है । विवेचना के उपरान्त ही दोषी व्यक्ति का पता चल सकेगा । जिन मुकदमों से सम्बन्धित पत्रावलियां व कागजात गायब हुये हैं, वह निम्न प्रकार हैं :--

1--एस0 आर0 पत्रावली अपराध संख्या 109/84 धारा 394/302 भा0 दं0 वि0 थाना अतरौली ।

2--पत्रावली अपराध संख्या 91/84 धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 थाना संडीला ।

3--अपराध संख्या 204/84 धारा 302 भा0 दं0 वि0 थाना संडीला की केस डायरी के पर्चे क्रमांक 5, 6, 7 व 8 मय मूल पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट मय अन्य कागजात ।

4--अपराध संख्या 33/84 धारा 420/467/468 भा0 दं0 वि0 थाना संडीला की अंतिम रिपोर्ट ।

5--अपराध संख्या 232/84 धारा 294 भा0 दं0 वि0 थाना संडीला की अंतिम रिपोर्ट ।

6--अपराध संख्या 155/84 धारा 460 भा0 दं0 वि0 थाना कासिमपुर के पर्चे क्रमांक 1 से 6 तक ।

7--अपराध संख्या 156/84 धारा 147/148/149/323 भा0 दं0 वि0 थाना संडीला के पर्चे क्रमांक 1 से 3 तक ।

जनपद उन्नाव के थाना पुरवा के निकटवर्ती ग्राम फतेहगंज में श्री हरि शंकर यादव की नृशंस हत्या

141--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के थाना पुरवा के निकटवर्ती ग्राम फतेहगंज में दिनांक 12-7-83 को सायं 4-30 बजे श्री हरि शंकर यादव की नृशंस हत्या करने वाले हत्यारों द्वारा नाजायज असलहे रखने तथा अशान्ति करने एवं कुछ हरे वृक्ष काटने और जनता से जबरिया वसूली किए जाने की शिकायत स्थानीय पुलिस अधिकारियों को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं । फिर भी स्थानीय पुलिस अपराधियों पर कड़ी नजर रखे हुए है ।

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत थाना कोतवाली, ग्राम मसवासी में हरिजन अत्याचार रोकने के सम्बन्ध में कार्यवाही

142--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत थाना कोतवाली, ग्राम मसवासी में हरिजनों के साथ मारपीट करने व जबरिया बेगार लेने की शिकायत विगत जुलाई, 1984 से अब तक के मध्य में थाने में दर्ज की गई ? यदि हां, तो हरिजन अत्याचार रोकने के सम्बन्ध में और हरिजनों की सुरक्षा हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायन दत्त--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 12-7-84 समय 18-50 बजे श्री राम स्वरूप पुत्र भतई चमार, निवासी ग्राम

मसवासी ने थाना कोतवाली में मौखिक सूचना दी कि उसने जब उसके खेत मे चर रहे जानवरों को हांका तो (1) राम आसरे (2) नन्हके (3) कुबेर ने उसे मारा पीटा । इस सूचना पर थाना कोतवाली उन्नाव पर धारा 323/504/506 भारतीय दन्ड विधान का अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय की अनुमति से विवेचना की गई । विवेचना के बाद दिनांक 17-6-85 को उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया । उपरोक्त अभियोग के अलावा आज तक कोई अभियोग ग्राम मसवासी के हरिजनों ने सवर्णों के विरुद्ध नहीं लिखवाई है और न ही प्रताड़ना व मारपीट तथा जबरिया बेगार लेने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं । पुलिस सतर्क दृष्टि रखे हुये है ।

गन्ना सहकारी समिति, बभनान, जिला बस्ती में स्वीकृत खाद गोदाम का निर्माण

143--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि गन्ना सहकारी समिति, बभनान, जिला बस्ती में कितने रुपये की लागत से खाद गोदाम कब स्वीकृत हुआ है और कब तक बनकर तैयार होने का लक्ष्य था, अब तक कितना रुपया किस मद में खर्च किया गया, कितनी सीमेंट दी गई, अब तक कार्य न पूरा होने के लिए कौन जिम्मेदार है ? सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करके धन वसूलने एवं कार्य पूरा कराने के लिए सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

गन्ना सहकारी समिति, बभनान, जिला बस्ती में खाद गोदाम 1,99,332·24 रुपये की लागत से निर्मित कराने हेतु 16-4-81 को स्वीकृत किया गया । कार्यादेश के अनुसार इसके तैयार होने का लक्ष्य 31-8-81 था परन्तु सीमेन्ट की अनुपलब्धता के कारण इस कार्य को पूर्ण करने की अवधि जून, 1982 तक बढ़ाई गई थी । इस गोदाम निर्माण पर अब तक 92,577·20 रु० रनिंग भुगतान के रूप में ठेकेदार को दिया जा चुका है तथा 31,000 रुपये 800 बोरी सीमेन्ट की कीमत के रूप में व्यय किया गया ।

कार्य को समय से पूर्ण न किये जाने के लिए ठेकेदार दोषी है जिसके विरुद्ध कार्यादेश के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

राज्य बजट में से जनपद हरदोई को आवंटित धनराशि

144--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1984-85 में राज्य बजट (स्टेट बजट) में से कितनी धनराशि जनपद हरदोई के लिए आवंटित की गई तथा इसे किन-किन मदों में खर्च किया गया ?

श्री नारायन दत्त--

वर्ष 1984-85 में राज्य बजट में से जनपद हरदोई के लिए कुल 401·21 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी तथा उसके विरुद्ध व्यय मार्गों व पुलों के निर्माण, अनुरक्षण एवं मरम्मत, दैवी आपदा तथा भवन कार्य की मदों पर किया गया ।

हरदोई जनपद में निर्मित सर्कुलर रोड की जांच तथा चौराहे पर रेलिंग लगान का कार्य

145--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई में निर्मित सर्कुलर रोड की जांच (टेक्निकल) कराई गई ? यदि नहीं, तो क्या जांच कराने के बाद ही ठेकेदार को भुगतान की व्यवस्था पर विचार करेंगे ?

श्री नारायन दत्त--

जो नहीं ।

ठेकेदार को नियमानुसार समस्त धनराशि का भुगतान किया जा चुका हैं ।

146--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मन्त्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त शहर में चौराहों पर रेलिंग लगाने का कार्य भी कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उस पर कितनी धनराशि खर्च की जा रही है ?

श्री नारायन दत्त--

जो हां ।

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों की संगठित विकास योजना के अन्तर्गत हरदोई शहर के "नुमाइश" तथा "सिनेमा" चौराहों पर रेलिंग लगाने का कार्य कराया जा रहा है ।

इस हेतु 51,470·00 रु0 का व्यय प्रस्तावित है ।

147—श्री राम आसरे वर्मा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

विधायकों के लिए थ्रीं कार्बाइन पर लगाई गयी रोक

148--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपय बतायेंगे कि विधायकों के लिए थ्रीं कार्बाइन पर लगी रोक हटाने पर शासन विचार करेगा ?

श्री नारायन दत्त--

थ्रीं कारबाइन के नये लाइसेन्स जारी करने पर केन्द्र सरकार द्वारा रोक लगायी गयी हैं । राज्य सरकार द्वारा भिन्न नीति रखने का कोई औचित्य नहीं है ।

149—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[4थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

150—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[3रे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

151--श्री भागीरथ चौधरी--

[विभिन्न विभागों से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

मऊरानीपुर नगर के समीप सुखनई नदी के रिपटे की जगह पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में पत्र

152--श्री भागीरथ चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रइनकर्ता का उन्हें दिनांक 11-6-84 का पत्र, जो मऊरानीपुर नगर के समीप सुखनई नदी के रिपटे की जगह पर पुल निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में था, बुन्देलखंड प्राधिकरण सलाहकार समिति की मीटिंग में उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जो हां ।

प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित न होने के कारण इस मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रइन नहीं उठता ।

153--श्री भागीरथ चौधरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रइनकर्ता का दिनांक 28-2-84 का पत्र झांसी में मऊरानीपुर में सुखनई नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित न होने के कारण इस मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य मंत्री के हेलीकाप्टर द्वारा हरदोई के दौरे का उद्देश्य

154--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 14 मई, 1985 को खाद्य एवं रसद मंत्री का दौरा हेलीकाप्टर द्वारा हरदोई में किया गया ? यदि हां, तो दौरे का उद्देश्य क्या था और हेलीकाप्टर के प्रयोग सम्बन्धी शासन की नीति क्या है ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां । खाद्य मंत्री के हरदोई के दौरे का उद्देश्य गेंहू क्रय केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण था तथा हेलीकाप्टर के प्रयोग सम्बन्धी शासन की नीति का उल्लेख उत्तर प्रदेश राज्य का विमान/हेलीकाप्टर का प्रयोग और अधियाचन नियमावली, 1982 में निम्न प्रकार है :

प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति--

(1) उत्तर प्रदेश राजकीय विमान/हेलीकाप्टर शासकीय कार्य के निमित्त निम्नलिखित को प्रयोग के लिए उपलब्ध होगा :

(क) श्री राज्यपाल,

(ख) श्री मुख्य मंत्री जी,

(ग) मुख्य मंत्री जी के पूर्वानुमोदन से राज्य सरकार के मंत्रिमन्डल के मंत्री और अन्य मंत्रीगण तथा कोई अन्य अति विशिष्ट व्यक्ति (वी0 आई0 पी0), जिसे मुख्य मंत्री जी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय ।

(घ) मुख्य सचिव ।

(2) उत्तर प्रदेश का एक राजकीय हेलीकाप्टर व बीच क्रैफ्ट विमान शासकीय कार्य के निमित्त मुख्य सचिव के पूर्वानुमोदन से राज्य सरकार के सचिव तथा प्रमुख विभागाध्यक्षों को प्रयोग के लिये उपलब्ध होगा ।

(3) राज्य सरकार के किसी कार्य के लिए राजकीय विमान/हेलीकाप्टर का प्रयोग करने पर कोई प्रभार देय नहीं होगा ।

155--श्री राम आसरे वर्मा--

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया ।]

जनपद बार बंकी सिन्दौला सड़क पर रेठ नदी पर पुल निर्माण की योजना

156--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में बंकी-सिन्दौला सड़क पर रेठ नदी पर (चिलहटा घाट) पुल निर्माण की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो पुल निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दीर्घाओं में अजनबियों के प्रवेश के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(12 बजकर 25 मिनट)

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है प्रश्नों में ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, आप नियम 110 देखें ।

(व्यवधान)

मान्यवर, नियम–110 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । आप नियम–110 का उपधारा–3 को देख लें । मान्यवर, अजनबियों को हटाने के प्रस्ताव पर अब मैं आपका ध्यान नियम–305 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । अध्यक्ष द्वारा अजनबियों के प्रवेश का विनियमन सदन के परिसर के उन भागों में, जो केवल सदस्यों के उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं हैं, अजनबियों का प्रवेश अध्यक्ष के आदेश या उनके द्वारा निर्मित नियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा । मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है, जो दीर्घायें बनी हुई हैं उनमें बिना प्रवेश–पत्र के लोग बैठे हुए हैं मैं गुजारिश करूंगा कि दरवाजों को बन्द करवा दें, और देख लें । मान्यवर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यह तीन अंग हैं शासन के । इस सदन की कार्यवाही को देखने के लिए या इसमें हिस्सा लेने के लिए जो सदस्य नहीं हैं सदन के, उनके लिए माननीय अध्यक्ष से अनुज्ञा प्रदान करते हैं . मेरी यह निश्चित जानकारी है कि यहां अजनबी बैठ गये हैं कुछ लोग ऐसे भी बैठ गये हैं जिनके नाम प्रवेश पत्र नहीं हैं । प्रवेश–पत्र दूसरे व्यक्ति के नाम हैं और बैठे दूसरे व्यक्ति गये हैं । मान्यवर, यह विधायक की सुरक्षा का प्रश्न है विधायक सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए आते हैं । यह सुरक्षित स्थान है यहां पर बिना प्रवेश पत्र के किसी को इजाजत नहीं दी जाती है । बिना प्रवेश–पत्र के लोग बैठेंगे तो कोई भी कठिनाई आ सकती है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आपने जिन नियमों के तहत यह बात उठाई है, उसकी मैं पूरी जानकारी करूंगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, जानकारी करने में देर हो जाएगी । 1977–78 में भी मैंने यह मामला व्यवस्था के प्रश्न में उठाया था । उस वक्त माननीय अध्यक्ष, बनारसी दास जी थे । उन्होंने तत्काल मार्शल को आदेश दिए थे कि सारे दरवाजे बन्द करा दिए जायं और सबकी तलाशी ली जाए तथा जो बगैर प्रवेश–पत्र के बैठे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए । क्योंकि मेरी निश्चित जानकारी है कि बिना प्रवेश पत्र के लोग बैठे हुए हैं । इसलिए मान्यवर, जो व्यक्ति नियम को तोड़कर यहां बैठे हैं हो सकता है कि वह सदन की कार्यवाही नोट करके ऐसी एजेन्सियों को दे रहे हों जो विधान सभा की स्वायत्तता पर हमला करती हो । मान्यवर, यह संसदीय लोकतन्त्र की सुरक्षा का प्रश्न है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उग्रवादी इस सदन में बैठे हों ... (हंसी)

आप ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके सदन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं सदन को अवगत करा दूंगा ।

श्री शफीकुर्रहमान—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है । नियमों के हवाले से माननीय शतरुद्र प्रकाश ने एक बात कही । आपका दूसरा प्रश्न है, वह बाद में आयेगा ।

ग्राम बेरमा सगड़ी, आजमगढ़ में तूफान से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता—

नियम 301 के तहत 40 सूचनायें प्राप्त हुई । इनमें से 14 सूचनायें जो

बहुत आवश्यक समझी गईं, स्वीकार की गई हैं । 26 अस्वीकार की गई । मैं नाम पढ़ रहा हूं । श्री ब्रह्म दत्त दिवेदी, श्री राम जनम, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री विष्णु देव, श्री सत्यपाल सिंह, श्री मित्रसेन, श्री राजेन्द्र गुप्त, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री मोहम्मद मसूद खां, श्री बाबू राम यादव, डाक्टर दिनेश जौहरी, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी ।

*श्री मात प्रसाद पान्डे--

हम लोग 301 में सूचना देते हैं और आप अपने विवेक से उसके महत्व को समझकर स्वीकार करते हैं । मैं 12 तारीख से दे रहा हूं । हमारे बस्ती जिले में एन0 आर0 पी0 का दो करोड़ रुपये का आज तक कोई हिसाब नहीं मिला जो योजना स्वीकार थी रुक गई है । इससे और महत्वपूर्ण क्या होगा । जो आपका दरबार करते हैं उनको स्वीकार हो जाती है ।

*श्री राम जनम--

आपकी आज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व की माननीय सदन के तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुये कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ के तहसील सगड़ी के ग्राम बेरमा के (तिलकधारी) विदेशी, बासू, धनेश्वर, बसावन, रामाधार, दुर्जन, दुइज, खुरदन, ग्राम ओलवापुर, के श्री मंजर, मस्जिद का दरवाजा तथा दिवार फूलचन्द्र, लालचन्द्र, दासा, तिरपाल, रक्षपाल, प्रभु, भिखू नरेश, जगधारी, सुधीर, सदरी, धुरन्धारी, बीरबल, निर्मल, सम्पू, ग्राम रसीदाबाद के श्रीमती, पूजन, शिशुन, शतिराम, जगपत, राममूर्ति, बासुदेव, लालसा महेश, नरेश, श्रीपति, सोनदेव, सुमिरन, फौजदार, दुइज, बनवारी, चन्द्रपत, केदार, लालजी, मेलू, टेलू, विभूति, बूटा, ग्राम सौबपुर के श्री तुलसी, जोधन, अलगू, तेजू, बलदेव, सन्तलाल, पेकू, पतिराम, बेचई, विन्ध्याचल, छुलई, बलटन, बंशी सुक्खू, संरगू, का नुकसान दिनाक 2 जुलाई, 1985 के ढाई बजे दिन में आये हुए चक्रवात (तूफान) में हुआ है । जिसमें मन्डई, बिजली के खम्भे, तार नलकूप की दीवारे, खपरैल, मकान, पेड़, मस्जिद की दीवारें आदि गिर गयी हैं ।

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त गांव में चक्रवात (तूफान) से जो क्षति हुई है का क्षति पूर्ति सरकार देने का कष्ट करें ।

प्रदेश में पाठ्य-पुस्तकें एवं सस्ती कापियों के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

पूरे प्रदेश में शिक्षण संस्थायें खुल गयी हैं लेकिन अभी तक बहुत सी पाठ्य पुस्तकें बाजार में उपलब्ध नहीं हैं जिसके कारण छात्रों की पढ़ाई पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ रहा है । चूंकि यह पाठ्य पुस्तकें सरकार ही प्रकाशित कराती है, इसलिये इस अभाव की पूरी जिम्मेदारी भी सरकार पर है । सरकारी सस्ती कापियों का भी बाजार में भारी अभाव है और सरकार द्वारा इस कार्य के लिये उपलब्ध कराया गया कागज दुकानदारों द्वारा गलत तरीके से महंगी दर पर बेचा जा रहा है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस निश्चित विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये मैं सरकार से इस बारे में अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।

थाना जैतीपुर, शाहजहांपुर के क्षेत्र में बस से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को आर्थिक सहायता की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय, पिछले माह जिला शाहजहांपुर, थाना जैतीपुर के अन्तर्गत एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्राइवेट बस यू0 एच0 जे0 4729 ग्राम मरूआझाला के पास 50 मीटर गहरे खड्ड में जा गिरी जिसमें 27 लोग काल-कवलित हुए और 86 लोग गम्भीर रूप से घायल हुए । परन्तु 130 सवारियां लेकर चलने वाले बस मालिक के खिलाफ सरकार ने कोई भी कार्यवाही नहीं की । बल्कि बसों का आवागमन खेड़ा-बझेड़ा ग्राम से आगे भंदिया रंगी तक का रोक दिया । परिणामस्वरूप इसी जुलाई में कालरा व मलेरिया के प्रकोप से करीब 100 लोग और मर गये । आवागमन के अभाव में इलाज यह लोग न पा सके । सरकार ने दुर्घटनाग्रस्त किसी परिवार को कोई आर्थिक सहायता भी न दी । बल्कि बस मालिक ने बैंक डेट में इन्श्योरेन्स कराके अच्छा पैसा ऐंठ लिया है । इस बस दुर्घटना व आवागमन के अभाव में सारा क्षेत्र आतंकित व खतरे में है । जनता आन्दोलित हो रही है ।

अतएव लोक महत्व का प्रश्न सदन में उठाकर दुर्घटना में प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता तथा बसों का आवागमन तत्काल प्रारम्भ कराने की मांग करता हूं ।

ग्राम सभा अहरन सुवंश फैजाबाद की भू सम्पत्ति को हड़पने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मित्रसेन—

मान्यवर में आपकी अनुमति से ग्राम सभा अहरनसुवंश व परगना पश्चिम राठ, तहसील बीकापुर जिला फैजाबाद में स्थित ग्राम समाज की लाखों रुपये की भूसम्पत्ति को उसी गांव के फितरती सरकस लोगों ने राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से खाते में अपने नाम अंकित करा लिए हैं । जो ग्राम के भूमिहीन हरिजनों में आवंटित है । इस सम्बन्ध में जिला अधिकारी फैजाबाद को दिनांक 18/1/84 को प्रेषित गम्भीर शिकायती पत्र, जो आयुक्त फैजाबाद मण्डल फैजाबाद को पृष्ठांकित है । प्रधान ग्राम सभा के एक पारित प्रस्ताव को संलग्न प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत की जा चुकी है । गांव के फितरती लोग पैसे के बल पर मुहाफिज खाना के कर्मचारियों को अपने पक्ष में करने में सफल हो गये हैं । और सी0 एच0 45 भूराजस्व अभिलेखों मे हेरा-फेरी करा डाला । इस गम्भीर एवं महत्वपूर्ण शिकायती पत्र पर अभी तक कई कार्यवाही नहीं की गयी । अपितु गम्भीर अनियमितताओं को छिपाने का प्रयास किए जा रहे हैं जिससे आक्रंदित भूमिहीन हरिजन, क्षेत्र के लोगों तथा सर्वसाधारण जनता में गहरा असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर जांच कार्यवाही एवं दोषी लोगों को दण्डित करने की मांग करता हूं ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान बढ़ाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि आज इस महगांई के युग में समाज कल्याणविभाग द्वारा राजकीय मान्यता एवं सहायता प्राप्त महिलाओं के व्यवसायिक प्रशिक्षण विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए शासन द्वारा अधोलिखित वेतनमान निर्धारित है । इन्हें महंगाई भत्ता, दक्षता रोक, चयन वेतनमान तथा अवकाश ग्रहण करने के बाद कोई सुविधा नहीं मिलती । विभाग के आदेशानुसार इनको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नियुक्ति समाज कल्याण निदेशालय के न निर्धारित धन से अधिक ही दिया जा अनुमोदन के बिना नहीं हो सकती और सकता है ।

वेतनमान चौका देने वाले हैं, कृपया देखें

	रुपया	योग्यता
प्रधानाचार्य	120--300	हाई स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा एक वर्ष का अनुभव
वरिष्ठ अध्यापक	85—150	
कनिष्ठ अध्यापक	60--100	जूनियर हाई स्कूल तथा ट्रेनिंग
क्लर्क	60—100	तदेव
चतुर्थ श्रेणी कमंचारी	27—40 या 50 रुपया	

वर्ष 1970 से यह वेतनमान मिल रहे हैं । कई वेतन आयोग आये परन्तु इनकी निरीह दशा पर किसी ने विचार नहीं किया । क्या मैं शासन से आशा करूं कि इतनी वेतनवृद्धि, महंगाई भत्ता तथा अन्य सुविधाएं दी जायेगी ?

जैतपुर, बाराबंकी में गन्दगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

महोदय, बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत कस्बा जैतपुर में इस भीषण गन्दगी के कारण गम्भीर बीमारियों के फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है । जैतपुर कस्बे में पिछले पांच वर्षों से बरसाती नालों की सफाई न होने से जल भराव की समस्या पैदा हो गयी है । पूरे कस्बे में गंदा पानी या तो भरा है या बह रहा है । मुख्य सड़क की पांच वर्षों से मरम्मत न होने से बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं जिनमें गन्दा व बदबूदार पानी भरा है, लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है । मलेरिया तथा हैजा जैसी बीमारियों का फैलाव हो रहा है । आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि अविलम्ब जैतपुर कस्बे की सफाई तथा मुख्य सड़क की मरम्मत की व्यवस्था की जाय ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को विदेश से लौटते समय पुलिस द्वारा परेशान किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहम्मद मसूद खां--

मान्यवर, मैं सदन एवं सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं : देश के और सूबों की तरह उत्तर प्रदेश के और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अबजहबीं अलैब, दुबई, सिंगापुर व मलेशिया आदि में रोजी रोटी कमाते हैं और उत्तर प्रदेश को तीन अहम खिदमत करते हैं, मसलन बेरोजगार हैं, वहां रोजगार पर हो जाते हैं जिससे बेरोजगारी का मसला हल करते हैं । अपनी कमाई का रुपया भेजते हैं इससे मुल्क को फारेन एक्सचेंज मिलता है । तीसरी

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सबसे बड़ी बात वहां ज्यादा दिनों रहने की वजह से खुद-ब-खुद फैमिली प्लानिंग हो जाती है। मगर बदकिस्मती से जब वह लोग दिल्ली से अपने घर आते हैं तो रास्ते में पुलिस उनको बुरी तरह से परेशान करती है। सामान ले लेती है, रुपया ले लेते हैं और डराते धमकाते हैं और बेजा तौर से परेशान करते हैं। उनका जान व माल माफूज नहीं रहता है और घर तक पहुंचना दूभर हो जाता है, जिसकी वजह से वह लोग व उनके परिवार वाले काफी दुखी हैं तथा काफी भय व असन्तोष फैला हुआ है। लिहाजा मैं सरकार से मांग करता हूं कि हिन्दुस्तानियों को जो विदेश में काम करते हैं, रास्ते में जब वह घर जाते हैं तो उन्हें पुलिस व दीगर अधिकारी परेशान न करें ताकि वे सुरक्षित तरीके से खुश-खुश अच्छे माहौल में घर पहुंच सकें।

परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा 500 परिचालकों की सेवा समाप्ति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, इटावा, मुरादाबाद, झांसी, आगरा आदि क्षेत्रों में दिनांक 16 जुलाई, 1985 से कार्यरत 500 परिचालकों की सेवाओं को समाप्त करने के बाद सैकड़ों बसें निगम के डिपो पर परिचालकों के अभाव में खड़ी हैं। यात्रियों को बसें उपलब्ध नहीं हैं जिससे निगम को 4 लाख रुपये प्रतिदिन की हानि उठानी पड़ रही है। मान्यवर, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि वह परिचालकों की सेवायें जो समाप्त की गयी हैं उन्हें सेवा में लेने की अनुमति दें ताकि निगम के डिपो पर खड़ी बसें चलायी जा सकें। किन्तु क्षेत्रीय प्रबन्धक और निगम के अधिकारी नियुक्तियों के नाम पर पैसे लेने के लालच में पुराने परिचालकों की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं जिससे निगम को हानि हो रही है। कृपया निगम को घाटे से बचाने और क्षेत्रीय प्रबन्धकों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु पूर्व में कार्यरत सेवा निवृत्त 500 परिचालकों की नियुक्ति के आदेश निर्गत करें और दोषी प्रबन्धकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निदेश दें।

वाराणसी कचेहरी के प्रांगण में वकीलों के बैठने के स्थान के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, जनपद वाराणसी में कचेहरी के प्राँगण में करीब 1800 वकीलों के समक्ष बैठने एवं न्यायिक प्रक्रिया सम्बन्धी कार्य करने में कठिनाई हो रही है। वहां पर 1874 से एक मुख्त रखाना बना हुआ था जिसमें बैठ कर सैकड़ों वकील अपना कार्य किया करते थे, किन्तु उसकी जर्जर अवस्था को देखते हुए जब उसके गिरने की सम्भावना अस्त हो गयी तो जिलाधिकारी, वाराणसी ने उसे गिरवा दिया, जिसके कारण इस बरसात में उक्त परिस्थिति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्पन्न हो गई । इस सम्बन्ध में जिला-धिकारी, वाराणसी सचिव, राजस्व परि-षद, उ0 प्र0 को 14 जून, 1985 को इस सम्बन्ध में एक पत्र भी लिखा था किन्तु अभी तक उसका कोई उत्तर नहीं प्रेषित किया गया । इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जनहित को देखते हुए एवं वकीलों द्वारा न्यायिक प्रक्रिया को सुचारु रूप से सम्पन्न कराए जाने में होने वाली तकलीफ को देखते हुए शासन को यह निर्देश दिया जाय कि तत्काल इस मुख्तारखाना का निर्माण कार्य अवि-लम्ब प्रारम्भ किया जा सके । और वकीलों में बढ़ते हुए असंतोष को समाप्त किया जा सके ।

भू0 पू0 सांसद, स्व0 नबाब सिंह चौहान के परिवार को पुलिस द्वारा सताये जाने के सम्बन्धमें नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी--

अलीगढ़ जनपद के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व भू0 पू0 सांसद, स्व0 श्री नवाब सिंह चौहान के परिवार के सदस्यों का जीवन जहां थाने की पुलिस के प्रकोप के कारण संकटग्रस्त हो गया है । थाने के समक्ष उनके मकान से चोरी हो जाने और चोरी का रहस्य ज्ञात हो जाने पर भी कोई कार्यवाही न करने की शिकायत श्री चौहान के पुत्र श्री योगेन्द्र सिंह द्वारा उच्च अधि-कारियों से करने पर थानाध्यक्ष अत्यन्त कुपित हो गये उन्होंने योगेन्द्र सिंह को थाने में बुलाकर गालियां दी और उप-स्थित उप निरीक्षक, पुलिस शिवदान सिंह ने उनकी पिटाई की । उसी दिन से पुलिस के संरक्षण में अवांछनीय तत्व उनके परिवार को घातक क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं । कभी भी भयं-कर घटना हो सकती है ।

मैं आपके माध्यम से उक्त अविलम्ब-नीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।

*बक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विधायक निवास 5 में जलपूर्ति न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है । मान्यवर, विधायक निवास-5 में पानी नहीं आ रहा है । सदन चल रहा है, क्षेत्र से तमाम जनता आती रहती है, पानी के अभाव में बड़ी दिक्कत हो रही है । आज भी पानी 7 बजे चला गया था, एक घंटे के लिए आया था ।

(श्री राम सरन के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

अभी नियम 301 के अन्तर्गत उप-लब्ध सूचनाओं का कार्य चल रहा है । माननीय सदस्य ने जो बात उठायी है व्यवस्था के नाम पर अभी नियम 301 खत्म हो जाय, फिर आपको मौका मिलेगा अपनी बात कहने का ।

थाना अन्तरौलिया आजमगढ़ में हुई डकैती व लूट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बलराम यादव--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सदन एवं शासन का ध्यान अपने चुनाव क्षेत्र अतरौलिया आजमगढ़ की घटित गम्भीर घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । थाना क्षेत्र अतरौलिया के

*बक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अन्तर्गत विगत 19, 20 मई, 1985 से लगातार दर्जनों डकैती, लूट, हत्या की गम्भीर घटनायें आये दिन घटती चली जा रही हैं और अपराध स्थिति पुलिस नियंत्रण के बाहर होती जा रही ह । ग्राम अमड़ी, मंगरगढ़पकड़ीहा, भैरवपुर, दरगाह मुडेरा, देवरा पट्टी तथा जगदीशपुर थाना अन्तर्गत अतरौलिया में घटित डकैती एवं सामूहिक लूट तथा हत्या की गम्भीर घटनाओं के अभियुक्तों को पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पायी है । जिससे हत्यारे एवं असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता चला जा रहा है । यह घटनायें मुख्य रूप से मेरे ही समर्थकों एवं दल के कार्यकर्ताओं के यहां घट रही हैं । इससे किसी साजिश एवं षडयंत्र की भी आशंका पैदा हो गयी है । इन एक ही प्रवृत्ति के आपराधिक घटनाओं से लोगों का वातावरण उत्तेजित एवं अशांत बनता जा रहा है । इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को शासन के संज्ञान में लाकर अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।

कानपुर में जिस्म फरोशी एवं ब्लू फिल्म बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डाक्टर दिनेश जौहरी--

महोदय, मैं सदन के माध्यम से शासन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । कानपुर महानगर जिस्म फरोशों के एक गिरोह द्वारा ब्लू फिल्म बनाने का धंधा बड़े जोरों पर चल रहा है । जिससे यह लोग मध्यवर्गीय परिवार की लड़कियों को बहला-फुसला एवं प्रेम जाल में फंसा कर अपने अड्डों पर ले जाते हैं । फिर उन्हें डरा धमका कर ब्लू फिल्म बनाने के लिए विभिन्न मुद्राओं में युवकों के साथ नग्न चित्र लेते हैं । इसमें अच्छे घरों के युवकों को भी फंसाने की कोशिश करते हैं और उन्हें ब्लैक मेल करते हैं । यह अड्डे महानगर के लाठी मोहल्ला, बड़ा, रतन लाल नगर, नौबस्ता, स्वरूपनगर आदि क्षेत्रों में हैं ।

इस गिरोह को पुलिस एवं कई संभ्रात नागरिकों का संरक्षण भी प्राप्त है ।

अतः सदन के माध्यम से युवा पीढ़ी पर अत्यधिक कुप्रभाव डालने वाली इस गम्भीर समस्या के निदान हेतु शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं ।

विधायक निवास में जलापूर्ति न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता--

अब मैं औचित्य का सवाल लेता हूं ।

श्री राम सरन--

माननीय सरदार सिंह ने जो व्यवस्था का सवाल उठाया था, विधायक निवास-5 के बारे में । अगर 6 बजे तक वहां पानी की व्यवस्था नहीं हुई, तो मैं खुद पेट्रोल ले जाकर आग लगा दूंगा । पिछले तीन महीनों से हम बगैर नहाये रह रहे हैं । एक ट्यूबवेल लगाया जा रहा है वहां पर । उसमें एक-डेढ़ लाख रुपया खर्च किया जा चुका है, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है । मैंने निर्णय लिया है कि यदि श्रीमती पद्मा सेठ जी ने आज शाम तक वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं की तो मैं शाम को 6 बजे उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगा । मुझे आप गिरफ्तार कर लें और या फिर मैं कल यहां आकर धरना दे दूंगा । सुबह 8 बजे मैंने टेलीफोन किया, मुझे बताया गया कि श्रीमती पद्मा सेठ जी नहा रही हैं । मंत्री लोग तो बंगलों में मौजमस्ती करें और हमें नहाने के लिए पानी नहीं है । इनके पी० ए० ने कहा कि मैं

आपको टेलीफोन करूंगा । मगर मेरे पास कोई टेलीफोन नहीं आया ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है । माननीय सदस्य ने जो पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने वाली बात कही है, उसे जरा आप स्पष्ट करवा दें कि वह आग किसमें लगायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

(श्री शफीकुर्रहमान बर्क अपनी सीट पर खड़े हो गये ।)

श्री राम सरन जी तो बहुत पुराने सदस्य हैं । उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने आवेश में आकर अपनी जो बात कही है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय ?

श्री अधिष्ठाता--

मैं उसे देख लूंगा । माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, इस पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करूंगा । इसे देख लिया जाय और पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाय ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

जब मैं औचित्य का प्रश्न लूंगा तब आपको बुलाऊंगा ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने अभी और औचित्य का प्रश्न नहीं लिया है कृपया आप बैठ जायं ।

श्री औसान सिंह--

[×××]

श्री अधिष्ठाता--

कृपया अब आप बैठ जायं । मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं । जो चीज बगैर इजाजत के बोली जा रही है वह नहीं लिखी जायगी ।

श्री औसान सिंह--

आप मुझे बतायें कि नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाओं की ग्राह्यता का क्या आधार है ?

श्री अधिष्ठाता--

जो निर्णय हो चुका है, उस पर आप अमल करें ।

मैं पहले पढ़ दूं, सर्वश्री सत्यपाल सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, जनार्दन प्रसाद ओझा, शफीकुर्रहमान बर्क, श्री फजलुल-बारी तब लोग केवल एक-एक मिनट में अपने औचित्य के प्रश्न को कह दें उसके बाद मैं अपना निर्णय दूंगा ।

(श्री सत्य पाल सिंह के बोलने पर)

जनस्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

माइक पर बोलें, आवाज नहीं आ रही है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपकी आवाज नहीं आ रही है माइक दूसरा ले लें, आगे आ जायें ।

श्री बनी प्रसाद वर्मा--

इधर के माइक सारे खराब कर दिये गये हैं ।

नोट--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता--

ऐसी बात नहीं है वर्मा जी ।

शाहजहांपुर में बी0 काम0 कक्षायें न खोले जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सत्य पाल सिंह--

मान्यवर, मैं संविधान के अनुच्छेद 164 से सम्बन्धित मंत्रि परिषद् का राज्य विधान सभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

मान्यवर, हमारे जनपद शाहजहांपुर माननीय खाद्य मंत्री तशरीफ ले गये थे और खाद्य मंत्री जी ने वहां छात्रों द्वारा जो बी0 काम0 की कक्षायें खोलने के लिए आमरण अनशन किया जा रहा था, उनके पास गये और आश्वासन दिया कि मैं लखनऊ जाकर मुख्य मंत्री जी से बात करके बी0 काम0 की कक्षायें खुलवाऊंगा । यह आश्वासन खाद्य मंत्री जी का था और यह केवल खाद्य मंत्री जी का नहीं बल्कि मुख्य मंत्री तथा मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तर-दायित्व था, यह आश्वासन पूरे मंत्रि-मंडल का था । आपके आश्वासन के आधार पर विद्यार्थियों ने घोषणा कर दी है कि अगर खाद्य मंत्री का आश्वासन पूरा नहीं किया गया तो वे इतने दिनों के अन्दर सारे अधिकारियों, नेताओं का घेराव करेंगे । किसी को काम नहीं करने देंगे, जुलूस निकालेंगे, भूख हड़ताल, आमरण अनशन पर बैठेंगे । तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि सदन के अन्दर जो आश्वासन देते हैं उसकी प्रक्रिया दूसरी होती है लेकिन जब वहां छात्रों को आश्वासन दिया, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस पर कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मंत्रिपरिषद् द्वारा दिये गये आदेशों की पुलिस महा-निदेशक द्वारा अव-हेलना के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, मैंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 (2) मंत्रिपरिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, के बारे में इसे दिया है । आज उत्तर प्रदेश में गृह मंत्रालय और मंत्रिपरिषद्, गृह विभाग के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया है । उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा एक आदेश जारी किया गया, अगर आप कहें तो मैं उसे उसी तरह पढ़ कर सुना दूं और बाद में हिन्दी अनुवाद कर दूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

इन्स्टेन्सेज हैव कम टू माई नोटिस इन विच इन्सट्रक्शन्स वेयर रिसीव्ड डाइरेक्टली बाई दि आफिसर्स ऐट डिफरेन्ट लेविल्स इन दि आफिस आफ दि चीफ मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर फार होम एण्ड दि होम डिपार्टमेन्ट रिगार्डिंग ट्रान्सफर्स एण्ड पोस्टिंग्स दीज डाइरेक्शन्स वेयर कम्पलायड विथ नो रिफरेन्स टू दिस आफिस इट इज देयरफोर लेड डाउन दैट नो इन्सट्रक्शन आफ दि एबव मेन्शन्ड टाइप शैल बी कम्पलायड विथ विदाउट माई प्राअर क्लियरेन्स ।

मान्यवर, एक तरफ मंत्रिपरिषद् एक आदेश जारी करती है और दूसरी तरफ उसी विभाग का एक अधिकारी उनका उल्लंघन कर रहा है । अब आप आज जानते हैं कि पूरे देश में पुलिस राज्य कायम हो गया है चाहे

इधर के सदस्य हों या उधर के, हमेशा यही कहते आये हैं । अभी कुछ दिनों पहले प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी ने भी कहा कि पुलिस के काम में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जायगा और इस तरह के जो आदेश हो रहे हैं क्या यह राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है क्योंकि यहां पर हरभजन सिंह, एस0 पी0 सी0 आई0 डी0 में थे । महानिदेशक ने उन्हें पी0ए0सी0 में भेजा किन्तु मुख्य मन्त्री जी ने उनको एस0 पी0 गाजीपुर का चार्ज दे दिया । इसी तरह विष्णु मिश्रा का मामला है, हरी शंकर शुक्ल वरिष्ठ पुलिस इन्स-पेक्टर का मामला है । यह तमाम मामले हैं जिनके स्थानान्तरण डी0 जी0 पुलिस द्वारा नहीं हुए । यह एक बहुत ही अहम सवाल है, औचित्य का प्रश्न है । यह विधान सभा का दायित्व है और हम लोग उसके सदस्य हैं । और इसी कारण महानिदेशक पुलिस का विचार है कि उप पुलिस अधीक्षक पद तक के अधिकारियों का प्रयोग राजनीतिज्ञों द्वारा शतरंज की मोहरों की तरह किया जा रहा है और कभी इधर कभी उधर चलाया जाता है क्या मन्त्रि परिषद् द्वारा यह राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं है । सरकार राजनैतिक हस्तक्षेप से अपने आदेश को बार-बार लागू करती है और आम जनता में राजनैतिक लोगों की छवि धूमिल करते हैं । मान्यवर, इसको स्वीकार करें और इस पर तत्काल मुख्य मन्त्री जी को जवाब देना चाहिये क्योंकि यह पूरे सदन का मामला है ।

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)--

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है यह बहुत महत्व का है । मैं अभी ही इसका समधान करना अपना कर्तव्य समझता हूं । माननीय सदस्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनियन के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनसे हमें इस बात की अपेक्षा है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भविष्य में इस बात का, उनकी परम्पराओं का ध्यान रखेगी । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है । उस सरकुलर का वही अर्थ है कि जो भी आदेश चाहे वह हमारा कार्यालय हो या गृह विभाग का कोई कार्यालय हो वह आदेश डी0 जी0 कार्यालय के माध्यम से ही जाना चाहिये । यह प्रशासनिक पद्धति के अनुकूल है । कोई भी आदेश हो वह वहीं से होना चाहिये अगर यह कहीं पर नहीं होता है तो यह नियमानुकूल नहीं है । यह तो नहीं हो सकता है कि किसी दरोगा से कह दिया कि कान्स्टेबिल बदल दो या कहीं गये तो एस0 पी0 से कह दें कि दरोगा को बदल दो । जनप्रतिनिधियों के दबाव से आप यह कह सकते हैं कि आदेश आ जायं तब तक आप कोई व्यवस्था जारी रख सकते हैं लेकिन जो अन्तिम आदेश हैं वह डी0 जी0 के कार्यालय से ही जारी होने चाहिये । श्रीमन्, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है । डी0 जी0 ने जो लिखा वह पद्धति के अनुकूल ही लिखा और इसमें कोई शिकायत की गुन्जाइश नहीं है । ट्रान्सफर के बारे में सरकार चाहती है कि माननीय सदस्य इस पर अधिक दबाव न डालें । कभी-कभी परस्पर विरोधी बातें आती हैं तो दबाव के सामने हम सबको अपना निर्णय लेना पड़ता है, जन प्रतिनिधि की कभी-कभी बात मानी पड़ती है । जन प्रतिनिधि की अवहेलना नहीं होती . कभी-कभी हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं और वह मान भी जाते हैं । स्थानान्तरण के बारे में मैं समझता हूं कि बहुत कम पड़ना चाहिये और जो दबाव हमारे ऊपर पड़ते हैं उनको अस्वीकार करना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

नौतनवां तथा चिल्लूपार से निर्वाचित सदस्यों के रासुका में निरुद्ध होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं एक संवैधानिक प्रश्न की ओर औचित्य का प्रश्न आकर्षित करना चाहता हूं। जब संविधान बना तो प्रदेश को 425 हिस्सों में बांटा गया। कहा गया कि जितने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र होंगे उनका एक प्रतिनिधि होगा और वह प्रतिनिधि जनता द्वारा चुना जायेगा और उनका प्रतिनिधित्व करेगा। मान्यवर, आज नौतनवां और चिल्लूपार का कोई प्रतिनिधि आदरणीय सदन में नहीं है। यह जन भावनाओं के साथ और उनका जो मूल अधिकार है इस देश की, प्रदेश की महान जनता का, उनके साथ कुठाराघात है। संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि "पीपुल विल दि सावरेन" यानी जनता की भावना सर्वोपरि है कानून बना ही इसलिए है कि जनता की भावनाओं का जब हनन हो तब कानून की आवश्यकता होती है। हमारे जिले के दो क्षेत्र ऐसे हैं, जहां की जनता का प्रतिनिधित्व इस सदन में नहीं है। बजट सत्र शुरू हो गया है, हमारी समस्यायें हैं, उन लोगों की समस्यायें हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की जो भावनायें हैं, उनकी अभिव्यक्ति यहां पर कैसे होगी? माननीय मुख्य मन्त्री जी इसके जवाब में कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के विषय में बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं व्यक्ति के विषय में बात करना नहीं चाहता हूं, किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी बात नहीं कहना चाहता हूं, जिनको वहां की जनता ने आपकी इच्छा के विरुद्ध यहां भेजा। वे कुख्यात व्यक्ति हैं। इस देश के किसी भी कोने में, प्रदेश के किसी भी कोने विश्व के किसी भी कोने में अगर मानवीय अधिकारों का हनन होगा तो आचार्य नरेन्द्र देव ने जैसा कहा था संघर्ष के लिये मैदान में आना होगा। मैं चाहूंगा उन लोगों को रिहा किया जाय जो इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं। कानून अगर चाहे कि वह जेल में रहें, तो रहें, लेकिन यह कौन सा कानून है कि जिन लोगों को जनता ने चुना है, उनको इस आदरणीय सदन का सदस्य बनाया है, उस जनता के साथ यह अन्याय है, जनता ने कौन सा अपराध किया है? क्या यही कि उन्होंने शासन पक्ष को खड़ा करके विपक्ष को जिताया है।

मैं इसलिये खड़ा हुआ हूं कि वे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनको जनता ने प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है, किन्तु उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। संविधान में अगर संशोधन हो जाय तो दोनों सीट्स को "वैकेन्ट" घोषित कर दिया जाय, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। जब इस आदरणीय सदन का कोई सदस्य दिवंगत हो जाता है तो उप चुनाव होता है, इसलिये होता है कि इस आदरणीय सदन में उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है। उन को रिहा करेंगे नहीं, संविधान में संशोधन का अधिकार इस आदरणीय सदन को है नहीं, तो फिर वह कौन सा विकल्प होगा, जिससे उन स्थानों की जनता का प्रतिनिधित्व इस सदन में हो? यह सवाल एक संवैधानिक सवाल है। इस आदरणीय सदन में बजट पेश होने जा रहा है, उस क्षेत्र के लोगों को कौन सा पैसा देंगे, कैसे आपको अन्दाजा लगेगा? आपको कैसे अन्दाजा होगा कि नौतनवां और चिल्लूपार के लोगों की क्या समस्यायें हैं?

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ, अब आप बैठें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

बस मान्यवर, एक मिनट और लूंगा।

यह न केवल मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में प्रश्न है, न केवल इस आदरणीय सदन की गरिमा का प्रश्न है, न केवल लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है बल्कि यह संविधान के मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ है। संविधान में लिखा है कि "पीपुल विल बी दि सावरेन"। इसलिये जनता को आदर देने के लिये, संविधान की मूल भावनाओं को प्रतिष्ठापित करने के लिये कोई यह न कह सके कि अमुक लोगों का प्रतिनिधित्व यहां पर नहीं हो रहा है, मैं व्यवस्था चाहूंगा कि कल से इस आदरणीय सदन में उन सारे लोगों को लाया जाय जिससे वे अपनी बात कह सकें। जहां तक उनका सम्बन्ध रासुका में बन्द किये जाने से है तो मैं उसके सम्बन्ध में यहां कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं मेरी राय दोनों क्षेत्र की जनता के सम्बन्ध में है, उनकी भावनाओं के सम्बन्ध में है, उनके अधिकारों के सम्बन्ध में है क्योंकि उनके अधिकार इस तरह से कुण्ठित हो रहे हैं, उनके अधिकारों पर इस तरह से हमला हो रहा है, इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहूंगा।

(श्री शफीकुर्रहमान बर्क का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, पहले मेरी बात पर व्यवस्था दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

सबको सुनने के बाद एक साथ मैं निर्णय दे दूंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, यह इतना बड़ा संवैधानिक प्रश्न है और इस मामले को आप इतने हल्के से ले रहे हैं। मैं आपके ऊपर कोई आक्षेप तो नहीं लगाता परन्तु मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपनी व्यवस्था देने के लिये पुनः विचार कर लें।

विनांक 22 जुलाई, 1985 को सदन में पुलिस के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री द्वारा दिये गये बयान के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मान्यवर, कल इस सदन में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पुलिस के हिमायत करते हुए अपने बयान में फरमाया कि पुलिस का मनोबल नहीं गिरने दिया जाये माननीय मुख्य मन्त्री जी ने ये अल्फाज कह कर पुलिस के मनोबल को इतना ऊंचा कर दिया कि इससे इस माननीय सदन के माननीय विधायकों को अपना मनोबल गिरता हुआ लगने लगा है। मुख्य मन्त्री जी के इन अल्फाज से उनमें एक सनसनी सी फैल गयी है, वे यह सोचने पर मजबूर हो गये हैं कि अब पुलिस उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी। जब कि इटवा के एस0 एल0 ए0 श्री औसान सिंह का मामला सबको मालूम है कि कैसे पुलिस ने उनके साथ मार-पीट की थी, यह मिसाल सामने मौजूद है। जब पुलिस एक विधायक के साथ यह सलूक कर सकती है तो फिर इस सदन के माननीय विधायकों के साथ वह कैसा सलूक करेगी? यदि हमारा यही हाल रहा, आज जबकि मन्त्रिमंडल के कुछ मंत्रियों की जान को खतरा है, माननीय मुख्य मन्त्री के कहने के अनुसार यदि पुलिस का मनोबल और ज्यादा बढ़ा तो फिर क्या हालत होगी, यह वक्त ही बतायेगा। जब पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन खराब होता है तो फिर शरीफ और भले आदमियों की इज्जत का और जनता को अपनी जान और माल का खतरा पैदा हो जाता है। शरीफों की इज्जत नहीं रह सकती है।

मैं मुख्य मन्त्री जी से इस बात का एश्योरेन्स चाहता हूं कि उन्होंने जो कल यहां अल्फाज कहे उसको वे वापस लें और इस बात का अश्योरेन्स दें कि

जनता की जान और माल की तथा माननीय विधायकों के जान और माल की व इज्जत की रक्षा की जायेगी, पुलिस उनके साथ इस किस्म का व्यवहार नहीं करेगी, उसको इस तरह की इजाजत नहीं है । मैं चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जो इस बात का जवाब दें कि ठीक है पुलिस ठीक तरह से काम करे, शरीफ आदमियों को न सताये ।

मुझे कुछ जरायेज के मालूम हुआ है कि इनके कुछ गोपनीय आदेश हैं उन्हीं आदेशों के तहत पुलिस इनकाउन्टर्स करती है, आम जनता को परेशान कर रही है और साथ ही तरह तरह के गुनाह भी कर रही है । पुलिस की ये ज्यादतियां बगैर शासन के इशारे के नहीं हो सकती हैं ।

मैं मुख्य मन्त्री जी से मांग करता हूं कि वे हमें इस बात का एश्योरेन्स दें कि जो उन्होंने पुलिस के मनोबल को बढ़ाने की बात कही है, यह गलत है । पुलिस पर अंकुश लगा कर उसे रोकें कि वह ज्यादतियां न करें । जो माननीय विधायकों को बेइज्जत कर रही है, वह ऐसा न करे ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें ।

खाद्य मन्त्री द्वारा भारत को 'हिन्दू देश' कहे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री फजलुल बारी--

माननीय, जो प्रश्न मैंने दिया है वह बड़ा गम्भीर मसला है । भारत के संविधान पर आक्षेप लगा दिया गया है। मामला यह है 'यूनी वार्ता' ने खबर दी है कि हमारे माननीय मन्त्री जनाब वासुदेव सिंह जो खाद्य मन्त्री हैं और हर मैदान में मुंह मारना अपना फर्ज समझते हैं और अकसर वे इस तरह की बात करते हैं । 'यूनी वार्ता' के जरिये यह खबर छपी । 'प्रतिदिन' में भी छपी है । उसी के सिलसिले में मुझे कहना है, भारत वर्ष के कांस्टीट्यूशन के प्रीऐम्बुल में, लिखा हुआ है सावरेन डमोक्रेटिक रिपब्लिक । उसम खास तौर से ऐसे लोगों पर रोक लगाने के लिए 42वीं तरमीम करके लिख दिया गया सावरेन सोशलिस्ट सेक्यूलर रिपब्लिक क्यूसेक्यूलर लफ्ज लिख दिया गया है ताकि ऐसे लोगों पर अंकुश लगे । माननीय मन्त्री जी ने बातचीत करते हुये फरमाया कि भारत हिन्दू देश है । इस तरह की खबर छपी है । सबके सामने यह बात आ गई है । मन्त्री जी ने संविधान की कसम खाई है और अब अपनी विचारधारा के आधार पर अपनी दिमागी उपज और अपने विवेक से नये तालुकात की बिना पर उसे बदलने की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उन्हें संविधान पर यकीन नहीं, कोई निष्ठा नहीं बाकी रही है । इसलिये उनको शराफत से खुद ही अपने पद से हट जाना चाहिए । लेकिन यदि वह नहीं हटते हैं तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से अर्ज करूंगा कि वे ऐसे मन्त्री को हटा दें जिसकी संविधान के प्रति निष्ठा संदिग्ध हो । इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

(व्यवधान)

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने संविधान के बारे में कहा । मुझे अति प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि माननीय सदस्य ने अपनी संविधान की जानकारी का परिचय दिया है । एक बात तो माननीय सदस्य ने अभी कही और एक लिख कर भी दिया । दोनों में अन्तर है । अभी जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं कि "यूनी वार्ता" में समाचार देते हुये आपने वक्तव्य दिया । जो उन्होंने लिख कर दिया उसमें लिखा है "यूनी वार्ता में प्रकाशित समाचार में" । तो ये दो बातें हैं । जो उन्होंने लिख कर दिया वह सही है । लेकिन अभी जो कहा वह उसके अनुरूप नहीं कहा । मैं

समझता हूं कि उन्हें सम्पूर्ण प्रकरण की कोई जानकारी नहीं है क्योंकि जिस भाषण का जिक्र इसमें हुआ है उसके अध्यक्ष माननीय जफर अली नकवी थे और मैं एक दैनिक समाचार 'एक झलक' पत्र का विमोचन कर रहा था, जिसे लोकार्पण कहते हैं। इन्होंने कहा कि "यह हिन्दू देश है।" मैं साबित कर सकता हूं कि सिंधु और 'हिन्द' शब्द मुसलमानों से निकल है। मैं तर्क भी दे सकता हूं कि हिन्दी मुसलमानों की भाषा है और हिन्दुओं की भी भाषा है। दोनों की भाषा है। मैं माननीय सदस्य को चुनौती देता हूं कि वे अपनी जानकारी के आधार पर ईमानदारी और सच्चाई से जो कहना चाहे कहें। अखबारों में जो छपा है उससे वे भयाक्रांत न हों।

(व्यवधान)

नौतनवां तथा बिल्लूपार से निर्वाचित सदस्यों के रसड़ा में निरुद्ध होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा वाले मामले में माननीय मुख्य मन्त्री कुछ कहना चाहें।

माननीय सदस्य जनार्दन प्रसाद ओझा जो ने जो औचित्य का प्रश्न रखा है उस पर माननीय मुख्य मन्त्री जी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

(व्यवधान)

ठीक है माननीय खाद्य मन्त्री जो कुछ कहना चाहते हैं।

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मान्यवर, माननीय सदस्य गोरखपुर ने जो प्रश्न उठाया है जिस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। हमारी नियमावली में निर्धारित किया गया है कि औचित्य का प्रश्न किन विषयों में उठाया जा सकता है। जो माननीय सदस्य मानवाधिकार की बात कर रहे हैं उससे कोई सहमत हो या न हो, मैं भी सहमत या असहमत हो सकता हूं। लेकिन जो सवाल उठाया है वह अलग है नियमावली में औचित्य के प्रश्न निर्दिष्ट हैं।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

संवैधानिक बात कह रहा हूं।

श्री वासुदेव सिंह--

मैं भी संविधान जानता हूं, सारा संविधान हमारे मस्तिष्क में है।

(व्यवधान)

इसमें औचित्य का प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं है। मानवाधिकार के अन्तर्गत किसी क्षेत्र की जनता को अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। लेकिन विधान सभा की सदस्यता के सम्बन्ध में स्पष्ट व्यवस्थायें हैं। अगर किसी पर कोई अपराध बनता है तो उसमें विधान सभा को मंच नहीं बनाया जा सकता है, किसी अपराध से विमुक्त करने का सदन को माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मन्त्री जी ने मेरी बात को सुना नहीं मैंने तो उसकी चर्चा अपने भाषण में नहीं की। मैंने मानवाधिकार की बात कही जिसका सम्बन्ध औचित्य के प्रश्न से है। आदरणीय सदन की नियमावली में है। वहां के लोगों की भावना के प्रतिनिधित्व में व्यवधान पैदा हुआ है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय फजलुल बारी जी ने जो बात सदन के सामने रखी और मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया उनकी बात का जवाब नहीं आया।

श्री अधिष्ठाता—

अब इस विषय को दुबारा न उठायें ।

श्री राम असरे वर्मा—

मन्त्री जो ने उसका जवाब नहीं दिया वह क्या शब्द है क्या नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राम आसरे जो, इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, आपने व्यवस्था दे दी और दूसरा प्रकरण चल रहा है। उसमें कोई असंगति हो तब तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकते हैं नहीं तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

जब आपने व्यवस्था का प्रश्न एलाऊ कर दिया तो उसके बाद रूलिंग माननीय मन्त्री जी नहीं दे सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

रूलिंग मन्त्री जी नहीं दे रहे हैं । वह बता रहे हैं कि व्यवस्था की बात कहां आती है जिसको कहने का उनको अधिकार है ।

श्री बुलियाड हुसैन अंसारी—

मान्यवर, उनका जवाब नहीं आया।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

औचित्य के पांचों प्रश्नों को मैंने अस्वीकार किया ।

श्री बुलियाड हुसैन अंसारी—

जवाब नहीं आया।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने औचित्य के प्रश्नों को अस्वीकार कर दिया है ।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय मुख्य मन्त्री जी इस पर आश्वासन दें ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

(1 बजकर 25 मिनट पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें । अब नियम 56 की सूचना ले रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

पहले मद संख्या—4 को ले लें । विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं ले लें ।

श्री अधिष्ठाता—

उसका परीक्षण हो रहा है, बाद में बतायेंगे ।

आज नियम 56 के अन्तर्गत 28 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :

पहली 6 सूचनाएं श्री सरदार सिंह, श्री मनोहर लाल, श्री अवधेश प्रसाद, श्री राजेन्द्र गुप्त, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री माता प्रसाद पान्डेय, श्री सुखपाल पान्डे, श्री राम नरेश, श्री शारदा प्रताप ने दी हैं जो कानपुर देहात में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है ।

सातवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार सिंह की ललितपुर के हवाई पट्टी पर 10 लाख बोरी गेहूं के सड़ने के सम्बन्ध में है ।

आठवीं सूचना-श्री किरन पाल, सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री महेन्द्र सिंह, श्री कनक सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री अमीर आलम खां और श्री सखावत हुसैन की, मोदी नगर के मोदी कपड़ा मिलों में तालाबन्दी से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में है ।

नवीं सूचना सर्वश्री बेनी प्रसाद वर्मा फरीद महफूज किदवई, बाबू राम यादव, बुनियाद हुसैन अंसारी, राम सागर, राम सरन की सीतापुर, बाराबंकी, फैजाबाद, लखनऊ, रायबरेली में सीपेज समस्या के सम्बन्ध में हैं ।

दसवीं सूचना श्री मनोहर लाल की कानपुर स्थित पांच मिलों के बन्द होने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में है

ग्यारहवीं सूचना श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की प्रदेश के विश्वविद्यालयों के दस हजार शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में है ।

बारहवीं सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री शारदानन्द अंचल, श्री रणजीत सिंह, कुंवर मानवेन्द्र सिंह, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री किशन लाल और श्री धनराज यादव की देवरिया में पुलिस की पिटाई से राम जी कसेरा की मृत्यु के सम्बन्ध में हैं ।

तेरहवीं सूचना श्री कल्याण सिंह, श्री औसान सिंह और श्री किशन लाल, की अलीगढ़ में पुलिस पी० ए० सी० द्वारा नागरिकों तथा पत्रकारों की पिटाई के सम्बन्ध में है ।

चौदहवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह की शाहजहांपुर में 20 हजार किसान भुखमरी के कगार के सम्बन्ध में है ।

15वीं सूचना श्री मित्रसेन, 16वीं श्री गौरी शंकर भइया, 17वीं श्री यदुनाथ सिंह, 18वीं श्री राम आसरे वर्मा, 19वीं श्री विजय सिंह राना, बीसवीं श्री विक्रमादित्य पांडेय, 21वीं श्री हृदय नारायण दीक्षित, 22वीं श्री अकबर हुसैन, 23वीं श्री फजलुल बारी, 24—श्री रघुबर दयाल वर्मा, 25—श्री अशोक बाजपेयी, 26—श्री अवधेश प्रसाद, श्री मनोहर लाल, 27—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा और 28—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी की है ।

श्री मनोहर लाल जी ने दो सूचनाएं दी हैं ।

इनमें से मैंने 6 सूचनाओं को सुनने के लिये अवसर देने का निश्चय किया है ।

श्री कल्यान सिंह—

कौन-कौन सी आपने ली हैं, इनकी जानकारी हो जाए ? कृपा करके बता दें ?

श्री अधिष्ठाता—

ये कानपुर-देहात में घटित हत्याकांड मोदीनगर कपड़ा मिल के सम्बन्ध में, सीतापुर और बाराबंकी में सीपेज के सम्बन्ध में, कानपुर में मिलों के बन्द होने से उत्पन्न समस्या के बारे में, प्रदेश के विश्वविद्यालयों के बारे में, देवरिया में पुलिस की पिटाई से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में और अलीगढ़ में पुलिस व पी० ए० सी० द्वारा नागरिकों और पत्रकारों की पिटाई के बारे में है ।

(श्री सरदार सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

आप इस पर मुझे भी सुन लें ।

आप भले ही एक-एक मिनट का अवसर दें, लेकिन आप सभी को सुन लें ।

(व्यवधान)

*श्री सरदार सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल की अपनी चर्चा में पुलिस का मनोबल बढ़ाया था और उसी के अन्तर्गत कल कानपुर देहात में एक हरिजन परिवार के 6 व्यक्तियों को, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

थे, कुछ बदमाशों ने मार दिया। इतना ही नहीं उनके परिवार के अन्य लोग और अन्य हरिजन वहां से भाग गये, नहीं तो वह भी मार दिये जाते। मान्यवर, इस गांव के हरिजनों ने करीब 15 दिन पहले जिले के बड़े अधिकारियों से मिलकर यह दरख्वास्त की थी कि हमारी जान को खतरा है अमुक-अमुक व्यक्तियों से और हो सकता है कि हमारा सामूहिक नरसंहार कर दिया जाए। लेकिन पुलिस की जैसी आदत है, उसने उस प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया और फलस्वरूप उन हरिजनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह हरिजनों के उत्पीड़न और नरसंहार का गम्भीर मामला है, यों अभी मुजफ्फर-नगर में कढ़ाही में डालकर हरिजनों को जलाकर मार डाला गया था और एटा में इसी तरह की दुखद घटना हुई है। पिछड़े वर्ग के लोगों पर आज नाना प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। इसी प्रकार इस साल में दस्तमपुर काण्ड हुआ, उसका खून अभी सूखने भी नहीं पाया था कि इतना बड़ा यह दूसरा हरिजनों का हत्याकाण्ड हो गया। क्या कारण है कि पुलिस को सारी जानकारी होने पर भी इस काण्ड को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि इसमें पुलिस की साजिश है। इसलिए यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर आज की कार्यवाही रोक कर चर्चा अवश्य करा दें।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम 57 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, यह जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव हम लोग देते हैं, देखा यह जाता है कि यह कभी स्वीकार तो होते नहीं हैं। लेकिन आप नियम 57 को देख लें, यह हरिजनों पर जो अत्याचार है यह ग्राह्यता की परिधि में आता है, मैं रिपीटीशन तो नहीं करूंगा....

श्री अधिष्ठाता--

मैंने अभी अपना कोई निर्णय तो दिया नहीं है।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

यह एक तत्काल घटी घटना है। 6 हरिजन एक ही परिवार के मार दिये गये और सबसे गम्भीर शिकायत शासन के खिलाफ यह है कि इन लोगों ने शासन को पूर्व सूचना दे दी थी यानी पुलिस को सूचना दे दी थी कि हमारे ऊपर इस तरह का हादसा हो सकता है। इसलिए उनकी सुरक्षा हेतु व्यवस्था न करना सरकार का पूरी तरह फेल्योर है। इस घटना से कानपुर के हरिजन लोग ही आतंकित और भयभीत नहीं हुए हैं, बल्कि पूरे प्रदेश के निर्बल वर्ग में आशंका और भय का वातावरण पैदा हो गया है। वह यों ही पहले से अपने को सुरक्षित नहीं समझते थे और आज फिर से वह अपने को आतंकित और असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इसलिए आप इस पर चर्चा करा दें। मेरा आखिरी निवेदन यह है कि हो सकता है आप इस पर वक्तव्य स्वीकार कर लें या हो सकता है कि आप एक घंटे की चर्चा करा दें, लेकिन कार्य-स्थगन प्रस्ताव का महत्व अपनी जगह है, वह सरकार के खिलाफ सेन्सर का प्रस्ताव है। अतः हरिजनों के नरसंहार के लिए आप सेन्सर के रूप में कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में ही इस पर चर्चा करा दें।

श्री राम नरेश--

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। हरिजन परिवार के लोगों की सामूहिक हत्या की गयी।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, एक मिनट का मौका दे दें। आप मेरी बात सुन लें।

(शोर)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

केवल एक माननीय सदस्य को मैंने आज्ञा दी । आप बैठें । मैंने किरनपाल जी को बुलाया है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

यह मान्यवर, बड़ा गम्भीर और हरिजनों से सम्बन्धित मामला है ।

श्री अधिष्ठाता—

राम गोविन्द जी, आप सीनियर मेम्बर हैं । आप बैठें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

[×××] ।

श्री अधिष्ठाता—

कोई शब्द मेरी अनुमति के बगैर नहीं लिखा जायगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

[×××] ।

*श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, सदन में, एक बहुत गम्भीर प्रश्न के बारे में जानकारी सदन के संज्ञान में लाकर चर्चा की मांग करता हूं मान्यवर, उत्तर प्रदेश में मोदी समूह या मोदी परिवार एक बहुत बड़ा उद्योगपति है यह सभी जानते है, किसी से यह छिपा हुआ नहीं है । उत्तर प्रदेश के अन्दर मजदूरों की जो बुर्दशा होती है उद्योगपतियों द्वारा उतनी देश के अन्दर कहीं नहीं हो रही है । मोदी समूह की 5 कपड़ा मिलें मोदीनगर में हैं ! ए0 बी0 सी0 डी0 और सिल्क मिल । इनमें से 3 कपड़ा मिलें पिछले 2 सालों से पूर्णतया बन्द हैं और दो मिलें ए और डी आंशिक रूप से चल रही हैं । इन मिलों में लगभग 14 हजार मजदूर काम करते हैं । इन 14 हजार मजदूरों को लगभग 2 साल से इस सरकार ने मोदियों के हाथों में तड़पने के लिए छोड़ रखा है । 14 हजार मजदूर जीवन और मृत्यु के लिए संघर्ष कर रहे हैं । यह सबको मालूम है कि सरकार ने मोदी मिल की तालाबंदी को गैर कानूनी घोषित करके एक अध्यादेश भी जारी किया है । लेकिन उस अध्यादेश के बावजूद भी मोदियों ने अपनी मिलें चालू नहीं की और मिलों का बन्द रखा है और कष्ट मजदूरों को भोगना पड़ रहा है । आज मजदूर सड़क पर ठेला लगा रहा है और फेरी लगाकर जीवन यापन कर रहा है । कुछ लोग खेतों पर मजदूरी करके अपना काम चला रहे हैं । यह दशा वहां पर हो गई है कि मजदूर अपने हक को लेकर मिल चलाने की मांग करते हैं तो सरकार मिल मालिकों के हक में मजदूर नेताओं के लिए वारंट जारी करके गिरफ्तार कराने का काम करती है । इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं होगी ।

मैं कहना चाहता हूं वहां की विधायिका श्रीमती विमला चौहान, उन्होंने यह कोशिश की कि मजदूरों की मांगों को उठायेंगी लेकिन मिल मालिकों ने धमकी दी और वह अपनी बात नहीं उठा पायीं । हमारे नेता विरोधी दल भी माननीय मुख्य मन्त्री जी से 9 जून को मिले थे और तमाम मजदूरों की समस्याओं को रखा था तो स्वयं मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि वह शीघ्र ही नीति घोषित करेंगे तालाबंदी के बारे में । लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक कोई नीति घोषित नहीं हुई है और उल्टे हमारे यहां के श्रम मन्त्री जी उद्योग पतियों से मीटिंग कर चुके हैं, यह मेरी जानकारी में है लेकिन मजदूर नेताओं से एक बार भी बात करने का समय नहीं दे पा रहे हैं । इससे ज्यादा और अफसोस की बात क्या होगी । यह बहुत महत्व का मामला है । मैं चाहूंगा कि इस समस्या पर अविलम्ब चर्चा करायी जाय और यदि चर्चा नहीं कराई गई तो जैसा मुझे मालूम है, मोदीनगर में आये दिन

नोट—[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मजदूर नेताओं की हत्या करवायी जा रही है। पिछले दिन मजदूर नेता जय प्रकाश की हत्या हुई, उसके बाद इन्द्र पाल पर आक्रमण किया गया और उसके बाद उनकी घर वाली श्रमती केला देवी पर चाकुओं से मार कर हत्या की गई। मान्यवर, जो भी मजदूर मांग करता है, तो उसकी हत्या करा दी जाती है। मान्यवर, इस प्रकार से मजदूरों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इस पर मान्यवर, अवश्य चर्चा करा दें।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

श्रीमन्, कार्य-स्थगन के माध्यम से हमने बाराबंकी, रायबरेली, फजाबाद, सीतापुर, लखनऊ में सीपेज की समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया। वैसे यह समस्या तो है पिछले पांच वर्षों से, लेकिन अब यह समस्या जानलेऊ बन गई है। जब से बरसात शुरू हुई है, तमाम गांवों के मकान गिर गये, सीपेज से हजारों एकड़ जमीन 5 वर्षों से नहीं बोई गयीं। सरकार की तरफ से हर बार आश्वासन मिलता है कि इसका समाधान किया जा रहा है, लेकिन आज तक किसानों के लिए कोई भी फायदे की कार्यवाही नहीं की गई। सीपेज की समस्या से गांव के गांव खाली हो रहे हैं, वह नहर की पटरी पर आकर बस रहे हैं। हमने आपके माध्यम से सरकार से मांग की है कि सरकार आज ही अविलम्ब आश्वासन दे। जो प्रदेश के 5-6 जिले हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है। यह सरकार इस तरह के वादे तो करती है, लेकिन बेशर्मी से मुकर जाती है। 5 वर्षों से यह सरकार सीपेज की समस्या के लिए वादे तो कर रही है, लेकिन जो पैसा सरकार देती है, उसे अधिकारी लोग खा जाते हैं। मैं श्रीमन्, आपके जरिये से कुछ गांवों के नाम भी बताना चाहता हूं — कजियापुर, भरथीपुर, खुरूदनऊ, जारमऊ, खत्रीपुर, मल्लूलालपुर, जमीना, सराय रंजन।

श्री अधिष्ठाता—

समय नहीं है कि आप गांव बतावें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

एक बिस्वा जमीन भी वे लोग नहीं बो पाये हैं। जो जमीन उनकी है, उस पर सरकार लगान भी सख्ती से वसूल कर रही है। सिंचाई व लगान के लिए वहां के किसानों को जेल में भर दिया जाता है। मैं आपके जरिये से सरकार से मांग करता हूं, माननीय मुख्य मन्त्री जो बैठे हैं, यह प्रदेश की मुख्य समस्या है, मैं आपसे मांग करूंगा कि इस पर चर्चा करवायी जाय।

*सिंवाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

अभी सीपेज के बारे में कहा गया, मान्यवर, मैं बहुत पहले भी कह चुका हूं, सीपेज के लिए हम खुद चिन्तित हैं। लेकिन आप यह भी जानते हैं, जैसा माननीय वर्मा जी ने कहा कि कोई काम नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। सीपेज ड्रेन बनाई जा रही है, लखीमपुर-खीरी, सीतापुर में बनाई जा रही है। इसके बारे में ऐसा विचार किया गया कि नहर को पक्का कर दिया जाये और करीब-करीब नलकूप बोर करके पानी निकाला जाय। यह बहुत बड़ी समस्या है इसके लिए सातवीं पंच वर्षीय योजना में हम प्राविधान कर रहे हैं। जब मई के महीने में पानी नहीं रहता है, उस समय हम लाइनिंग का काम करायेंगे और भी सीपेज ड्रेन बनायेंगे, प्लान्टेशन करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी, तो नलकूप भी लगायेंगे। इस समस्या का समाधान किया जायगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

इस समय तत्काल क्या व्यवस्था करेंगे ? इस समय चारे की व्यवस्था वहां पर नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे ? उनसे जबरदस्ती लगान वसूल किया जाता है । इसके लिए माननीय मन्त्री जी क्या करने जा रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

एक आदमी को आज्ञा दी है अपनी बात रखने के लिए। मैं इसमें किसी और को आज्ञा नहीं दे रहा हूं....

(व्यवधान)

हमारे बुजुर्गवार अली साहब नये सदस्य हैं, मैं समझता हूं इनको अवसर दे दिया जाए इनका अनुभव बढ़ेगा ।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्यों ने कार्य-स्थगन पर लिख कर दिया है । मैंने एक माननीय सदस्य को बुला लिया है आप सब बैठें ।

(श्री मनोहर लाल का नाम पुकारे जाने पर ।)

*श्री मनोहर लाल--

मैं आपका आभारी हूं । इस सत्र में मैं बराबर कोशिश कर रहा हूं, कि जो अहम मामला है उनको कार्य-स्थगन के प्रस्ताव से आपके सामने रखूं । मान्यवर, यह सरकार उद्योगपतियों की सरकार है । उद्योगपतियों की हमदर्द सरकार है । इस सरकार से मजदूर या किसान यह आशा रखें, कि यह सरकार उनके हित की होगी, तो यह कभी नहीं हो सकता है इनकी सरकार को रोजी-रोटी देना आसान है रोजी-रोटी लेना आसान नहीं है । मान्यवर, जे0 के0 ग्रुप जो है इसका उत्तर प्रदेश में चौथा स्थान है । मैं जे0 के0 ग्रुप की पांच मिलों का उल्लेख करूंगा । इसकी मिलें हैं जे0के0 साटो,जे0के0 इलेक्ट्रानिक, जे0के0 कैलाश, जे0के0 रियान आदि । तो यह तो पांच मिलें हैं जिसमें 10 हजार मजदूर काम करते थे यह पिछले दस साल से बन्द पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से 50 हजार मजदूर भूखों मर रहे हैं । मान्यवर, जो मन्त्री हैं उन्होंने घोषणा किया था बन्द मिलों को खोलने के बारे में ।

श्रीमन्, जो जे0 के0 साटो, जे0 के0 इलेक्ट्रानिक, जे0 के0 कैलाश, जे0 के0 रियाग मिलें बन्द पड़ी हुई हैं, उसमें जे0 के0 साटो में 500 मजदूर, जे0 के0 रियान में 3500सौ, जे0 के0 इलेक्ट्रानिक में 400 तथा जे0 के0 कैलाश मिल में 2800 आदमी काम करते थे । यह सभी मिलें बन्द पड़ी हुई हैं । इसमें कई दफे मंत्रियों ने आश्वासन दिए, तमाम लोगों ने मन्त्री जी से बात की लेकिन आश्वासन के बाद भी मिलें बन्द पड़ी हुई हैं । ऐसा लगता है कि जे0 के0 ग्रुप जो मिलें बन्द कर रहा है उसमें सरकार की साजिश है ।

मान्यवर, जहां कपड़े का उत्पादन होता था, वह अब नहीं कर रहे हैं, वहां दूसरे उद्योग लगाए जा रहे हैं । प्रदेश में मजदूरों के भूखों मरने की नौबत आ गई है और जे0 के0 ग्रुप वाले प्रदेश में जो मिलें लगी हुई हैं उनको हटाकर दूसरी मिलें लगाना चाहते हैं । चार-पांच साल से मजदूरों के परिवार भूखे मर रहे हैं, मजदूर भूखों मर रहे हैं और यह मिलें बन्द पड़ी हैं, यह पता नहीं कब खोलेंगे । मुख्य मन्त्री जी ने भी आश्वासन दिया है । बजट में कहा गया है कि बंधुआ मजदूरी को खत्म किया जाएगा । तमाम तरह की घोषणायें की हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । मान्यवर, जैसे मोदी नगर का मामला है, उससे ज्यादा अहम का मामला यह है । जो जे0 के0 साटो0, जे0 के0 इलेक्ट्रानिक, जे0 के0 कैलाश और जे0 के0 रियान मिलें बन्द पड़ी हैं उनको खोला जाए । यह छोटे-छोटे मजदूरों का मामला है । लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकार इसमें सरकार कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है, यह बड़े-बड़े उद्योग-पतियों से मिली हुई है। यह सरकार कार्यवाही करने में हिचकिचा रही है दूसरी तरफ छोटे-मोटे कारखाने वाले होते, छोटे-मोटे किसान होते तो सरकार कार्यवाही करने में न हिचकती। 4 नम्बर के उद्योगपति के खिलाफ और मिल जो बन्द हैं, चालू करने के लिये क्या करेंगे, इसका आश्वासन सरकार को देना चाहिए। मैंने दूसरा प्रश्न दिया था। एक उन्नाव का मामला था उसको भी सुन लें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, पिछले काफी दिनों से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारी जो 10 हजार से अधिक हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आप जानते हैं कि विश्वविद्यालयों के सत्र प्रदेश में वैसे ही अव्यवस्थित और अनियमित हैं। इस हड़ताल ने लाखों छात्र-छात्राओं के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है। आज स्थिति यह है कि विश्वविद्यालय की परीक्षायें केवल इसलिए नहीं हो पा रही हैं कि सारा नान टीचिंग कर्मचारी हड़ताल पर है। जो परीक्षायें हो गई हैं, उनका रिजेल्ट नहीं बन पा रहा है, जो रिजेल्ट बन गए हैं, उनकी अंक तालिका नहीं आ रही है। जो नये विषय एम0 ए0 या बी0 ए0 में खोलने की मान्यता मिलती थी, सारे मामले हड़ताल की वजह से रुके पड़े हैं।

मेरा निवेदन है कि यह 10 हजार कर्मचारियों की हड़ताल का ही मामला नहीं है बल्कि प्रदेश के जितने हायर एजूकेशन से सम्बन्धित छात्र-छात्रायें हैं उनके भविष्य का प्रश्न जुड़ा हुआ है। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से, शिक्षा मन्त्री जी से और उन सारे लोगों से जिनका यह विश्वास है कि इस देश का भविष्य नौजवानों के भाग्य के साथ जुड़ा है, उनको इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इसीलिए कार्यस्थगन में मैंने इसको दिया है। इस पर मुख्य मन्त्री जो बतायें कि उनकी मांगें क्या हैं, उनको मानने में अड़चन क्या है, उनकी मांगें मानी जायेंगी या नहीं। अगर मानी जायेंगी तो किस हद तक, नहीं मानी जायेंगी, तो उसमें कठिनाई क्या है। इस हड़ताल को समाप्त कराकर शिक्षा सत्र को चालू कराने के लिये सरकार कौन सा कदम उठाने जा रही है, यह सारा सदन और सारा प्रदेश जानना चाहता है, जिसका शिक्षा से जरा सा सम्बन्ध है। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है इसकी गम्भीरता को स्वीकार करते हुये, इस पर चर्चा करा दें, मुख्य मन्त्री जी, शिक्षा मन्त्री जी वक्तव्य दें, आश्वासन दें जिससे सारा प्रदेश आश्वस्त हो सके कि शिक्षा संस्थाओं की हड़ताल कब तक समाप्त होगी और कब तक छात्र-छात्राओं की शिक्षा की व्यवस्था चालू हो सकेगी।

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप कृपा करें 6-7 कार्यस्थगन लिये हैं और माननीय सदस्यों को सुनने की अनुमति दो। तिवारी जी ने जो प्रश्न उठाया है और कर्मचारियों की मांग के बारे में कहा है, उन कर्मचारियों की सात मांगें हैं। पहली--मांग समयबद्ध वेतनमान, चयन वेतनमान दूसरी--वेतनमान में व्याप्त विसंगतियों को दूर करना, तीसरी--अवकाश नकदीकरण स्वीकार करना, चौथी--निदेशालय स्तर के वेतन स्वीकृत करना, पांचवी--आवासीय समस्या, छठी--एल0टी0 सी0 की सुविधा, सातवीं--चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष की, ग्रेच्युटी स्वीकार करना। इस सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मन्त्री जी वार्ता कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वार्ता का परिणाम निकलेगा। जो समस्या माननीय किरनपाल सिंह ने उठाई, मनोहर लाल जी ने भी कहा। मोदीनगर और जे0 के0 ग्रुप के बारे में वह अपनी

जगह सही हैं । जितने अच्छे सम्बन्ध सेवायोजकों और श्रमिकों में होने चाहिये वह नहीं हैं । लेकिन यह सत्य से परे हैं कि सरकार ने कोई सक्रिय योगदान नहीं किया हैं । जो पुलिस की बात कर रहे हैं, इसमें पुलिस के बल से इसको नहीं कर सकते हैं । इसके लिये लेबर कमिश्नर और माननीय श्रम मन्त्री जी सम्बन्ध सुधार के लिये प्रयास कर रहे हैं । मैं आश्वस्त करता हूं कि आप सम्बन्धों को देखने की बात न करें, मैं सम्बन्धों को सुधारने की बात करता रहूंगा ।

श्री मनोहर लाल—

सम्बन्धों को सुधारने का कोई सवाल मैंने नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह—

सम्बन्धों को सुधारने में कोई समय नही लगेगा ।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, शिक्षा मन्त्री जी बैठें हैं, श्रम मन्त्री बैठे हैं, माननीय मुख्य मन्त्री बैठे हैं और संसदीय कार्य मन्त्री जवाब दे रहे हैं । मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न मेरा यह है कि माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि हम मजदूरों और उद्योग-पतियों के सम्बन्धों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, मान्यवर, यह बात सही है कि पुलिस के बल पर श्रमिकों को नहीं लगाया जा सकता हैं ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता—

आपने बुनियादी बात कह दी है उसको मैंने सुन लिया है ।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, मोदी इन मिलों को बन्द करके नयी मिल लगाना चाहते हैं, मैं इसको जानना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है अब इस पर रूलिंग होगी ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, कानपुर में 21/22 जुलाई, 1985 की रात्रि में 6 व्यक्तियों की हत्या बन्दूक और घातक हथियारों से कर दी गई । इस सम्बन्ध में जो तथ्य अब तक आये हैं उसका उल्लेख मैं करना चाहता हूं । इसमें दोनों की रंजिश पुरानी थी । हत्या करने में वर्तमान प्रधान भी शामिल है । जिस आदमी की हत्या हुई हैं, वह प्रधान के खिलाफ चुनाव लड़ा था । इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरन्त मौके पर पहुंची और एक व्यक्ति को अब तक गिरफ्तार भी किया जा चुका है । पुलिस अधीक्षक, जिला अधिकारी भी मौके पर गये हैं, तफतीश चल रही है । जैसे ही परिणाम निकल आयेगा कि किन लोगों ने यह अपराध किया है उनको बख्शा नहीं जायेगा और उनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, अगर हरिजनों ने यह शिकायत की थी कि उनकी जानमाल का खतरा है और खुद मैंने इसको उठाया था । मान्यवर, कृपा करके इस बिन्दु पर उत्तर दिलाइये कि अगर हरिजन परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी कि प्रधान से हमको खतरा है तो उसकी सुरक्षा का कोई प्रयास किया गया ।

श्री अधिष्ठाता—

यह प्रश्न का सवाल नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैंने इसका उत्तर दे दिया जो अब तक प्रकाश में आया है ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, आज स्वास्थ्य विभाग का बजट प्रस्तुत होने वाला है। नियम 56 में वैसे ही इतना समय लग गया है। ऐसा न हो कि ऐसी परिस्थितियों में बजट का पूरा समय ही नष्ट हो जाय। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी चाहते हैं कि यह दिन भर चले। मान्यवर, नियम 56 की अपनी महत्ता है उसे खत्म न किया जाय किसी विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न पर ही नियम 56 में उठायेंगा।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोक पति त्रिपाठी)--

मैं तो तैयार हूं।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, हमारे वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रकाश दिखाया है यह प्रकाश उधर भी फैलेगा। मैं पुनः आश्वस्त करता हूं कि जो लोग अपराधी हैं उनको किसी प्रकार बख्शा नहीं जायेगा।

*श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, कल से माननीय मुख्य मंत्री जी पुलिस का मनोबल काफी बढ़ा रहे हैं। मान्यवर, उनका मनोबल बढ़ाने के संदर्भ में पडरौना के भीतर भी एक घटना हुई। मान्यवर, रामजी कसेरा नामक एक युवक को 4-4-85 को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। उसको 5-5-85 को पीटते हुए पडरौना शहर में घुमाया गया और उसकी इतनी पिटाई की गई कि 6-5-85 को उसे देवरिया अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस जिस समय उसकी पिटाई कर रही थी। जिस समय उसकी पिटाई की गई उस समय एस0 पी0 कोतवाली भी मौजूद था। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उसके 4 जगह चोटें बतायी गयीं। पोस्टमार्टम में स्पष्ट हुआ कि उसे 17 जगह चोटें आई थीं। गिरफ्तारी के बाद उसकी मृत्यु से पूर्व उसकी इतनी पिटाई की गई कि उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। इससे स्पष्ट रूप से साबित है कि वहां की पुलिस पर हत्या का जुर्म बनता है और सारे प्रदेश के अन्दर पुलिस कानून से ऊपर और संविधान के ऊपर पुलिस राज हो गया है। यहां मुख्य मंत्री जी का राज नहीं है, पुलिस राज है। कानून और व्यवस्था नाम की जैसी स्थिति हो गई है उससे पता लगता है कि रूल आफ ला रह ही नहीं गया है।

मान्यवर, सारा पुलिस प्रशासन कानून और व्यवस्था के ऊपर होकर राज कर रहा है और इस तरह के कांड पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। अभी इलाहाबाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, लखनऊ में राजू नामक लड़के की हत्या कर दी गई, पुलिस कस्टडी में आजमगढ़ में भी हत्या की गई। तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि पडरौना पुलिस के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, वे सब लोग वहीं कायम हैं। उसके लिय मैजिस्टीरियल इक्वायरी बैठाई गई तो एस0 एन0 सिंह दरोगा ने बताया कि उसकी पिटाई के समय एस0 पी0 वहां मौजूद थे। अब, एस0 एन0 सिंह दरोगा का कहना है कि उसे पुलिस अधीक्षक से खतरा है, जान और माल का खतरा है और वे उसका कत्ल करा देना चाहते हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस गम्भीर मसले को कार्य स्थगन के प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करके इस सदन में इस पर चर्चा कराई जाय। उसकी मृत्यु के बाद उसके पिता को उसका शव भी नहीं दिया गया और बरहज नामक स्थान पर ले जाकर उसे फूंक दिया गया। इस पर चर्चा अवश्य करायी जाय।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, एक ऐसी घटना की ओर, कि यदि समय रहते स्थिति पर नियंत्रण पाने का प्रयास नहीं किया गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो यह समस्या ऐसा रूप लेगी तो अलीगढ़ नगर या क्षेत्र तक ही सीमित न रहकर इसका दुष्प्रभाव पूरे प्रदेश की जनता को उठाना पड़ेगा । आप जानते हैं कि अलीगढ़ जिला एक संवेदनशील जिला है । न मालूम कितनी बार यह दंगों से त्रस्त और बर्बाद हो चुका है । अब वक्त आया है कि वहां के सभी समुदाय के लोग हिन्दू और मुसलमान भाई चारे की तरह रहना चाहते हैं । लेकिन वहां के अधिकारियों की अदूरदर्शिता के कारण और नासमझी के कारण ऐसी स्थिति है कि अलीगढ़ जलता रहे और प्रतिक्रिया स्वरूप पूरा प्रदेश जलता रहे । आपके प्रशासनिक अधिकारियों की सूझ-बूझ के अभाव और अदूरदर्शिता के कारण फिर से वही दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास अलीगढ़ जिले और नगर में और पूरे उत्तर प्रदेश में दोहराया जा सकता है । मान्यवर, 17 तारीख को वहां के व्यापारी संघ की ओर से उत्तर प्रदेश बन्द का अनुरोध किया गया था । पूरे प्रदेश में बन्द था अलीगढ़ में भी चाहे छोटा दुकानदार, हिन्दू हो या मुसलमान हो, बन्द में पूरी तरह से योगदान दिया । लेकिन वहां के अधिकारियों ने दुकानदारों के साथ दुर्व्यवहार किया ।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, यह कार्य-स्थगन के माध्यम से इस प्रस्ताव पर चर्चा करा रहे हैं क्या ?

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं । वहां 17 तारीख को बन्द रहा । फिर 18 तारीख को कुछ नहीं हुआ । लेकिन अधिकारियों ने वहां पुलिस और पी० ए० सी० को ले जा करके दुकानदारों को पीटा । फिर 19 तारीख को दुकानदारों ने मिल करके मीटिंग की । जो तांडव नृत्य हुआ है, वह 20 तारीख को हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता--

कल्यान सिंह जो आप बैठें, अपनी बात आपने कह दी है ।

श्री कल्यान सिंह--

अलीगढ़ शहर का कोई बाजार नहीं रहा, जहां पुलिस पी० ए० सी० ने डंडे न बरसाये हों । पत्रकारों को भी पीटा है ।

(शेम शेम की आवाजें)

वहां के नागरिकों को पीटा । राकेश कुमार गुप्ता, सत्य प्रकाश गुप्ता इन दो लोगों की हालत अत्यन्त नाजुक है । ओम प्रकाश नामक व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज हो गया है । महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया । मैं वहां के कांग्रेस के विधायकों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भी इस घटना की वहां भर्त्सना की थी । इसके अलावा कांग्रेस का स्वागत समारोह का जो कार्यक्रम था, वह भी उन लोगों ने कैंसिल किया, उसके लिये भी मैं बधाई देना चाहता हूं । इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि वहां आर्य समाज के एक मंदिर में मीटिंग हो रही थी, मीटिंग से लौटने के बाद, वहां लोगों को मारा पीटा गया ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें ।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस घटना की जुडिशियल इन्क्वायरी कराई जाय । दोषी अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाय, उन्हें वहां से ट्रांसफर किया जाय । मान्यवर, वहां जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है । अगर इसे समय रहते न रोका गया, तो वहां आग भड़क सकती है, पूरे प्रदेश में भड़क सकती है । मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इस बारे में कुछ कहें ।

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

सम्मानित नेता भारतीय जनता पार्टी ने अलीगढ़ की पिछली 3-4 दिनों की घटनाओं का जो उल्लेख किया है, उसके सम्बन्ध में मैं केवल इतना निवेदन करूंगा कि जो सूचनायें हैं, उसके आधार पर जो घटनाएं हैं, मैं उनके विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। जो सूचनाएं आयी हैं, उसको वैसे ही मैं कह दूं, तो विवाद बढ़ सकता है, मैं विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उससे किसी प्रकार से सहायता नहीं होती है। राज्य मंत्री न्याय सुरेन्द्र सिंह जी वहां पर थे और जैसा कि सम्मानित नेता भारतीय जनता पार्टी ने कहा सम्मानित विधायक जो अलीगढ़ नगर से निर्वाचित हैं कैप्टन बल्देव सिंह, वे भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने मुझे वस्तु स्थिति से अवगत किया था। इन लोगों ने सभी पक्षों से बातचीत की है। व्यापारियों ने भी पूरा सहयोग किया है। अब वहां अपेक्षाकृत शान्ति है। नेता भारतीय जनता पार्टी का सहयोग इसलिये चाहूंगा कि जैसा इन्होंने कहा अलीगढ़ एक नाजुक स्थान है, आज वहां शांति की जरूरत है, वहां कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। मैं अन्य सभी लोगों का सहयोग चाहूंगा ताकि अलीगढ़ में शान्ति बढ़े। किसी प्रशासनिक अधिकारी की कोई इसमें त्रुटि यदि प्रबन्ध की है, तो मैं उसको अवश्य देखूंगा।

श्री कल्याण सिंह--

माननीय, इतनी सब स्थिति यहां होने के बावजूद भी मुख्य मन्त्री ने किसी जुडिशयल इन्क्वायरी का आश्वासन नहीं दिया और न ही दोषी अधिकारियों को वहां से ट्रांसफर करने की बात कही, ऐसी स्थिति में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता हूं।

(श्री कल्याण सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अधिष्ठाता--

कार्य-स्थगन की पहली सूचना जो श्री सरदार सिंह, श्री मनोहर लाल व श्री अवधेश प्रसाद की, कानपुर देहात में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है को वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, आपका जो निर्णय है, वह शिरोधार्य है। लेकिन, मान्यवर, 1980 के बाद इस प्रदेश में सामूहिक हत्यायें बढ़ती जा रही हैं और इन सामूहिक हत्याओं को रोकने में सरकार पूरी तरह से अक्षम है। इन सामूहिक हत्याओं में सबसे ज्यादा हरिजनों की हत्याएं हुईं। देहुलीकान्ड घटित हुआ था। इसके बाद बेहमई में भी हुआ। सबसे ज्यादा हरिजन लोग मारे गये। मान्यवर, इस पर केवल वक्तव्य से काम चलने वाला नहीं है। मैंने सोचा कि मेरे बिना इन्टरवीन किए हुए आप इस पर चर्चा स्वीकार कर लेंगे। पूरे प्रदेश में हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है, सामूहिक हत्यायें हो रही हैं। और यह सरकार उसे रोकने में पूरी तरह से अक्षम है इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, मैं आपकी सहूलियत के लिए एक बात कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य से अगर माननीय सदस्य सन्तुष्ट नहीं होंगे तब विचार कर लिया जायगा। श्री किरनपाल सिंह जी की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं, सीतापुर, बाराबंकी और

फंजाबाद के विषय को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द करता हूं । श्री मनोहर लाल जी की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं । श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, देवरिया की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है । दोनों पक्षों को सुनने के बाद अलीगढ़ के मामले पर शासन का ध्यान आकर्षित करा रहा हूं चूंकि यह बहुत ही सेन्सिटिव मामला है, इसलिए इसे देखा जाय ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मुख्य मन्त्री व शिक्षा मंत्री भी यहां पर मौजूद थे । विश्वविद्यालय बन्द हैं । बच्चों के इम्तिहान नहीं हो रहे हैं । सरकार ने जो अपना एटटीट्यूड इस, विषय पर दिखाया है, उसे देखते हुए मैं अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री रेवती रमण सिंह, अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(मद संख्या 8 पुकारे जाने पर तथा श्री राजेन्द्र गुप्त जी की व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति न दिये जाने पर व्यवधान ।)

1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा), अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) तथा अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

(2 बजकर 10 मिनट)

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 81,05,06,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 39,97,74,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 26,23,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री रणजीत तथा श्री बालेश्वर कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य को मांग करते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये । तत्पश्चात् श्री राम सरन के प्रयास से वापस भी चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता--

आप हमें मजबूर नहीं कर सकते । जो निर्णय देना था, दे दिया । इस तरह से व्यवस्था नहीं हो सकती ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

आपने मुझे बोलने का मौका दिया....

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

जो सूचनायें या प्रस्ताव आये थे उनमें कम से कम देखना चाहिए था कि....

(घोर व्ययधान)

श्री अधिष्ठाता--

निर्णय के बाद आपकी व्यवस्था इस पर नहीं हो सकती । मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया शान्त रहें ।

चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित बजट साहित्य समय से न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

माननीय, आज से बजट पर बहस प्रारम्भ हो रही है । आज पहला दिन है और पहले ही दिन ऐसी परम्परा पड़ रही है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । माननीय, यह जो मद संख्या 8 है, इस पर मन्त्री जी खड़े हुए थे, इस पर व्यवस्था का प्रश्न है । आप अध्यक्ष पीठ से जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण, यह षष्ठ संस्करण है, इसके नियम 211 को देखें । आज आप अधिष्ठाता हैं लेकिन जब आप यहां बैठेंगे तो आप को भी दिक्कत पड़ सकती है अगर इसका पालन नहीं हुआ । इसमें है माननीय, सदस्यों को जो साहित्य दिया, जिस पर हमें यहां विचार करना है, कम से कम 4 दिवस पूर्व विधान सभा सचिवालय को अवश्य भेज देना चाहिए । हमको बजट मिल गया लेकिन जो साहित्य हमको मिला था जिस पर विचार करना है, आपके सचिवालय में जाकर पता लगाया, यह दो किताबें मिली हैं पिजन होल में, एक कल साढ़े चार बजे और एक आज सुबह 9 बजे । 5 बजे सदन समाप्त होता है, माननीय सदस्य चले गये ।

अब अगर हमको साहित्य नहीं मिला है, आप स्वयं कल्पना करें कि इस बजट के ऊपर भाषण देने में हम और ये न्याय कर सकेंगे ? हम न्याय नहीं कर सकेंगे । माननीय, आप सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें । आप इस बजट के ऊपर बहस रोक दें क्योंकि हम उसके ऊपर तैयार नहीं हो सके हैं । माननीय, मैं इसके ऊपर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

नियमों के अनुसार उनको समय से ही बांटना चाहिए । यदि वह आज विलम्ब से बंटा है तो मैं इसके लिए आज्ञा देता हूं कि आइन्दा इसका ध्यान रखें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, जो त्रुटि हुई है, वह नहीं होगी । यह त्रुटि परम्परागत है । अब भविष्य में नहीं होगी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

1985-86 के आय व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा), अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग, (परिवार कल्याण) तथा अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (क्रमागत)

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं वर्ष 1985-86 का लेखा अनुदान एक पवित्र संकल्प के रूप में प्रस्तुत करता हूं। स्वास्थ्य विभाग मेरे पास विगत 5 वर्षों से रहा और आपकी कृपा से, माननीय सदस्यों की कृपा से पुनः मेरे पास है। श्रीमन्, इसके पूर्व कि मैं ने आने वाले वर्षों में अथवा इस वर्ष क्या कुछ करूंगा, मैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देता हूं विगत 5 वर्षों की उनकी सेवाओं के लिए।

(व्यवधान)

इसके बावजूद कि हमारे विभाग में, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में बड़ी त्रुटि है फिर भी उत्तर प्रदेश को किसी भयंकर महामारी की चपेट में आने से बचाने में हम सक्षम रहे हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

स्वास्थ्य विभाग 1980 में जब मेरे पास आया, शासन तंत्र के पास आया उस समय गोरखपुर मंडल में मस्तिष्क ज्वर की बीमारी फैली हुई थी। बस्ती देवरिया आदि जनपदों में यह बीमारी फैली हुई थी। आजमगढ़ में पीलिया, मुरादाबाद, बदायूं, पीलीभीत में भी मस्तिष्क ज्वर की बीमारी फैली थी। 1982-83 में पुनः जनपद शाहजहांपुर में मलेरिया का प्रकोप था ये दोनों प्रकोप हमारे प्रदेश में हुए जिनसे हम बचकर प्रदेश को स्वस्थ रखने में सफल हुए हैं। श्रीमन्, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जैसा 1980 में प्रथम बजट अनुदान उपस्थित करते हुए मैंने सम्मानित सदन को अवगत कराया था शासन का दृष्टिकोण स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ ले जाने का है। मुझे इस बात को माननीय सदन को बताते हुए गर्व होता है कि विगत 5 वर्षों के अन्दर हमने लगभग 250 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का जिनकी स्थापना हो चुकी है और जिनके भवन नहीं थे उनके भवन निर्माण की आज्ञा शासन से जारी हो रही है।

आर्युवेदिक लक्ष्य से अधिक, होम्यो-पैथिक लक्ष्य से अधिक, एलोपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में हुई। जहां मैं यह कहता हूं वहीं यह कहने में भी हिचक नहीं कि जहां तक उत्तर प्रदेश में चिकित्सकों की व्यवस्था का प्रश्न है, असफल रहे हैं: वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84, इन तीन वर्षों के अन्दर लोक सेवा आयोग के द्वारा एलोपैथिक में लगभग 2600 चिकित्सकों का चयन हुआ। इन तीन वर्षों में लगभग 800 महिला चिकित्सकों का चयन हुआ। 200 के लगभग महिला चिकित्सक और 1400 या 1600 के लगभग पुरुष चिकित्सकों ने शासन की सेवायें स्वीकार कीं, अन्य ने स्वीकार नहीं की हैं। उनको आखिरी सरूप जो शासन ने बढ़ाया था, बीत गया है। वे ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करने को तैयार नहीं हैं।

(विपक्ष की ओर से "ग्रामीण क्षेत्रों में आपने भेजे कितने थे?" की आवाज आने पर)।

सभी ग्रामीण क्षेत्रों में गये। 930 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, 1500 एलोपैथिक चिकित्सालय हैं, 1200 आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, 110 यूनानी चिकित्सालय हैं, 350 होम्योपैथिक चिकित्सालय हैं, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। नगरीय क्षेत्र में जो हैं, उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। उनमें चिकित्सकों की कमी रही, नहीं गये।

अभी शासन ने निर्णय लिया है महिला चिकित्सकों के सम्बन्ध में कि जो हमारे प्रदेश में महिला चिकित्सक निजी सेवायें कर रही हैं, जो महिला चिकित्सक सरकारी सेवाओं से निवृत्त हो चुकी हैं, उनको 50 रु0 प्रति दिन और उनके यात्रा भत्ते पर नियुक्त करने के लिये उनके प्रार्थना-पत्र मांग रहे हैं। उनकी सेवायें स्वीकार करने जा रहे हैं इसलिये कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में महिला चिकित्सकों की सेवायें उपलब्ध करा सकें। जो महिला चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि को रहेंगी, उनको 25 रु0 अतिरिक्त भत्ता प्रति रात्रि दिया जायेगा।

जो उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिनकी स्थापना हो रही है सातवीं पंचवर्षीय योजना में, संयुक्त चिकित्सालय और जिला स्तर के चिकित्सालय, जिनकी स्थापना होगी और भवनों का निर्माण होगा, वहां पर भी महिला चिकित्सकों की सेवायें उपलब्ध करायी जायेंगी। हमारी जनसंख्या में महत्वपूर्ण अंग बालकों का होता है चाहे बालिका हो अथवा बालक हो। गर्भावस्था से लेकर, गर्भावस्था में 3 माह के गर्भ से लेकर 10-12 वर्ष की आयु तक इनकी जनसंख्या 30 प्रतिशत है, 16 वर्ष की आयु तक इनकी जनसंख्या 40 प्रतिशत है। हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे बड़ी दुर्बलता थी, कमी थी कि बाल चिकित्सालय की तरफ हमारा ध्यान नहीं था। छठी पंचवर्षीय योजना में यह योजना चल रही थी, यह नहीं है कि नयी योजना चलाई है, छठीं पंचवर्षीय योजना में 80 बाल चिकित्सालयों की स्थापना उत्तर प्रदेश में की, बाल चिकित्सक भी भेजे। हमारा एक कार्यक्रम है--"मातृ शिशु कल्याण", यह भी चल रहा है। दो भूतपूर्व मन्त्री माननीय कल्याण सिंह जी और माननीय कौशिक जी यहां हैं, इनके भी कार्यकाल में इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जैसी कि आवश्यकता थी। सारी सेना उनके पास थी, साधन थे लेकिन उधर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि सबसे अधिक परेशानी जिला चिकित्सालय में होती है।

तो श्रीमन्, मातृ-शिशु कल्याण के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में यह हम २१ दुर्भाग्य है कि सबसे अधिक जन्म दर है। उत्तर प्रदेश की जन्म दर में भी उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में भी आगे है। उत्तर प्रदेश में "मां" जिसे जच्चा कहते हैं की मृत्यु दर भी अधिक है, वह इसमें भी अग्रणी है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपके सामने लाना चाहता हूं जिसके लिये हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व है केवल स्वास्थ्य मंत्री का ही यह उत्तरदायित्व नहीं है। यह हर व्यक्ति का कार्य है, हर माता और पिता का कार्य है जो कि प्रति वर्ष सन्तान उत्पन्न करते हैं या कराते हैं। इसकी जानकारी में आपको दे दूं कि हमारे यहां 18 हजार ए0 एम0 एस0 हैं 7वीं योजना में 9,000 ए0 एम0 एम0 और बढ़ेंगे। पांच हजार जनसंख्या में महिला 2400 और महिला-पुरुष जिसको आदर्श दम्पति कहते हैं, उनकी जनसंख्या 900। इन 900 महिलाओं को एक ए0 एम0 एस0 को देखना है। इसमें हेल्थ विजिटर्स को देखना है कि जो मां या बहिन गर्भवती हैं जिसका कि गर्भ तीन महीने का हो गया है उनको उस समय से वह अपने संरक्षण में ले लें क्योंकि यह शासन की नीति है। हर बहिन का शिशु तीन माह से तीन वर्ष तक उसके संरक्षण में रहेगा, यह शासन की जिम्मेदारी है। क्योंकि मृत्यु दर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। जब तक हम मृत्यु दर पर रोक नहीं लगायेंगे तब तक आबादी पर अंकुश नहीं लगेगा।

जब तक हम हर व्यक्ति को, हर मां-बाप को उसके अन्दर यह विश्वास नहीं डाल देंगे कि उसकी होने वाली सन्तान जीवित रहेगी, तब तक उन्हें इस पर विश्वास नहीं होगा। परिवार कल्याण योजना को लोग क्यों नहीं अपनाते हैं? क्योंकि उन्हें डर है कि हमारी यह होने वाली सन्तान पता नहीं जीवित रहेगी या नहीं। इसीलिये वे इसे नहीं अपनाते हैं क्योंकि उन्हें इस पर विश्वास नहीं है। जब उन्हें यह विश्वास हो जायेगा कि उनका बालक या बालिका जीवित रहेगी,

विश्वास हमें उनके अन्दर भरना पड़ेगा और हम यह कार्य कराकर रहेंगे ।

श्रीमन्, स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम समस्या जनसंख्या की ही है । इस वर्ष गर्मी में आप देखें कि वाराणसी में गंगा घाटों पर बहुत नीचे उतर गयी । वहां तक उतर गयी जहां पहले कभी नहीं गयी थी । सीढ़ी में आखिरी सीढ़ी को वह छू रही थी । आखिर क्यों ?

(इस समय 2 बज कर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी पीठासीन हुए ।)

हमने पेट भरने के लिये गंगा का हर पानी का बूंद हरिद्वार में ले लिया ····

(व्यवधान)

एक सदस्य--

दिल्ली चला गया ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

दिल्ली कितना गया । वहां पर भी हमारे आपके भाई हैं । उनकी भी रक्षा करना हमारा आपका धर्म है । तो श्रीमन्, हरिद्वार में पानी ले लिया, नरोरा में ले लिया, कासगंज, एटा में ले लिया । अब गंगा में जल कहां है । जमुना जी की क्या स्थिति है । आगर जिला मेरे पास आ गया । आगरा के लोग कैसे जीवित हैं, यह आश्चर्य की बात है और यह उत्तर प्रदेश के ऊपर भगवान की कृपा और महिमा है कि सही रूप में यह प्रदेश देवताओं के अवतरण में घूम रहा है । कितने गन्दे जल से गंगा-यमुना बह रही हैं । हम सबको यह थप्पड़ मारती हैं मुझे भी आपको भी । अगर आप उत्तर प्रदेश में हर बाथ रूम के अन्दर फ्लश सिस्टम लगा दें और हर व्यक्ति को मैदान जाने से रोक दें और सबको शौचालय में जाना पड़े तो उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों को उनके शौच को बहाने के लिये, उनके मूत्र को बहाने के लिये 8 हजार क्यूसेक पानी चाहिये जब कि गा का पानी जनवरी से लेकर मई तक उपलब्ध नहीं रहेगा । हमारे शौच को बहाने के लिये इस प्रदेश में जल नहीं है । यह किसी व्यक्ति का कार्य नहीं है, यह कार्य समाज का है और आपका है । आप उठो और जागो । आपके क्षेत्र में परिवार कल्याण कैम्प लगे हुये हैं । लोगों को बताओ कि शादी के बाद 3 वर्ष से पाँच वर्ष तक बच्चा न हो । इसकी शिक्षा देनी होगी । स्पेसिफिक मेथड्स अपनाने होंगे ।

एक सदस्य--

ब्रह्मचर्य रखना होगा ····

श्री लोकपति त्रिपाठी--

क्षमा करेंगे, ब्रह्मचर्य से काम नहीं चलेगा । जब तक कोई बालक मां का दूध पीता रहे तब तक यह वर्जित रहे कि वह गर्भवती होगी । ब्रह्मचर्य पर कोई रोक नहीं है । यह आपकी शक्ति की चीज है । हमें यह अधिकार नहीं है कि हर एक नये जीव को इस धरती पर उतारें और उसके लिये भोजन, कपड़ा, स्कूल की व्यवस्था न कर सकें, तो यह हमारा पाप है ।

एक सदस्य--

यह सरकार का पाप है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सरकार आपके द्वारा गठित है । यह सरकार आपके द्वारा है, आपके लिये है और आपकी है । जो आप कर रहे हैं वह हम कर रहे हैं । हम और आप दोनों को मिलकर इसको सुधारना होगा ।

मान्यवर, दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि जो हमारी रही है वह है आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक शिक्षा का प्रान्तीयकरण । आज भी भारत के किसी भी प्रदेश ने इन दो महत्वपूर्ण शिक्षाओं को इस तरह से नहीं लिया है । इसमें हमको परेशानी हुई भी और नहीं भी हुई । एक साथ तो हम पूरा नहीं कर सकते कि कालेजों को एक साथ बढ़ा दें । लेकिन यह निर्णय लिया गया कि 1985-86 में ह आयुर्वेदिक कालेज के साथ बालक

और बालिका का दो-दो छात्रावास बनाया जाय और 1985-86 में होमियोपैथिक विद्यालयों म बालक और बालिकाओं के दो-दो छात्रावास बनाये जायं । हमारे पास इस समय 9 होमियोपैथिक, 10 आयुर्वेदिक तथा 2 यूनानी कालेज हैं । लखनऊ में बालक और बालिकाओं के लिये छात्रावास हैं । आयुर्वेदिक कालेजों के छात्र वास बन रहे हैं और 5 वर्ष में हम सभी आयुर्वेदक, यूनानी और होम्यो कालेजों में छात्रावास सुविधा उपलब्ध करा दें ।

भारतीय चिकित्सा पद्धति का जो मापदंड है आयुर्वेदिक कालेज के सम्बन्ध में उसमें अभी 17, 18 तारीख को दिल्ली में हमारी बैठक हुई थी जिसमें एक क्षेत्रीय शोध संस्थान आयुर्वेदिक का बनारस में स्थापित होगा । मैंने उनसे अनुरोध किया और मुझे विश्वास है कि उनकी स्वीकृति हमें मिल जायेगी । उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिल कर सारनाथ में यह आयुर्वेदिक शोध संस्थान स्थापित करेंगे । यह हम सातवीं पंच-वर्षीय योजना में करने जा रहे हैं । लखनऊ में रीजनल शोध संस्थान यूनानी का होगा या होम्योपैथी का भी शोध संस्थान लखनऊ में निकट भविष्य में स्थापित होगा ।

हमारे यहां 950 स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिसमें 150 केन्द्रों पर एक-एक तृतीय चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी का रहेगा बाकी पर एक चिकित्सा अधिकारी होंगे । आयुर्वेदिक और यूनानी का इस तरह से हमारे स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारी रहेंगे । इस प्रकार आयुर्वेदिक यूनानी और एलोपैथी के दो चिकित्साधिकारी रहेंगे ।

एलोपैथी की शिक्षा के सम्बन्ध में निर्णय लिया है कि हर मेडिकल कालेज में फुल बाडी स्क्रीनिंग मशीन होगी । पहली मशीन लखनऊ मेडिकल कालेज में जापान के सहयोग से लग रही है । कानपुर इलाहाबाद, आगरा, गोरखपुर, मेरठ आदि के भी यह मशीनें लगेंगी जिनको हमारी सरकार लगायेगी ।

श्री गोपाल दास यादव--

लेकिन अभी तक कोई बिल्डिंग नहीं बनी है । निर्णय तो पहले हो चुका था ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मैं इस विभाग का मंत्री हूं मुझे जानकारी है कि आपको । यह मशीन जापान के सहयोग से लखनऊ में लगेगी बाकी में यह सरकार लगायेगी अपने माध्यम से ।

श्री कल्याण सिंह--

जनता पार्टी के शासन के दौरान एक प्रस्ताव विचाराधीन था कि प्रदेश में एक यूनीवर्सिटी फार मेडिकल साइन्सेज की स्थापना की जाय। इसके सम्बन्ध में भी माननीय मंत्री जी को कोई जानकारी है या नहीं जरा बता दें ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

आपने जो जानकारी दी है उसके लिए धन्यवाद मुझे इसकी जानकारी नहीं थी इसको मैं अवश्य देखूंगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण बिन्दु है इसमें हमें यू0 जी0 सी0 के पास जाने में सहायत मिलेगी । आपने एक रास्ता सुगम किया जिसके माध्यम से आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी की प्रगति होगी जो हमारे मेडिकल कालेजेज हैं उनकी कमी भी दूर होगी ।

माननीय, हम मेडिकल कालेजों में यह मशीनें लगाने जा रहे हैं । इस वर्ष फुलबाडी स्किन मशीन एक लखनऊ मेडिकल कालेज में और दो अन्य मेडिकल कालेजों में लगायी जायेंगी ।

माननीय, 6 मेडिकल कालेजों में अर्ली कैंसर डिटेक्शन यूनिट की स्थापन की गई है और लखनऊ में किंग जार्ज मेडिकल में कैंसर यूनिट की स्थापना हो गयी है । इस प्रकार लखनऊ, आगरा में कैंसर के ट्रीटमेंट की व्यवस्था है ।

लखनऊ में कोबार्ट मशीन बदलने के लिये 50 लाख रुपया स्वीकृत हो गया है, आगरे में कोबार्ट ठीक चल रहा है। गोरखपुर में महाबीर पोद्दार कैंसर इंस्टीट्यूट, गोरखपुर मेडिकल कालेज से सम्बद्ध है और शासन आर्थिक सहायता दे रहा है। मेरठ में कोबार्ट आ गया है और स्थापित हो रहा है। इलाहाबाद में कमला नेहरू अस्पताल में कैंसर का इलाज हो रहा है और यह इलाहाबाद मेडिकल कालेज से सम्बद्ध है। झांसी मेडिकल कालेज में 7वीं योजना में कोबार्ट-रे द्वारा कैंसर इलाज की व्यवस्था की जा रही है।

श्री मैनेजर सिंह—

कैंसर के इलाज का उचित प्रबन्ध माननीय मंत्री जी बम्बई टाटा इंस्टीट्यूट में है तो उस प्रकार का चिकित्सा व्यवस्था यहां क्यों कायम नहीं करते हैं और यदि यहां नहीं कायम कर सकते हैं तो बम्बई के ही टाटा इंस्टीट्यूट में ही अपना एक कक्ष बना दें जहां उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के रोगी भेजे जा सकें। क्या ऐसी व्यवस्था आप माननीय मंत्री जी करायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मैं कोई इंस्टीट्यूट नहीं स्थापित कर रहा हूं। हम तो कैंसर का शुरू में ही इलाज हो जाये, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। आगे जब बढ़ेगा तो मेडिकल कालेजों में व्यवस्था नहीं कर रहे हैं बल्कि लखनऊ में किंग जार्ज मेडिकल कालेजों में इसकी व्यवस्था है और संजय गांधी संस्थान और आल इन्डिया इन्स्टीट्यूट में इसकी व्यवस्था होगी।

माननीय, इस प्रकार फुल बाडी स्कैन लगेगा और स्कैनिंग 500 रुपये फीस होगी प्रति कैटसकैनिंग पर 300 रुपये फीस और प्रति डायलेसिस की फीस 250 रुपये होगी और जो गरीब, निर्बल, विधायक कर्मचारी हैं उनके लिये यह निशुल्क व्यवस्था है। श्रीमन्, जिला चिकित्सालयों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि श्री कौशिक जी ने पीलीभीत तथा श्री कल्याण सिंह जी ने और मुरादबाद में महिला वार्ड बनाने के सम्बन्ध में दूसरे माननीय सदस्य ने कहा था, तो सभी की बातें मुझे याद हैं और यह भी याद है कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 6676 बच्चे नये नागरिक बन जायेंगे। लेकिन सारा मेरा उत्साह यहां आकर ठंडा हो जाता है।

माननीय, विगत 5 वर्षों में ललितपुर, हमीरपुर, शाहजहांपुर, इटावा में चिकित्सालय बनने की स्वीकृति हो गयी लेकिन जहां-जहां भूमि मिलती जा रही है वहां-वहां अक्तूबर एक से निर्माण कार्य आरम्भ हो जायेगा।

श्री सुखपाल पान्डे—

अब आप हम लोगों को बोलने का अवसर दीजिए, यह जो कह रहे हैं, वह तो हम सब लोग किताब में देख लेंगे।

(व्यवधान)

श्री लोकपति त्रिपाठी—

यह हमारे बहनोई हैं, मैं इनका तो रोज भाषण सुनता हूं, आज जरा धैर्य से हमारी बात सुन लें यह।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मुरादाबाद में 30 डेड्स के अस्पताल का क्या हो रहा है। आज उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहां पर बिजनौर, बरेली और नैनीताल के लोग इलाज कराने के लिए आते हैं लेकिन वह अस्पताल अभी तक शुरू नहीं हुआ है . . .

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पान्डे—

यह परम्परा रही है कि अपना बजट प्रस्तुत करके मंत्री अपना उस पर भाषण देते हैं, संक्षेप में . . .

श्री सुखपाल पान्डे--

मैं तो आपका भांजा हूं, यह आपने क्या कह दिया, वह तो गाली हो गई ।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पान्डे--

उसके बाद अपोजीशन की तरफ से कट मोशन पेश किया जाता है और उसके बाद के हम लोगों को बोलने का मौका मिलता है, अपनी-अपनी आलोचना करने और सुझाव देने का मौका मिलता है । लेकिन यह हमारा सारा समय लेकर स्पष्टीकरण के नाम पर हमारी आलोचना से बचना चाहते हैं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

यह तकदीर का फेर है । हम तो कोशिश करेंगे कि कम से कम आलोचना हो । हम तो कोशिश करेंगे कि कम से कम आलोचना हो । हम कोशिश करेंगे कि आप हमारे जाल में फंस जाओ । इसी को पर्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस कहते हैं । सो हमारे जिला चिकित्सालय ललितपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर और मुजफ्फरनगर आदि में है ..

(व्यवधान)

जितने हमारे मंडलीय मुख्यालयों पर चिकित्सालय हैं और जहां पर मेडिकल कालेज नहीं हैं-ऐसे 6 स्थान हैं, गढ़वाल कुमायूं, मुरादाबाद, बरेली, फैजाबाद व वाराणसी ..

(व्यवधान)

एक सदस्य--

और वाराणसी ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

वह भारत सरकार का है, वहां पर खर्चा चार्ज होता है (व्यवधान), यह सब मैं आप लोगों के कल्याण के लिए ही बता रहा हूं, यों भगवान की दया से आपको इन चीजों की जरूरत न पड़े यह मन्डलीय चिकित्सालय वाराणसी बन रहा है । हमारे बुजुर्ग कमलापति त्रिपाठी जी उसका शिलान्यास कर गये हैं और वह निर्माणाधीन है । बरेली, मुरादाबाद, फैजाबाद में भी चिकित्सालयों का निर्माण होगा मगर इस वर्ष इन छहों मन्डलीय मुख्यालय में डायलेसिस यूनिट्स लगाए जा रहे हैं, हम मानीटरिंग सिस्टम वहां पर लगायेंगे और हर जिला चिकित्सालय को हम हृदय रोग उपकरणों से सुसज्जित कर रहे हैं। हमने आपके सामने ब्यौरा रख दिया है, आपके सहयोग और कृपा से, हम आपकी स्वीकृति के आकांक्षी हैं ।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह--

मुझे एक जानकारी चाहिए, मैं एक जानकारी चाहता हूं । मैं बोलने वाला नहीं हूं, बोलेंगे तो वह ही, मगर मन्त्री जी केवल इतना बता दें (व्यवधान) यह जो औषधियां खरीदी जायेंगी वह जी0 डी0 एस0 एन्ड डी0 के द्वारा प्राप्त होंगी ? यह उन्हीं से खरीगी जायेगी या नहीं ?

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा), के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जिस पर कि सभी विभाग आधारित हैं । स्वास्थ्य के लिए कहा गया है कि स्वास्थ्य ही संसार में सारे सुखों का मूल है। समाज की मुख्य उपलब्धि स्वास्थ्य होती है । जिस समाज के नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है उस समाज का विकास असम्भव है। नागरिकों के स्वस्थ रहने पर घर, कार्यालय, अस्पताल, तमाम जगहों पर उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है जिससे कि प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ती है और प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ने से राष्ट्रीय आमदनी बढ़ती है ।

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने बजट पेश किया और उसको बढ़ाचढ़ा कर इतने लम्बे पैमाने पर पेश किया कि ऐसा लगा कि बिल्कुल ढ़पोर शंख हैं । मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग की आज स्थिति देखी जाय तो मान्यवर, यह एक ऐसी महामारी से ग्रस्त है जिसका इलाज मैं तो समझता हूं कि कांग्रेसी सरकार के पास नहीं है, वह बीमारी है भ्रष्टाचार की । यह पूरा विभाग भ्रष्टाचार से लिप्त है और जब से माननीय पंडित जी आये हैं तब से भ्रष्टाचार का लकवा पूरे विभाग को खा गया है । जो प्लान एक साल का बन रहा है उसमे 17 अरब रुपये का प्राविधान है और जो स्वास्थ्य के लिए माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने बजट पेश किया है वह सभी विभागों के बजट के 11वें नम्बर पर जाता है । जो पूरी धनराशि है उसका 3.26 परसेन्ट ही, पूरे बजट का उनको इस साल मिला है। माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि इससे यह अस्पताल बनवा देंगे वह अस्पताल बनवा देंगे ।

मान्यवर, अब देखिये एलोपैथी में ये जो खर्च करने जा रहें हैं, जैसा इन्होंने बजट में रखा है वह है रु0 83,48,17,000·00 (व्यवधान) आयुर्वेद यूनानी के लिए आयोजनेतर मद में रु0 10,83,48,000·00 रखा है । होम्योपथिक के लिए रु0 2,39,87,000 आयोजनेतर मद में रखा है । अब मान्यवर, देखिये जहां आज पूरे मानस का रूझान आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति की तरफ है, वहां पर यूनानी पद्धति एवं आयुर्वेदिक पद्धति को किस तरह से उपेक्षित किया जा रहा है । एलोपथिक की दवाइयां जहां एक तरफ फायदा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ साइड अफेक्ट के आधार पर ज्यादा से ज्यादा बीमारियां पैदा हो रही हैं। इन्हीं कारणों से एलोपैथिक दवाखाने से आदमी का शरीर कमजोर हो रहा है । पहली बात तो बनारस में रह कर आयुर्वेद की अपेक्षा करना इनके लिये बहुत बड़े कलंक की बात कह लीजिये। प्रदेश के अन्दर 9 एलोपैथिक मैडिकल कालेज हैं । एक मैडिकल कालेज पर आबादी का अन्तर 1 करोड़ से ऊपर आता है और राज्य स्तर पर मानें तो डेढ़ करोड़ है, जबकि और प्रान्तों में 57 लाख से 67 लाख के बीच एक मेडिकल कालेज है । इस तरह से एक मेडिकल कालेज के एक छात्र पर इनका व्यय जो आ रहा है उसमें अन्तर है, लखनऊ के मेडिकल कालेज के प्रति छात्र पर व्यय डिग्री कम्प्लीट करने तक रु0 83,342·00 कानपुर के मेडिकल कालेज पर 73,815·00 रु0, आगरा मेडिकल कालेज के एक छात्र पर 5 वर्ष डिग्री कम्पलीट करने पर 1,97,405 रु0, मेरठ में रु0 51,340·00, इलाहाबाद मेडिकल कालेज में एक छात्र पर रु0 91,986·00 । इसी तरह से गोरखपुर में 1,52,935रु0 एवं झांसी में 1,38,296 रु0 । तो मान्यवर, माननीय मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि वही डिग्री, वही पाठ्यक्रम

5 वर्ष का समी जगह होता है, चाहे लखनऊ मेडिकल कालेज हो, चाहे कानपुर का मेडिकल कालेज हो, चाहे आगरा का मेडिकल कालेज हो, कहीं का मेडिकल कालेज हो, जब वही डिग्री, वही पाठ्यक्रम है और पूरी शिक्षा उत्तीर्ण करने के बद जब छात्र नौकरी में जाता है और मेडिकल आफिसर बनता है, तो वही काम वह करता है और मेडिकल कालेज के निकले हुये छात्र करते हैं। लेकिन मान्यवर, यह एक सौतेला व्यवहार है कि किसी मेडिकल कालेज के एक छात्र के ऊपर ज्यादा और किसी मेडिकल कालेज के ऊपर कम खर्च किया जाता है। अगर इस प्रकार से किया जायेगा तो यह स्पष्ट है कि छात्रों को समान सुविधा नहीं मिल पायेगी, जिसका असर मान्यवर, जन सेवा पर पड़ता है। यह उनको उपलब्ध नही करवा पा रहे हैं। इस तरह के छात्र की किसी दूसरे मेडिकल कालेज के छात्र से तुलना की जाएगी, तो वह कमजोर निकलेगा। जब वह मेडिकल अफसर बनेगा तो वह निश्चित ही इतना कार्य-कुशल नहीं हो सकता है, जितना उस मेडिकल कालेज का होगा, जिनको सुविधायें मिल रही हैं।

श्री अधिष्ठाता---

आप जल्दी समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा---

मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने एक आदमी की औसत आयु आंकी है 54 वर्ष। आपकी सरकारी नौकरी में 55 वर्ष और 58 वर्ष है, तो इन्होंने 54 वर्ष में आदमी को मार डाला, तो क्या यह एक मुर्दे से सर्विस करवाये जा रहे हैं। इसको मान्यवर, इनसे कहिए की ठीक करें। यह सही है कि उत्तर प्रदेश में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा आबादी गरीबी की रेखा के नीचे है और इसी तरह पश्चिम बंगाल को आप देखें वहां 82 प्रतिशत से भी ज्यादा आबादी गरीबी की रेखा के नीचे है, लेकिन मान्यवर. उत्तर प्रदेश में प्रति लाख आबादी पर तीन हास्पिटल है, और पश्चिम बंगाल में प्रति लाख के आबादी पर 23 हास्पिटल हैं तो इस प्रदेश की सरकार के लिए बड़े ही शर्म की बात है। मान्यवर, अभी इन्होंने शैय्याओं का उदाहरण दिया। यह कुल 83-84 शैय्यायें बढ़ा पाये हैं। एक हजार पर सौ शैय्यायें बढ़ा पाए हैं।

मान्यवर, आज भी उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड में 50 हजार की आबादी पर एक डाक्टर है। 50 हजार की आबादी पर एक अस्पताल है। इसी तरह से एक डाक्टर, जो इन्होंने जनरल आंकड़े दिए हैं, उसमें चार हजार, पांच हजार की आबादी पर एक डाक्टर दिया है। बच्चों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। अगर हिसाब लगाया जाए तो 1,117 बच्चे रोज मरते हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, 450 नये पदों का सृजन किया है इसमें डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइन्ट डायरेक्टर भी है, तो जो डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइन्ट डायरेक्टर और सी0 एम0 ओ0 चुने जा रहे हैं, इसकी जगह मेडिकल आफिसर बढ़ते तो अच्छा होता। मान्यवर, इन्होंने अभी तक कुत्ते के काटने पर इलाज करने वाले, सेन्टर पूरे प्रदेश में स्थापित नहीं कराए हैं। कुत्ते के काटने से 200 लोग प्रतिदिन मरते हैं। अगर इन पर कन्ट्रोल किया गया होता, तो ऐसा न होता।

मान्यवर, इन्होंने एक-आध घोषणा की है। पिछले बजट में माननीय मंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि जितने-तहसील स्तर के अस्पताल है उनमें 30 से 50 शैय्याएं लगाई जायेंगी। अभी तक ऐसा नहीं किया गया। अगला बजट आ गया यह घोषणा पिछले बजट में हुई थी आज तक नहीं कर पाये। दूसरी घोषणा माननीय मंत्री जी ने यह किया था कि हर न्याय पंचायत में पी0 एच0 सी0 कायम करेंगे। वह भी नहीं कर पाये।

मान्यवर, आज मेडिकल कालेजों में आत्म-हत्या का सिलसिला शुरू हो गया है। लखनऊ मेडिकल

कालेज में प्रतिवर्ष 2 छात्र आत्महत्या करते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान इस तरफ कभी नहीं गया। इतने मेधावी छात्रों की दो हत्याओं का रेकार्ड क्यों बन रहा है ? जहां तक मेरी जानकारी है मेधावी छात्र चमचागिरी नहीं करता है, चापलूसी नहीं करता है। लखनऊ मेडिकल कालेज में अगर छात्र विभागाध्यक्ष की चमचागिरी नहीं करता है, मातहत की तरह नहीं रहता है, नौकर की तरह नहीं रहता है तो उसको बार-बार फेल किया जाता है। इसलिये वह आत्महत्या कर लेता है। इसीलिये एम0 डी0 की छात्रा (कु0) चन्द्रा प्रभा ने आत्म हत्या की।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा की ओर ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, वहां पर लोकल स्टाफ लगा है, उसको वहां से हटाया जाय। वहां पर छात्रों का प्रवेश नहीं किया जाता है, बजट में कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। मंत्री जी उस आयुर्वेदिक कालेज को नेस्तनाबूत करने पर लगे हैं। मंत्री जी ने पिछड़े क्षेत्रों की बात कही। मैं मंत्री जी का ध्यान बांदा और सुल्तानपुर की ओर ले जाना चाहता हूं। सुल्तानपुर में प्रयोजनायें चल रही हैं और बांदा में 6 योजनायें चल रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि तुलनात्मक दृष्टि से बांदा पिछड़ा है या सुल्तानपुर। एक बात मैं और मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि लखनऊ में चाहे मेडिकल कालेज हो, बलरामपुर अस्पताल हो या सिविल अस्पताल हों, यहां पर डाक्टर 10, 12 और 15 साल से जमे हैं। उनका मंत्री जी ने स्थानान्तरण नहीं किया। क्या उनके लिये 6 साल का नियम लागू नहीं होता है ? एक बात और कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने जिला परिषद् के अस्पतालों का प्रान्तीयकरण किया। मैं मंत्री जी का ध्यान अतर्रा की अस्पताल की तरफ ले जाना चाहता हूं। 60-70 लाख की आबादी का अतर्रा कस्बा है। जिला परिषद् अस्पताल, अतर्रा को अधिग्रहीत किया। लेकिन जो बजट जिला परिषद् का था आज भी वही दे रहे हैं।

(3 बजकर 10 मिनट)

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जिला परिषद् के अस्पताल को करीब 50 शैय्याओं की स्वीकृति दें।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

इसके साथ-साथ मान्यवर होम्यो-पैथिक के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने प्रान्तीय स्तर पर डाइरेक्टर और ज्वाइन्ट डायरेक्टर यह सब अलग कर दिया लेकिन जिला स्तर पर आज भी सी0 एम0 ओ0 होम्योपैथिक वालों का अस्पताल देखता है। सी0 एम0 ओ0 जो जिला स्तर पर है वह होम्योपैथिक के साथ सौतेला व्यवहार करता है। एक बात और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एलोपथिक, आयुर्वेदिक यूनानी और होम्योपैथिक का बजट वहां से अलग-अलग कर दिया जाय। मान्यवर, एलोपैथी को आप दे देते हैं और वही का वह हो जाता है।

(व्यवधान)

खर्च मान्यवर, एलोपैथिक पर एक रुपया और होम्योपैथिक पर चौदह पैसे है।

(व्यवधान)

मान्यवर, होम्योपैथिक का बजट और एलोपैथिक का बजट अलग-अलग कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

इसके पहले कि मैं किसी माननीय सदस्य से आग्रह करूं समय का प्रतिबन्ध अवश्य होता है, एक श्रृंखला है और इसमें 5 मिनट का समय है ।

(कई सदस्यों द्वारा 10 मिनट का समय दिये जाने के लिए आग्रह करने पर)

श्री अधिष्ठाता--

अच्छा 7 मिनट का समय निर्धारित करता हूं ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जिस पर चर्चा हो रही है । नियम 51-56 में समय काफी दिया गया है । मैं निवेदन करूंगा कि इस समय सम्मानित सदस्यों में कम से कम 5 चिकित्सक जो पहली बार चुनकर आये हैं वरना एक दो रहते थे और हमारे दो भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी विराजमान हैं । मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम इस सदन का समय 2 घंटे और बढ़ा दें ताकि हर एक को मौका मिल जाय। मान्यवर, 2 घंटे का समय आप बढ़ा दें ताकि सब लोगों को 10 मिनट तक बोलने का मौका मिल जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से अवगत हूं । आपने बताया कि महत्वपूर्ण विभाग है, समय श्रृंखला लम्बी है । माननीय सदस्य को बोलने का अधिक से अधिक मौका मिले । अधिक से अधिक सदस्य चर्चा में भाग ले सकें इसलिए समय रखा है 7 मिनट ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय सदस्य ने कहा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर 2 घंटे का समय बढ़ा दिया जाय तो मान्यवर, यह एक प्रस्ताव के रूप में आया है इसलिए उसके बारे में माननीय सदस्यों की भावना का देख लिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता--

यह सुझाव था माननीय सदस्य का । यदि आवश्यकता होगी बाद में तो देखा जायेगा ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

मान्यवर, प्रस्ताव भी था सुझाव भी था ।

श्री नरेश चन्द्र--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने स्वास्थ्य विभाग पर मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं । आज स्वास्थ्य मंत्री ने इस सदन में स्वास्थ्य विभाग का बजट प्रस्तुत किया उसका मैं स्वागत और समर्थन करता हूं । हमारे माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र पाल ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं । माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जून, 1980 में स्वास्थ्य विभाग का कार्यभार संभाला था और यह बड़े सौभाग्य की बात है कि 1980 से 1985 तक यह विभाग माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कर कमलों में रहा और इस विभाग की जितनी उपलब्धियां हैं, उसका बहुत कुछ अंश बजट भाषण में था और लिटरेचर में भी कहा गया है । सबसे बड़ी बात मान्यवर, जो मंत्री जी की उपलब्धियों में है, वह उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश के समस्त सम्बन्धी स्वास्थ्य विभाग 5 निदेशालयों में बांट दिये गये हैं और सभी निदेशकों ने इंडिपेन्डेंट चार्ज संभाल लिया है । निदेशक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, निदेशक, स्वास्थ्य शिक्षा, निदेशक, परिवार कल्याण, निदेशक, होम्योपैथी और निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी, इन पांच निदेशकों ने कार्यभार संभाल लिया है । कुछ और उपलब्धियां इसके अलावा माननीय मंत्री जी की ऐतिहासिक

हैं । उसम सबसे पहली उपलब्धि यह है कि पिछले 15 वर्षों से पी0एम0एस0 डाक्टर्स की मांग रही है कि उनको विशेषज्ञ कैडर दिया जाय । इसके लिए म माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि इस प्रश्न को इतिहास में पहली बार उन्होंने सिद्धांततः स्वीकार ही नहीं किया बल्कि लागू भी कर दिया और पी0 एम0 एस0 डाक्टरों को स्पेस्लिस्ट कैडर दे दिया ।

यही नहीं, मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से और उपलब्धियां हुई हैं, चाहे वह बाल चिकित्सालय की हों चाहे हृदय रोग विभाग की हों, काफी प्रगति हुई है । सन् 1980 में बाल चिकित्सालय 59 थे जो 1985 तक 177 हो गये, इसी प्रकार 1980 में दन्त चिकित्सालय 79 थे जो 1985 तक 165 हो गये, ई0 एन0 टी0 विभाग की संख्या 14 से 58 हो गई, नेत्र चिकित्सा विभाग 30 से 70 हो गये और हृदय रोग की सुविधा 8 से 27 स्थानों पर हो गयी । मान्यवर, अभी मंत्री जी ने डायलिसिस की सबसे बड़ी सुविधा का जिक्र किया है । मैं बधाई देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 7 मेडिकल कालेजों में तथा प्रदेश के जाने-माने लखनऊ स्थित बलरामपुर अस्पताल में भी यह सुविधा उपलब्ध हो गयी है, ताकि लोग इसके उपचार से लाभ उठा सकें । मान्यवर, हृदय रोग की बीमारी जैसा आप जानते हैं छोटे-बड़े, अमीर-गरीब हरएक को हो रही है । अभी तक 27 स्थानों पर हृदय रोग यूनिट स्थापित हो चुके हैं जिसमें लखनऊ का बलरामपुर अस्पताल भी है । माननीय मंत्री जी से प्रार्थना एवं निवेदन है कि बलरामपुर अस्पताल में वर्तमान में जो आई0 सी0 यूनिट में शय्याएं हैं, उनको बढ़ाया जाय । लखनऊ महानगर बहुत बड़ा है, इससे लोगों को आसानी होगी ।

मान्यवर, सबसे बड़ी मांग उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में जनरेटर की थी । कोई भी शल्य चिकित्सक किसी भी आपरेशन थियेटर, जब वह आपरेशन कर रहा हो और बिजली चली जाय तो कितनी परेशानी अनुभव करेगा, आप समझ सकते हैं । मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हू कि उन्होंने प्रदेश के 37 अस्पतालों में जनरेटर की सुविधा प्रदान कर दी है । यह बहुत बड़ी उपलब्धि है ।

मान्यवर, प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए वाहनों से आये दिन एक्सीडेन्ट होते रहते हैं, इसके अतिरिक्त जिन रोगियों के आपरेशन किये जाते हैं, उनको रक्त की बड़ी आवश्यकता होती है । मुझे प्रसन्नता है कि अब प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में रक्त कोष की स्थापना हो गयी है ।

मान्यवर, आजकल की उपचार क्रिया में पैथालोजी विभाग जिसमें खून, बलगम इत्यादि का टेस्ट होता है, का अपना महत्व है । यह हर्ष की बात है कि अब लगभग प्रदेश के 83 अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध हो गयी है । अभी कुछ महिला अस्पतालों में यह सुविधा विभाग द्वारा नहीं दी गयी है ।

अब मैं रेडियोलोजी (एक्सरे) के बारे में कहना चाहता हूं । मान्यवर, किसी एक्सीडेंट में यदि किसी व्यक्ति का हाथ टूट जाय या पैर टूट जाय, और यदि एक्सरे का प्रबन्ध नहीं है, तो कोई भी शल्य चिकित्सक उसका ठीक से इलाज नहीं कर सकता है । यह हर्ष की बात है कि एक्सरे की सुविधा प्रदेश के समस्त जिला अस्पतालों को सम्मिलित करते हुये 83 अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध है । मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि तहसील अथवा ब्लाक हेड क्वार्टर पर जहां 30 शैय्याओं से अधिक के चिकित्सालय खुले हैं, वहां भी इस योजना को लागू करने का कष्ट करें । साथ ही कुछ महिला अस्पतालों में यह यह सुविधा नहीं है, वहां भी ध्यान दिया जाये ।

अब मैं एनेस्थीसिस्ट के बारे में कहना चाहता हूं. प्रदेश की 59 महिला अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध है। मैं यह कहना चाहता हूं कि महिला अस्पतालों में महिला एनेस्थीसिस्ट की कमी के कारण पुरुष एनेस्थीसिस्ट से काम लिया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पद पर महिला एनेस्थीसिस्ट डाक्टरों के चयन में प्राथमिकता के आदेश दिये जायें।

मान्यवर, जैसा कि विदित है कि उपचार में नर्सिंग सेवाओं का बड़ा महत्व है। फिजीशियन के मरीज के परीक्षण करने के बाद और सर्जन के आपरेशन करने के बाद, जिसे पोस्ट आपरेटिव पीरियड कहते हैं, सारा भार नर्सेज के ऊपर रहता है। मान्यवर, इस समय नर्सें, जो ट्रेनिंग हेतु सेलेक्ट की जाती हैं, उनकी जो क्वालिफिकेशन ली जाती है, वह हाई स्कूल है। मैं चाहूंगा कि इसे इंटरमीडिएट कर दिया जाय। अगर यह कार्य हो जाय तो लाभदायी हो जायेगा।

मान्यवर, इतने बड़े प्रदेश में केवल एक ही डेन्टल कालेज है, मैं चाहूंगा कि एक डेन्टल कालेज की और योजना पर भी विचार कर लिया जाय, तो इसमें काफी सुविधा हो जायेगी।

मान्यवर, क्षय रोग नियंत्रण योजना 28 फरवरी, 1968 से प्रारम्भ हुई थी, और मुझे कहते हुए हर्ष है कि विभाग को इसमें पूरी कामयाबी मिली है, जिसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। यह हर्ष की बात है कि प्रदेश भर में लगभग 3447 टी0 बी0 शैय्याओं की सुविधा प्राप्त है। मैं चाहूंगा कि भुवाली स्थित सेनिटोरियम को बढ़ाया जाय तथा इसी तरह अन्य जगह पहाड़ पर, जहां की जलवायु इसके लिये उपयुक्त हो, सेनेटोरियम खोला जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं उन माननीय सदस्यों का भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

माननीय अधिष्ठाता जी धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने विभाग की मांगों को रखते हुए जो विचार प्रकट किए हैं और इस पुस्तक की प्रस्तावना में भी कहा गया है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और राष्ट्र के लिए एक स्वस्थ और सबल नागरिक का होना आवश्यक है। आज यही केन्द्र बिन्दु है हमारे विचार का। बहुत बड़ा लम्बा-चौड़ा बजट है हमारे स्वास्थ्य विभाग का। जिसके अन्तर्गत कहा गया है कि अस्पताल खोले जा रहे हैं चिकित्सा केन्द्र खोले जा रहे हैं। लम्बे-चौड़े आंकड़े बताये गये हैं। मैं आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन का और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इतना बड़ा खर्च करने के बाद भी जब हमारा आम नागरिक चिकित्सा केन्द्रों पर जाता है, अस्पतालों पर जाता है, तो एक बीमार को जो आवश्यक होता है वह सकून, सुख-सुविधा और औषधि की तथा डाक्टर को, ये सारी चीजें उसे नहीं मिलती हैं। उसे निराशा-जनक स्थिति का सामना करना पड़ता है।

मान्यवर, आगरा जैसे महानगर में जहां एस0 एन0 मेडिकल कालेज व अस्पताल है, जिला अस्पताल है, इमेरजेंसी वार्ड है, बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी आज वहां की हालत क्या है। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा उनको भी आगरा जाने का मौका मिला होगा, और देखा होगा वहां इमरजेन्सी

वार्ड में इतनी घुटन है, गन्दगी और बदबू है कि आदमी टिक नहीं सकता है। वहां पर आक्सीजन के सिलेन्डर नहीं है। अगर बेड है तो गद्दे नहीं हैं, अगर गद्दे हैं तो बेड नहीं हैं। यदि बेड है तो डाक्टर नहीं है और न दवा है, जिससे वहां पर मरीज अपना दम तोड़ देते हैं। आप अपने बजट में कहते हैं कि हमने इतने निदेशक नियुक्त कर दिये हैं, इतने चिकित्सक नियुक्त कर दिये हैं और इतने सचिव नियुक्त कर दिये हैं, ठीक है लेकिन यह व्यवस्था जिस मरीज के लिए है जब वह मरीज गांव से आते हैं 50-50 और 10-10 मील दूर से, वे औषधि व डाक्टर के अभाव में अपना दम तोड़ देते हैं। महिला बीमार जो जाती है प्रसव पीड़ा या अन्य पीड़ा में, वह भी डाक्टर व दवा के अभाव में अकथनीय कष्टों का सामना करती है।

मान्यवर, आगरा में, अप्रैल के माह में लाखों रुपए की दवाइयों की चोरी का मामला सामने आया। जनता के गाढ़े पसीने की कमाई का हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं इस विश्वास के साथ और इस इरादे के साथ कि इसका फायदा व लाभ हमारे ग्रामीण भाइयों को और बीमार लोगों को मिलेगा लेकिन आपके डाक्टर ऐशो-आराम में बैठे हुए हैं, मरीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो दवा मरीजों को मिलनी ही चाहिए वह उसे कभी भी नहीं मिलती है बल्कि बाजारों में चली जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बजट में करोड़ों रुपए देने के बाद भी, उसका फायदा लोगों को नहीं पहुंच रहा है, अपनी पुस्तक में तो आपने लिख दिया है कि सबल और स्वस्थ नागरिक ही हमारे राष्ट्र की नींव हैं परन्तु इस दशा में कैसे इसे आप पूरा कर पायेंगे।

आज जो ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुले हुए हैं, वहां पर आपके चिकित्सक जाना नहीं चाहते हैं, वहां पर कोई सुविधा नहीं है। मरीजों को इलाज सुलभ नहीं हो पाता है और न ही दवाइयां सुलभ हो पाती हैं। आगरा में पिछले जून में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना हुई थी। उसमें सैकड़ों लोग घायल हुए और 40 से ऊपर लोग मरे। इतनी गम्भीर दुर्घटना घट गई, सामान लूटा गया जिनका, जिसके पास खाने का पैसा नहीं, बुरी तरह से आहत थे, असहाय थे, न जाने किन-किन स्थानों के थे। अस्पताल में ठीक से उनका इलाज नहीं हो सका, ठीक तरह से दवायें नहीं मिल सकीं। अगर आगरा जैसे महानगर में अस्पताल की यह हालत हो सकती है तो उन स्वास्थ्य केन्द्रों में जहां कोई देखभाल नहीं होती, वहां आम आदमी और गरीबों की देख-भाल किस तरह से होती होगी। यहां तक कि विधायक निवास में पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं हमारे विधायक चक्कर काट रहे हैं छोटी-छोटी दवाओं के लिए लेकिन दवायें नहीं मिल रही हैं। क्यों ? क्योंकि दवा देने वाले दुकानदार का पेमेन्ट सरकार ने नहीं किया है। लाखों रुपया उसका बाकी है। जब हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री व्यवस्था के तहत विधायकों तक के लिए छोटी-छोटी दवा की व्यवस्था नहीं कर सकते तो यह प्रदेश के नागरिकों को क्या इलाज और दवा सुलभ करा पायेंगे, क्या उनको सबल और स्वस्थ नागरिक बना पायेंगे ?

अभी हमारे मित्र बांदा ने बहुत से आंकड़े दिये। सारे बजट के बाद आम नागरिक तो केवल अस्पताल से एक ही बात चाहता है और माननीय मंत्री जी अगर वह दे सकें कि चिकित्सा केन्द्र पर जाने वाला व्यक्ति दवा और सुविधा पा सके, शान्ति और सुकून पा सके, अटेण्ड करने वाले डाक्टर को पा सके तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं आगरे में देखता हूं कि हालत यह है वहां के निवासी अस्पताल में जाकर घोर असुविधाओं के बीच इलाज नहीं कराना चाहते बल्कि खर्च उठाकर भी प्राइवेट नर्सिंग होम जाना चाहते हैं आपकी इस असफलता के लिए आपको बधाई देते

हुए मांगों का विरोध करता हूं । आपने मुझे समय दिया इसलिए मैं आपका फिर से आभार प्रकट करता हूं ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

श्रीमन्, आपने मुझे अवसर दिया माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । श्रीमन्, 1974 से आज तक मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस सदन में स्वास्थ्य के बजट पर बोलने का । जब मैं इधर था और जब मैं उधर था विपक्ष में कटौती का प्रस्ताव रखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ । लेकिन इस बार मुझे बड़ा कष्ट अनुभव हुआ । माननीय विपक्ष की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव आया वह कभी इतना घटिया किस्म का नहीं सुना और न देखा था और सौभाग्य यह है इस सदन का कि हमारे दो-दो भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री विराजमान हैं, दो-दो क्वालीफाइड चिकित्सक हैं विपक्ष में लेकिन उनके बावजूद हमारे विपक्ष ने जो प्रदर्शन किया वह निराशाजनक रहा है । मैं बधाई देता हूं स्वास्थ्य मंत्री जी को, हालांकि मैं बहुत कम बधाई देता हूं, मैं स्वस्थ आलोचक ज्यादा रहा हूं और स्वस्थ आलोचना ही चाहता हूं और मैं उसमें विश्वास करता हूं लेकिन इस बार मुझे बाध्य होना पड़ा कि मैं बधाई दूं । जैसा उन्होंने फर्माया, पहली बार इस प्रदेश को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जब से उन्होंने काय सम्भाला कोई महामारी इस प्रदेश में नहीं फैली और अगर फैली तो तत्काल उसे समाप्त कर दिया गया ।

यही नहीं उन्होंने हमारे जितने मेडिकल कालेजेज हैं उसमें डाइलेसेस यूनिट, न्यूरो सर्जरी, डेन्टल कालेज आदि इस प्रकार के हमारे जो विशिष्ट क्षेत्र हैं उसमें इन्होंने प्रगति की और उपलब्धियां हासिल की । श्रीमन्, मैं बधाई देना चाहता हूं स्वास्थ्य मंत्री जी को जो चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे अधिकारी को लाये हैं जिनसे चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है । यह आज जो निदेशक, चिकित्सा, शिक्षा हैं इससे पूर्व उन्होंने आगरा में सरोजनी नायडू कालेज में प्रधानाचार्य के पद को सुशोभित किया । इन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, अनुशासन के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की । दुर्भाग्य से आज जब वह वहां नहीं हैं तो आज वहां वह अनुशासन नहीं रह गया है ।

एक सदस्य—

आप चिकित्सा के बारे में बोल रहे हैं या अधिकारी के बारे में ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

यह चिकित्सा का क्षेत्र है । आप चिकित्सा के बारे में कुछ जानते हैं ? आपको चिकित्सा के क्षेत्र में जानकारी नहीं है ।

श्री गोपाल दास यादव—

अभी माननीय सदस्य ने यह कहा है कि आपको चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ जानकारी नहीं है ।

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अफसर यू0 अहमद—

मान्यवर, यह असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहती हूं कि आज तक की पूरी जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं उनमें कहीं भी किसी सम्मानित विधायक के लिए "समझता है" शब्द का प्रयोग नहीं है । क्या यह संसदीय है इस पर अपनी व्यवस्था दें ।

नोट :—[×××] यह अंश माननीय अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री किरनपाल सिंह--

माननीय सदस्य नें जो कहा है, जो आवेश में निकल गया है, गुस्से में जो भाव माननीय विधायक के लिए बना उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं ।

(मेजों की थपथपाहट)

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

श्रीमन्, मैं आगरा मेडिकल कालेज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वहां पर आपने डाइलेसेस यूनिट की स्थापना कर दी, बहुत सुन्दर कार्य किया लेकिन इसके ऊपर जो खर्चा आता है उस पर आज तक कोई व्यवस्था आपके विभाग द्वारा नहीं की गई । मुझे बहुत कष्ट हुआ जब चीफ जस्टिस आगरा इलाज के लिए गए उनके गुर्दे खराब थे लेकिन एक बहुत छोटी मामूली बात की वजह से वहां उनका डाइगनोसिस नहीं हो सका और उन्हें दिल्ली जाना पड़ा । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो पैसे वाले हैं वह तो दो सौ ढाई सौ और पांच सौ रुपये दे देते हैं परन्तु जो गरीब आदमी है वह इतना पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं है । उसके लिए आप खर्च की व्यवस्था अवश्य कर दें ।

श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि आप जब आगरा गये थे तो आपने आश्वासन दिया था कि बिजली की यह जो आंख मिचौनी है, यह केवल आगरा में ही नहीं कमोवेश हर जगह ऐसी ही स्थिति है । आपने आश्वासन दिया था कि डायरेक्ट फीडर लाइन आगरा मेडिकल कालेज में लगायी जायगी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई आपने कृपा पूर्वक जनरेटर्स की व्यवस्था तो कर दी, जनरेटर्स तो पहुंच गये, लेकिन चलाने वाला नहीं पहुंचा । मेडिकल कालेज में जनरेटर कौन चलाये, चलाने वाले की नियुक्ति कौन करे, तनख्वाह कहां से निकले, यह समस्या है । इसलिए मेरा आग्रह है कि जहां पर जनरेटर्स की व्यवस्था करें, वहां पर चलाने वाले की व्यवस्था भी कर दें, तो ऐसी समस्या पैदा नहीं होगी ।

मैं फिर बधाई देना चाहता हूं, पिछले दसियों वर्षों से जैसा माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, ऐसा नहीं हुआ था. . . .

(लाल बत्ती होने पर)

बीच में जब व्यवधान हुआ तब मैं बैठ गया था, वह समय मुझे मिलना चाहिए । वैसे भी चिकित्सकों को थोड़ा अधिक समय दे दें ।

आगरा में 100 शैय्याओं के एक आकस्मिक चिकित्सालय की आधारशिला आपने रख दी, लेकिन एक वर्ष में यहां पर 4-5 ईंटों के ट्रकों को छोड़कर कोई काम नहीं हुआ है । उसकी नींव भी नहीं खुदी । अगर एक वर्ष में इतना काम होगा तो 20 वर्ष में भी चिकित्सालय बनने वाला नहीं है ।

पोस्टमार्टम रुम वहां पर जो है, बहुत खराब हालत में है । पिछले दिनों रेलवे एक्सीडेन्ट हुआ 40-50 लोग मर गये । उस पोस्टमार्टम रूम की यह हालत है कि उसके 100 गज दूर भी आदमी नहीं जा सकता, फर्श खुदा हुआ है, कुत्ते, बिल्ली, गिद्ध वहां पर प्रवेश करते हैं । वहां का एयर कंडीशनर शायद हो एक दिन चला हो । पोस्टमार्टम से पहले ही बाडी "डि-कम्पोज" हो जाती है । पोस्टमार्टम के लिए एयर कंडीशनर की व्यवस्था कराने का कष्ट करें ।

आगरा मेडिकल कालेज में पीडियाट्रिक्स, बाल रोग विभाग है, किन्तु उसका भवन इतना जर्जर हो चुका है कि जो बच्चे चिकित्सा प्राप्त करने जाते हैं, वे एक बीमारी लेकर जाते हैं 10 बीमारियां प्राप्त कर लेते हैं । वहां पर इतनी गन्दगी का साम्राज्य है कि जो लैट्रीन हैं, वे चोक हो गयी हैं, सीवर व्यवस्था चोक हो गयी है । आप इसके लिए कुछ धनराशि की व्यवस्था कर दें । प्रस्ताव भिजवा दिया है,

लेकिन आज तक काम नहीं हुआ है। आगरा नरक बना हुआ है। जब आपने अपनी आखों से यह सब देखा तो आपने आदेश दिये, हालांकि नगर महापालिका आपके विभाग से सम्बन्धित नहीं है। जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वे राजनैतिक गुटबाजी और एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने में व्यस्त हैं। पिछले दिनों वर्षा के कारण दो नौजवान लड़कों की मृत्यु हो गयी थी नाले में बह गया, दूसरा पानी में करेन्ट आने के कारण। आपने आदेश दिये थे कि समस्त स्वास्थ्य अधिकारियों के स्थानान्तरण किए जायेंगे, आज 2 तारीख के बाद 23 तारीख हो गयी, लेकिन आपके निदेशालय से उन अधिकारियों के स्थानान्तरण नहीं हुए। यह बड़े दुख का विषय है, अगर वे अधिकारी स्वयं चाहते तो अपना स्थानान्तरण करा लेते। आपका गौरवमय पद है, आपके मुखारविन्द से निकला हुआ प्रत्येक वाक्य अनुकरणीय है, उसका पालन अवश्य होना चाहिए।

इसके बाद श्रीमन्, हमारे माननीय सदस्य श्री नरेश चन्द्र ने नर्सों की बात कही। उन्होंने नर्सों की बात तो कही और यह सुझाव भी दिया कि योग्यता हाई स्कूल के स्थान पर इंटरमीडिएट कर दिया जाय। चलिये यह भी ठीक है लेकिन उन्होंने यह बात नहीं कही कि आज सबसे ज्यादा नर्सों का ही उत्पीड़न हो रहा है। आज यदि किसी वर्ग विशेष का उत्पीड़न हो रहा है तो वह नर्सों का हो रहा है। आप देखें कि उनको तनख्वाह कितनी है, उसके कपड़ों की धुलाई कितनी है? उनके मेस की हालत क्या है? वे लोग पिजन होल में जैसे कि कबूतर पिजन होल में रहता है वैसे ही वे लोग भी पिजन होल में रह रही हैं। आज उन्हें सबसे ज्यादा असामाजिक तत्वों से भय है, उनके द्वारा उनका उत्पीड़न हो रहा है। उनका उत्पीड़न हो रहा है आपके निदेशालय के स्तर पर क्योंकि उन्होंने आज तक उनकी मांगों को नहीं माना है और उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। वे अल्प वेतन भोगी हैं मानव सेवा में लिप्त हैं, उनकी छोटी मोटी मांगों को यदि आप नहीं मानेंगे उनकी समस्याओं को यदि आप निदान नहीं करेंगे तो कैसे काम चल पायेगा? मेरा निवेदन है कि आप तत्काल मुझे कोई आश्वासन देंगे कि आप उनकी मांगों के प्रति कोई कार्यवाही करेंगे।

इसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि आगरा मेडिकल कालेज में एक रीजनल ब्लड बैंक बना दिया जाय। आपने इस सम्बन्ध में आश्वासन भी दिया था परन्तु वह आश्वासन कागज तक ही सीमित रह गया और आज तक वहां राजकीय रीजनल ब्लड बैंक का कार्य नहीं हुआ। ब्लड बैंक खोलने के लिए सामग्री उपकरणों की जरूरत होगी, भवन की जरूरत होगी और उसके लिए डाक्टर्स की जरूरत होगी। आप मुझे आश्वस्त करेंगे कि जो ब्लड बैंक के आफिसर होते हैं उनको आप मेडिकल कालेज से सम्बद्ध कर देंगे ताकि ब्लड बैंक पूरी तरह से विकसित हो सके।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मैं बस एक मिनट और लूंगा राजकीय औषधि भंडार के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दूं। आपने सुना होगा कि दवायें पानी से भीग रही हैं। जब दवाइयां पानी से भीग जाती हैं तो वह एक्सपायर हो जाती हैं असर कम हो जाता है लेकिन वह आज भी वहां रखी हुई हैं इस्तेमाल किए जाने के लिए। आपने निदेशालय के बेसमेन्ट दवा के भंडारन के लिए बतलाया था परन्तु आज वहां स्टेशनरी कार्यालय काम कर रहा है और दवाइयां पानी में भीग रही हैं। औषधि भंडार के लिए आज तीन जगह रखे जाने की व्यवस्था है। मेरा निवेदन है कि बेसमेन्ट को खाली करा कर वहां औषधि रखने की व्यवस्था करायी जाय।

ड्रग इंस्पेक्टर्स के बारे में मैं थोड़ी सी बात और कह दूं कि ये लोग सब स्टैण्डर्ड दवायें बनवाते हैं। आपने लखनऊ में जिन रीजनल ड्रग इंस्पेक्टर

के कार्यकलापों को देखा और उनका स्थानान्तरण कर दिया । मैं दो वर्षों से आगरा के दो ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में कह रहा हूं कि 24 घंटे वह दारू पी कर रहता है । रात में पिये तो पिये वह तो दिन में भी चढ़ाये रहता है और कुछ काम नहीं करता है । तो श्रीमन्, इस पर भी थोड़ा गौर कर लें ।

इसी तरह से आगरा की एक्सरे मशीन पिछले तीन सालों से खराब पड़ी हुई है । एक्सरे प्लेटों की कमी के कारण गरीब आदमी को इसके कारण बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है । मैं चाहूंगा कि कम से कम गरीबों के लिए आप एक्सरे की मशीन को ठीक करा दें तथा ज्यादा मात्रा में एक्सरे प्लेट मुहैया करा दें । इसके लिए थोड़ा सा कोटा बढ़ा दें जिससे कि सबको सुविधा मुहैया हो सके ।

इसी तरह से कैंसर के इलाज में प्रयुक्त कोबाल्ट को दो साल हुये आयु समाप्त हो गयी है । आपने इसके लिए 1 लाख 60 हजार रु० दिये हैं परन्तु पता चला है कि मंहगाई बढ़ गयी है । कीमत बढ़ गई है । तो इसके लिए थोड़े से रूपये की और जरूरत है यदि आप उसे दे दें तो वह आगरा में आ जाय जिससे कि रेडियोथेरेपी की चिकित्सा वहां जन साधारण के लिये सुलभ हो जायेगी । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा रखे गये चिकित्सा के बजट का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

*श्री मनोहर लाल--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । आपके जनपद से मैं भी चुनकर आया हूं और चूंकि आप इस समय अध्यक्षता कर रहे हैं और आप अपनी बात नहीं कह पायेंगे लेकिन मैं मंत्री जी के सामने आपकी बात भी रख दे रहा हूं । अधिष्ठाता महोदय, किसी भी सरकार का यह पहला कर्तव्य है कि वह आम आदमी के लिये रोटी, कपड़ा और रोजी मुहैय्या करे । आज यह स्थिति है कि यह सरकार गरीब जनता की रोजी, रोटी और कपड़ा मुहैय्या करने में फेल रही है । रोजी रोटी के बाद किसी सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वह उनके लिये चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था करे । चिकित्सा के क्षेत्र में मान्यवर, आप देखें, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के भाषण को अगर आपने गौर से सुना हो तो आप पायेंगे कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में जो कि अन्य प्रदेशों से सबसे बड़ा है उसके लिये मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण म चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में बड़ी शेखी बघारी है जो कि बिल्कुल नगण्य है । चिकित्सा के बारे में जो बजट भाषण में मुख्य मंत्री जी ने कहा था उसे पढ़कर सुनाया जाय तो मान्यवर, वह बड़ा हास्यास्पद लगेगा । इतने बड़े प्रदेश के लिये आप 124 नये अस्पतालों और 1200 स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था कर रहे हैं । जो अस्पताल हैं, उनकी हालत आप देख लें । किसानों और गांव वालों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं की तरफ आप देखें तो आप कुछ भी नहीं पायेंगे । उनकी हालत बहुत बदतर है । उस तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्य भी अपने दिल पर हाथ रखकर बतायें कि उनके क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी कितनी सुविधायें मिल पाती हैं । आज किसी भी अस्पताल में आप चले जायं, उसकी हालत आप खराब ही पायेंगे ।

मान्यवर, जहां से आप कहें मैं शुरू कर दूं । जिस जिले से कहें चाहे वह उन्नाव हो, कानपुर हो, बनारस या आगरा, जहां से आप कहें मैं शुरू करूं कि वहां के अस्पतालों की क्या दशा है । मान्यवर, मेरा दावा है कि प्रदेश के किसी भी अस्पताल म आज ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां पर गरीबों को दवा मिल सके और बजट के माध्यम से जो दवा उनको मिलनी चाहिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वह उनको उपलब्ध नहीं हो पाती । ये सारी दवाय बिक जाती हैं । आज दवा सप्लाई करने का ठेका किसके पास है . आप ठेके के माध्यम से यह कार्य करवाते हैं । अस्पतालों में खाने की व्यवस्था भी ठेके के माध्यम के करते हैं, रोगियों को दूध वितरण का काम भी ठेके के माध्यम से करते हैं और ठेके के माध्यम से दवा सप्लाई करते हैं। हर जगह ठेके पर काम करवाते हैं । इस ठेकेदारी प्रथा पर कितना गबन और भ्रष्टाचार व्याप्त है, यह आप स्वयं भी जानते हैं और इसका ज्वलन्त उदाहरण उन्नाव जिले के उमा शंकर दीक्षित अस्पताल है जिसे मैं यहां पर आपके माध्यम से उजागर करना चाहता हूं ।

मान्यवर, आप लोग भी उन्नाव गये होंगे । सैकड़ों हजारों बार गये होंगे । उन्नाव, लखनऊ और कानपुर के बीच में है । उसकी हालत बहुत खराब है । ऐसा लगता है कि वह अस्पताल नहीं है । वहां गन्दगी का साम्राज्य है। हमारे यहां सिकन्दरपुर सिलाव में तीन साल से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बना हुआ है लेकिन वहां पर न डाक्टरों की और न दवाओं की व्यवस्था है । हो सकता है माननीय मंत्री जी को वहां जाने का समय न मिला हो । मान्यवर, माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके क्षेत्र चमरोली में अस्पताल का एक भवन बना हुआ है उसमें भी आज तक डाक्टरों की व्यवस्था नहीं हुई है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपको भ्रम है ।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, मैं आपकी बात कह रहा हूं । न तो वहां पर डाक्टरों की व्यवस्था है और न दवाओं की व्यवस्था है ।

श्री अधिष्ठाता--

वहां पर डाक्टर हैं ।

श्री मनोहर लाल--

तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपके यहां व्यवस्था हो गई लेकिन उन्नाव जनपद में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई है । जिससे गरीबों को दवा मिल सके । वहां पर डाक्टरों की हालत यह है कि 30 हजार से 40 हजार रुपये तक की मासिक आमदनी वे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस से करते हैं । एक दिन के अन्दर हजार डेढ़ हजार रुपया एक डाक्टर कमाता है । एक मरीज से 60 रु0 से 100 रुपये तक घर में दिखाने की फीस लेते हैं तब जाकर उसको अस्पताल में बेड मिल पाती है नहीं तो बेड नहीं मिलती है और बेड लेने के लिए अलग से 4, 5 सौ रुपये देने पड़ते हैं । आप चाहे प्राइवेट प्रैक्टस बंद कर दें या खोल दें हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है लेकिन जो आपके डाक्टर हैं वह सही चिकित्सा करें ।

श्री अधिष्ठाता--

आप अब समाप्त करें ।

श्री मनोहर लाल--

मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं ।

दवाओं का जहां तक ताल्लुक है अस्पताल की दवायें बाहर बिकती हैं । अस्पतालों में गंदगी की यह हालत है कि बेड्स पर कुत्ते सोते हैं चाहे आप बनारस चले जाइये, चाहे इलाहाबाद चले जाइये सब जगह अस्पतालों की यही हालत है । अखबारों तक में फोटो छपी कि बिस्तर में कुत्ते सो रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य विभाग का इस ओर ध्यान नहीं गया। ई0 एस0 आई0 के जो अस्पताल हैं उनकी हालत और भी खराब है । वहां दवाओं के नाम पर पानी मिलता है । सिर्फ छुट्टियां लेने के लिये जो सर्टिफिकेट लेना होता है उसमें 5, 10 रु0 देकर मजदूर सर्टिफिकेट बनवाते हैं । मैं आपको एक उदाहरण अथरटन मिल के एक मजदूर का देता हूं एक धनपत नाम का श्रमिक है उसकी औरत बीमार पड़ गयी तो 12 बजे रात उसे उर्सला अस्पताल ले

गये वहा पर कोई डाक्टर नहीं था तो वहां से उसे एल0 एल0 आर0 अस्पताल ले गये। 16 जुलाई को डाक्टरों ने उसे इंजेक्शन लगाये तीन इंजेक्शन लगाने के बाद उस औरत की मृत्यु हो गयी। इस पर उसके घर वालों और डाक्टरों म कहा सुनी हो गयी तो उन लोगों को बाहर जाने नहीं दिया। 18 तारीख को स्वरूप नगर थाने में रिपोर्ट लिखाई गयी। दो दिन तक उसका पोस्टमार्टम नहीं किया और लाश सड़ती रही। तो अस्पतालों को यह हालत है और दूसरी तरफ माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हमने इतने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये इतनी पी0 एच0 सी0 खोल दी हैं। मैं आपको एक और उदाहरण बाराबंकी का इनकी कार्य-कुशलता का देता हूं। बाराबंकी सी0 एम0 ओ0 आफिस में एक कार्यकारी अधिकारी हैं उनको दो साल से कोई काम नहीं दिया गया है। यह मामला विधान परिषद् में भी आया, डायरेक्टर की नोटिस में भी लाया गया है माननीय मंत्री जी को भी लिखा गया कि सी0 एम0 ओ0 उनको काम नहीं दे रहा है। गत बार महीनों से उनको तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। तो इस तरह से प्रदेश में चिकित्सा के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

अंत में मैं दो शब्द उन्नाव के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां अस्पताल में मानीटर यंत्र, जो हृदय रोग में काम आता है, नहीं है। मेरी मांग है कि उसको वहां तुरन्त व्यवस्था कराई जाय जिससे उन्नाव जनपद के हृदय रोगियों को परेशानी न हो। इन शब्दों के साथ मैं जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन न करते हुए और मांगों का विरोध करते हुए आशा करता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में सुधार करेंगे जिससे गरीबों तक वह दवा पहुंचाने की कृपा करेंगे।

श्री शिवेन्द्र सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया यह बजट प्रदेश के विकास में एक मजबूत कदम है। हमारी सरकार इस नीति पर चल रही है कि सन् दो हजार तक प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य उपलब्ध कराया जा सके। मान्यवर, सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य विभाग के लिये प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी तथा माननीय मुख्य मंत्री, श्री नारायन दत्त तिवारी के माध्यम से जितना प्रावधान हो सकता है वह किया गया है जिससे निश्चित तौर पर इस प्रदेश को प्रगति हो सकेगी। जिसके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने प्रदेश के विकास के लिये इस तरह का बजट प्रस्तुत किया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकास के कार्यक्रम जो चलाये जा रहे हैं जिनसे जनता को लाभ मिल रहा है लेकिन विरोध पक्ष के सदस्य उन्हें अपनी आंखों से देखना तक पसंद नहीं करते हैं।

मान्यवर, मैं अब मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र गोरखपुर जनपद के उत्तरांचल में स्थित सिसुवा की ओर ले जाना चाहता हूं जहां की 10 हजार की आबादी एक टापू के समान बन गयी है। मेरे क्षेत्र के सोहगी बरवां में हर साल बाढ़ आती है जिससे तमाम लोगों के सामने अनेकों समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं। वहां आयुर्वेदिक अस्पताल सरकार द्वारा चलाया जा रहा है लेकिन दवाओं के अभाव में लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि वहां दवाओं की व्यवस्था करायी जाये। हमारे क्षेत्र सिसुवा बाजार में भारत सरकार द्वारा सिसुवा महिला चिकित्सालय को सब-डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल को मान्यता दी जा चुकी है। मैं सरकार से चाहूंगा कि उसे उच्चीकृत किया जाये और एक्सरे मशीन, जनरेटरों आदि की व्यवस्था की जाये ताकि वहां के लोगों का समुचित इलाज हो सके।

मान्यवर, मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि जो अत्याधुनिक तकनीक की योजना है उसके अन्तर्गत हमारे जिले में कैटस्कैन की मशीन लगायी जाये।

मान्यवर, अब मैं किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ की ओर सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं । यह कालेज पूरे देश में प्रसिद्ध है लेकिन दुख है कि वहां जो फिजयोलौजी विभाग है उसके लिए समुचित धन की बजट में व्यवस्था न होने से वह इंडियन मेडिकल काउन्सिल द्वारा डिरिकोगनाइज कर दिया गया है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे समुचित धन दिया जाय । मान्यवर मेरा एक और अनुरोध है कि आगरा, बरेली के जो प्रसिद्ध दिमागी चिकित्सालय हैं वह हमारे विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों के कहने पर उनके क्षेत्रों में खोल दिये जायं । यह साधारण सी बात है कि "हेल्थ इज वेल्थ नथिंग एल्स" । इसलिये हमारे हेल्थ को देखते हुये हमारे क्षेत्र में अस्पताल की व्यवस्था करायें ।

इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

डाक्टर दिनेश चौधरी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जो द्वारा प्रस्तुत बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में बोलने का अवसर दिया ।

मान्यवर, प्रदेश में अस्पतालों और डाक्टरों की कमी नहीं है लेकिन दवाओं की कमी है । हर आदमी दवा के न मिलने से परेशान है । इस वर्ष 30 करोड़ रुपये आपने दवाईयां खरीदने के लिए दिया था लेकिन उसमें से साढ़े ग्यारह करोड़ रुपया लैप्स हो कर वापस हो गया और दवाईयां नहीं खरीदी गयीं । मान्यवर, अजसांप काटने की दवा अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है । और उसके पीछे अनेक अकाल मौतें हो रही हैं । पोलियों वैक्सीन, टिटनेस व कालीखांसी और डिफथीरिया वैक्सीन आदि लगाए तो जाते हैं, वह कभी उपलब्ध हैं और कभी नहीं, लेकिन वह जिस तरह से फ्रिज में रखे जाने चाहिए, उस तरह से रखे नहीं जाते हैं, जिससे वह जब लगाये जाते हैं तो उसका मरीज पर कोई असर नहीं होता है ।

मैं अब आपसे बरेली जनपद के बारे में खासकर कहना चाहूंगा कि उसकी स्वास्थ्य विभाग द्वारा हमेशा उपेक्षा की गई है, परन्तु इस बारे में इस जनपद को कोई मेडिकल कालेज नहीं दिया गया है । इसकी बहुत बड़ी जनसंख्या है और यह मुरादाबाद बदायूं और उधर पिथौरागढ़ कुमाऊं जिलों तक को कवर करता है, परन्तु इसको कोई मेडिकल कालेज नहीं दिया गया है । हमारे स्वास्थ्य मन्त्री जी बहुत उदार हृदय हैं, मैं इस सम्बन्ध में उनका ध्यान अपने जनपद की ओर दिलाना चाहता हूं कि वह वहां के लिये एक मेडिकल कालेज अवश्य दे दें । बनारस में एक मेडिकल कालेज पहले से हैं, बरेली वालों को आप क्यों नहीं देते हैं । मेडिकल कालेज नहीं देते हैं तो आप कम से कम तीन सौ शैय्याओं वाला एक आधुनिक अस्पताल बरेली को दे दीजिये । यह बरेली वह जिला है, जहां से गोविन्द बल्लभ पन्त पहली बार चुन कर आये थे । यह बरेली वह जगह है जहां से भूतपूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी सांसद हैं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सदन में यह घोषणा करें कि बरेली को एक मेडिकल कालेज देंगे ।

अब मैं एक अन्य प्रमुख समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मेडिकल डाइरेक्ट्रेट में मिस्टर आर0 एन0 शर्मा, एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी हैं, जिन्होंने वहां पर प्रदेश भर के डाक्टरों को परेशान कर रखा है । यह वह व्यक्ति हैं जिनकी वजह से प्रदेश पर एक करोड़ रुपये का भार पड़ा है । उन्होंने 3 हजार डाक्टरों का ट्रांसफर किया है, फिर उनको लौटा-फेरी की, जिससे इतने बड़े धनराशि की बर्बादी हुई है । आपके देखने और

सोचने की यह बात है कि यह पिछले 13 सालों से कैसे वहां पर कार्यरत हैं। इनका 4 बार ट्रांसफर हुआ फिर भी इनकी वहां से क्यों नहीं हटाया गया जब कल्याण सिंह जी स्वास्थ्य मन्त्री थे तो उन्होंने एक नीति निर्धारित की जिसके अन्तर्गत लाइफ सेविंग व हैजाइल ड्रग उन्हीं कम्पनियों से खरीदी जायेगी जो डी० जी० एम० ऐन्ड डी० से मान्यता प्राप्त है। प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है। अधिकांश सबस्टैन्डर्ड दवाएं दूसरे प्रदेशों से आती हैं, उत्तर प्रदेश में भी बनती हैं। उसके खरीदने के बारे में कुछ नीति निर्धारित होनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 600 दवा बनाने के कारखाने हैं, जिन पर केवल 62 ड्रग इंस्पेक्टर और 6 सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर नियुक्त हैं। तो क्या यह इन अल्प इंस्पेक्टरों के लिए सम्भव है कि वह इतने कारखानों और 25 हजार दुकानों का निरीक्षण कर सकें। भूतपूर्व स्वास्थ्य मन्त्री जी कल्याण सिंह जी ने एक प्रस्ताव रखा था कि एक टेकनिकल-हैण्ड इसे देखे। आपने भी उसे स्वीकार किया है, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और जो परिवार नियोजन निदेशालय की ओर से एक-एक बैग भेंट किया जा रहा है, उसके लिए भी मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं।

(4 बजकर 10 मिनट)

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वास्थ्य सेवा का गांवों में विस्तार हुआ है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि मार्डन उपलब्धियां जिला स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं और उसका विस्तार किया जा रहा है। इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार नियोजन की सुविधायें ग्रामों में पहुंचायी जा रही हैं और देहात तक पहुंचायी जा रहा है। लेकिन माननीय मन्त्री जी मैं एक बात आपसे निवेदन करूंगा कि यह विचार गलत है कि शहरों में बड़े-बड़े अस्पताल खोल कर या बड़े-बड़े मेडिकल कालेज खोलकर स्वास्थ्य सुविधायें दी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे मेडिकल कालेज या बहुत अच्छे-अच्छे अस्पताल खुल तो जाते हैं उसमें ट्रेंड डाक्टर्स भी होते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं कि अच्छे अस्पताल और अच्छे मेडिकल कालेज खुले हुये हैं लेकिन जब तक देहात में यह सुविधायें नहीं पहुंचेंगी तब तक देहात का चेहरा नहीं बनेगा, देहात का चेहरा नहीं बदलेगा। इसलिये जरूरत इस बात की है कि अगर हम यही सोच कर चलेंगे कि हमको बेस्ट इलाज, आला दर्जे का इलाज मिले तो वह सही प्रयास नहीं होगा और जो सेकेन्ड बेस्ट थर्ड बेस्ट इलाज है वह नहीं मिलेगा। इसलिए प्रयास इस बात का होना चाहिए कि देहात को यह सुविधायें कैसे पहुंचायी जा सके।

देहात में आज सुविधा बहुत कम है। यह अस्पताल जो शहरों में खोल रहे हैं यह तो दरअसल शहर वालों को सुविधा देते हैं। यह सुविधायें देहातों में किसी न किसी रूप में छोटे रूप में पहुंचाने की बहुत जरूरत है। इस पर प्रयास हुआ है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये उप केन्द्र खोले गये हैं, नर्सेज को सुविधायें दी गयी हैं। महिलाओं के लिए मैटरनिटी सेन्टर खोले गये हैं लेकिन उसके बावजूद भी अभी देहात में सुविधायें बहुत कम हैं और आपका इस तरफ ध्यान जाने की आवश्यकता है। बहुत बड़े मेडिकल कालेज या बहुत बड़े अस्पताल खोलने कुछ दिनों के लिये बन्द कर दिया जाय और वह सारी सुविधायें देहातों को दी जाय जिससे देहात का चेहरा बदले और उनको सुविधायें मिले और देहात के लोगों को महसूस हो कि यह सुविधायें उनके दरवाजे तक पहुंच रही हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी चीज में आपसे यह निवेदन करूंगा कि जो सुविधायें हैं शहरों में, उनको और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। अभी जो बहुत सी बातें कही गयीं उसमें बहुत वास्तविकता इस बात की है कि शहरों की आबादी तेजी से बढ़ती चली जा रही है और जो कुछ सुविधायें हमारे पास हैं वह पर्याप्त नहीं हो पा रही हैं। इसलिये उनको आप बेहतर नहीं बनायेंगे तो हमारी जरूरतें उस तरीके से नहीं पूरी होंगी जिस तरीके से हम चाहते हैं कि पूरी हों। इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा आपका ध्यान अपने जनपद की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे जनपद की आबादी 50 हजार है। वहां पर एक जिला अस्पताल है। मैं उसके लिये बधाई देना चाहता हूं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी को कि वहां पर हर सुविधा करीब-करीब हो गयी है। एक्स-रे की नयी मशीन है, दिल की मशीन पहुंच रही है। वहां पर दांत, आंख, चाइल्ड एक्सपर्ट्स हैं और टी0 बी0 इत्यादि के इलाज की व्यवस्था वहां हो गयी है। लेकिन उस अस्पताल की बिल्डिंग बहुत पुरानी है, खराब है इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि एक नयी बिल्डिंग बने। उसके लिए जमीन एक्वायर हो और नया अस्पताल बनाया जाय।

यही हालत महिला चिकित्सालय की है, उसकी बिल्डिंग बहुत पुरानी है और जितने आपके कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके रहने के लिये भी सुविधा नहीं है। तो उसकी भी एक नयी बिल्डिंग बननी चाहिये प्रतापगढ़ में। दूसरी बात अभी 30 शैय्याओं के अस्पताल आप कुछ पी0 एच0 सीज0 में खोल रहे हैं जो प्रतापगढ़ में भी वह सुविधा देनी चाहिये। जहां तक मेरा ख्याल है कि हमारे जनपद में कोई भी अस्पताल 30 शैय्याओं का देहात क्षेत्र में नहीं है। तो इसलिए स्वास्थ्य के सम्बन्ध में मुझे मालूम हुआ है कि हमारे पूर्वांचल में खासकर बनारस में जो मेडिकल कालेज हैं, उसमें डायलेसिस की कोई व्यवस्था नहीं है, बी0 एच0 यू0 में तो है, लेकिन मेडिकल कालेज, बनारस में जैसा हमें बताया नहीं गया है। अगर है, तो अच्छी बात है।

मुझसे कुछ स्वास्थ्य सहायक बन्धु मिले, अपनी दिक्कतें बताईं। तो उनके सम्बन्ध उन्होंने मुझसे कुछ में में बतलाना चाहता हूं। उनका कथन है कि एक जजमेंट हुआ हाई कोर्ट का, उसके मुताबिक उनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, उनका पद स्थायी होना चाहिए और उनकी कुछ दिक्कतें हैं, वह दूर होनी चाहिए, क्योंकि फैमिली प्लानिंग के काम में वे लगे हुए हैं और यह महत्वपूर्ण काम है।

अन्त में मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य सुविधायें देहातों में बढ़ें। किसी अर्थशास्त्री ने यह कहा कि "ए कन्ट्री इज पुवर, बिकाज इट इज पुवर।" कोई मुल्क इसलिए गरीब है, क्योंकि वह गरीब है। स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो हमारा मुल्क अच्छा होगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं परिवार नियोजन के सम्बन्ध में, परिवार कल्याण के सम्बन्ध में। इसे हमें सेट-बैक हुआ। जितना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, वह नहीं हुआ। समाज का एक सेक्शन परिवार कल्याण में धार्मिक रंग लगाता है, तो वह समाज का वह सेक्शन परिवार नियोजन से लाभ नहीं उठाता, तो तालीम के जरिये, परसुयेशन के जरिये उनको लाने की आवश्यकता है। प्राइवेट डाक्टरों को भी इस कार्यक्रम में लगाइये और उनके ऊपर भी लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी हो कि वे भी अपरेशन करें। जैसे खुद आपने यह बात कही कि यह भी महसूस करना चाहिए कि बच्चे जिन्दा रहें, जैसे आप देहात में जाते हैं और वे कहते हैं कि एक-दो बच्चे हैं, जिन्दा रहें या न रहें। यदि उनका यकीन हो जाय कि हमारे बच्चे जिन्दा रहेंगे, तो उस कार्यक्रम को वह अपनायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपके बजट का हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री अशोक बाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने बजट पेश किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका प्रयास है कि उनकी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचे। मान्यवर, यह ऐसा विभाग है जो सामान्य विभाग से हटकर मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा है। सामान्य विभागों की कोटि में इसे नहीं रखा जा सकता। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जो एक अनुभवी, कुशल प्रशासक हैं और प्रशासनिक अनुभव उन्हें विरासत में मिला है। वह प्रदेश के एक-दो कुशलतम मंत्रियों में से एक हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से यह अपेक्षा प्रदेश की जनता उनसे विशेष रूप से करती है।

माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं, वरन् कुछ स्वस्थ सुझाव देना चाहता हूं एवं कुछ प्रश्नों का जवाब चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी अपने बजट उत्तर में इन प्रश्नों का जवाब अवश्य देने का कष्ट करें। मान्यवर, इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए, तो अच्छा होगा। जनता शासन में जनता सरकार का यह प्रयास था कि स्वास्थ्य की सुविधा सबको समान रूप से मिले। लेकिन गांव के उस गरीब किसान और मजदूर के स्वास्थ्य सुधार एवं देय सुविधाओं का इस बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया है। आज इस स्वास्थ्य बजट की स्थिति वही है जो पोल पांव के रोगी की होती है। पील पांव के रोगी का दूसरा पांव नहीं देखा गया है, जो कमजोर हो रहा है। शहरों के लोगों को सारी सुविधायें हैं लेकिन गांवों के लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है।

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और कुछ प्रश्नों के उत्तर माननीय मन्त्री जी से चाहता हूं। विशेष सुविधाओं का उल्लेख किया गया है, उसमें गांवों में क्या सुविधायें दी गई है? दवाओं की चोरी रोकने का क्या प्रयास बजट में किया गया है, मैं जानना चाहूंगा कि प्रदेश की जो दवाओं के स्टाक हैं, उसका फिजिकल वेरीफिकेशन कराया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर मैं मन्त्री जी से चाहूंगा। क्या यह सर्वे कराया गया है कि एक्सपायरी डेट की कौन-कौन सी कितनी दवायें प्रदेश अस्पताल में हैं? मैं चाहूंगा कि इसकी सही जानकारी आए कि प्रदेश में कितना दवायें एक्सपायरी डेट की उपलब्ध है? एक तरफ तो स्वास्थ्य बजट की बात कही जाती है वहीं दूसरी ओर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में कुल कितने वाहन हैं जनपदों में, कितने वहन है ऐसे कितने हैं जो ग्रान दि रोड हैं, आफ दि रोड हैं और कितने वाहन बेकार पड़े हैं।

मान्यवर, मैंने देखा है कि प्रत्येक जिला अस्पतालों में 6-7 वाहन बेकार पड़े रहते हैं, न उनकी नीलामी होती है न उनका उपयोग होता है, उनको देखकर ऐसा मालूम होता है जैसे वर्कशाप खुल गया है। फाइनेन्स कमीशन द्वारा जो बजट उपलब्ध हुआ है वह बहुत ही कम है। गरीब प्रदेश को ज्यादा सुविधायें उपलब्ध करायी जानी चाहिए थी प्रदेश सरकार की उपेक्षा के कारण जो बजट की राशि मिली है वह 12 करोड़ की आबादी के लिए कम है। फाइनेन्स कमीशन द्वारा जो पैसा स्वीकृत हुआ है क्या उसे विभाग द्वारा इयर मार्क किया गया है। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में कुल कितनी एक्सरे मशीन हैं और कितनी एक्सरे मशीनों की प्रदेश में आवश्यकता है? कितनी एक्सरे मशीन वर्किंग हालत में हैं कितनी खराब पड़ी हैं कागज पर तो दर्शा दिया जाता है कि इतनी एक्सरे मशीन हैं, लेकिन उसका उतना फायदा जनता को नहीं मिल पाता है। एक्सरे प्लेट के सम्बन्ध में जानकारी चाहूंगा। माननीय मन्त्री जी इसका सर्वेक्षण कर लें कि प्रदेश में एक्सरे

प्लेट की कितनी आवश्यकता है कितनी उपलब्ध करायी जाती है ? मान्यवर, जब कोई गरीब किसान एक्सरे के लिए जाता है, तो एक्सरे टेक्नीशियन कहते हैं कि एक्सरे प्लेट नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने एक्सरे प्लेट की आवश्यकता है और कितने की पूर्ति की जा रही है ?

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि फाइनेन्स कमीशन द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार ने पर-पेशेन्ट कितनी डाइट और कितनी दवाओं की कीमत की मांग की है ? मान्यवर, जनता सरकार के समय में एक व्यवस्था की गई थी कि डी0जी0 एस0 एम0 डी0 के तहत जो केन्द्रीय सरकार की संस्था है जिसकी अपनी लेबोरेट्री है, जिनका स्वास्थ्य से सम्बन्ध है, जीवन रक्षक दवाये उन्हीं फर्मों से खरीदी जाती थीं, जो डी0 जी0 एस0 एम0 डी0 से एप्रूव्ड फर्में होती थीं । मेरी जानकारी में है कि हरियाणा को समान फर्मों से दवायें सप्लाई की जा रहीं हैं, जो फर्में डी0 जी0 एस0 एम0 डी0 से एप्रूव्ड ही नहीं हैं । मान्यवर, जनता शासन में ड्रग निदेशालय की स्थापना का निर्णय लिया गया था, उसी तरह से ड्रग निदेशालय की स्थापना की जाए और उसका विभागाध्यक्ष औषधि टैक्नीशियन बनाया जाए जिसको औषधि के सम्बन्ध में ज्ञान हो । एक ऐसे निदेशालय की आवश्यकता पर मैं बल देता हूं । मन्त्री जी अपने भाषण में उत्तर देने की कृपा करेंगे । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एमरजेन्सी ट्रे में जीवन रक्षक दवायें उपलब्ध नहीं होती है, सेन्सटीविटी टेस्ट नहीं होता है । मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि आपरेशन से पूर्व सेन्सटीविटी टेस्ट कराने की व्यवस्था करें ।

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रदेश में मृत्यु दर क्या है और उस दर को घटाने के लिये कौन-कौन से प्रयास किये गये । यह दर निरन्तर बढ़ती जा रही है । एक बात और माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि होम्योपैथिक, एलोपैथिक और यूनानी चिकित्सालयों में चिकित्सक के कितने पद रिक्त हैं । मैं यह भी जानना चाहूंगा और श्रीमन्, मेरी जानकारी है कि आज होम्योपैथिक कालेजों में जहां डिग्री की शिक्षा दी जाती है, लखनऊ में नेशनल होम्योपैथिक कालेज में डिग्री की शिक्षा डिप्लोमा होल्डर दे रहे हैं । यह कितने शर्म की बात है ।

माननीय मन्त्री जी ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने का प्रयास किया है । एक चीज की माननीय मन्त्री जी अस्पतालों में व्यवस्था अवश्य करा दें । वह है सफाई और शौचालय भी । मन्त्री जी का समुचित ध्यान इधर नहीं गया । अस्पतालों में इतना गन्दगी है, सड़न है कि कहा नहीं जा सकता है । जहां मन्त्री जी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बनाने जा रहे हैं, वहां गांव के लिये सफाई सामान्य स्वास्थ्य रक्षक की व्यवस्था करा दें तो ठीक होगा । मैं 1983-84 की आडिट रिपोर्ट को मन्त्री जी के सामने पेश करना चाहता हूं । इस आडिट रिपोर्ट में स्पष्ट दिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग में लाखों रुपये की लूट हुई है । वहां के अधिकारियों ने भारी अपव्यय किया है आडिट रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा 5 हजार लीटर पेट्रोल ऐसी गाड़ियों पर खर्च किया गया जो गैराज में खड़ी हैं, एक हजार लीटर मोबिल आयल का खर्च उन्हीं गाड़ियों पर आया है । लाखों रुपये गोलमाल के मामले निदेशालय में भ्रष्टाचार से भरे पड़े हैं । मंत्री जी क्या उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच करने की कृपा करेंगे ।

मैं प्रदेश के प्रमुख अखबार "दैनिक जागरण" का हवाला देना चाहता हूं । जिसमें राजधानी के प्रमुख अस्पताल के मरीजों का फोटो बना है, वहां मरीजों के लिये बिस्तर नहीं हैं, अपनी चटाई पर लोग पड़े जिन्दगी और मौत से लड़ रहे हैं । एक और प्रमुख अखबार दैनिक जागरण दिनांक 5 जून, 1985

का हवाला देना चहता हूं जिसमें लिखा है फर्जी चिट्ठियों के जरिये हेराफेरी की गई। लाखों रुपये की हेराफेरी फर्जी चिट्ठियों के जरिये विभाग में किया गया। श्रीमन्, दिनांक 7 जून, 1985 के दैनिक जागरण में निकला है कि स्वास्थ्य निदेशालय भवन से 30 लाख रुपये का सामान गायब। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री जी अनुभवी हैं, कुशल प्रशासक हैं। इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें जिससे सरकार की छवि प्रदेश में उज्ज्वल हो सके, और जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है उसका उपयोग जनहित में हो सके। मैं हरदोई जनपद से आता हूं। स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में यह सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। हमारे यहां अस्पतालों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में रैनाई प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र है वहां पर वर्षों से कोई चिकित्सक नहीं है और न दवायें उपलब्ध रहती हैं। पिहानी जिला परिषद् के अस्पताल के प्रान्तीयकरण का प्रश्न वर्षों से मंत्री जी के विचाराधीन है, यही स्थिति शाहाबाद तहसील चिकित्सालय की है। मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि इनका प्रान्तीयकरण करें।

मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि हरदोई अस्पताल में एक्सरे मशीन, ब्लड बैंक तथा विशेषीकृत चिकित्सा की जो और सुविधायें हैं, उनको उपलब्ध कराने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ अध्यक्षता महोदय मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मन्त्री जी ने बड़ी मेहनत से विभागीय बजट बनाने का काम किया तथा स्वास्थ्य सुविधायें बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

सहारनपुर में हुए झगड़े एवं कर्फ्यू लगाये जाने की सूचना

श्री राम सरन—

मान्यवर, अभी-अभी मुझे सूचना मिली है कि सहारनपुर जिले में दो तबकों में झगड़ा हो गया है और 2-3 लोग मारे गये हैं। कर्फ्यू लगा हुआ है, 3 मौतें हो गयी हैं मुख्य मन्त्री जी यहां आकर खुद अवगत करायें। मान्यवर सूचना किसी भी वक्त दी जा सकती।

श्री अधिष्ठाता—

आपने सूचना दे दी। चर्चा के बाद इसको लिया जायेगा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

आपने शुरू किया, मैं बताए देता हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

बजट भाषण के बाद बतायें।

1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 19—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) अनुदान संख्या 20—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) तथा अनुदान संख्या 21—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (क्रमागत)

*श्री देवेन्द्र पान्डेय—

मान्यवर, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो अनुदान मांग प्रस्तुत की उसके बाद उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि प्रदेश की जनता को महामारी से छुटकारा मिला है। इसका मुख्य श्रेय उनके द्वारा पिछले वर्ष में किये गये जहां एक ओर उनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रयत्न रहे हैं वहीं दूसरी तरफ देश प्रदेश की गरीब जनता द्वारा अपनायी जाने वाली आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा की तरफ विशेष रुचि लिये जाने पर भी उनका श्रेय जाता है। जहां एक ओर आयुर्वेदिक चिकित्सा का प्रान्तीयकरण हुआ वहीं दूसरी तरफ हमारे होम्योपैथिक चिकित्सालयों का भी, मेडिकल कालेजों का भी, प्रान्तीयकरण हुआ। 1981 में जो अधिनियम बना उसके तहत 9 मेडिकल कालेजों का प्रान्तीयकरण हुआ। जो सबसे बड़ी चीज हुई वह यह कि हमारी केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना होम्योपैथिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना नहीं हो सकती।

(माइक खराब होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

आप माइक बदल दें, आवाज ठीक से नहीं आ रही है।

श्री देवेन्द्र पान्डेय--

इस अधिनियम के बाद, प्रान्तीयकरणों के बाद जो सबसे बड़ी चीज हुई वह यह कि चिकित्सा शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ। सी0पी0एम0टी0 के माध्यम से छात्रों का चयन शुरू हुआ और फीसों का नियमन हुआ। इससे पहले एक बहुत बड़ी परेशानी छात्रों को इस क्षेत्र में थी। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं स्वास्थ्य मंत्री जी को पूरे देश में यह पहला प्रदेश रहा है जहां गरीब जनता में अपनाई जाने वाली आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा की तरफ ध्यान दिया गया जिसके कारण ही वह गरीब लोग जो एलोपैथिक की महंगी दवाओं का प्रयोग नहीं कर पाते थे और बीमारियों से छुटकारा नहीं पा पाते थे, इस चिकित्सा पद्धति का लाभ उठाया और महामारी जैसी बीमारी से छुटकारा पाया लेकिन जहां इन चीजों पर ध्यान दिया गया, वहीं यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि जो होम्योपैथिक मेडिकल कालेज या आयुर्वेदिक अस्पताल हैं, उनके भवन नहीं हैं। होम्योपैथिक मेडिकल कालेज बने तो उनके पास महिला डाक्टर्स नहीं हैं या जो छात्र, छात्राएं हैं उनके लिये छात्रावास नहीं हैं। हम शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहेंगे कि इस ओर ध्यान दें।

इसी प्रकार अनुरोध करना चाहूंगा कि यह प्रदेश केरल के बाद देश में दूसरा प्रदेश है जहां पहला बार होम्योपैथिक निदेशालय बना और इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई, गति आयी। इससे होम्योपैथिक चिकित्सा जनता तक पहुंची, लेकिन आज जरूरत है कि हमारा जो होम्योपैथिक निदेशालय है, उनका सुदृढ़ीकरण किया जाय। अगर इसको मजबूत नहीं किया जायगा और जिला स्तर पर होम्योपैथिक आफिसर नहीं नियुक्त होंगे तो हम समझते हैं कि स्वास्थ्य मन्त्री जो मुख्य लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आज इसके साथ ही साथ हमें जानकारी है कि पिछले कुम्भ में जो इलाहाबाद में था चिकित्सा विभाग की ओर से होम्योपैथिक चिकित्सा जनता तक पहुंचाने के लिये, उसके प्रचार और प्रसार के लिये कुम्भ में 10 होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले गये थे। मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि हरिद्वार में कुम्भ मेला लगने वाला है। वहां भी होम्योपैथिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार के लिये 10-12 या और अधिकाधिक होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जायं। लेकिन इन सारी चीजों के साथ यदि होम्योपैथिक फार्मेसी और दवाओं का निर्माण यहां नहीं होता तो हम समझते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि

हमारे प्रदेश में होम्योपैथिक फार्मेसी का गठन करें। जहां तक आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात है, उसके सम्बन्ध में अनुरोध करना चाहूंगा कि उसके लिये एक अनुसंधान केन्द्र खोला जाय। इसी प्रकार आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के बाद हमें इनके जो चिकित्सक हैं, उनके वेतनमान पर भी ध्यान देना होगा। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमारे आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डाक्टरों को जो इतना सम्मान पिछले वर्षों में दिया है, तो वे एलोपैथिक डाक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिला कर सेवा कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि उनके वेतनमान पर ध्यान दिया जाय और उन्हें 850–1,720 का वेतनमान देने पर शासन विचार करे।

हमें जानकारी मिली है कि आज हमारे अस्पतालों में जो अनुदान दिया जा रहा है, वह कम है। आज एक हजार, डेढ़ हजार मिलता है। इस अनुदान को बढ़ाया जाय जिससे ये केन्द्र अधिक से अधिक दवायें लेकर जनता को सुविधा प्रदान कर सकें। एक चीज और मैं चाहूंगा आज हमारे यहां जो जिला अस्पताल हैं उन्हें एक ही होम्योपैथिक चिकित्सक मिला है। आवश्यकता इस बात की है कि हर जिले में ब्लाक स्तर पर अलग से होम्योपैथिक चिकित्सक लगायें जायं और अस्पताल खोले जायं। इसी के साथ–साथ आपने जो आयुर्वेदिक सुविधा की बात की, इसमें बहुत सुधार की आश्यकता है। इस बात की आवश्यकता है कि रानीखेत में जो अनुसधान केन्द्र है, उसमें बहुत सा घोटाला है, इस तरह से लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार इस बात की भी आवश्यकता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो ऐसे क्षेत्र हैं, जहां दवाओं के लिए जड़ी–बूटियां उगाई जा सकती हैं, वहां पर उन्हें उगाया जाय, उसके उगाने के लिए कार्यक्रम बनाया जाय।

इसी प्रकार मैंने शासन से मांग करता हूं कि जिस प्रकार एलोपैथिक दवाओं के लिए संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान बनाया गया है, इसी प्रकार होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं के लिए भी संस्थान बनायें जायं जिससे अच्छी से अच्छी दवाओं की सुविधा प्रदेश की जनता को मिल सके। इस प्रकार में एक बार फिर मंत्री जी को इसके लिए मुबारकबाद देता हूं और प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग की यदि इस तरह से उपलब्धियां रहीं, तो सन् 2000 तक प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करने का जो लक्ष्य है, वह पूरा हो जायेगा।

डाक्टर अच्युतानन्द तिवारी––

माननीय अधिष्ठाता जी, इतने प्रयत्न के बाद आपने जो बोलने का मौका दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद।

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग के बजट में जो दावे प्रस्तुत किये गये हैं, वह बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की गयी हैं, जो बातें उसमें कहीं गयी हैं, उसमें काफी कुछ सत्य नहीं है।

मान्यवर, इन पिछले पांच वर्षों में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में जो उपलब्धियां हुई हैं, उसके लिए मैं अवश्य स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, वे बधाई के पात्र हैं। लेकिन, हमारी आवश्यकताएं इतनी हैं कि इतने से हमें संतोष नहीं होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया होता और प्रशासन पर कड़ा नियंत्रण रखा गया होता, तो यह उपलब्धियां निस्संदेह दुगुनी हो गयी होती। लेकिन क्या कहा जाय भ्रष्टाचार स्वास्थ्य विभाग ही नहीं पूरे समाज में व्याप्त है और इसको दूर करने के लिए पूरे समाज को आगे आना होगा।

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग में जो इस वर्ष ट्रांसफर किये गये हैं, यह

सरासर अनुचित हैं। करीब 4 हजार डाक्टरों के ट्रान्सफर हुए हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ी जो है वह जिला स्तर पर ट्रांसफरों में हुई है। वहां के सी0 एम0 ओ0 लोगों ने अस्पतालों के रेट तय करके धन की उगाही किया है। स्वास्थ्य मंत्री जो यदि रुचि रखते होंगे तो मैं 2-1 केस उनको अवश्य ही बता दूंगा। हर अस्पताल के रेट तय हो गये हैं। सी0 एम0 ओ0 लोग धन उगाही कर रहे हैं। अगर डाक्टर लोग इस निमित्त पैसा देंगे तो वे लोग अवश्य ही अनुचित तरीके से कमाई भी करेंगे। हमारे मेडिकल साइंस के अन्तर्गत एक बात कही जाती है कि प्रिवेन्शन इज बैटर दैन क्योर। मान्यवर, क्योर पर तो ध्यान दिया गया है लेकिन प्रिवेन्शन पर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं अनुरोध करूंगा कि हर पी0 एच0 सी0 पर कम से कम एक डाक्टर इस काम के लिए नियुक्त किया जाय जो सिर्फ प्रिवेन्टिव वर्क करे और उपलब्धि दिखाये कि कितने टीके लगाये गये। मान्यवर, मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि पूरे गोरखपुर मण्डल में ए0 टी0 एस0 और एंटीरेबीजसल उपलब्ध नहीं है। वहां कई लोगों की मृत्यु ए0 टी0 एस0 के अभाव में टिटनेस से हुई है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बैग को मुबारकबाद के तौर पर, एक शेर में उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। आपकी इजाजत हो तो।

डाक्टर अच्युतानन्द तिवारी--

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी एक प्राइवेट डाक्टर हूं। लेकिन, अभी तक वहां के अधिकारियों ने मुझसे परिवार नियोजन कार्यक्रम में कोई सहयोग नहीं मांगा है। मैं इसमें सहयोग देने के लिए तैयार हूं इसी तरह से अन्य प्राइवेट डाक्टर्स का भी सहयोग लिया जा सकता है।

(इस समय 4 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पुनः पीठासीन हुए।)

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी को इस ब्रीफ केस के लिए मुबारकबाद के रूप में एक शेर अर्ज करना चाहता हूं--

"हमने माना कि कुछ नहीं गालिब,
मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है।"

डाक्टर अच्युतानन्द तिवारी--

मुझे यह भी बताया गया है कि आपके एक एडीशनल डाइरेक्टर, श्री शर्मा हैं, उन्होंने एक डाक्टर के कान पकड़कर उठक-बैठक लगवाई क्योंकि उन्होंने किसी राजनैतिक प्रभाव का प्रयोग किया था ट्रान्सफर रुकवाने के लिए। इस प्रकार किसी डाक्टर के कान पकड़कर उठक-बैठक लगवाना बड़े शर्म की बात है। इसकी आप जांच करवायें और इस डाइरेक्टर को दण्डित करें। यह जो सिफारिश की गई थी, वह आपके कांग्रेस अध्यक्ष श्री महावीर प्रसाद जी की थी।

अन्त में मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि आज सभी लोग यह शपथ लें कि एक-एक विधायक 10-10 महिला व पुरुष नसबन्दी देगा ताकि कल्याण की योजना सफल हो सके।

श्री विनोद कुमार--

मान्यवर, आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो क्रान्तिकारी बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव लाया गया है उसका मैं विरोध करता हूं, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं कही गयी है जिससे कोई...

(एक सदस्य द्वारा ब्रीफकेस को दिखाये जाने पर)

श्री विनोद कुमार—

परिवार नियोजन विभाग की ओर से जो आपको अटैची दी गई हैं, उसमें आप परिवार नियोजन की सामग्री रख कर गांवों में उसका प्रचार करें, इसके लिए सरकार आपकी आभारी रहेगी। मैं कह रहा था कि विरोध पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसमें कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया गया जिससे इस प्रदेश का भला होता या फिर स्वास्थ्य मंत्री जी उस सुझाव को मानने के लिए तैयार या सहमत होते।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बजट में कुछ नई चीजें रखी हैं। चिकित्सा की व्यवस्था के लिए चाहे वह आयुर्वेदिक कालेज हो या होम्योपैथिक कालेज हो, उसमें एक बालकों के लिए और एक बालिकाओं के लिए होस्टल खोलने की व्यवस्था की है, जिसके लिए हम स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि एलोपैथिक डाक्टर नियुक्त किए गए हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि लगभग 2 हजार एलोपैथिक चिकित्सकों ने देहातों में जाकर सेवा करने के लिए मना कर दिया ऐसे एलोपैथिक चिकित्सालय जहां एम0 बी0 बी0 एस0 डाक्टर जाना पसन्द नहीं करते तो ऐसे चिकित्सालयों में होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डाक्टरों को काम करने का मौका दिया जाय। इससे जहां उन लोगों को काम करने का मौका मिलेगा वहीं उस क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य विभाग द्वारा सेवा की जा सकेगी। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभारी होऊंगा यदि वहां चिकित्सकों की व्यवस्था करा देंगे। प्रत्येक मेडिकल कालेज में कैंसर रोग से पीड़ित लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था की गयी है, इसके लिए भी माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। यह सरकार जो मण्डलीय स्तर पर जहां मेडिकल कालेज नहीं है उन सभी मण्डलीय स्तर के शहरों में भी डाइलेसिस की भी व्यवस्था करने जा रहा है। इस प्रान्त में तमाम आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक डाक्टरों के पद खाली पड़े थे। अब एक-दो महीनों में उन जगहों पर चिकित्सकों की नियुक्ति होने जा रही है और मैं समझता हूं कि उन सभी क्षेत्रों में जहां चिकित्सालय खाली पड़े थे वहां चिकित्सकों की नियुक्तियां हो सकेंगी और वहां रहने वाले भाई-बहनों को इसका लाभ मिल सकेगा।

आज माननीय, वर्ष 1982-83 और 83-84 का बजट देखें, मैंने तथा तमाम सदस्यों ने मांग की थी कि एम0 ओ0 थर्ड को पोस्ट क्रियेट की जाय। और आयुर्वेदिक चिकित्सकों की नियुक्ति की जाये। आज स्वास्थ्य मंत्री जी ने घोषणा की कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सक की नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। और माननीय, शीघ्र ही इस प्रदेश में एक आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान केन्द्र स्थापित होने जा रहा है और लखनऊ में एक रीजनल आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना प्रदेश सरकार करने जा रही है। इसलिए भी मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी घोषणाएं इस में की हैं शीघ्र ही इन्हें कार्यान्वित कराने का कष्ट करें। तमाम सत्ता पक्ष के सदस्यों ने और विरोध पक्ष के सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की कि जितनी दवाई दी जाती है वह सही ढंग से रोगियों को वितरित नहीं होती। मैं इस बात से सहमत हूं और इस ओर स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि तमाम जगहों पर मुझे भी इस चीज का अनुभव हुआ कि कुछ चिकित्सकों द्वारा ऐसे रोगियों को प्रताड़ित किया जाता है और धन उगाही की बात की जाती है जो जीवन-मृत्यु के सम्बन्ध में होते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जहां ऐसी शिकायतें मिलें वहां किसी को भेज कर या स्वयं इस चीज को देखें और ऐसी

नजोर देश करें जो ऐसा काम करने वालों में एक वहशत की भावना पैदा हो ।

मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अपने क्षेत्र के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में माधोटांडा अभयपुर के चिकित्सालयों के प्रान्तीयकरण का प्रस्ताव जिले से आ चुका है । फाइल लगभग कम्पलीट है । उसके बारे में मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है । पूरी तहसील में एक ही ब्लाक है, बहुत अधिक बड़ा ब्लाक होने की वजह से वहां पर हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है । अतः जिला परिषद् के चिकित्सालयों का प्रस्ताव आपके विभाग में विचाराधीन है आप उनका प्रान्तीयकरण करने का कष्ट करें और इसके साथ ही साथ एक एडीशनल पी० एच० सी० की स्वीकृति भी देने का कष्ट करें ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री विनोद कुमार--

इसके साथ ही मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट की सराहना करता हूं और बधाई देता हूं तथा माननीय मंत्री जी द्वारा जो आश्वासन दिये गये हैं उनके शीघ्र क्रियान्वयन हेतु आशा करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

ऐसा मालूम होता है कि इस पर काफी माननीय सदस्य हिस्सा लेना चाहते हैं और समय भी इतना ज्यादा नहीं है और 5 बजे के बाद भी इसको लेना होगा ।

(कुछ सदस्यों द्वारा एक घंटा समय बढ़ाने की मांग करने पर)

नियम 15 के अन्तर्गत हमारी जितनी कार्यवाही आई है उसको पूरा करने के लिए हम बैठ सकते हैं । जितनी यह कार्यवाही है, तब तक हम बैठे हैं । माननीय सदस्यगण को 5 मिनट और माननीय मंत्री जी की सीमा तो निर्धारित नहीं है लेकिन आशा करता हूं कि वह भी कम समय लेंगे । एक घन्टा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । नियम से चल रहा है । माननीय गोपाल दास यादव 5 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे ।

श्री गोपाल दास यादव--

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो स्वास्थ्य का बजट पेश किया वह जनता में मृगतृष्णा की भांति है जैसे रेगिस्तान में जब कोई व्यक्ति प्यासा होता है तो समझता है कि आगे पानी है परन्तु आगे जाने पर उसे बालू ही मिलती है उसी प्रकार से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत दावे के साथ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि महामारी पर हमारे अधिकारियों ने कन्ट्रोल किया । मैं हैजे की बात करना चाहता हूं जिस तरह से पुलिस के लोग अधिकांश डकैतों के मुकदमे की चोरी में बदल देते हैं उसी तरह से डाक्टर हैजे को गैस्ट्रोइन्टाइटिस के रूप में नाम दे देते हैं । मरीज हैजे से मर जाता है लेकिन उसकी कोई क्लिनिकल टेस्टिंग नहीं होती है । माननीय मंत्री जी कहते हैं कि महामारी पर कन्ट्रोल पा चुके हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इतने अनुभवी होने के बाद भी आज अधिकारियों के आंकड़ों पर चल रहे हैं, हकीकत में नहीं चल रहे हैं । इलाहाबाद में जान्डिस से न जाने कितनी मौतें हो गई । मैं शहर की बात नहीं करता हूं, गांव के अन्दर न जाने कितने लोगों की जान्डिस से जानें गई । वहां पर डाक्टरी सुरक्षा प्राप्त होने के बाद भी बहुत लोगों की जानें गई लेकिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को शायद इसका आभास नहीं है कि

महामारी के माध्यम से कितने लोग पूरे उत्तर प्रदेश में मरे ।

मैं इलाहाबाद की बात करता हूं, हजारों की संख्या में लोग बेमौत मर गए । यहां महामारी की बात की जाती है । आज चिकित्सा की बात आती है । आप हृदय रोग की बात करते हैं । आप कहते हैं कि हर प्रान्त और जिले में केयर यूनिट बना दिया है, लेकिन कौन सा इलाज होता है । दिल का दौरा पड़ जाय तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि पेसमेकर की व्यवस्था नहीं है, रोगी तड़प-तड़प कर मर जाता है कोई सर्जरी की व्यवस्था नहीं है । एन्जेसिड या सारबीटेट जैसी मामूली दवायें रोगी को दी जाती है । दवा के माध्यम से रोगी को तड़प-तड़पा कर मारा जाता है ।

कहा जाता है कि केयर यूनिट्स बना दी हैं । सभी जगह निदेशालय के कार्यालय हैं, लेकिन क्वालिटी कण्ट्रोल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वह नहीं होता है । औषधि नियंत्रण केन्द्र है उसका निदेशालय क्यों नहीं खोला गया जब कि होम्योपैथिक का खोल दिया गया, एलोपैथिक का खोल दिया गया, आयुर्वेदिक का खोल दिया गया । जनता एम0 बी0 बी0 एस0 डाक्टर को महत्वपूर्ण समझती है, वह समझती है कि डाक्टर ही दवा बनाते हैं, केमिस्ट तो दवा बेचते हैं । जनता में इस प्रकार की भ्रान्ति फैली हुई है । सी0एम0ओ0 के अण्डर में ड्रग इन्सपेक्टर रहेंगे । अगर दवायें निम्न स्तर की हैं तो भी ड्रग इन्सपेक्टर की हिम्मत नहीं है कि उसका सैम्पल ले सकें । मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बहुत ही नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि एक निदेशालय क्वालिटी कण्ट्रोल का खुल जाय, जिससे दवाओं पर नियंत्रण उत्तर प्रदेश में ठीक तरह से हो सके । मैं कहना चाहूंगा कि पहले उद्योग निदेशालय से दवायें ली जाती थीं । 5-6 साल से रेट कांट्रैक्ट नहीं हुआ । 6 जून को नये आदेश हुए हैं कि निदेशालय दवा परचेज करेगा ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा समय और दे दें ।

श्री अधिष्ठाता—

एक मिनट में अपनी बात कहें ।

श्री गोपालदास यादव—

यहां पर डाक्टर पांच-पांच सौ रुपये के नाम पर पर्चे बनाते हैं । निदेशालय कब रेट कांट्रैक्ट करेगा ? कहना चाहूंगा कि गवर्नमेन्ट अण्डरटेकिंग जो दवा कम्पनियां हैं, उनके साथ ही दूसरी कम्पनियों को भी कम्पटीशन में लाइए, जैसा केन्द्र में है । ग्लैक्सो इत्यादि के साथ आई0 ड 0 पी0 एल0, यू0 डी0 पी0 एल0, बंगाल इम्यूनिटी सबको समान स्तर पर कम्पटीशन में लाया जाय । मैं अभी टी0 बी0 सप्रू अस्पताल में भर्ती था, बंगाल इम्युनिटी का ग्लूकोज जब चढ़ाया गया तो मुझे ठंड लगने लगी, 'रिगर' हुआ । न जाने कितने लोग इसी प्रकार ग्लूकोज की बोतल से तड़प-तड़प कर मर जाते होंगे । यह तभी होगा जब स्वास्थ्य मंत्री ने जो 41 लाख 75 हजार रुपए गाड़ियों के क्रय के लिए गांवों और शहरों में तीनों विभाग के लिये दिया है । (परिवार नियोजन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री गोपाल दास यादव—

यह 41 लाख रुपया, जो गैराज की व्यवस्था नहीं है, गाड़ियां सड़ती रहती हैं कितनी ही गाड़ियां नीलाम हो जाती हैं, इस 41 लाख रु0 को पी0 डब्ल्यू0 डी0 को दे दिया जाय ताकि गैराज का निर्माण हो जाय और गाड़ियां सुरक्षित हो जायं । अन्त में मैं इस बजट का, जो एक कहानी के रूप में

प्रस्तुत किया गया है, जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, इसका विरोध करता हूं ।

श्री हीरा सिंह बिष्ट---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा जो मुझे बोलने के लिये समय दिया गया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो ने अपने लम्बे अनुभव के आधार पर बहुत सुन्दर बजट इस प्रदेश की तरक्की को दर्शाते हुए रखा है । मैं इसके लिये उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं ।

माननीय मंत्री जो ने स्वास्थ्य की सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया है लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों ने अभी कहा कि आपने अस्पताल तो बहुत खोले परन्तु उनमें डाक्टरों की सुविधा नहीं है और दवाइयों की सुविधा भी अभी ठीक से उपलब्ध नहीं है । मान्यवर, मेरा सम्बन्ध एक ऐसे जिले से है जिसमें गढ़वाल मण्डल का पूरा क्षेत्र आता है देहरादून में । देहरादून में एक मात्र अस्पताल है जो उस समय की जरूरत को देखते हुए खोला गया था जबकि आबादी डेढ़ लाख की या दो लाख की थी परन्तु आज वहां की आबादी 7 लाख की है और बीमारियों के इलाज के लिये सिर्फ देहरादून में एक ही अस्पताल है "सिविल अस्पताल" । उत्तर-काशी, पौड़ी, टेहरी और चमोली इन चार जिलों में यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो यहां पर ही मरीज अपनी चिकित्सा के लिये आता है । मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि गढ़वाल में जहां बसें आये दिन उलटती रहती हैं, ट्रक उलटते रहते हैं तो दुर्घटना में ग्रस्त मरीज देहरादून अस्पताल पहुंचाये जाते हैं जहां उन्हें ठीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है । बेड के अभाव में मरीज जमीन पर लेटता है, बेड की कोई उचित व्यवस्था वहां पर नहीं है । इसमें अनुदान की राशि बढ़ाई जावे तथा अस्पताल का विस्तार किया जाय । गढ़वाल मण्डल की समस्या को देखते हुए एक मेडिकल कालेज की स्थापना देहरादून में की जाय ।

माननीय मंत्री जी ने गढ़वाल मण्डल में कोई मेडिकल कालेज न होने के कारण देहरादून में हृदयरोग चिकित्सा की सुविधा की घोषणा की है, इसके लिये मैं उनका हृदय से आभारी हूं । मैं कहना चाहता हूं कि देहरादून में लगभग पांच एकड़ जमीन मेडिकल विभाग की खाली पड़ी हुई है, वह जमीन रिक्त है उस पर भवन निर्माण करके आधुनिकतम चिकित्सा की सुविधायें प्रदान करके वहां पर एक अस्पताल का निर्माण कराने की कृपा करें । माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना भी आवश्यक समझता हूं कि वहां के अस्पताल की हालत बहुत खराब है, कोई सफाई नहीं है बिजली, पानी व दवाओं का अभाव है, भ्रष्टाचार तेजी से व्याप्त है । कुत्ते के काटने के इलाज के लिए इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हैं । एक विजिलेन्स इन्क्वायरी में एक डाक्टर के खिलाफ और जिन कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आरोप साबित हुए थे, आदेश किये गये थे । उसका स्थानान्तरण कर दिया गया है परन्तु उसके ट्रान्सफर को रुकवाने का प्रयास किया जा रहा है । इस तरह से दोषी कर्मचारी व डाक्टर को तुरन्त वहां से हटाया जाय तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावे ।

अस्पताल के अधिकारी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ भला बर्ताव नहीं करते हैं और उन्हें परेशान करते रहते हैं । उनके बच्चों को दवा की सुविधा दिलाने के लिये उन्हें अनेकों प्रकार से परेशान करते हैं, अनेकों प्रमाण-पत्रों की मांग करते हैं जिसके कारण से तहसील स्तर पर उसके लिये परेशानी हो जाती है तो इस तरह से उसके लिये ये डाक्टर्स परेशानी पैदा करते रहते हैं । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी देहरादून के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिए शासन में

कोई ऐसी नीति निर्धारित करें जिससे कि उनको दवा की सुविधा मिल सके और परेशानी न हो ।

इसके अतिरिक्त मैं चाहता हूं कि देहरादून में एक ब्लड बैंक की स्थापना मन्त्री जी करा दें ताकि वहां मरीजों को ब्लड मिलने में सुविधा हो सके ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

[5 बजकर 10 मिनट]

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय---

अधिष्ठाता महोदय, आज जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है उस पर आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया है इसके लिए मैं आभारी हूं । यह बजट 147 करोड़ का है जो कुल बजट का 3'/. हैं । पांच वर्ष से मंत्री जी इस विभाग के बजट को पेश करते चले आ रहे हैं, उ0 प्र0 ने स्वास्थ्य से सम्बन्धित काफी उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं ऐसा माननीय मंत्री जी ने कहा है उन्होंने यह भी कहा है कि इस उपलब्धि में अधिकारियों का हाथ हैं । यह ठीक भोजपुरी की उसी कहावत की भांति है कि "चोर-चोर मौसेरे भाई ।"

मान्यवर, आप देखें, जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने 5 वर्ष में 80 हजार लोगों के ऊपर एक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर दिया है । एक हजार के ऊपर एक हैल्थ गाइड दिया है । पांच हजार लोगों के बीच एक महिला कार्यकर्त्री दी है । लेकिन इनके विभाग द्वारा ही जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे स्पष्ट होता है कि 1983 में उत्तर प्रदेश में एलोपैथिक चिकित्सालय 2985 थे और उनमें शैय्याओं की संख्या 43456 थी । आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की संख्या 1536 थी और उनमें शैय्याओं की संख्या 5272 थी । मान्यवर, इन्होंने यह भी बताया था कि हमारे यहां उस समय 3500 चिकित्सकों की कमी थी । इन बातों को आप देखें और दूसरे विभागों से इसकी तुलना करें तो मान्यवर, आप पायेंगे कि यह प्रदेश स्वास्थ्य पर जितना कम खर्च करता है हिन्दुस्तान का कोई दूसरा प्रदेश खर्च नहीं करता । मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य पर हिन्दुस्तान में सबसे अधिक नागालैंड खर्च करता है जहां पर औसतन प्रति व्यक्ति 208 रुपये आता है । उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य पर सबसे कम खर्च होता है । यहां प्रति व्यक्ति 14.38 रुपये खर्च आता है । भारत में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर औसतन 27 80 रुपया खर्च होता है । ये सारे आंकड़े क्या बताते हैं ? स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जो आपकी नीति है, वह गलत है । उसने पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य को अस्वस्थ बना दिया है ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक बात की तरफ और आकर्षित करना चाहता हूं । आप कहते हैं कि पिछले पांच वर्षों में हमारे यहां कोई महामारी नहीं आई । मैं इस बात को मानता हूं । मान्यवर, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि पूर्वांचल में गत वर्ष मस्तिष्क ज्वर से कितने लोग मरे हैं ? क्या आप बतायेंगे कि प्रदेश में खून वाली पेचिश से कितने मरे हैं ? क्या ये महामारी की संज्ञा में नहीं आते हैं ? आप जिन उपलब्धियों को दिखाकर यह बतलाते हैं कृपया उन पर दृष्टि डालकर देखें तो आपको मालूम होगा कि आपकी उपलब्धियां बहुत कम हैं । आपने यह भी कहा कि प्रदेश में डाक्टरों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में प्रति 20 हजार व्यक्ति पर एक डाक्टर है । क्या एक डाक्टर से 20000 की सेवा सम्भव है फिर स्वास्थ्य सेवा कहां है ?

मान्यवर, मैं एक योरोपियन कंट्री स्पार्टा का उदाहरण देना चाहता हूं । वह बहुत ही कमजोर देश था । उसने निर्णय लिया कि यदि यहां का नागरिक स्वस्थ नहीं होगा तो यह देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा । उसने शुरू से ही बच्चों

को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें देनी शुरू कीं । उसका परिणाम यह हुआ कि आज स्पार्टा पूरे योरोप में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे आगे हैं और मजबूत राष्ट्र हैं । मैं चाहता हूं कि आप स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जो नीति बनाई है, जो आपकी योजनायें हैं उसमें थोड़ा सा संशोधन करें क्योंकि अभी तक जो कुछ आपने इस क्षेत्र में किया है, वह ठीक नहीं है ।

मान्यवर, मैं बलिया जिले के चिकित्सालय के बारे में कहना चाहता हूं वहां पर उस अस्पताल में मात्र 60 शैय्यायें हैं । उसमें जेनेरेटर की व्यवस्था नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है, डाक्टर नहीं हैं, बेड नहीं हैं, गन्दगी है । पी0 एच0 सी0 की हालत और खराब है । अस्पताल में सांप-बिच्छू, कुत्ते के काटने के इलाज की दवा तक नहीं है । श्रीमन्, जनपद चिकित्सालय जो कमी है उसे देखें और तुरन्त ठीक करें । जनपद चिकित्सालय को 300 बेड का बनावें ।

चौधरी श्याम लाल--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण के लेखानुदान पर मुझे इस सदन में अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया है । माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने जो लेखानुदान बजट पेश किया है वह वास्तव में प्रशंसनीय है और मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं । जहां मैं समर्थन करता हूं वहां मेरे कुछ सुझाव भी हैं । मुझे खेद है कि नेता विरोधी दल ने एक रुपये का बजट रखा... ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैं सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जब पहली बार माननीय सदस्य बोलें तो उन्हें आप बड़ी सहानुभूति से सुनें ताकि उन्हें बोलने में कोई परेशानी न हो ।

चौधरी श्याम लाल--

एक बात यह कही गयी कि यहां पर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 50 प्रतिशत व्यक्ति हैं ।

मान्यवर, स्वास्थ्य की नीति के सम्बन्ध में कि लोगों को अधिक से अधिक सुविधायें दी जायं इस पर किसी ने सुझाव नहीं दिये । स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे माननीय मंत्री जी ने आमूलचूल परिवर्तन किया है जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को गतिशीलता मिली है उसके लिए वह प्रशंसा के पात्र हैं । मैं चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में दो तीन सुझाव देना चाहता हूं ।

हमारे ग्रामीण अंचलों में जहां पर छोटे-छोटे चिकित्सक काम करते हैं और जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले गरीब लोगों की बड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं उनका इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है इसलिए वहां पर अच्छे किस्म के चिकित्सक भेजे जायें । गांवों में शिशुओं को तथा महिलाओं को जो बीमारियां हो जाती हैं उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाता है । इसलिए अच्छे डाक्टर भेजे जायं और प्राईवेट प्रैक्टिस बंद कर दी जाय ।

दूसरी बात परिवार कल्याण की है गांवों के लोग नसबंदी और प्रिवेन्टिव दवाओं का प्रयोग करने लगे हैं इसलिए ऐसे लोगों को अधिक से अधिक सुविधाये दी जायें और हास्पिटल में उनकी लिस्ट रखी जाय और ऐसे लोगो के बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाय क्योंकि उनके सीमित बच्चे रहते हैं । परिवार कल्याण के लिए केन्द्र सरकार से शत प्रतिशत सहायता मिलती है तो फिर ऐसे लोगों को मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ।

चौधरी श्याम लाल—

जो लोग परिवार कल्याण के अंतर्गत आते हैं उनको अधिक से अधिक मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री राज किशोर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे स्वास्थ्य के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

(व्यवधान)

(श्री गौरी शंकर भइया द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा बांटी गयी अटैची को दिखाने पर) ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य शांत रहे । माननीय गौरी भइया अटैची न दिखायें ।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, हमारे स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व यह है कि हमारे प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे उसका प्रबंध वह करे । सवाल यह नहीं है कि दवाओं का भंडार हो जाय या बहुत ज्यादा अस्पताल बन जायं अथवा अच्छे-अच्छे डाक्टर हो जायं । असली सवाल यह है कि कैसे लोगों को अच्छा भोजन मिले जिससे लोगों में बीमारी न हो ताकि दवाओं की जरूरत ही न रहे । इस ओर स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना चाहिये ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरे पास एक सूचना आई है कि सहारनपुर में दंगा हो गया है ।

श्री राम सरन—

यह मामला पहले ही मैं दे चुका हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आपको सूचना देने से पहले ही यह सूचना आ चुकी है ।

श्री राज किशोर सिंह—

अभी डाक्टर साहब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि डाक्टरों को बोलने देना चाहिये क्योंकि उन्हें ज्यादा अनुभव होता है । मैं कहना चाहता हूं कि क्यों न फिर हमारे प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर बना दिया जाय । इसलिए सवाल यह नहीं है कि कौन आदमी मंत्री हो सवाल यह है कि जो हमारे अस्पतालों का इंतजाम हो वह ठीक हो चाहे वह प्राइमरी हेल्थ सेंटर हों या दूसरे अस्पताल हों उनको व्यवस्था ठीक हो । वहीं हमारे डाक्टर, मैं सभी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में कार्य करने वाले डाक्टर चाहे मरीज मर जायं लेकिन उनको पैसा जरूर चाहिये। हमने देखा है कि जो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट बनती है यदि डाक्टरों को रुपया मिल जाये तो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट उल्टी पुल्टी हो जायेगी और अपराधी छूट जायेंगे । मान्यवर, हमारे यहां वाराणसी में सरकारी अस्पताल श्री शिव प्रसाद गुप्त, कबीर चौरा है वहां आपकी हड्डी टूटी न हो यदि पैसा दे दें तो हड्डी टूटी दिखा सकते हैं । इस प्रकार अस्पतालों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है । वाराणसी के अस्पतालों की हालत नरक बन गयी है । वहां इतनी दवाइयों की चोरी होती है जितनी दुनिया के अस्पतालों में आपने नहीं सुना होगा । दवाइयां गरीबों को नहीं बल्कि अमीरों को मिलती हैं । इसी प्रकार वाराणसी में सर सुन्दर लाल अस्पताल है जो बी० एच० यू० में है और अर्ध सरकारी अस्पताल है और कबीर चौरा के अस्पताल में जाकर देखें तो जहां पूर्वी

जिलों के मरीज सड़क और फुटपाथ पर पड़े बिलबिला रहे हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है ।

मान्यवर, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बनारस में एक पी० एच० सी० चोलापुर गये थे जहां जनता ने इनका घेराव किया और कहा कि सेन्टर पर दवा नहीं है, तो आपने जवाब दिया कि "पेशा में दवा बन जाऊं, बाजार में तो दवा है वहां से खरीद लो ।" मान्यवर, आज हालत है कि केन्द्रों पर दवा नहीं है, यदि दवा है तो डाक्टर बेच खाते हैं कुछ उनके दलाल हैं जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, वह दवायें निःशुल्क इस्तेमाल करते हैं । मान्यवर, अभी मंत्री जी ने कहा कि हमने उप-केन्द्र खोले हैं, उन पर दो हजार रुपये की दवा आती है । आप बतायें कि इसमें कितनी दवा आयेगी ! आपने 30 हजार पर एक आदमी को रखा है तो इससे कैसे सुचारु इंतजाम हो पायेगा । इसलिये जरूरी है कि इन अस्पतालों में दवाइयों का इंतजाम उचित किया जाये । डाक्टर जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर नियंत्रण रखा जाये । मान्यवर, मैंने तो सुना है कि नियुक्तियों में रुपया लिया जाता है, तब नियुक्तियां की जाती हैं इस तरह से प्रदेश में जो स्वास्थ्य का लक्ष्य है वह कभी पूरा नहीं हो पायेगा । इसलिये मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस तरफ ध्यान दें और विभाग में फैला भ्रष्टाचार समाप्त करें तभी हमारी और आपकी भलाई हो सकेगी ।

श्री सन्तन बड़थ्वाल---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया । मान्यवर, प्रदेश में इस विषय पर जो वर्षों से भारत की प्राचीन पद्धति आयुर्वेदिक थी, मैं पर्वतीय क्षेत्र से चुनकर आता हूं हमारे वहां आज भी अस्पतालों में डाक्टरों का अभाव है, इसलिये हमारे वहां आज भी परम्परागत पद्धतियों द्वारा बीमारी का इलाज होता है । इसलिये सारे राष्ट्र के लिये नई चेतना जो पैदा हुई है कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी जो इलाज की पद्धतियां हैं उन पर आज फिर से विचार करने का मौका मिला है, इसलिये मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि उन्होंने परिवार नियोजन में योजनायें बनायी हैं जो पहले अलोकप्रिय किन्हीं कारणों से हो गयी थीं । उन्होंने उसे नई दिशा देकर जनता के प्रति लोक-प्रिय बनाया है ।

मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां आज भी जनजीवन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत गया बीता है और वहां का जीवन बहुत कष्टसाध्य है । बद्री विशाल और केदारनाथ दोनों तरफ के लोगों की आशा और श्रद्धा है । वहां आज भी कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल इतने दूर है कि वहां पर उनका पहुंचना बहुत मुश्किल है और उनके पहुंचने में बहुत समय और धन लगता है । यदि वह अस्पताल पहुंच भी जाय तो वहां डाक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं । मैं चाहता हूं कि हिल कैडर के डाक्टरों को कुछ आकर्षक इंसेन्टिव दिया जाए कि वह दिल से वहां पर रह कर सेवा करना चाहें । तीन साल का जो बैरोमीटर लगा हुआ है, वह आने-जाने में और सिफारिश भिड़ाने में बिता देते हैं । तो हिल कैडर के डाक्टरों के लिए ऐसा प्रलोभन सेवा का हो कि वह वहां पर सही रूप से कायम रह कर सेवा करें । मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि रीजनल अस्पताल हैं जहां मेडिकल कालेज नहीं हैं वहां वह खोले जाएं और उसके लिए गढ़वाल मंडल के कोटद्वार में यह अस्पताल खोला जाए । देहरादून में एक मेडिकल कालेज खोला जाय । देहरादून का मेडिकल कालेज खोलने की बात बहुत पुरानी है, लेकिन अभी तक वह खोला नहीं गया है । मैं समझता हूं कि इस साल मंत्री जी उसे अवश्य पूरा करायेंगे । गढ़वाल में गुप्तकाशी में एक आयुर्वेदिक कालेज जहां विद्यापीठ का भवन खाली पड़ा है,

खोला जाय और वहां के सभी छोटे अस्पतालों में महिला डाक्टरों की भारी कमी को दूर किया जाए। मैं इसके साथ स्वास्थ्य मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, मैं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर विचार रखे। मान्यवर, माननीय मंत्री जी से कुछ जानकारी चाहूंगा और साथ ही सुझाव दूंगा। इस बर्ताव की मुझे पक्की जानकारी है कि मेडिकल कालेज, लखनऊ में हरिजनों का कोटा पूरा नहीं है और यह जानकारी है कि एक बार सर्जरी विभाग में जगह निकलने के बाद और उसके लिए कैन्डीडेट का सेलेक्शन होने के बाद भी मंत्री जी ने या प्राचार्य ने या फिर सेलेक्शन कमेटी ने उस सेलेक्शन को कैंसिल कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि या तो मंत्री जी या शासन हरिजनों के आरक्षण का पालन नहीं करना चाहते या हरिजन विरोधी हैं। तो मैं मंत्री जी से इस सम्बन्ध में भी जानना चाहूंगा कि वह आज सदन में इसके सम्बन्ध में पूरी जानकारी दें और आरक्षण कोटा के तहत हरिजन लेक्चरर्स की नियुक्ति करायी जाये।

दूसरी बात आज विभिन्न मेडिकल कालेजों में विभिन्न विषयों में, मेरी पक्की जानकारी के अनुसार जगह रिक्त पड़ी है, लेकिन उच्च अधिकारियों और शासन द्वारा उन जगहों को जानबूझकर विज्ञापन के जरिये नहीं भरा जा रहा है। विज्ञापन होने को था, लेकिन रोक दिया गया। साथ ही साथ ऐसा भी पता चला है कि बहुत पुरानी वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए जो लोग थे, उन लोगों की नियुक्ति उन स्थान पर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा करने से नये और मेधावी छात्रों को अवसर नहीं मिल सकेगा अपनी योग्यता दिखाने का। तो मैं मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि जो यह विभिन्न मेडिकल कालेजों में विभिन्न विषयों के लेक्चरर्स के स्थान रिक्त हैं, उनके बारे में विस्तृत ज्ञापन के द्वारा लोगों को जानकारी करायी जाय और उससे नई नियुक्तियां करायी जायं।

मैं नौकरी करने वाले डाक्टरों के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहूंगा कि आपने प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगायी थी और अब उसे पुनः खोल दिया है। इससे मान्यवर, यह होता है कि जो बड़े-बड़े डाक्टर हैं वह अस्पतालों में अपनी ड्यूटी में कम रहते हैं और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस चलाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए ज्यादा समय वह अपने व्यक्तिगत अस्पतालों को देते हैं जिससे जो सरकारी अस्पताल हैं जहां पर उनको ड्यूटी देने के लिए नियुक्त किया गया है वहां समय न देने के कारण जनता को ज्यादा फायदा नहीं हो पाता है। व्यक्तिगत अस्पतालों में लम्बी फीस, लम्बी रकम लेकर दवाई करते हैं जिससे साधारण व्यक्ति उस तरह की दवाई नहीं करवा पाता है। तो यह जो प्राइवेट प्रेक्टिस पर छूट दी गयी है इस पर पुनः रोक लगानी चाहिए।

मान्यवर, मैं पिछड़ेपन के आधार पर बुन्देलखंड के सम्बन्ध में एक मांग आपसे करना चाहता हूं। जिस तरह से उत्तराखंड, पर्वतीय क्षेत्र में एम0बी0बी0 एस0 के लिये जो पी0 एम0 टी0 की परीक्षा होती है उसमें प्रवेश के लिए आरक्षण की सुविधा दी गयी है उसी तरह से बुन्देलखंड के लिए जो इस प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है आरक्षण की सुविधा दी जाय। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं, होता यह है जीवन रक्षक दवायें जो ज्यादातर विदेशों की बनी होती हैं और इतनी ज्यादा कीमत की होती हैं कि उनको साधारण आदमी खरीद नहीं पाता है और वह समय से मिल भी नहीं पाती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यह जीवन रक्षक दवायें जो अत्यन्त कीमती होती हैं और विदेश से ज्यादातर आती हैं उनके लिए हर जिला अस्पताल में, जिला स्तर पर इन दवाओं के लिए बैंक खोला जाय ताकि इमरजेंसी के टाइम में जान बचाने के लिए यह उपयोगी दवायें आसानी से सुलभ हो सकें।

मान्यवर, एक सुझाव और देना चाहत

रहा है और इसकी भीषण स्थिति को आपने भी स्वीकार किया है कि शाहजहांपुर में कई जानें गयी हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो फागिंग मशीन है, जिससे गैस बनायी जाती है और मच्छर मरते हैं, वह मशीन स्टेट स्तर पर है, इसको जिला स्तर पर, हर जिले में एक-एक फागिंग मशीन होनी चाहिए जिससे गैस का छिड़काव देहात में, कस्बों में और हर जगह करवाया जाय ताकि मच्छर मर सके और मच्छरों के द्वारा जो मलेरिया का भीषण प्रकोप हो रहा है उसको रोका जा सके।

माननीय, एक सुझाव और देना चाहूंगा जो आपकी पी0ए च0 सी0 हैं उन पर एंटी रेबिक वेक्सीन, आक्सीजन और एंटी वेनम वैक्सीन, यह जो सारी चीजें हैं इनकी सुविधा हर पी0 एच0 सी0 पर करायी जाय। पोलियों की बढ़ती हुयी बीमारी को देखते हुए, देहात में जहां पर बहुत से बच्चे पोलियो से विकलांग हो जाते हैं और उनका भविष्य चौपट हो जाता है तो यह सुविधा अभी बहुत सी जगहों पर नहीं है। मैं यह चाहूंगा कि पोलियो की बढ़ती हुई बीमारी को देखते हुये, बच्चों के भविष्य को देखते हुए न्याय पंचायत स्तर पर एक पोलियो सेन्टर खोला जाय क्योंकि पोलियो का प्रकोप बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है।

इसके साथ-साथ माननीय, मैं आपका ध्यान लखनऊ मेडिकल कालेज की अनियमितता की ओर ले जाना चाहता हूं। जब यहां का छात्र ग्रेजुएशन कर लेता है और वह एम0 बी0 बी0 एस0 की डिग्री हासिल कर लेता है, तो आयुर्विज्ञान परिषद् के द्वारा यह आवश्यक होता है कि वह इन्टर्न-शिप अथवा हाउस जाब करे। आपके लखनऊ मेडिकल कालेज में ही नहीं बल्कि तमाम मेडिकल कालेज में भाई-भतीजावाद के कारण इन्टर्न-शिप के लिए एम0 बी0 बी0एस0 परीक्षा में कम नम्बर पाने वाले छात्रों का ऐडमिशन होता है। माननीय, उनका हाउस-जाब में ऐडमिशन कर लिया जाता है, जोकि कम नम्बर पाये रहते हैं, परन्तु उनसे अच्छे नम्बर पाने वाले विद्यार्थियों का ऐडमिशन हाउस जाब में नहीं हो पाता है। उच्च अधिकारी अपने बल पर, अपनी ताकत पर, अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का एडमिशन अपने पद का दुरूपयोग करके, दिलवा देते हैं। तो इस तरह के भ्रष्टाचार पर आप अंकुश लगावें।

माननीय, आयुर्वेद और यूनानी के सम्बन्ध में मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूं। माननीय, सबसे बड़ी समस्या यह है कि आयुर्वेद आपकी भारतीय संस्कृति है और दुख इस बात का है कि इसकी उपेक्षा की जाती है। माननीय, अगर इसको प्रारम्भ से आप अलग कर दें और जो आपके आयुर्वेदिक कालेज हैं, उनके आधुनीकरण के सम्बन्ध में आप ध्यान दें। वहां पर छात्रों को रहने के लिए पूरी सुविधायें नहीं हैं, कहीं-कहीं पर एक्सरे मशीन भी नहीं है, आउट डोर में दवाइयां भी नहीं हैं, इन डोर में भी दवाइयां नहीं हैं। अगर आयुर्वेद के बजट को प्रारम्भ से अलग करके यह मान कर चलें कि यह ऐसी पैथी है, जिससे रोग जो कंट्रोल होता है, वह परमानेन्ट कन्ट्रोल होता है। आयुर्वेदिक दवाओं से कोई साइड अफेक्ट नहीं होता है तो मैं चाहूंगा कि आप इस आयुर्वेद पैथी की उपेक्षा न करें। जहां पर 1 रु0 40 पैसे प्रति व्यक्ति खर्च करते हैं, तो वहां पर एलोपैथी की तरह 21 रु0 कुछ पैसे इसमें भी खर्च करें। होम्योपैथिक के सम्बन्ध में सौतेला व्यवहार है। माननीय, होम्योपैथिक डाक्टरों के वही वेतनमान करें, जो एलोपैथिक डाक्टरों के वेतनमान हैं और प्रत्येक पी0 एच0 सी0 में जैसे थर्ड मेडिकल आफिसर की नियुक्ति की है, उसी तरह से फोर्थ मेडिकल आफीसर की नियुक्ति करें, ताकि उससे जनता को लाभ हो सके।

हमारा सौभाग्य है कि हम बांदा जनपद के चित्रकूट-कालिंजर के रहने वाले हैं। माननीय, आपके यहां सबसे ज्यादा जड़ी-बूटियों का भंडार चित्रकूट-कालिंजर में है। माननीय, आयुर्वेद पैथी को बढ़ावा देने के लिए वहां पर एक शोध संस्थान की स्थापना

करें, क्योंकि वहां पर जड़ी-बूटियों का भंडार है । मान्यवर, वहां पर चित्रकूट-कालिंजर में आसानी से जड़ी-बूटियां मिल जायंगी । मान्यवर, वहां पर अनुसंधान भी हो चुका है, आपके गुप्ता साहब देख भी आये हैं कि बांदा जनपद के ऐतिहासिक स्थान चित्रकूट-कालिंजर में एक अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाय ।

मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आज-कल लखनऊ मेडिकल कालेज के प्राचार्य से सभी छात्र क्षुब्ध हैं । मान्यवर, देखा जा रहा है कि जो पंचम किंग जार्ज के भारत आने पर यह भवन का निर्माण कराया गया था, उस भवन को पूरी तरह से जो कार्य वाहक प्राचार्य हैं, वह उसको तोड़वा-फोड़वा दे रहा है । अपने कमरे में रंगीन टेलीविजन, ईरानी कालीन, दुनिया भर के तमाम साज-सज्जा से कमरा सजाए हुए हैं । आप मेडिकल छात्रावासों में जाकर देखें, पानी की सप्लाई नहीं, अच्छी रहने की व्यवस्था नहीं, अच्छे शौचालय की व्यवस्था नहीं ? अगर इसकी आपके कार्यवाहक प्राचार्य सेठी के पास मांग लेकर कोई छात्र जाता है, तो वह उससे उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा....

श्री अधिष्ठाता--

समय कम है । अब खत्म करें ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति करें और इसके साथ-साथ मैं चाहूंगा कि जो हमारे बांदा जनपद में चतुर्थ क्लास कर्मचारियों की नियुक्तियां हुई हैं, पूरी भ्रष्टाचार के आधार पर हुई हैं, जो भी भर्ती हुई हैं वह सी० एम० ओ० बांदा ने डायरेक्ट चार-पांच हजार रुपया लेकर, सीधे भर्ती की हैं इसकी विजीलेन्स इन्क्वायरी करा लें और विजीलेन्स के तथ्य पर जांच की कार्यवाही करें ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, आजकल बहुत सी महा-मारियां मच्छरों से फैल रही हैं । अब बरसात का मौसम है । अब और ज्यादा महामारियां फैलेंगी । तो इस सम्बन्ध में मलेरिया विभाग को, इससे सम्बन्धित में और जो भी विभाग हों, उनको निर्देश दे दें कि देहातों में डी०डी०टी० का छिड़काव करा दें । जहां गढ्ढों में पानी भरा है, उसमें डी० डी० टी० का छिड़काव करा दें ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, मैं माननीय वर्मा जी का आभारी हूं, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया । मैं कुछ उत्तर देना चाहूंगा जो प्रश्न उठाए गये हैं । सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तिवारी जी ने उठाया कि चिकित्सक को डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के कक्ष में कान पकड़कर उठा-बैठी करनी पड़ी । श्रीमन्, क्षमा करेंगे, यह मुहम्मद तुगलक का राज्य नहीं है । आजकल के जमाने में कोई चिकित्सक ऐसा होगा, तो मैं आपकी बात मान लूंगा । आज के युग में कोई व्यक्ति अपने किसी भी कर्मचारी से, चाहे वह चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हो, चाहे वह तृतीय श्रेणी का कर्मचारी हो, चाहे वह द्वितीय श्रेणी का कर्मचारी हो, चाहे वह प्रथम श्रेणी का कर्मचारी हो, यह कार्य नहीं कराया जा सकता है । अगर यह होता तो आज उत्तर प्रदेश में चिकित्सकों की हड़ताल होती ।

मेरी आपसे करबद्ध विनती है, जिन चिकित्सक महोदय ने ऐसी शिकायत की है, उसकी मैं जांच करूंगा । अगर आर0 एन0 शर्मा ने ऐसा कराया है तो वह दंडित होंगे, अन्यथा वह चिकित्सक दंडित होगा ।

उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए कुछ आंकड़े हैं । हमारे सुखपाल जी ने भी कुछ बातें कहीं, उनके बारे में मैं बाद में कहूंगा पहले जो विषय उठा है उसके बारे में बता दूं । जुलाई, 1986 में संजय गांधी आयुर्विज्ञान अपना कार्य शुरु कर देगा । उस कार्य को पूर्ण करने के लिए इस वर्ष 10 करोड़ रुपये का प्रावधान तो लेखानुदान में किया गया है, व्यय 41 करोड़ का होगा । 30 करोड़ रुपया दिया जायेगा ऐसी घोषणा हमारे मुख्य मंत्री जी अभी डेढ़ महीने पूर्व समाचार पत्रों में कर चुके हैं । जिन 6 विशिष्टताओं की शुरुआत होने जा रही है उनका नाम मैं बताना चाहता हूं ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

यह क्या हो रहा है । कुछ बंट रहा है क्या ।

श्री शतरूद्र प्रकाश--

आपके नियमों में स्पष्ट लिखा है कि सदन के अन्दर कोई ऐसा कार्य लिखा पढ़ी का नहीं करेंगे, जो सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित न हो । जब माननीय नेता सदन ही ऐसा काम करने लगेंगे, तो सदन कैसे गरिमा के साथ चलेगा । वह हमारे बुजुर्ग नेता हैं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

नियमों के रहते हुये कुछ परम्परायें हैं । जब बजट सत्र चल रहा है, तो जो कागजात आते हैं, उनको लेना पड़ता है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

वह तो नेता सदन है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

हमारे नेता हैं, वही नेता सदन है ।

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

मैं सम्मानित सदस्य बाराबंकी सेन्ट से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य जब सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित कागजात लाते हैं, तो हमें स्वीकार करना पड़ता है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

पहला न्यूरो साइन्सेज, इसमें निकल और मेडिकल दोनों है, दूसरा कार्डियो साइन्सेज--इसमें सर्जिकल और मेडिकल दोनों है । अब तक बाईपास आपरेशन के लिये विदेश जाना पड़ता था, अब यह सुविधा यहां उपलब्ध होगी । वैसे मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हम जितने लोग यहां बैठे हैं, उनको इसकी आवश्यकता न पड़े । तीसरा--गेस्ट्रो इन्ट्रोलोजी--इसमें सर्जिकल और मेडिकल दोनों है । इसमें कालरा वगैरह जो फैलता है, उसके लिये है । चौथा--रीनल साइन्सेज । यह किडनी डिजीज से सम्बन्धित है । पांचवा--इन्ट्रोक्रोमोलोजी यह हारमोनियल डिजीज से सम्बन्धित है, इसमें दोनों सर्जिकल और मेडिकल है । छठवा--जेनेटिक्स साइन्सेज है । यह जुलाई, 1986 में आपकी सेवा के लिये समर्पित किया जायेगा ।

मुख्य मंत्री जी की इच्छा थी कि इसमें हरबल प्लान्टेशन किया जाय तो दूसरे 1500 प्लान्टेशन कर रहे हैं हरबल और 15,000 प्लान्टेशन संजय गांधी इंस्टीटिट्यूट में होगी इसमें हम प्रयास करेंगे । सी0 डी0 आर0 आई0 जो कैसरबाग में है और संजय गांधी इंस्टीट्यूट और भारत सरकार का प्रतिष्ठान है कुकरैल के पास वह भी 1976 में जब वर्तमान मुख्य मन्त्री जी मुख्य मंत्री थे तो उसकी स्थापना

करायी थी। इन तीनों को जोड़कर दवाओं की शोध और निर्माण कार्य इसमें प्रारम्भ करेंगे। आज से डेढ़ वर्ष पूर्व ही रानीखेत के पास हरबल संस्थान की स्थापना हुई है, जैसे ही हम संसाधन उपलब्ध करा पायेंगे इसको करेंगे। इस बर्ष हमने इसके लिए 5 लाख 98 हजार रुपये दिये हैं। सम्मानित सदस्य डा0 कौशल ने कुछ बातें उठायी आगरा मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में। श्रीमन्, आगरा मेडिकल कालेज में डिपार्टमेन्ट आफ न्यूरोलोजी स्थापित कर दी गयी। इस वर्ष अक्तूबर से किडनी ट्रान्सप्लान्टेशन का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। प्रयास हमारा यह था कि वर्तमान में आगरा मेडिकल कालेज बहुत कंजस्टेड है वहां नये-नये विभाग उसमें खुल रहे हैं, उसको बढ़ाया जाय। 20 करोड़ रुपया उसकी लागत आ रही है। मुझे उम्मीद नहीं है कि 7वीं योजना में उसकी स्थापना हो जायेगी लेकिन इमरजेंसी वार्ड, जिसको डाक्टर साहब ने अभी कहा, उसकी स्थापना के लिए धन दिया गया और वह धन हम पड़ रह है। मैं इसके लिए 30 लाख रुपया और दिलाऊंगा ताकि उसका निर्माण हो सके। प्रथम चरण में 50 शय्याओं की व्यवस्था होगी इसमें 100 शय्याओं का प्राविधान था।

जहां तक बिजली की बात है। हर मेडिकल कालेज में जनरेटर उपलब्ध कराया है। अब हम यह प्रयास कर रहे हैं कि डाइरेक्ट फीडर लाइन दे दी जाय जितने हमारे सातों मेडिकल कालेज हैं, झांसी मेडिकल कालेज में डाइरेक्ट फीडर लाइन है। हमारे सम्मानित सदस्य बाजपेई जी ने बहुत से प्रश्न रखे कि ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुझावों का सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण अंचलों में 30 हजार जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हो। हमारा प्रयास है कि हमारी सातवीं योजना जो है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दें। क्योंकि 30 हजार की जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का अर्थ यह होगा कि हमको लगभग 3 हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चाहिये और सन् 2000 तक हम यह लक्ष्य पूरा कर दगे। सन् 1990 तक एक हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देंगे। विचार यह है कि जो आयुर्वेदिक, होम्योपथिक और एलोपैथिक चिकित्सालय इस समय स्थापित हैं, उन्हीं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में परिणित करेंगे।

दूसरे हमारी दवाओं की चोरी की बात है। हरदोई में चोरी हुई, सीतापुर में हुई, मथुरा में चोरी हुई, आगरा में चोरी हुई, फैजाबाद में हुई, आदि-आदि। यानी हर जिले में एक आध जगह हुई। जनवरी के अन्त में हुई या फरवरी के शुरू में हुई। हम इसका विशेष रूप से परीक्षण करा रहे हैं कि चोरी क्यों हुई। क्या कारण है। हमारे यहां केन्द्रों पर यह कमी है। हम उसको दूर करने का प्रबन्ध करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई पकड़-धकड़ जाता है तो छोटा कर्मचारी सताया जाता है। तो हम इस समस्या का निराकरण करने के लिए एक स्वरूप बना रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में चोरी न हो, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। एक्सपायरी डेट मी दवायें देने का न तो प्राविधान है और न दी जाती हैं। वैसे एक्सपायरी डेट की दवा देने से नुकसान नहीं है, लेकिन यह सही है कि कोई लाभ भी नहीं है। यह सही है कि दवा की आड़ में कोई गड़बड़ी की जा सकती है। एक्सपायरी डेट की दवाओं का प्रबन्ध कर दिया जाय, हम इसका प्रबन्ध कर रहे हैं कि इन दवाओं को समाप्त कर दिया जाय। वह हमारे औषधालय में सी0 एम0 एच0 डी0 के गोदाम में न रहें। हम चाहते हैं कि उसका एक रिकार्ड बने। लेकिन इसके लिए एक साथ आदेश देने में भी खतरा है। किस स्वरूप में आदेश दिये जायें, इसको निकालने का हम प्रयास कर रहे हैं।

हम कोशिश करेंगे कि एक्सपायरी डेट की दवायें नष्ट कर दी जायें ।

हमारे स्वास्थ्य में विभाग में 2,300 वाहन हैं। परिवार कल्याण में 1,132 वाहन हैं जिसमें से इस साल 292 वाहन भारत सरकार ने बदले, 1,132 वाहन भारत सरकार के हैं परिवार नियोजन के । बाकी जो वाहन हैं 117 के करीब एम्बुलेंस, इनमें से हर साल कुछ कन्डेम कराकर बदल रहे हैं । इस साल भी 30-40 बदलेंगे । बाकी वाहन यूनिसेफ द्वारा मलेरिया, चेचक उन्मूलन आदि के लिये दिये गये हैं । यह भी कन्डेम होकर पड़े हुए हैं । उनको रिप्लेस करना है । यूनीसेफ रिप्लेस नहीं करेगा । प्रदेश शासन को करना है । जिस तरह भी प्रदेश में साधन जुटा पा रहे हैं उनको धीरे-धीरे रिप्लेस कर रहे हैं । इस तरह की बड़ी भारी संख्या करीब 1,200 गाड़ियों की है जो यूनिसेफ से आयी हैं । इनको नीलाम नहीं कर सकते । ये भारत सरकार से एग्रीमेंट के अन्तर्गत आयी हैं । इनके रिप्लेसमेंट के बाद नीलामी की कार्यवाही करेंगे ।

कुल 70 एक्स-रे मशीनें कन्डम करने लायक हैं, उनको कन्डम कर रहे हैं । इनमें से 23 मशीनें रिप्लेस कर रहे हैं । जिला चिकित्सालयों में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 46 नई एक्स-रे मशीनें भेजी जा चुकी हैं । एक प्रश्न उठा ड्रग डायरेक्ट्रेट का-यह विभाग हमारा कमजोर है । हमारे प्रदेश में काफी दवा बनाने के कारखाने स्थापित हो गये हैं और काफी स्थापित होने वाले हैं, बहुत लोगों के लाइसेंस पेंडिन्ग हैं । उसमें 250 पद रिक्त हैं । 45 आदमी उसमें काम कर रहे हैं । हमारा प्रयास होगा कि 2-3 साल में इन 250 पदों को हम भर दें । हमें आम-तौर से फार्मकालोजिस्ट चाहिये । फारमकोलौजी पढ़े हुए व्यक्ति चाहिये । हम इसको सुदृढ़ करेंगे । यह सुझाव जो है बहुत आवश्यक था ।

जन्म दर, मृत्यु दर यह लिखने का दायित्व ग्राम सभा में पंचायत, नगर-पालिका में नगरपालिकाओं का था, सी० एम० ओ० भी को यह दायित्व दिया गया था । अब इसको, जन्म दर और मृत्यु दर को सी० एम० ओज० के माध्यम से और जो हमारी पंचायत है, उसके माध्यम से, सी० एम० ओज० के माध्यम से करा रहे हैं । यह आंकड़े हमें प्राप्त होंगे । आंकड़ों के आधार पर ही कोई योजना स्वास्थ्य की रक्षा की हम बना सकते हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि इस में कमजोरी न हो ।

श्री यदुनाथ सिंह--

कम्पयूटर पद्धति इसमें लागू नहीं करा रहे हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

1 लाख 12 हजार गांव हैं उत्तर प्रदेश में, तो सभी 1 लाख 12 हजार में तो कम्पयूटर नहीं लगा पायेंगे । वैसे आप खुद कम्पयूटर हैं, मैं आपका शिष्य हूं ।

(हंसी)

इलाहाबाद में पडिओट्रिक डिपार्टमेंट की बात कही गई, उसको स्थापित करा लेंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

फिरोजाबाद में एक्स-रे मशीन 3 साल से खराब पड़ी है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जैसा कि मैंने बताया 12 नई मशीनें खरीदी जा रही हैं।

प्राइवेट प्रैक्टिस की बात थी, प्राइवेट प्रैक्टिस तो बंद कर दी गई है । लेकिन, कुछ लोगों ने रिट ले रखी है, मामला न्यायालय में है । मैंने यहां के एडवोकेट जनरल से अनुरोध किया है कि वे इस मामले का जल्दी निस्तारण करवा दें ।

इस सदन में ही कहा गया था कि प्रैक्टिस खोल दी जाय, प्रैक्टिस खोल दी

गई । फिर सदन में ही कहा गया कि इसे बंद कर दिया जाय, प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करा दी गई ।

श्री विजय सिंह राणा--

यह जो मेडिकल कालेजों के समानान्तर मिनी मेडिकल कालेज चल रहे हैं, मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि प्रोफेसर, टीचर्स, रीडर्स-इनका ट्रांसफर हर तीन साल बाद यदि नियमित तरीके से होने लगे, तो इसमें काफी सुधार हो जायेगा । इन मिनी मेडिकल कालेजों की वजह से आपके मेडिकल कालेजों की हालत खस्ता होती चली जा रही है।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

इस वर्ष हमने पी0 एम0 एस0 में वही पुराना नियम ही लागू किया है । एक चिकित्सक एक स्थान पर 3 वर्ष रहेगा, एक जनपद में 5 वर्ष रहेगा और एक कमिश्नरी में 9 वर्ष रहेगा ।

एक सदस्य--

13-13 वर्ष से सीनियर डाक्टर्स उसी जगह पर पड़े हुए ह, कोई नहीं हट रहा है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जो सीनियर हैं, वह भी जा रहे हैं, कोई रुकेगा नहीं ।

माननीय डा0 साहब ने कहा कि डाक्टरों के ट्रांसफर बहुत हो गये हैं करीब 4 हजार की संख्या बताई । मैं बताना चाहूंगा कि 450 प्रमोशन के पद सृजित किये गये । बहुत दिनों से झगड़ा मचा रखा था, वह श्रीमन, हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया । 450 पद जो प्रोमेटेड डाक्टर्स हैं, तो अपने आप 450 नीचे के खाली हुए, 900 पद तो यों ही हो गये । 450 या 350 इसके बीच में जो 3 साल से, 5 साल से और 9 साल से थे, उनको किया गया । कुछ कल्याण सिंह जी ने किया था, उसमें कुछ करना पड़ा । कुछ सी0 एम0 ओ0 एस0 ने किए 3 वर्ष में अपने क्षेत्र में । हमारे यहां 60 हजार कर्मचारी हैं, जिसमें 3-4 श्रेणियां हैं, जिसके ऊपर यह नियम लागू किया जायेगा । इन्हें एक साथ तो हम नहीं कर सकते । क्लास चतुर्थ का आदमी 5 साल तक अपने जिले में रह सकता है, लेकिन 5 साल तक एक स्थान पर नहीं रह सकता है । क्लास-तीन का आदमी अपने जनपद में एक स्थान पर 3 वर्ष तथा एक जनपद में 5 साल तक रह सकता है और शेष वह मण्डल में रहेगा ।

(कई सदस्यों के खड़े होने से व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

(माननीय सदस्य ने एक सदस्य की ओर इशारा करते हुए कहा) मान्यवर, माननीय सदस्य का कहना है कि इनके यहां खैर में 18 वर्ष से एक डाक्टर है, उसका ट्रान्सफर हुआ था, लेकिन आपने 20 हजार रुपए लेकर उसका ट्रान्सफर रोक दिया ।

(एक पत्र दिखाते हुए) कि यह एम0 पी0 का लेटर है कि ट्रान्सफर न रोका जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

आप पत्र न दिखायें । मैं आपको इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मैंने अभी तक कोई ट्रान्सफर नहीं किया है । सम्मानित राणा जी को मैं इसके लिए जांच अधिकारी नियुक्त करता हूं । आप उसकी जांच करके अपनी रिपोर्ट इस सदन में पेश कर दीजिए ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

आप कैसे नियुक्त कर देंगे ? वह तो अध्यक्ष जी करेंगे ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मैं नियुक्त शब्द को वापस लेता हूं । माननीय अधिष्ठाता जी, श्री राणा जी को नियुक्त कर दें जांच अधिकारी के रूप में । वन मैन कमीशन जो शिकायत है 20 हजार रुपये की, उसे वही ले लें और इस सदन में उसकी दावत दिला दें ।

श्रीमन्, एक चीज यहां पर आई आत्महत्या की । विगत 5 वर्षों में 8 हत्यायें हुई हैं लड़के तथा लड़कियों-दोनों ने आत्महत्यायें की हैं । एम0 बी0 बी0 एम0 तथा एम0 एस0 दोनों छात्रों ने आत्महत्यायें की हैं । मैंने अपने सचिव को आदेश दिये हैं कि एक सिंगल मैन जज कमीशन बना दिया जाय जो इस बात को जांच करे कि क्या कारण है कि छात्र व छात्रायें आत्म-हत्यायें कर रही हैं । एक छात्र के ऊपर इस सदन से अनुज्ञा लेकर हम ढाई लाख रुपए खर्च करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन पर एक लाख रुपए खर्च करते हैं, इस प्रकार एक छात्र पर साढ़े तीन लाख रुपए खर्च होता है । इतना खर्च करने के बाद भी क्या कारण हैं कि वे आत्म-हत्यायें करते हैं ।

(6 बजकर 10 मिनट)

तो इसलिए मैंने कह दिया है और बहुत शीघ्र आपके सम्मुख, मंत्रि परिषद की आज्ञा लेकर अण्डर इन्क्वायरी कमी-शन ऐक्ट के, नियुक्त कर देंगे, वन मैन जज कमीशन जांच करेगा । हमारे माननीय वर्मा जी, अब मान्यवर, अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और इसको स्वीकार करें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय, वर्मा जी, क्या आप इसे वापस ले रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया--

आपकी आज्ञा से मैं जानना चाहता हूं कि एक बयान आपका आया था अखबारों में कि आप हर जिले में जो मुख्य अस्पताल हैं उन्हें तीन सो शय्याओं वाला करने वाले हैं तो बलिया में जो 50 शैययायें हैं केवल, क्या आप सौ-डेढ़ सौ बेड करने की कोई योजना रखते हैं । पिछली बार भी, कटौती के प्रस्ताव पर और लिख कर भी मैंने दिया था कि ब्लड बैंक के अभाव में छोटे-छोटे आपरेशन भी वहां नहीं होते हैं और सारा का सारा लोड आपके बनारस के अस्पताल में आता है और वहीं वे मर कर गंगा में फेंक दिया जाता है । तो क्या बलिया में ब्लड बैंक की स्थापना का आदेश देंगे ?

(श्री औसान सिंह के खड़े होकर बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय औसान सिंह जी, आप बैठें । जो मेरी अनुमति के बिना बोला जायगा वह लिखा नहीं जायगा ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

हर जनपद में जो चिकित्सालय हैं वह आम तौर पर 30-50 शैययाओं के हो रहे हैं । हमने उनका कार्यक्रम बनाया है कि जनपदों के चिकित्सालयों में 250 और मण्डल के तीन सौ और पांच सौ की शैय्याओं वाले हों । इस कार्यक्रम को चला रहे हैं लेकिन एक साथ हर जनपद में, 57 जिलों में....

(व्यवधान)

जो व्यक्ति खून देने के इच्छुक हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाय । डाक्टर कौशल जी ने मांग की वहां रीजनल ब्लड बैंक की । तो हर जनपद में ब्लड बैंक की स्थापना का प्रयास है । मान्यवर, लेकिन इसमें जो एक्विपमेंट लगता है वह लगभग एक लाख रुपये का होता है...

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर मइया—

हमारे यहां रजिस्ट्रेशन है तो ऐसे लोगों का। लेकिन स्टोर करने की कोई व्यवस्था नहीं है तो मैं चाहता हूं कि....

एक सदस्य—

एक लाख रुपया आपके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

आगरा में हम इस 7वीं योजना में कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

(श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा से) आप वापस ले रहे हैं या नहीं ?

(श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा द्वारा नहीं का इशारा करने पर)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 81,05,06,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 39,97,74,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31-3-86 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों के चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,23,13,000 रु0 से अनधिक स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राज्य के विश्वविद्यालयों की सीनेट अथवा प्रबन्ध बोर्ड, राज्य निराश्रित सहायता समिति तथा उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् की सदस्यता के लिए पूर्व घोषित निर्वाचन कार्यक्रम को निरस्त करने तथा श्री अध्यक्ष को नामांकित करने हेतु प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय तथा 16 अन्य विश्वविद्यालयों की सभा, सीनेट अथवा प्रबन्ध बोर्ड, राज्य निराश्रित सहायता समिति तथा उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में संगत अधिनियम या नियमावली के अनुसार अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्वाचन का जो कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 18-7-85 को घोषित किया है, उसे निरस्त करते हुए यह सदन माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उपरोक्त विश्वविद्यालयों की सभाओं, सीनेट अथवा प्रबन्ध बोर्ड, राज्य निराश्रित सहायता समिति तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् की सदस्यता के लिए अपेक्षित संख्या में इस सदन के सदस्यों को नामांकित कर दें, और इस प्रकार नामांकित किये गये सदस्य सम्बन्धित अधिनियम या नियमावली के अन्तर्गत इस सदन द्वारा निर्वाचित समझे जायेंगे

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव अभी सदन में प्रस्तुत किया है, यह सदन उसे स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सहारनपुर में हुए साम्प्रदायिक दंग के सम्बन्ध में वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय राम सरन जी ने एक सूचना दी थी और उस सूचना की गम्भीरता को देखते हुए और जो जानकारी प्राप्त हुई है, वह देना चाहता हूं।

मान्यवर, मोहल्ला चिलकाना रोड, थाना मण्डी के अन्तर्गत एक मस्जिद है और उसी के बगल में सनातन धर्म मन्दिर है, दोनों के बीच की एक ही दीवार है। सनातन धर्म मन्दिर की मरम्मत का प्रस्ताव था और मन्दिर की प्रबन्धक समिति ने मस्जिद की प्रबन्धक समिति से बात करके मरम्मत का काम शुरू किया। कुछ अवांछित तत्वों ने प्रचार कर दिया और अफवाह फैला दी, फिर कुछ लोगों ने आग लगा दी। 5 व्यक्तियों के मरने की सूचना प्राप्त हुई है। वहां पर रात एक बजे कर्फ्यू लगा दिया गया था। उसके बाद से किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है और स्थिति नियंत्रण में है।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जैसा माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने बताया कि आपस में समझौता होकर निर्माण होने जा रहा था, तो जब प्रशासन को जानकारी थी कि इतना सेन्सिटिव मामला है और इतना बड़ा हादसा हो गया, तो प्रशासन ने यथोचित तैयारी क्यों नहीं रखी थी कि इतना बड़ा हादसा हो गया और रोक नहीं पाये? क्या इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी करायेंगे कि इसमें प्रशासन कहां तक दोषी है? मेरी जानकारी है कि इसने एक साम्प्रदायिक दंगे का रूप धारण कर लिया है और एक पुलिस-कर्मी भी इसमें मारा गया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वांक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह--

अभी यह अपूर्ण जानकारी थी, वही आपके सम्मुख रखी है। जहां तक स्थिति का प्रश्न है कि जिला प्रशासन ने सतर्कत बरतने के बाद स्थिति को नियंत्रण में रखा है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

चूंकि सारी बात सदन के सामने नहीं आयी है, इसलिये किसी कन्ट्रोवर्सी में जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि डिस्कशन से कोई ऐसी बात हो जिससे हालात मजीद खराब हों। एक बात कहना चाहता हूं कि पिछला जो अनुभव है बड़ातांख जहां साम्प्रदायिक भावना नहीं भी हुई है, वहां भी कभी-कभी अपने इल्जाम की अपने सर से हटाने के लिये सत्ता पक्ष या कांग्रेस सरकार ने साम्प्रदायिक भावना फैलायी है। मुरादाबाद और मेरठ में भी मन्सूबा बन्द ढंग से फिरकापरस्ती फैलाकर साम्प्रदायिक भावना फैला दी थी। इस मामले में सख्ती से निपटने के लिये सरकार जो भी कदम उठा सकती है, उठायें।

श्री अधिष्ठाता--

यह सदन अवश्य ही जो अपूर्ण सूचना मिली है, चूंकि यह एक नाजुक और संवेदनाशील मामला है, उसको देखने के बाद, प्रशासन को मजबूती से उस चीज को रोकने के लिये कोशिश करनी चाहिये। इस समय कोई भी सवाल-जवाब मुनासिब नहीं है। हर सदस्य का यह फर्ज होगा कि जितनी जल्दी यह मामला खतम हो सके, हो जाय।

नियम 51 के अंतर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

नियम 51 के अंतर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। ये सूचनायें श्री रामसजीवन, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री गौरी शंकर भडया, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री मुहम्मद आजम खां, श्री राम नरेश यादव, श्री शारदा प्रताप, श्री शफीकुर्रहमान बर्क, श्री विजय सिंह राणा, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा कुंवर रेवती रमण सिंह की सूचनाएं हैं। इसमें से श्री राम सजीवन जी की ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में अवर अभियन्ताओं के 309 पदों के चयन व नियुक्ति में धांधली सम्बन्धी सूचना को स्वीकार किया है, शेष को अस्वीकार करता हूं।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मेरी भी नियम 51 में सूचना थी, सुन लें।

श्री अधिष्ठाता--

इसमें सुनने का कोई प्राविधान नहीं है, आप बैठें।

श्री मुहम्मद आजम खां--

अरबों रुपये की प्रापर्टी का मामला है, सरकार से वक्तव्य दिला दें।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ रूप से नियुक्त अध्यापकों की सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

शिक्षा मन्त्री (श्री सिब्ते रजी)--

[माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के चयन करने और

नोट:--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध कर.ने के संदर्भ में दिनांक 10 जुलाई, 1981 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अध्यादेश, 1981 प्रख्यापित किया गया, जिसका प्रतिस्थानी अधिनियम दिनांक 26-2-82 को प्रख्यापित किया गया। आयोग के गठन में कुछ समय लगा और वह 1-11-82 को अस्तित्व में आ सका।

2--उपर्युक्त अध्यादेश में यह व्यवस्था की गयी थी कि भविष्य में अध्यापकों की नियुक्तियां प्रबन्धतंत्र द्वारा केवल आयोग/चयन बोर्ड की सिफारिश पर ही की जायेंगी। चूंकि आयोग की स्थापना करने में कुछ समय लगने की सम्भावना थी तथा जुलाई, 1981 में शिक्षण सस्थाओं का नया सत्र प्रारम्भ हो चुका था एवं विद्यालयों में अध्यापकों के अनेक पद रिक्त थे और ऐसी रिक्तियों के न भरने या भरने में विलम्ब करने से शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, अतएव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1981, दिनांक 31-7-81 को अधिसूचित किया गया, जिसे दिनांक 11-9-81, 30-1-82 और 14-4-82 के अनुवर्ती आदेशों द्वारा संशोधित और परिवर्धित किया गया।

3--उपर्युक्त आदेशों के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी कि विद्यालयों के प्रबन्धाधिकरण उपलब्ध मौलिक रिक्तियों को यथासम्भव प्रोन्नति द्वारा भरें और जहां ऐसा करना सम्भव न हो सके, वहां जिला विद्यालय निरीक्षकों/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं द्वारा जारी किये गये विज्ञापन के माध्यम से निर्धारित गुणांकों के आधार पर किये गये चयन के फलस्वरूप उपलब्ध अभ्यर्थियों की नियुक्ति द्वारा भरें और ऐसे अध्यापकों की सेवायें तब तक चालू रह सकेंगी जब तक कि आयोग/चयन बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण न कर लें। इसका स्पष्ट रूप से यह आशय भी था कि आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के उपलब्ध कर देने की दशा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये अध्यापक अपने पूर्व पदों पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे और सीधी भर्ती से तदर्थ आधार पर नियुक्त अध्यापकों की सेवायें समाप्त हो जायेंगी। जहां तक अल्पकालिक रिक्तियों, जो मौलिक नहीं थीं और सीमित अवधि के लिये थीं, का सम्बन्ध है, उन पर नियुक्त तदर्थ अध्यापकों की सेवायें मौलिक पदधारक के आने पर स्वतः समाप्त हो जायेंगी। यह ज्ञातव्य है कि सभी रिक्तियों के प्रति प्रोन्नत/नियुक्त अभ्यर्थियों के लिये भी यह खुला अवसर था कि वे सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग को अपने प्रार्थना-पत्र यथा-समय विहित रूप से प्रस्तुत कर सकें।

4--इस बीच शासन के समक्ष तदर्थ अध्यापकों की सेवाओं के नियमितीकरण की मांग आयी, जिस पर विचारोपरान्त शासन ने जनहित में निर्णय किया कि मौलिक रिक्तियों के प्रति यथा संशोधित कठिनाई निवारण आदेश दिनांक 31-7-1981 के प्रस्तर 2 के अन्तर्गत सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये ऐसे अध्यापकों, जिनके स्थान पर आयोग द्वारा चयन न किया गया हो और जो प्रबन्धतंत्र के किसी सदस्य अथवा संस्था के प्रधान के सम्बन्धी न हों की सेवाओं को नियमित कर दिया जाय। तदनुसार दिनांक 12 जून 1983 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (अध्यादेश संख्या 12 सन् 1985) प्रख्यापित किया गया। इस अध्यादेश द्वारा अध्यापकों की सेवाओं को समाप्त करने का कोई दुष्चक्र नहीं रखा गया है, अपितु उपर्युक्त श्रेणी के अध्यापकों की सेवाओं का नियमितीकरण किया गया है।]

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, यह जो शिक्षा मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया है उसमें जो तर्क दिया हुआ है परन्तु मैं आपका ध्यान आपकी पूर्ववर्ती सरकार के उन तमाम

वायदों की ओर दिलाना चाहता हूं कि उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने वायदा किया था कि मैं तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति को नियमित कर दूंगा और राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह इस बात के गवाह हैं कि यह आश्वासन मंत्री जी ने उनके सामने दिया था। लेकिन न जाने क्यों यह सरकार जिद पर अड़ी हुई है और अपने पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा की हुई नियुक्तियों को समाप्त करने जा रही है।

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रश्न करिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि 12 जून, 1985 के अध्यादेश से कितने अध्यापक नियमित हो रहे हैं और कितने अध्यापकों को निकाला जा रहा है ?

श्री सिन्ते रजो--

मान्यवर, इस अध्यादेश के बाद अब माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे किया है इसी कारण इसका क्रियान्वयन पूरी तरह से नहीं हो पाया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए जब इसका पूरी तरह से क्रियान्वयन हो जायेगा तब पूरी स्थिति सामने आ जायेगी कि इससे कितने लोगों को लाभ पहुंचा है।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

श्रीमन्, प्रश्न तो मेरा यह था कि 12 जून, 1985 को जो अध्यादेश किया गया है उसके जरिये कितने अध्यापक नियमित हो जायेंगे और कितने अध्यापक बाहर हो जायेंगे ?

श्री सिन्ते रजो--

मान्यवर, जो मौलिक और स्पष्ट नियुक्तियां थीं और जो सीधी भर्ती से की गयी थीं, उनका नियमितीकरण हो जायेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, मैंने संख्या पूछा है वह ये बता नहीं रहे हैं, छिपा रहे हैं जैसे कि इनकी आदत है।

श्री अधिष्ठाता--

जब हाईकोर्ट से स्टे लिया हुआ है तो फिर संख्या बताने का प्रश्न कहां उठता है ?

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी--

हाईकोर्ट से स्टे लेकर जिन लोगों को हटाने का इरादा है उसका मौका तलाश करना चाहते हैं। प्वाइन्ट यह है कि जो अध्यादेश आपके यहां से जारी किया गया है उसके जरिये कितने अध्यापक आप नियमित करेंगे और कितने अध्यापकों को बाहर करेंगे ?

श्री सिन्ते रजो--

मान्यवर, जैसा कि मैंने अभी स्पष्ट किया कि पूरे निश्चय के साथ तो संख्या नहीं बतायी जा सकती है लेकिन लगभग साढ़े तीन हजार नियुक्तियां हैं। जिसमें मौलिक नियुक्ति वाले लोग लाभान्वित होंगे।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में कि मान्यवर, यह बात तो सही है..

श्री अधिष्ठाता--

आप संक्षेप में अपनी बात को कहियेगा।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, पहली बात तो माननीय शिक्षा मंत्री जी के ऊपर चिन्ता प्रकट करना चाहता हूं कि उनमें संवेदनशीलता की कमी है। 12 तारीख को अध्यादेश जारी किया गया और उन्हें इस बात की जानकारी थी कि तदर्थ शिक्षक आमरण अनशन पर बैठे हुये हैं। 18 तारीख

तक उन्हें जानकारी नहीं हुई और समाचार पत्रों में भी जानकारी नहीं दी । यह बात सही है कि जो अध्यादेश जारी हुआ उसकी जो धारा 203 है उस पर उच्च न्यायालय ने स्थगन दे दिया । आपने कहा कि यह गैर कानूनी है : जो अध्यापक नियुक्त हो चुके हैं जो मौलिक नियुक्तियां थीं उनको निकालने पर रोक लगा दी । मैं जानना चाहता हूं कि जो अध्यादेश है जो कि विधेयक के रूप में हम लोगों को मिल चुका है उनमें 5/6 कमियां हैं जिसके द्वारा अध्यापकों को विनियमित नहीं किया गया है । आयोग द्वारा चयन कर लिया गया है । पदोन्नति के सम्बन्ध में अध्यापकों की सेवाओं को नियमित नहीं किया जा रहा है । हमने यह कहा था कि उसमें पदोन्नत शिक्षक भी नहीं आ रहे हैं । आपने प्रवेशन पीरियेड भी आज से माना बजाय इसके कि नियुक्ति के काल से मानते । आपने प्राविधान किया है कि जो प्रधानाचार्य हैं उनको विनियमित करने से रोक दिया है जो कि इस अध्यादेश के कारण उस शर्त को पूरा नहीं कर पा रहे हैं । करीब 17 हजार अध्यापक बेरोजगार होने जा रहे हैं । क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चूंकि हाईकोर्ट ने भी उसे रोक दिया है, इस पूरे अध्यादेश को वापस लेकर एक नया विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे जिससे उस घोषणा का सही रूप में बयान हो जाय जिस रूप में उसे माननीय राम गोविन्द चौधरी ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री वीरसेन के सामने रखा था ?

श्री सिन्हे रजी--

मान्यवर, तदर्थ नियुक्तियां, जो की गई थी उनके सम्बन्ध में प्रारम्भ से जब कठिनाई निवारण अध्यादेश निकला था तो उसमें यह कहा गया था कि ये नियुक्ति तदर्थ हैं और यदि आपवादिक स्थिति में ऐसा होता कि तदर्थ नियुक्तियों की नियमिती या विनियमितीकरण प्रश्न उठे तो वे लोग जिनकी रोजी रोटी की समस्या आ जाती है, उनको ज्यादा से ज्यादा नियमित किया जाय लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाय कि शिक्षा के स्तर पर भी उसका कुप्रभाव न पड़ने पाये । यह व्यवस्था की गई थी कि प्रबन्धाधिकरण मौलिक नियुक्तियों को प्रोन्नति द्वारा भरें और जहां यह सम्भव नहीं थी वहां डी० आई० ओ० एस० और आर० आई० जी० एस० ने गुणांकों के आधार पर उनका चयन किया और यह प्रणाली अपनाई गई थी । सभी नियुक्तियों का इस अध्यादेश के कारण नियमितीकरण होना चाहिए । जो 17 या 20 हजार अध्यापकों की संख्या के बारे में बार-बार कहा जा रहा है मैं समझता हूं कि इससे समस्या का आकार बड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक जो क्षेत्रीय चयन बोर्ड है वह नहीं बना है । जो बुनियादी तौर पर नीचे के अध्यापक थे उनका चयन क्षेत्रीय चयन बोर्डों के आधार पर उनके जरिये होने का प्रस्ताव है । जब तक क्षेत्रीय बोर्डों के जरिये चयन नहीं हो जाता तब तक बाहर जाने का प्रश्न नहीं उठता है । इसलिये यह कहना कि इतने लोग बेकार हो रहे हैं, गलत है । शासन की सबके साथ हमदर्दी है और सब चीजों पर विचार-विमर्श करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है । हमारे जो दूसरे नेताओं के आश्वासनों की बात है, जैसा कि कहा गया अगर कोई है तो उससे हम पूरी तरह से जुड़े हुए हैं उन सब का ध्यान रखा जायेगा ।

श्री कल्यान सिंह--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित उन्होंने बड़ी सदाशयता का परिचय दिया और जो पुराने मुख्य मंत्री जी का आश्वासन का संदर्भ दिया या शिक्षा मंत्री के आश्वासन का संदर्भ दिया है उससे मैं यह समझ पाया कि उन आश्वासनों को वह पूरा करेंगे । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षा मंत्री जी ऐसा कोई प्रावधान करेंगे कि जो पूर्व के शिक्षा मंत्री के आश्वासन हैं उसके तहत किसी को

सेवाओं से वंचित नहीं किया जायेगा। क्योंकि इसमें कितने ही लोगों की रोजी रोटी का सवाल जुड़ा हुआ है। तो इस सदाशयता का परिचय देते हुए कोई नीति की घोषणा करेंगे?

श्री सिब्ते रजी--

माननीय सदस्य के जो विचार हैं उनसे अपने को जोड़ते हुए बताना चाहता हूं कि जो सारे अध्यापक हैं यदि कोई समस्या उनके लिए आती है तो उसमें उनको 40 प्रतिशत प्रोन्नति के जरिये से नियमित करने की बात है और 60 प्रतिशत सीधी भर्ती में भी सबको आयोग के सामने जाने का मौका मिलेगा। हमारी कोशिश यही है कि कोई समस्या खड़ी न हो और जो अध्यादेश आया है उसमें सारे परिपेक्ष्यों को ध्यान में रख कर, सारे मुद्दों को सामने रख कर इन सब चीजों को लाने का प्रयास किया गया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, एक प्रश्न मुझे भी करने हैं।

श्री अधिष्ठाता--

एक-एक प्रश्न करते-करते 7 बज रहे हैं।

श्री मित्र सेन--

दुर्भाग्य की बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी उठ कर चले गये। एक ऐसी ही समस्या तदर्थ अध्यापकों की सन् 75-76 में आई थी। और माननीय मुख्य मंत्री जी जो उठकर चले गये उन्होंने तदर्थ अध्यापकों को स्थायी किया था। तो मानवीय दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अपने पूर्व के आचरण का पालन करेंगे और इन अध्यापकों को नियमित कर सदाशयता का परिचय देंगे? (कोई उत्तर नहीं आया)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मेरा एक निवेदन यह है कि जितना पूछा जाय उतना ही जवाब दिलवा दें। माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित प्रश्न करना चाहता हूं जो उन्होंने उत्तर दिया कि वह अपने नेताओं के आश्वासनों का ख्याल रखेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि वह उनकी पार्टी के किन नेताओं ने आश्वासन दिया था और वह आश्वासन क्या था जिसका वह ख्याल रखेंगे? उस आश्वासन को वह पढ़ कर बता दें।

श्री राम औतार दीक्षित--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है वक्तव्य में जो भी स्पष्टीकरण पूछे जाते हैं वह वक्तव्य से सम्बन्धित पूछे जाते हैं। आप इस पर व्यवस्था देंगे कि अनुपूरक प्रश्नों पर भी स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

आप निर्णय देने से पहले मेरी बात सुन लीजिये।

श्री अधिष्ठाता--

यह ठीक है कि जो वक्तव्य आयेंगे उसके भीतर जो बातें कही गयी हैं और माननीय मंत्री जी अपने जवाब में जो बात कहेंगे उसके मुताबिक स्पष्टीकरण भी हो सकते हैं।

श्री सिब्ते रजी--

मेरे अपने स्पष्टीकरण में जो बात माननीय सदस्य ने उठायी है उसका जिक्र नहीं है। मेरा मतलब नेताओं के आश्वासन के बारे में जो बात है उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि श्री राजेन्द्र गुप्त ने अभी उसी आश्वासन के बारे में ध्यान दिलाया, जो उन्होंने कहा उसी संदर्भ में मैंने कहा। यदि ऐसा कोई आश्वासन था तो उसको भी उसमें विचार कर लिया गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, मैं शिक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना देते हुए कहना चाहता हूं कि क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जो समस्त अध्यापक, जो

मूल पद पर काम कर रहे हैं और वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उन पर अलग से वित्तीय भार सरकार पर नहीं पड़ेगा, इसलिये मानवीय दृष्टि से और स्व0 इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार अधिक से अधिक रोजगार देने की व्यवस्था है तो उसके अनुरूप अध्यापकों को नौकरी में क्या मंत्री जी बहाल रखेंगे ?

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, इस अध्यादेश के जरिये किसी को नौकरी से हटाने का प्रयास नहीं किया गया है बल्कि जो लोग तदर्थ नियुक्त थे उनके एक बहुत बड़े भाग का विनियमितीकरण किया है ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण मामला है । कुछ बातें ऐसी हैं जिनका साफ हो जाना जरूरी है । मान्यवर, या तो मंत्री जी नहीं समझ पाये या जो वक्तव्य है उसको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं ।

श्रीमन् मौलिक नियुक्तियों की बात मंत्री जी ने बार-बार कहा है । तीन बातें हैं । एक तो हड़ताल के दौरान जो एक दिन भी रहा उनको भी नियमित करने जा रहे हैं, जिनकी संख्या 2,200 है । उसके बाद मौलिक नियुक्तियों की बात आयी और वह दो तरह की है । पहली बात यह कि आपने 300-400 लोगों से बांड भराया और सब इंस्पेक्टर आफ स्कूल ने नियुक्त किया, दूसरे जो नियुक्त हुये वह कठिनाई निवारण अध्यादेश के तहत मैनेजमेंट ने अपने यहां भर्ती किया और एप्रूवल के लिये डी0 आई0 ओ0 एस0 के पास भेज दिया और उन्होंने एप्रूव कर दिया जो पढ़ा रहे हैं, ऐसे अध्यापकों की संख्या 22 हजार है, उत्तर प्रदेश में । यह 4 वर्षों से पढ़ा रहे हैं । मंत्री जी ने कहा कि हम निकाल किसी को नहीं रहे हैं । लेकिन दूसरी तरफ निदेशक का आदेश 30 जून को जा रहा है कि जितने तदर्थ अध्यापक हैं उनको 30 जून से निकाला हुआ मान लिया जाये । मान्यवर, लखनऊ हाई कोर्ट बेंच का स्टे है कि शिक्षा आयोग के जरिये चुनाव करके तदर्थ अध्यापकों की जगह नियुक्त करें, इस पर स्टे है । तो यह अध्यादेश अलोकतान्त्रिक और अमर्यादित है और जो आपके नेताओं ने आश्वासन दिए हैं, उनके खिलाफ है । तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या शासन का कोई व्यक्ति उन आमरण अनशनकारी अध्यापकों का हालचाल जानने उनके पास गया है ? और चूंकि अध्यापक पढ़ा रहे हैं और 4 वर्ष से पढ़ा रहे हैं

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

देखिए, आप केवल स्पष्टीकरण मांगें । आप अपने को सीमित रखें ।

श्री गौरी शंकर भइया--

आप स्पष्ट रूप से हमें बताएं कि जो सदन की भावना है और पूर्व मुख्य मंत्री ने जो आश्वासन दिया था कि आप किसी को निकालने नहीं जा रहे हैं उस आश्वासन को सम्मानपूर्वक लागू करायेंगे या बेहयाईपूर्वक उनको निकाल देंगे ?

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उससे उनकी सहृदयता का पता चल रहा है कि उन सबको अच्छी तरह समायोजित किया जा रहा है । किन्तु बहुत से लोग, जो हर दृष्टि से योग्य थे, उनको नियुक्त कर लिया गया और वह कार्य करते रहे, कार्य करने के बीच उनकी आयु निकल गयी और अब वह अन्य किसी नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो क्या आप ऐसे बहुत से

लोगों का विचार करके उनको समा-योजित करने का स्पष्ट आश्वासन सदन को देंगे ?

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं भैया जी को बताना चाहूंगा कि चयन जो था, उसका जो तरीका था, वह दो प्रकार के थे । एक तो प्रबन्धतन्त्र द्वारा और दूसरे डी० आई० ओज० और मंडलीय निरीक्षिकाओं के जरिये । तो इन दोनों में काफी अन्तर था । अन्तर था उसके आकार का और उसके कम्पटीशन का । जो डी० आई० ओज० के जरिये हुए हैं, उनके बारे में प्रदेश के दो प्रसिद्ध अखबारों में एडवर्टाइज दिया गया, और जो प्रबन्धतन्त्र के जरिये किये गये, चाहे वह अल्पकालिक रहे हों, उनकी विज्ञापन सम्बन्धी सूचना केवल स्कूल के श्यामपट पर लगा दी गई थी । इसलिए इसकी सूचना पहुंचने का आकार बहुत थोड़ा था । इसलिए कम्पटीशन के आधार पर योग्य कैन्डीडेट निकालने की बात है । इसलिए लाजिक और जेहन को साफ करके मौलिक लोगों का ही विनियमतीकरण किया जा रहा है । जहां तक जितने भी कठिनाई निवारण आदेश हैं

(व्यवधान)

बार-बार कहा गया कि जिनका चयन आयोग

(व्यवधान)

से होना है, कुछ ऐसी स्थिति आ गई है कि उन पदों पर कुछ तदर्थ नियुक्ति थोड़े वक्त के लिए होनी है, तो जहां आयु बढ़ जाने की बात है, वह खुद जानते थे कि एक वक्त आ सकता है जब उनको तदर्थ नियुक्तियां खत्म हो सकती हैं ।

(व्यवधान)

चयन आयोग के सामने जाने के लिए उनको पूरा अवसर मिला है और आगे भी मिलेगा ।

(सभा संख्या 11 पुकारे जाने पर व्यवधान) ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, एक बहुत आवश्यक प्रश्न रह गया है ।

श्री हरदेव--

मान्यवर, एक प्रश्न कर लेने दें । 17 हजार शिक्षकों का मामला है ।

श्री अधिष्ठाता--

अगर आप अनुमति के बगैर बोलेंगे तो वह लिखा नहीं जायेगा । हरदेव जी बैठे ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं समझता हूं कि जितना समय स्पष्टीकरण के लिये होता है उससे ज्यादा समय दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मैं व्यवस्था का प्रश्न मान्यवर, नियमावली के नियम 38 के तहत उठाना चाहता हूं । उसमें है कि प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जायगा ।

श्री अधिष्ठाता--

लेकिन प्रश्नों के उत्तर और वक्तव्य के ऊपर स्पष्टीकरण में फर्क है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, महत्वपूर्ण सवाल गौरी भइया ने किया था जिसका उत्तर नहीं आया है । शिक्षा निदेशक की ओर से एक डायरेक्टिव चला गया है डी० आई० ओ० एस० और प्रधानाचार्यों को कि

जितने भी तदर्थ अध्यापक रखे गये हैं, मौलिक नियुक्तियों से भिन्न, उनको 30 जून तक सेवानिवृत्त कर दिया जाय। इस आदेश के तहत लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। उनकी नियुक्तियों का प्राविधान नहीं हुआ है। इससे शिक्षा जगत में एक कयास पैदा हो गया है। गौरी भइया के सवालों का जवाब नहीं आया। जो लोग रह गये थे वह वापस हुये या नहीं। इसका क्या असर हो रहा है इसके बारे में उत्तर आना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

अगर कोई प्रश्न इससे संबंधित हो तो तिवारी जी स्पष्टीकरण के तौर पर कर लें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में 2-3 बातें स्पष्ट हो गयी हैं। पहली बात यह है कि इस सवाल के बाद माननीय मंत्री जी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि कुल कितनी तदर्थ नियुक्तियां थीं, कुल कितने विनियमितीकरण हुये हैं, कितने लोग सेवा से निकाले जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उनके पूर्ववर्ती शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस विषय मे कोई आश्वासन दिया था या नहीं। अगर दिया था तो वह क्या था। तीसरी बात यह है कि जैसा कि माननीय राजेन्द्र गुप्त और माननीय गौरी भइया ने उस शासनादेश का हवाला दिया कि डायरेक्टर ने निदेश दिया है कि 30 जून को उन सारे अध्यापकों की सेवायें समाप्त कर दी जायं। तो यह तीन तथ्य जो सामने आये हैं और यह जो 17-18-19 हजार अध्यापकों की बेरोजगारी का सवाल इससे जुड़ा हुआ है इसके बारे में माननीय मंत्री जी को जानकारी नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह आपकी आज्ञा से समय लेकर, सारे तथ्यों के साथ, ताकि उनको भी पूरी जानकारी हो सके, सारी स्थिति को पुनः किसी दूसरी तारीख को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

मैं ऐसा समझता हूं कि यह प्रश्न जिस तरह से उठाया गया है और जैसे स्पष्टीकरण आये हैं, उसको देखते हुये माननीय मंत्री जी स्वयं कोई बात पुनः विचार की कह सकते हैं। वैसे तो उन्होंने वक्तव्य में सारी बातें कही हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, आपके सामने तीन तथ्यों के बारे में उन्होंने बताया कि उन्हें उसकी जानकारी नहीं है। अगर उसके बाद भी यह व्यवस्था देंगे, कि सारे तथ्यों पर प्रकाश डाल दिया है तो क्या यह सदन के साथ न्याय होगा और उन सारे लोगों के साथ न्याय होगा ?

श्री अधिष्ठाता—

मैं सदन की भावनाओं के साथ चलना चाहता हूं और उन नियमों को भी देखना चाहता हूं, जिन नियमों के तहत आप इसको उठा रहे हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में सारी बातों को लेकर और वक्तव्य से हट कर भी सारी बातें कही हैं। अभी इसमें बजट आ रहा है, उस अवसर पर आप पूरे मसले को उठा सकते हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया—

बजट का इससे कोई संबंध नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पान्डे—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री ने गलतबयानी की है।

(श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री गौरी शंकर भइया, श्री हर्ष वर्धन, श्री मित्रसेन, श्री विक्रमादित्य पान्डेय, श्री विष्णु देव सदन के फ्लोर पर आ गये और उसके बाद सदन के फ्लोर पर बैठ गये।)

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, यह 22000 व्यक्तियों की रोजी-रोटी का मसला है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया आप अपनी सीट पर जाकर विराजिये ।

(घोर व्यवधान)

आप क्या कह रहे हैं, आप अपनी सीट पर जा कर कहिये, आप अपनी सीट पर जाकर बात कीजिए ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, यह 22 हजार लोगों की रोजी-रोटी का सवाल है । इस तरह से यह सदन नहीं चल पायेगा । अगर आप सदन चलवाना चाहते हैं, तो चलवा कर देखिये ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग अपनी सीट पर चले जायं । वहां से जो कुछ कहना हो कहें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, एक दिन की जिनकी नौकरी है, उनको आप नियमित करने जा रहे हैं और जो पुराने अध्यापक हैं, उनको आप निकाल रहे हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप अपनी सीट पर जाकर कहिये कि क्या सुझाव है आपका ।

(श्री कल्याण सिंह के खड़े होने पर) ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कल्यान सिंह जी, अपनी सीट से कोई सुझाव देना चाहते हैं, आप लोग उनके सुझाव को सुनिये ।

(घोर व्यवधान)

श्री गोरी शंकर भइया--

मान्यवर, 22 हजार अध्यापकों को निकाला नहीं जायगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने और भूतपूर्व माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था, उसका पालन किया जाय ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग अपनी सीट पर जायं ।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, इसको आज स्थगित कर दें और इसे किसी और दिन लें, तब तक माननीय शिक्षा मंत्री जी तैयार होकर भी आ जायेंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

यह साफ जानकारी है कि शिक्षा निदेशक की ओर से एक निर्देश चला गया है ।

(व्यवधान)

इस तथ्य को क्यों छिपाया जा रहा है मान्यवर ?

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप सब अपनी सीट पर जायं ।

(व्यवधान)

श्री हर्षवर्धन--

मान्यवर, हम लोग बैठे हैं । वह तथ्य जानते नहीं हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री कल्यान सिंह--

हम सुझाव दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

सुझाव का प्रश्न कहां उठता है । जब तक आपके दल के सदस्य सभा मंडप के बीच में बैठे हैं तब तक कोई सुझाव नियमों के अनुसार नहीं दिया जा सकता है ।

(व्यवधान)

माननीय गौरी शंकर भइया जी, श्री मित्रसेन जी, श्री हर्षवर्धन जी, मैं निवेदन करूंगा कि यदि वह कोई सुझाव देना चाहें तो अपनी सीट पर जाकर दे सकते हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है । माननीय सदस्य कृपया अपनी सीट पर जायं यदि नियमों के अनुसार बात की जाती है तो उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है ।

(फ्लोर पर बैठे सभी सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया है, उसमें तीन बातें उठती हैं पहली बात इस अध्यादेश से कितने शिक्षकों की सेवायें विनियमित हो जाएंगी। कितने शिक्षक आउट कर दिए जायेंगे । दूसरी बात शिक्षा निदेशक ने कोई यहां से परिपत्र भेजा है कि जिला विद्यालय निरीक्षकों को 30 जून के बाद, जो विनियमित नहीं होंगे उनकी सेवायें समाप्त कर दी जाएं । तीसरा सवाल जो शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया, पूर्ववर्ती शिक्षा मंत्री और पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि उनकी सेवा समाप्त नहीं की जायेगी, उन आश्वासनों का ज्ञान उनको नहीं है । जो अहम मसले उठाये गये हैं, उन तीनों बिन्दुओं की जानकारी माननीय शिक्षा मन्त्री को नहीं है। तो मान्यवर, जिस मंशा से प्रश्न पूछा गया है, लगभग 18 हजार अध्यापकों की रोजी-रोटी का सवाल है और उत्तर सन्तोषजनक नहीं आ रहा है । इस प्रकार तो जितनी देर तक सदन चलायेंगे, हंगामा होता रहेगा । इस सवाल को स्थगित कर दें सारी सूचना लेकर मंत्री जी आयें और फिर इस पर चर्चा करा दीजिये ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

हम लोग सहमत हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

यह सुझाव मैंने रखा था माननीय कल्यान सिंह ने फिर से रख दिया, मैं इसका समर्थन करता हूं । जहां तक नियमों का प्रश्न है नियमावली से स्पष्ट है कि यह सदन स्वतः कोई

ऐसी नई बात कर सकता है जो संविधान के विपरीत न हो । यह सुझाव संविधान के विपरीत नहीं है । अगर आप समझते हैं कि यह जनहित में है, तो आप हर तरह का निर्देश दे सकते हैं और शिक्षा मन्त्री, जो बार-बार आश्वस्त कर रहे हैं कि मानवीय आधार पर विचार करेंगे, अगर इसमें सच्चाई है, तो उनको इसको मानने से इंकार नहीं करना चाहिए । हम केवल इतनी मांग कर रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है, तो जानकारी एकत्रित करके फिर से बयान दे दें । कितने अध्यापकों को समायोजित कर रहे हैं, कितने को बेरोजगार कर रहे हैं । इस पर चर्चा हो जाय । 18 हजार अध्यापकों के रोजगार की समस्या है ।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जो सवाल इस समय प्रस्तुत है । माननीय शिक्षा मंत्री ने जो जवाब दिया है, मैं समझता हूं वह स्वयं उससे सन्तुष्ट नहीं होंगे । यह सवाल विपक्ष का या सत्ता पक्ष का नहीं है, न वह मेरे रिश्तेदार हैं, न आपके हैं, न ऐसी दुर्भावना है कि इस प्रश्न से सरकार गिर रही है, या गिराना चाहते हैं । एक मानवता के नाते जितना कर्तव्य विपक्ष में बैठकर समाज की सेवा करने का हमारा है, उससे ज्यादा आपका अधिकार है । आप भी चाहते हैं कि समाज सेवा हो । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सवाल को गम्भीरता से लें । इसको नियमों से न जोड़ें । रोजी-रोटी का सवाल है, लड़कों की उम्र निकल गई है, नौकरी नहीं पा सकते हैं । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें और पूरी चर्चा करा दें । यह पता लगा लें कि कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

आपने नियम जानना चाहा था । नियम 313 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इस नियम 313 के तहत आपको सभी अधिकार दिये गये हैं, जो इस नियमावली में नहीं हैं । इसलिये आप चर्चा की आज्ञा दे दें, आप पूर्ण सक्षम हैं ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

यदि माननीय सदस्यों की इच्छा है कि चर्चा करा दें । मैं चर्चा स्वीकार करता हूं, चर्चा जब चाहे करा दें ।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने नेता विरोध पक्ष और अन्य दलों के नेताओं को तथा संसदीय कार्य मन्त्री का वक्तव्य सुना और माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने जो अपना वक्तव्य दिया है । उसकी रोशनी में स्पष्ट है । इसकी जानकारी उन्हें करनी है जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है । चूंकि यह सूबे के हजारों टीचरों का मामला है और रोजी-रोटी से इसका ताल्लुक है । लिहाजा इस बात से यह पूरी तरह से संतुष्ट हैं । इस पर एक घंटे की चर्चा अवश्य की जाय जिस दिन सुविधाजनक हो । मैं संसदीय कार्य मन्त्री, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय सदस्यों से उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सहयोग दिया और सदन, जो अपने में सक्षम है उसको किसी भी मामले में निर्णय लेने में आसानी हुई । साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि सदन के फ्लोर पर इस तरह से नहीं आया जाता । अगर आप अपनी सीट पर रहें तो सबका समाधान निकल सकता है ।

दिनांक 9 मार्च, 1984 को उत्तर प्रदेश के अर्द्धशासकीय महाविद्यालयों में आंदोलनकारियों के बीच समझौता होने विषयक दिनांक 15 जुलाई, 1985 के तारांकित प्रश्न संख्या 9 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, परम्परा तो यह है कि चर्चा पहले मंत्री शुरू करें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोगों से ही यह सदन चल सकता है। नियम 49 पढ़ लें उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि चर्चा किस तरह से आरम्भ होगी और किस तरह से शुरू की जायेगी।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश का 22 जून का जो अध्यादेश निकला है विश्व-विद्यालय के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में यह प्रश्न था। इसमें मौलिक पद सृजन की बात कही गयी है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय शिक्षा मन्त्री से भी मिला और इसमें मैंने कहा मौलिक पद सृजन के सम्बन्ध में जो स्थायी नियुक्तियां हैं उसके सम्बन्ध में तो आपने व्यवस्था की है, पर जो दूसरी उसके सम्बन्ध में व्यवस्था आपने की है, वह दूसरे सम्बन्ध में ठीक नहीं उतरती। उत्तर प्रदेश स्टेट युनिवर्सिटी ऐक्ट, 1973 और आपका अध्यादेश दोनों आपस में मेल नहीं खाते। उत्तर प्रदेश युनिवर्सिटी ऐक्ट, 1973 के सम्बन्ध में 2 प्राविधान दिये गये हैं। एक तो धारा 60-ए (VI ए-6) है। उससे यह कहा गया 1975 से पूर्व कुलपति की स्वीकृति से सृजित पद और 1975 के बाद शिक्षा निदेशक की स्वीकृति से जो पद सृजित हुए है। यह दोनों पद मौलिक माने जायेंगे और इसके लिए शिक्षा निदेशक से बार-बार स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

दूसरी मान्यवर, इसमें धारा 31 (3 वी) के अनुसार जो अध्यापक 10 महीने की अवकाशकालीन रिक्ति में जिसकी नियुक्ति हुई है और 10 महीने के बाद वह व्यक्ति उस अध्यापक के त्यागपत्र देने से, सेवा निवृत्त हो जाने से या सेवा समाप्त आदि से वह स्थाई नियुक्त हो जायेगा। इसके साथ तीसरी बात यह है कि जिस स्थान पर तदर्थ प्रवक्ता को नियुक्ति हुई है वह प्रवक्ता लौटकर आ जाता है और उसके समानान्तर दूसरा पद रिक्त हो जाता है तो जो प्रवक्ता उस पद पर था उसको एक साल के बाद दूसरे पद पर जो खाली हुआ है, उस पर स्थानान्तरित कर दिया जाएगा। यह आपके यहां प्राविधान है।

आपने जो 22 जून का अध्यादेश निकाला है, इसमें इस तरह के अध्यापकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मौलिक पद के सृजन के साथ आपके निदेशालय ने अपनी राम कहानी अलग से चलाई है। जो अध्यापक या प्रवक्ता साइन्स पढ़ाते थे उसके प्रेक्टिकल के पीरियड को एक पीरियड का 3/4 माना जायगा। अतः जिन कालेजों में 20 पद रिक्त है, इस हिसाब से वहां पद रह गये 18--आगरा कालेज में जूलोजी डिपार्टमेन्ट में 20 अध्यापकों के स्थान थे। एक अध्यापक स्थायी सेवा निवृत्त हो गया और एक स्थायी रूप से त्याग-पत्र देकर चला गया यूनीवर्सिटी से। दोनों स्थान रिक्त हैं। मौलिक पद हो गये हैं। आपके डायरेक्टर कह रहे हैं कि मैं इन्हें मौलिक पद नहीं मानता। इन्होंने जो एक पीरियड को 3/4 पीरियड मान लिया तो 20 अध्यापकों के नियमित पद हो गए साढ़े 17, इसलिए उनको मौलिक पद नहीं मानते हैं। इसी प्रकार से मान्यवर यह परे-

खानी खड़ी कर दी है। जो आपका सन् 1973 का ऐक्ट है और जो आपका यह अध्यादेश है, दोनों में सामंजस्य नहीं है। आपने स्वयं 15 तारीख को यह स्वीकार किया था कि जो पद किसी सेवा निवृत्ति के बाद या त्याग पत्र के बाद खाली होते हैं या किसी के पद छोड़कर जाने के बाद पद रिक्त होता है तो उसे मौलिक पद मानेंगे। आपके निदेशक इसके विपरीत काम कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

राणा जी, आप नियमों में देखें इसमें लिखा है कि आप ब्रीफ स्टेटमेन्ट, यानी संक्षेप में बयान देंगे और उसके बाद मंत्री जी जवाब देंगे। आधे घंटे की चर्चा है आप ही इतना समय लेंगे तो और माननीय सदस्य कैसे चर्चा में भाग लेंगे ?

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, यह जो एक पीरियड 3/4 के बराबर मानते हैं, यह अन्याय है। एक घंटे काम लेकर दो घंटे बतावें तो यह सम्भव नहीं है। लेकिन आपके निदेशालय के एक क्लर्क के कारण यह हो रहा है, जो सेक्रेटरी को मन चाहे ढंग से नचा रहा है। एक आदमी के कारण पूरा शिक्षा मंत्रालय परेशान हो रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर समुचित कार्यवाही करें।

(7 बजकर 19 मिनट पर)

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)--

मान्यवर, जो मुद्दा श्री राणा जी ने यहां उठाया है वह मूल रूप से अध्यादेश से सम्बन्ध नहीं रखता लेकिन फिर भी मैं उनकी इस बात को स्वयं दिखवा लूंगा कि किस स्तर पर क्या ज्यादती हो रही है और उसका निराकरण करेंगे।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो अध्यादेश जारी किया गया है उसमें मूल रिक्तियों में विनियमितीकरण है वह प्राचार्य से भिन्न प्रत्येक अध्यापक को है, इसमें प्राचार्य को निकाल दिया है। यह जो व्यवस्था की है, विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 के खिलाफ है। इस सूचना को सही मानकर कि जो विश्वविद्यालय अधिनियम है उसमें अध्यापक की परिभाषा क्या है उसमें प्राचार्य का मतलब है कि जो विश्वविद्यालय में या किसी महाविद्यालय में अध्यापक का कार्य करता हो, उसको प्राचार्य कहा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश हायर एजूकेशन सर्विस कमीशन एक्ट, 1980 के चेप्टर 1, पैरा--9 में लिखा है कि :--

"(जी) अदर वर्ड्स यूज्ड एण्ड नाट डिफाइन्ड इन दिस ऐक्ट बट डिफाइन्ड इन दि यू0 पी0 स्टेट यूनीवर्सिटीज ऐक्ट, 1973, शैल हैव दि मीनिंग्स रेसपेक्टिवली एसाइन्ड टू देम इन दि ऐक्ट।"

मान्यवर, इस अधिनियम में जो चीज परिभाषित नहीं है, उसमें वही परिभाषा मानी जायेगी जो विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि मौलिक रिक्तियों में प्रधानाचार्यों को एक्सक्लयूड कर दिया है। इसको एक्सक्लयूड करने के क्या कारण हैं ?

श्री त्रिलोक चन्द्र --

मान्यवर, यह विषय आधे घंटे की चर्चा के लिए स्वीकार हुआ। मंत्री जी का उत्तर आ रहा है कि दिखवा लेंगे तो हम पूछे क्या उनको पूरी तरह से तैयार होकर आना चाहिए था।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने जो सवाल किया "आचार्य के अलावा" जो शब्द हैं, उसे "आचार्य समेत" जोड़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो बात कही है, उसे माननीय मंत्री जी ने नोट कर लिया है।

श्री गौरी शंकर भइया--

अभी आपने एक अध्यादेश निर्गत किया है कि 3-1-84 के पूर्व नियुक्त तदर्थ अध्यापकों को नियमित किया जाता है । किन्तु उन अध्यापकों का क्या दोष है जिनका उस परिधि में नहीं आ सका कुलपति की अनुपस्थिति के कारण 3-1-84 से पूर्व जिनका सारा कार्य नहीं हो सका । गाजीपुर डिग्री कालेज के कतिपय अध्यापकों का मामला इसी विषय पर लम्बित है । इस तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम केस होंगे । 3-1-84 से पूर्व उनकी नियुक्ति तो हो गई, लेकिन जो एप्रूवल लेना था विश्व-विद्यालय से, वह बी० सी० के न होने के कारण, एप्रूवल नहीं मिल सका । या आफिशियल प्रोसेस में विलम्ब के कारण केस विलम्ब से पहुंचे । ऐसे लोगों के सम्बन्ध में आपने क्या सोचा है ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राणा जी, यदि कोई नयी बात कहनी हो, तो आप कह सकते हैं ।

श्री विजय सिंह राणा--

मेरे सवालों का स्पष्ट उत्तर तो मंत्री जी दें ।

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, यह जो प्रधानाचार्यों की तदर्थ नियुक्तियां की गई, यह वरिष्ठता के आधार पर हुई थी ।

ऐसे पदों का विनियमतीकरण नहीं किया गया है जहां लियेन बाकी थे ।

इसलिए प्राधानाचार्य को आचार्य के साथ जोड़ना संभव नहीं हो पाया । जैसा अभी कहा गया कि कई मामलों मे एप्रूवल नहीं था, यदि एप्रूवल पूरा नहीं हुआ है और उसकी जो सरी बंदिशें हैं, वह पूरी नहीं है, तो विनि-यमितीकरण निश्चय ही संभव नहीं हो पायेगा ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी हमें सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

दीर्घाओं में अजनबियों के प्रवेश के सम्बन्ध में उठाए गए औचित्य के प्रश्न पर श्री अधिष्ठाता का निर्णय

श्री अधिष्ठाता--

आज माननीय श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया था, उसके बारे में जानकारी की गई, अधिकतर लोगों के पास प्रवेश-पत्र थे । दो-एक व्यक्तियों के पास अन्य गैलरियों के प्रवेश-पत्र थे । मार्शल को निर्देश दे दिये गये हैं कि भविष्य में राज्यपाल दीर्घा में प्रवेश करने वालों की पूर्णतया चेकिंग करेंगे ।

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे (पूर्वान्ह) फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन सायंकाल 7 बज-कर 26 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
23 जुलाई, 1985

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर)

उन माननीय मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों की सूची जो आबंटित बंगलों में निवास कर रहे हैं और जिनके अध्यासन में बंगले के अतिरिक्त विधायक निवासों के कक्ष/फ्लैट भी हैं :—

1—श्री रघुवीर सिंह यादव, मंत्री ।	विधायक निवास–2, नया, कक्ष संख्या–130
2—श्री सईदुल हसन, मंत्री ।	विधायक निवास–2, पुराना, कक्ष संख्या–63/64
3—श्री अरुण कुमार सिंह, मंत्री ।	विधायक निवास–6, पार्कंरोड, कक्ष संख्या–के–3
4—श्री संजय सिंह, मंत्री ।	विधायक निवास–6, पार्कंरोड, कक्ष संख्या–ए–8
5—श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान, राज्य मंत्री ।	विधायक निवास–2, (पुराना), कक्ष संख्या–11
6—श्री भोला शंकर मौर्य, राज्य मंत्री ।	विधायक निवास–2, पुराना, कक्ष संख्या–33
7—श्री मानपाल सिंह, राज्य मंत्री ।	विधायक निवास–1, कक्ष संख्या–106

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

संलग्नक

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित श्री काशी सिंह ऐरी के अतारांकित प्रश्न संख्या 5 से सम्बन्धित पर्वतीय क्षेत्र के विभिन्न प्रभागों में आग से लकड़ी घास व लीसा की वर्ष 1984 में हुई क्षति का विवरण :—

क्र0सं0	वृत्त एवं प्रभाग का नाम	क्षति का विवरण					
		लकड़ी		घास		लीसा	
		मात्रा	क्षति (रु0 में)	मात्रा	क्षति (रु0 में)	मात्रा	क्षति (रु0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुमाऊं/प्रकाष्ठ सम्भरण वृत्त—						
	1—पूर्वी अल्मोड़ा	..	..	..	..	280 कु0	47,600.00
	2—पश्चिमी अल्मोड़ा	..	..	..	..	192 कु0	26,880.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

3—पिथौरागढ़	10 स्लीपर	500.00	..	..	..	..
4—नैनीताल	..	..	520 कु0	5,208.00	1,45,425 घाव	40,189.00
5—अतिरिक्त भूमि सं0 रामनगर	..	..	124 कु0	1,245.00	..	..
2 पश्चिमी वृत्त—						
1—हल्द्वानी	477 कु0 (सोख्ता)	14,310.00	..	..	10 कु0	5,000.00
2—तराई पश्चिमी	60 तारवाड़ के खम्भे	300.00	..	..	..	..
3 गढ़वाल वृत्त—						
1—लैन्स डाउन	180 कु0	7,200.00	..	..	2000 घाव	900.00
	300 घ0 मी0 सोख्ता	7,000.00				
2—गढ़वाल	..	..	..	..	1,78,370 घाव	80,267.00
					+ 48.08 कु0	14,423.00
3—बद्रीनाथ	..	..	..	..	20,500 घाव	4,600.00
4—केदारनाथ	..	..	..	..	30,000 घाव	13,500.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
			रु0		रु0		रु0
4	यमुना वृत्त—						
	1—यमुना	488 स्लीपर	97,600.00	..	..	20 कु0	5,000.00
	2—चकराता	..	..	..	..	30 कु0	7,500.00
5	शिवालिक वृत्त—						
	1—पश्चिमी देहरादून	139 कु0	4,170.00	..	..	..	..
6	भागीरथी वृत्त—						
	1—टिहरी	..	..	..	..	14,100 (घास)	7,050.00

नोट :—1—उक्त तालिका में ग्राउन्ड अग्नि से वन क्षेत्र के घास को जो क्षति हुई उसका उल्लेख नहीं है क्योंकि इससे कोई प्रत्यक्ष वित्तीय क्षति नहीं हुई है ।

2—उक्त तालिका में उन वन प्रभागों का उल्लेख नहीं किया गया है जिनमें अग्नि से लकड़ी घास व लीसा को कोई क्षति नहीं हुई है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 37 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1985 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित श्री शिलमिट राम द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 37 के उत्तर में उल्लिखित परिशिष्ट 'क'

राजकीय निर्माण निगम में लेखाकार के समकक्ष समस्त उत्तरदायित्वों एवं कर्त्तव्यों का निष्पादन करने वाले लेखा सहायकों को वित्तीय लाभ न दिये जाने के निगम के निर्णय पर नीचे लिखे बिन्दुओं के अनुरूप पुनर्विचार किया जाय :—

(क) निगम का वर्किंग मैनुअल दिनांक 1-4-1984 से लागू हुआ है जो वर्ष 1981 से लेखाकार के रूप में कार्य कर रहे लेखा सहायकों के मामले में लागू नहीं हो सकता। दिनांक 1-10-1975 को जारी निगम का प्रथम सामान्य परिपत्र (जनरल सरकुलर) का अनुपालन इस मामले में करना होगा।

(ख) वित्तीय हस्त-पुस्तिका के खण्ड 2 (भाग-2) के मूल नियम 30 तथा 49, जिसमें स्थानापन्न कार्य तथा स्थानापन्न वेतन का प्राविधान है, लागू करने के लिये शासन एवं निगम दोनों बाध्य हैं।

(ग) लेखा सहायक को वित्तीय लाभ न देने की दशा में लेखाकार के रूप में उसके द्वारा किये गये गलत कार्यों के लिये न उसे उत्तरदायी कहा जा सकता है और न उसे दण्डित ही किया जा सकता है जबकि निगम में ऐसे लेखा सहायकों के कार्यों में त्रुटि/शिकायत पाये जाने पर उनके विरुद्ध यथेष्ट कार्यवाही की जाती रही है।

(घ) लेखा सहायकों से यदि बिना अतिरिक्त व्यय-भार के लेखाकार का कार्य कराया जा सकता है तो निगम में एक सौ से अधिक लेखाकारों एवं वरिष्ठ लेखाकारों की सेवाओं का औचित्य नहीं है।

(ङ) उचित निर्णय हेतु शासन के वित्त, न्याय एवं कार्मिक विभाग से राय ली जाय।

(च) निर्माण निगम के वर्किंग मैनुअल के प्रस्तर 914, 939 एवं 1033 को केवल लेखा सहायकों के मामलों में प्रस्तर 248(बी) के अन्तर्गत रद्द किया जाना सौतेले व्यवहार का प्रतीक है।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 80 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर ।)

सेवा में,

श्रीमान् एस० पी० साहब,

वाराणसी ।

महोदय,

सेवा में सविनय निवेदन है कि प्रार्थिनी सुमित्रा पति शिवमूरत यादव गांव कठिरांव थाना फूलपुर जिला वाराणसी की निवासी है । प्रार्थिनी के पति शिवमूरत यादव करीब 15 दिन से बंबई गये हुये हैं । इस वक्त घर पर नहीं हैं । प्रार्थिनी का लड़का शिवकुमार पुत्र शिवमूरत यादव कक्षा 9 में इंटर कालेज कठिरांव में पढ़ता है प्रार्थिनी के पति से प्रभू के नाती ने रूपया लिया था उसी को उसने मांगा था करीब 8 बजे रात ता० 27-3-85 को फूलपुर थाने के नायब थानेदार शिवचरन तिवारी प्रार्थिनी के दरवाजे पर तीन चार सिपाहियों के साथ आये और प्रार्थिनी के लड़के राजकुमार को बुलाकर सामने मड़ई के पास ले गये । इसके बाद प्रभू चौहान, खरका कठिराव को बुलाये और उसके नाती से कहलवाये कि राजकुमार ने 1,500 व एक घड़ी छीन लिया है । राजकुमार से दरोगा ने पूछा कि इसका रूपया छीने हो उसने कहा कि नहीं । इस पर तिवारी थानेदार ने उसको बेंत से बुरी तरह से मारा और मारकर घायल कर दिया है तथा रात भर बागी गोसाई गांव कठिरांव के घर में मार कर बंद रक्खा । और आज ता० 28-3-85 को थाने ले गये कि कहां ले गये यह पता नहीं है । परमू चौहान तथा उसके नाती से तिवारी थानेदार ने यह केस फर्जी बनवाया है । 27-3-85 को कोई मुकदमा भी थाने में दर्ज नहीं था ।

इस लिए श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के लड़के को छोड़वाया जाय । और डाक्टरी मुआइना कराकर तिवारी थानेदार व सिपाहियों एवं परमू चौहान तथा उसके नाती के खिलाफ मुकदमा चलाया जाय तथा तुरन्त इस मामले की जांच की जाय । मेरे पति से तिवारी दरोगा व फूलपुर की उस हल्के की पुलिस रंजिश रखती है ।

28-3-85

प्रार्थिनी,
नि० अ०,
सुमित्रा पत्नी शिवमूरत यादव,
गांव कठिरांव, थाना फूलपुर,
जिला-वाराणसी ।

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 102 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर।)

चीनी बिक्री की माहवार अप्रैल 1982 से मार्च 1983 तक की सूचना निम्न प्रकार है :—

(कुन्टल में)

माह	वर्ष	कोटा	उठान	व्ययगत	प्रतिशत
अप्रैल	1982	99167	96072	3095	3.12
मई	1982	130868	130276	592	0.45
जून	1982	145297	144399	898	0.61
जुलाई	1982	153351	153151	200	0.13
अगस्त	1982	200407	178789	21618	10.78
सितम्बर	1982	268357	207878	60479	22.53
अक्टूबर	1982	337865	323075	14790	4.19
नवम्बर	1982	220939	163341	57598	26.06
दिसम्बर	1982	178142	102520	75622	42.45
जनवरी	1983	140269	121522	18747	13.36
फरवरी	1983	116533	90905	25628	21.99
मार्च	1983	79690	54552	25138	31.54
योग	..	20,70,885	17,66,480	3,04,405	14.70

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 105 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर)

चीनी बिक्री की माहवार अप्रैल, 1982 से मार्च 1983 तक की सूचना निम्न प्रकार है :—

(बोरे में)

माह	वर्ष	कोटा	व्ययगत	प्रतिशत
अप्रैल	1982	99167	3095	3.12
मई	1982	130868	592	0.45
जून	1982	145297	898	0.61
जुलाई	1982	153351	200	0.13
अगस्त	1982	200407	21618	10.78
सितम्बर	1982	268357	60479	22.33
अक्टूबर	1982	337865	14790	4.19
नवम्बर	1982	220939	57598	26.06
दिसम्बर	1982	178142	75622	42.45
जनवरी	1983	140269	18747	13.36
फरवरी	1983	116533	25628	21.99
मार्च	1983	79690	25138	31.54
योग	..	20,70,885	3,04,405	14.70

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 138 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72 पर ।)

परिशिष्ट "क"

जनपद का नाम

1—मथुरा

2—हरदोई

3—बुलन्दशहर

4—रामपुर

5—आगरा

6—फर्रुखाबाद

7—एटा

8—कानपुर

9—बदायूं

10—नैनीताल

11—बांदा

12—जालौन

13—अलमोड़ा

14—सुल्तानपुर

15—गोण्डा

16—फैजाबाद

17—देवरिया

18—बलिया

19—आजमगढ़

पी0 एस0 यू0 पी0—24 वि0 सभा—9-9-85—813 प्र0—(पी0डी0) ।